लोक-सभा वाद-विवाद

मंगलवार,
१३ दिसम्बर, १९५५

(भाग १—प्रश्नोत्तर)

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'

खण्ड ७: १९५५

(२१ नवम्बर से २३ दिसम्बर, १९५५)

1st Lok Sabha

सत्यमेव जयते

Preservation
Fumigated
On 11.11.83
Parliament Library

ग्यारहवां सत्र, १९५५

(खंड ७ में अंक १ से अंक २६ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

I 30

विषय-सूची

[खंड ७—२१ नवम्बर से २३ दिसम्बर, १९५५]

अंक १—सोमवार, २१ नवम्बर, १९५५

सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण ३६९५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १ से ३, ५ से २५, २८, २९, ३१ और ३२ . ३६९५–३७३९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४, २६, २७, ३०, ३३ से ४५ . . ३७३९–५०

अतारांकित प्रश्न संख्या १ से २४ . . . . ३७५०–६४

दैनिक संक्षेपिका ३७६५–७०

अंक २—मंगलवार, २२ नवम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४६ से ५१, ५३ से ६३, ६५ से ६९, ७१, ७२, ७४ और ७५ . . . . . ३७७१–३८१३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७३, ७६ से ८३, ८५ से ९१ और ९३ से ९७ . ३८१४–२७

अतारांकित प्रश्न संख्या २५ से ५४ . . . ३८२७–४६

दैनिक संक्षेपिका ३८४७–५०

अंक ३—बुधवार, २३ नवम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९८ से १०५, १०८, १३६, १०७, १०९ से ११९, ११३, ११७ से १२२, १२४ से १२६, १२८ . . . ३८५१–८८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०६, ११२, ११४ से ११६, १२७, १२९ से १३५, १३७ से १४७ . . . . . ३८८८–३९०४

अतारांकित प्रश्न संख्या ५५ से ६८ और ७० . . . ३९०४–१२

दैनिक संक्षेपिका ३९१३–१६

अंक ४—गुरुवार, २४ नवम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४८ से १६१, १६३, १६४, १६७ से १७०, १७२, १७४, १७६ से १८३, १८५, १८७ और १८९ . . . . ३९१७–६१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६५, १७५, १८४, १९०, १९२ और १९३ . ३९६१–६४

अतारांकित प्रश्न संख्या ७१ से ८१ और ८३ से ९० . . ३९६४–७८

दैनिक संक्षेपिका ३९७९–८०

अंक ५—शुक्रवार, २५ नवम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १९४ से १९६, १९८, १९९, २०१, २०४ से २०६, २०९ से २१७, २२० से २२५ . . . . ३९८१–४०२२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १९७, २००, २०३, २०७, २०८, २१८, २१९, २२६ से २४० . . . . . ४०२२–३६

अतारांकित प्रश्न संख्या ९२ से १२६ . . . . ४०३६–५८

दैनिक संक्षेपिका ४०५९–६४

अंक ६—सोमवार, २८ नवम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २४२ से २४६, २५१, २५२, २५६, २५८, २६०, २६२ से २६४, २६६, २६९, २४१, २४७, २५३, २५७, २५९, २६१, २६५, २६७, २४८, २५५ और २४९ . . . ४०६५–४१०५

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १ . . . . . ४१०५–१३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २५०, २५४ और २६८ . . ४११३–१४

अतारांकित प्रश्न संख्या १२७ से १४८ . . . ४११४–२६

दैनिक संक्षेपिका ४१२७–३०

अंक ७—बुधवार, ३० नवम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २७०, २७१, २७३ से २७६, २७८, २८४, २७९, २८२, २८३, २८५ से २९५, २९७ से ३०१ . . . ४१३१–७४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २७२, २७७, २८०, २८१, २९६, ३०३ से ३१० और ३१२ . . . . . . ४१७४–८२

अतारांकित प्रश्न संख्या १४९ से १७० . . . . ४१८३–९६

दैनिक संक्षेपिका ४१९७–४२००

अंक ८—गुरुवार, १ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३१३, ३१५ से ३१७, ३१९, ३२०, ३२२ से ३२४, ३२७ से ३३०, ३३२ से ३३६, ३३८, ३३९, ३४१ से ३४३, ३४५ से ३४७ और ३४९ से ३५२ . . . . . ४२०१–४५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३१४, ३१८, ३२१, ३२५, ३२६, ३३१, ३३७, ३४०, ३४४, ३४८ और ३५४ से ३७७ . . . . ४२४५–६५

अतारांकित प्रश्न संख्या १७१ से १७३ और १७५ से २१६ . ४२६६–९८

दैनिक संक्षेपिका ४२९९–४३०६

अंक ९—शुक्रवार, २ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३७८ से ३८१, ३८३, ३८५, ३८७ से ३८९, ३९१, ३९२, ३९४ से ३९९, ४०१, ४०३, ४०४, ४०६, ४०७, ४०९ से ४१५ ४३०७–५१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३८२, ३८४, ३८६, ३९०, ३९३, ४००, ४०२, ४०५, ४०८, ४१६ से ४२६ और १२३ . . ४३५१–६१

अतारांकित प्रश्न संख्या २१७ से २३७ . . . ४३६१–७४

दैनिक संक्षेपिका ४३७५–८०

अंक १०—शनिवार, ३ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४२७ से ४२९, ४३१, ४३३ से ४३६, ४३९, ४४३, ४४४, ४४६ से ४५१, ४५४, ४५५ और ४७६ . . ४३८१–४४२२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४३०, ४३२, ४३७, ४३८, ४४० से ४४२, ४४५, ४५२, ४५३, ४५६ से ४७५, ४७७ से ४८४, १७१, १८८ और १९१ ४४२३–४६

अतारांकित प्रश्न संख्या २३८ से २६३ . . . ४४४६–६०

दैनिक संक्षेपिका ४४६१–६६

अंक ११—सोमवार, ५ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४८५, ४८८, ४९० से ४९२, ४९४, ४९५, ४९७ से ५०१, ५०४ से ५०६, ५१२, ५१४ से ५१६, ५१८, ५२१, ५२२, ५२५, ५३० और ५२६ . . . . . ४४६७–४५०८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४८७, ४८९, ४९३, ४९६, ५०२, ५०३, ५०७ से ५११, ५१३, ५१९, ५२०, ५२४, ५२७, ५२८, ५२९, ५३१ से ५३७ ४५०८–२३

अतारांकित प्रश्न संख्या २६४ से ३०७ . . . ४५२३–५२

दैनिक संक्षेपिका ४५५३–५८

अंक १२—गुरुवार, ६ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५३८ से ५४०, ५४४ से ५४६, ५४८, ५४९, ५५१, ५५३, ५५९ से ५६३, ५६५ से ५६८, ५७० से ५७४, ५७७ से ५८३ और ५४७ ४५५९–४६०४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५४१, ५४२, ५४३, ५५०, ५५२, ५५५, ५५६ से ५५८, ५६४, ५६९, ५७५, ५७६ ४६०५–१२

अतारांकित प्रश्न संख्या ३०८ से ३३२ ४६१२–२८

दैनिक संक्षेपिका ४६२९–३४

अंक १३—बुधवार, ७ दिसम्बर १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५८४ से ५८७, ५८९ से ५९८, ६०० से ६०४ और ६०६ . . ४६३५–७४

अल्प सूचना प्रश्न संख्या २ ४६७४–७६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५८८, ५९९, ६०५, ६०७ से ६३० और ३०२

अतारांकित प्रश्न संख्या ३३३ से ३६२ . . . . ४६९३–४७१२

दैनिक संक्षेपिका ४७१३–१८

अंक १४—गुरुवार, ८ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६३१, ६३२, ६३४, ६३५, ६३७, ६३९ से ६४१, ६४३ से ६४५, ६४७ से ६४९, ६५१, ६५३ से ६५९, ६६१, ६६३, ६६४, ६८१, ६६६, ६६८ और ६६९ ४७१९–६४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६३३, ६३६, ६३८, ६४२, ६४६, ६५०, ६५२, ६६० ६६२, ६६५, ६६७, ६७० से ६८०, ६८२ से ६८७ . ४७६४–८०

अतारांकित प्रश्न संख्या ३६३ से ३९७ . . . . ४७८०–४८०४

दैनिक संक्षेपिका ४८०५–१०

अंक १५—शुक्रवार, ९ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६८८ से ६९०, ६९२, ६९४ से ६९७, ६९९, ७०१, ७०३, ७०५ से ७०८, ७११ से ७१३, ७१५ से ७१९, ६९८ और ७०२ ४८११–५२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६९१, ६९३, ७००, ७०४, ७०९, ७१० और ७१४ ४८५२–५६

अतारांकित प्रश्न संख्या ३९८ से ४२० ४८५६–७०

दैनिक संक्षेपिका ४८७१–७४

अंक १६—सोमवार, १२ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७२१, ७२२, ७२५ से ७३२, ७३४, ७३८ से ७४०, ७४३ से ७४६, ७४८ से ७५०, ७२४, ७३५ और ७२३ . . ४८७५–४९१६

प्रश्नों के लिखित उत्तर— . . . .

तारांकित प्रश्न संख्या ७२०, ७३३, ७३६, ७३७, ७४१, ७४२ और ७४७ ४९१६–२१

अतारांकित प्रश्न संख्या ४२१ से ४४० . . . ४९२१–३६

दैनिक संक्षेपिका ४९३६–४०

अंक १७—मंगलवार, १३ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७५२ से ७६१, ७६३ से ७७३, ७७५, ७७९, ७८०, ७८४ से ७८६, ७८८ और ७८९ . . . ४९४१–८५

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ३ . . . . ४९८५–८८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७५१, ७६२, ७७०क, ७७४, ७७६ से ७७८, ७८१ से ७८३, ७९० से ८०५ और ८०७ . . . . ४९८८–५००४

अतारांकित प्रश्न संख्या ४४१ से ४८९ . . . ५००४–३२

दैनिक संक्षेपिका ५०३३–४०

अंक १८—बुधवार, १४ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८०८, ८०९, ८१५ से ८१७, ८२०, ८२४, ८२५, ८२८ से ८३२, ८३४ से ८३६, ८३८, ८१४, ८१२, ८२३ और ८२७. ५०४१–७४

प्रश्नों के लिखित उत्तर— . . . . .

तारांकित प्रश्न संख्या ८१०, ८११, ८१३, ८१८, ८१९, ८२१, ८२२, ८२६, ८३३ और ८३७ . . . . . ५०७५–८१

अतारांकित प्रश्न संख्या ४९० से ५२२ . . . . ५०८१–५१०६

दैनिक संक्षेपिका ५१०७–१०

अंक १९—गुरुवार, १५ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८४०, ८४४ से ८४८, ८५०, ८५३ से ८५६, ८५८, ८५९, ८६१, ८६२, ८६४, ८६५, ८६७, ८७१, ८७३, ८७४, ८७६, ८७८ से ८८०क ५१११–५४

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ८३९, ८४१ से ८४३, ८४९, ८५१, ८५२, ८५७, ८६०, ८६३, ८६६, ८६८ से ८७०, ८७२, ८७५, ८७७, ८८१ से ९९८ और १७३ ५१५४–७०

अतारांकित प्रश्न संख्या ५२३ से ५६१ . . . . ५१७०–९६

दैनिक संक्षेपिका ५१९७–५२०२

अंक २०--शुक्रवार, १६ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ८९१, ८९३, ८९४, ८९६, ८९७, ८९९ से ९०५, ९११ से ९१३, ९१५, ९१७, ९१९, ९२१ से ९२५, ९२७ से ९३१, ९३३ और ९३५ से ९४० . ५२०३–४८

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ४ . . . . ५२४८–५१

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ८९०, ८९२, ८९५, ८९८, ९०६ से ९१०, ९१४, ९१६, ९१८, ९२०, ९२६, ९३२ और ९३४ . . ५२५१–६१

अतारांकित प्रश्न संख्या ५६२ से ६२७ . . . . ५२६१–५३१२

दैनिक संक्षेपिका ५३१३–२०

अंक २१--शनिवार, १७ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ५ . . . . ५३२१–२४

दैनिक संक्षेपिका ५३२५-२६

अंक २२--सोमवार, १९ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ९४४, ९४३, ९४५ से ९४८, ९५०, ९५१, ९५३ से ९५५, ९५७ से ९५९, ९६१, ९६२, ९६४, ९६७, ९६९ से ९७१, ९७३ और ९७५. ५३२७–६७

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ९४१, ९४२, ९४९, ९५२, ९५६, ९६०, ९६३, ९६५, ९६६, ९६८, ९७३, ९७४, ९७६, ९७७, ९७८ और ९७९ ५३६८–७६

अतारांकित प्रश्न संख्या ६२८ से ६५५ और ६५७ से ६६६ . . ५३७६–९८

दैनिक संक्षेपिका ५३९९–५४०२

अंक २३—मंगलवार, २० दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९८० से ९८४, ९८६ से ९८८, ९९० से ९९८, १०००, १००२ से १०११ ५४०३–४६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९८५, ९८९, ९९९, १००१, १०१२ से १०४४ ५४४६–७०

अतारांकित प्रश्न संख्या ६६७ से ७१४ और ७१६ से ७२३ ५४७०–५५०२

दैनिक संक्षेपिका ५५०३–१०

अंक २४—बुधवार, २१ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०४५ से १०५२, १०५५, १०५७, १०५९, १०६१ से १०६७, १०७० से १०७२, ३५३, १०७४, १०७५, १०७७, १०७८, ११०६, १०७९ से १०८५. ५५११–५६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०५३, १०५४, १०५६, १०५७, १०६०, १०६८, १०६९, १०७३, १०७६, १०८६ से ११०५, ११०७ से १११९, ५१७ ५५५७–८१

अतारांकित प्रश्न संख्या ७२४ से ८२५, ८२५-क, ८२६ से ८४५, ८४५क, ८४६ से ८६३ . ५५८१–५६७०

दैनिक संक्षेपिका ५६७१–८२

अंक २५—शुक्रवार, २२ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११२० से ११२५, ११२७ से ११३६, ११३९ से ११५१ ५६८३–५७२९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११२६, ११३७, ११३८, ११५२ से ११६२ ५७२९–३६

अतारांकित प्रश्न संख्या ८६४ से ९१४, ९१६ से ९३४ और ९३४-क ५७३६–८०

दैनिक संक्षेपिका ५७८१–८२

अंक २६—शुक्रवार, २३ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११६३, ११६४, ११६८, ११७०, ११७२ से ११८३, ११८५ से ११९०, ११९३ से ११९५. ५७८९–५८३४

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ६ और ७. ५८३४–३८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११६५ से ११६७, ११६९, ११७१, ११८४, ११९१, ११९२, ११९६ से १२०७. ५८३८–५२

अतारांकित प्रश्न संख्या ९३५ से ९९५, ९९५-क, ९९६ से १०१२ और १०१४ . . . . ५८५२–५९०२

दैनिक संक्षेपिका ५९०३–१०

GIPND—NSH—477 LSD—1-3-58—175

मंगलवार, १३ दिसम्बर, १६५५

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

डाकघर बचत बैंक सम्बन्धी लेखे (पाकिस्तान)

*७५२. **सरदार हुक्म सिंह** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या भारत-पाकिस्तान के जुलाई-अगस्त, १६५४ के करार के अनुसरण में पाकिस्तान में नियुक्त किये गये सम्पर्क पदाधिकारियों के कार्य में कोई प्रगति हुई है ; और

(ख) विस्थापित व्यक्तियों के डाकघर बचत बैंक लेखों तथा प्रमाणपत्रों के पाकिस्तान से भारत को हस्तान्तरण की कब तक पूर्ण होने की आशा है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां ।

(ख) हाल में हुए भारत-पाकिस्तान करार के अनुसार डाकघर बचत बैंक लेखों तथा प्रमाणपत्रों का हस्तान्तरण, जिनके पाकिस्तान से भारत को और भारत से पाकिस्तान को हस्तान्तरण के दावे निर्धारित तिथियों तक रजिस्टर कर दिये गये थे, ३०–६–५६ तक पूर्ण हो जाना चाहिये ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या इसका कोई अनुमान लगाया गया है कि वहां हमारे लेखों की कुल रकम कितनी है ?

श्री राज बहादुर : प्रारंभिक निर्धारण के अनुसार बचत बैंक लेखों और डाक प्रमाण-पत्रों की संख्या १,४५,२७५ थी, जिसका मूल्य ७,२२,०५,२३२ रुपये लगाया गया था । इसमें से अनिर्णीत दावों का अनुमान ५६,६८२ लगाया गया था जिन का मूल्य ३,००,७३,०६६ रुपये है ।

सरदार हुक्म सिंह : और पाकिस्तान द्वारा हमसे मांगी गई रकम कितनी है ?

श्री राज बहादुर : यह केवल पाकिस्तानी अधिकारियों को ही भली भांति ज्ञात है कि वे हमसे कितनी रकम की मांग कर सकते हैं । परन्तु हमारे पास जो जानकारी है उससे यह कहा जा सकता है कि इन लेखों के कारण पाकिस्तान द्वारा किया गया दावा लगभग १६ लाख रुपये का है ।

सरदार हुक्म सिंह : हमने अभी तक कितनी रकम ऐसे आदमियों को दी हैं जिन्हें आपातित सहायता की आवश्यकता है, क्योंकि ऐसे लेखे हस्तान्तरित नहीं किये गये हैं ?

श्री राज बहादुर : ७ सितम्बर, १६५५ तक भारत से पाकिस्तान को हस्तान्तरित किए गए डाकघर बचत बैंक लेखों तथा प्रमाणपत्रों का मूल्य ६,४६,२६८ रुपये है ।

सरदार हुक्म सिंह : मैं जानना चाहता था कि क्या हमने किन्हीं भी दावेदारों को, जिन्हें धन की तुरन्त आवश्यकता है, अन्तःकालीन सहायता दी है ?

श्री राज बहादुर: अन्तःकालीन सहायता के प्रश्न पर मैं अटकल से कुछ नहीं कह सकता और मुझे नहीं मालूम कि वह इस प्रश्न से उत्पन्न भी होता है ? यहां तो हमारा सम्बन्ध विशेष बचत बैंक खाते या डाक प्रमाणपत्रों से है । मैं नहीं जानता कि यह कैसे आता है ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या हमने पारस्परिक दावों का समायोजन करने का कोई प्रयत्न किया है और क्या इस विषय पर कोई पत्र-व्यवहार हुआ है अथवा क्या दो देशों के बीच यह देखने के लिये कोई चर्चा हुई है कि क्या दावों का पारस्परिक समायोजन और उन स्थानों से हो उनका भुगतान किया जा सकता है ?

श्री राज बहादुर : मैं नहीं जानता कि पारस्परिक समायोजन का सही तात्पर्य क्या है । हमारी ओर के कुछ आदमियों के पाकिस्तान के डाकघरों में बचत बैंक लेखे थे। वे उन्हें भारत मंगाना चाहते हैं । पाकिस्तान के कुछ आदमियों के लेखे हमारे डाकघरों में थे । उन्हें पाकिस्तान मंगाना चाहते हैं । पारस्परिक समायोजन का प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता ।

सरदार हुक्म सिंह : मैं केवल उन्हीं का निर्देश कर रहा हूं, जिनके लेखे पाकिस्तान में थे। परन्तु जो अब उन्हें यहां मंगाना चाहते हैं और जिन्हें भुगतान की तुरन्त आवश्यकता है, परन्तु वह उन्हें इसलिये नहीं मिल रहा है क्योंकि लेखे हस्तान्तरित नहीं किये जा रहे हैं। क्या कोई ऐसा तरीका है जिसके द्वारा उन लेखों के वास्तविक हस्तान्तरण के पूर्व उनको भुगतान किया जा सके ?

श्री राज बहादुर : वास्तविक हस्तान्तरण के पूर्व इसका सत्यापन करना होगा कि क्या कोई खास बचत बैंक लेखा वास्तव में पाकिस्तान में था भी या नहीं । इसका भी सत्यापन किया जाना है कि क्या किसी खास लेखाधारी के नाम में कितनी रकम थी । बिना इस सत्यापन के, जो कि केवल पाकिस्तान से ही आ सकता है यह संभव नहीं प्रतीत होता कि ऐसा अन्तःकालीन समायोजन किया जा सकता है ।

श्री गिडवानी : क्या हमारे पास उन लोगों के संबंध में पूरा हिसाब है जो पाकिस्तान चले गये हैं और क्या हम अन्ततः कोई कार्यवाही कर सकते हैं और यहां लाखों का समायोजन कर सकते हैं ?

श्री राज बहादुर : मैं नहीं समझता कि वह एक ओर से किया जा सकता है क्योंकि इन में दो देशों में लाखों का पारस्परिक समायोजन अन्तर्निहित है ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों द्वारा पूछे गये प्रश्नों से मैंने यह समझा है कि प्रश्न का झुकाव यह है कि लोग डाक घर बचत बैंक लेखों में अपना रुपया इस लिये रखते हैं कि उसका आवश्यकता के समय उपयोग कर सकें । बहुत से वर्ष व्यतीत हो गये हैं और कुछ निश्चित नहीं हुआ है । अब सरकार इन रकमों के सम्बन्ध में , जो लोगों ने वहां अदा की हैं, यहां अन्तःकालीन सहायता देने के लिये क्या उपाय सोच रही है ? संभवतः पाकिस्तान तो कल्पान्त तक भी उनका सत्यापन नहीं करेगा । क्या हम प्रतीक्षा करेंगे? इस प्रश्न का यह अर्थ मालूम होता है ।

श्री राज बहादुर : श्रीमान् ! मैं इस प्रश्न के स्पष्टीकरण के लिये आपका अत्यन्त कृतज्ञ हूँ क्योंकि इस में से मुझे प्रश्न का सार समझ में आ गया । मैं समझता हूँ कि यदि मैं इस मामले में भारत सरकार द्वारा किये गये प्रश्नों का इतिहास समझाऊँ तो अच्छा करूँगा । सितम्बर, १९४९ के मध्य में कुछ सम्मेलन हुए थे, प्रक्रिया बनाई गई थी परन्तु उसे कार्यान्वित नहीं किया जा सका । जून १९५० में एक अन्य सम्मेलन हुआ था; एक

अन्य प्रक्रिया बनाई गई थी और कुछ सूत्र भी बनाये गये थे और १९५२ में फिर एक अन्य सम्मेलन हुआ था । लेखों के हस्तान्तरण की ये प्रक्रियायें तथा सूत्र भी कार्यान्वित नहीं किये जा सके । तब फिर हम जुलाई-अगस्त १९५३ में मिले और हमने सर्व प्रथम यह निर्णय किया कि दोनों देशों में लेखों के सत्यापन कार्य के लिये सम्पर्क पदाधिकारी नियुक्त किये जायें । हमारे सम्पर्क-पदाधिकारी कराची और लाहौर में नियुक्त किये गये हैं और उनके सम्पर्क पदाधिकारी दिल्ली और अम्बाला में नियुक्त किये गये हैं । इन लेखों की सत्यापित सूचियों की उनके कहने पर अदला-बदली की जाती है और हमारी उस दिशा में सहायता करते हैं । यह ही किया गया है । फिर मार्च, १९५५ में हमने देखा कि वह कार्य धीमा हो रहा है । वहां पाकिस्तानी अधिकारी यह सोचते हैं कि हमारे लेखों का मूल्य, जो हमें हस्तान्तरित किये जाने हैं, उसके मूल्य का केवल २½ गुना है जो इन लेखों के सम्बन्ध में भारत का पाकिस्तान से देय है । परन्तु यह अनुपात होना चाहिये ३ करोड़ रुपये और १६ लाख रुपये का । इस लिये वे केवल ढाई गुना सूचियां सत्यापित कर रहे हैं । यह दिक्कत रही है । अब अन्तिम तिथियां दे दी गई हैं और जहां तक लाखों के सत्यापन का प्रश्न है, वह जून १९५६ के अन्त तक पूर्ण करना होगा । इस समय मामला इस स्थिति में है ।

सरदार हुकम सिंह : और यदि वह भी अन्तिम न हो तो ?

अध्यक्ष महोदय : सभापति का काम कोई सिफारिशें करना या कोई प्रश्न करना नहीं । मुझे यह प्रश्न स्पष्ट लगता है । सरकार ने समस्त संभव प्रयत्न कर लिये हैं । यह सच है । सरकार के पास पाकिस्तान के इन लेखों का लगभग ७ करोड़ रुपये का अनुमान भी है । अब मान लीजिए कि पाकिस्तान से बातचीत द्वारा कुछ नहीं किया जा सकता तो सरकार उन लोगों को अन्तःकालीन सहायता देने के प्रयोजन के लिये क्या कर रही है जिन्हें यहां रुपये की अत्यन्त आवश्यकता है । सत्यापन में वर्षों का समय लग सकता है । मैं यही सुझाव रखूंगा कि सरकार इस पहलू पर विचार करे और तब सभा में कुछ प्रस्ताव ले कर उपस्थित हो ।

संचार मन्त्री (श्री जगजीवन राम): मैं इस में एक बात और जोड़ दूं । अभी आपने जो बात कही है, वह मेरे विचाराधीन भी थी । परन्तु कठिनाई है कि जब तक लेखा की पड़ताल न कर ली जाय तब तक हम दावों को सही नहीं मान सकते हैं । यह तो हुआ प्राविधिक दृष्टिकोण, परन्तु वास्तविक व्यवहार में, जैसा आप कहते हैं, लोगों को बड़ी कठिनाई और मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, और शरणार्थियों के संबंध में तो यह कठिनाई और भी अधिक बढ़ जाती है । वास्तविकता तो यह है कि मुझे विधवाओं और असहाय व्यक्तियों की ओर से बहुत सी व्यक्तिगत प्रार्थनायें प्राप्त होती हैं । वे केवल एक ही वस्तु का भरोसा कर सकते हैं और वह है बचत-बैंक में जमा की गई राशि । इस लिये, वास्तव में, जैसा कि आपने सुझाव दिया है, इसी प्रकार की बात मेरे भी विचाराधीन रही है कि पाकिस्तान में उनके दावों की पड़ताल किये जाने से पूर्व क्या उनको बकाया राशि का कुछ प्रतिशत भाग अदा किया जा सकता है । मैं इस मामले को आगे बढ़ाऊंगा ।

समुद्रपार-संचार

*७५३. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या समुद्रपार-संचार के विस्तार और विकास के लिये कोई योजना बनाई गयी है ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या व्यापारिक-गृहों को टेली-प्रिंटर और समाचार अभिकरणों को

समाचार-पोरषण सर्किट सम्बन्धी सुविधायें देने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) इस प्रकार के विस्तार और विकास का प्राक्कलन व्यय क्या है ?

संचार उपमंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) जी हां ।

(ख) समुद्र-पार संचार सेवा का प्रारूप योजना का संक्षिप्त विवरण देने वाला एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा जाता है **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या १]**

(ग) जी हां ।

(घ) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में समुद्र-पार संचार सेवा की परीक्षात्मक लागत ढ़ाई करोड़ रुपये है ।

श्री श्रीनारायण दास: क्या योजना आयोग ने इन सभी प्रस्तावों का अनुमोदन कर दिया है, अथवा यह अभी विचाराधीन है ?

श्री राजबहादुर : यह अभी विचाराधीन ही है ?

श्री श्रीनारायण दास : क्या इस बात का कोई परिगणन किया गया है कि आवश्यकतायें कितनी हैं और इन के लिये अपेक्षित उपकरणों सम्बन्धी आवश्यकतायें किस सीमा तक देशी उत्पादन से और किस सीमा तक आयात से पूरी की जायेंगी ?

श्री राज बहादुर : मेरे लिये अचानक ही यह बता सकना कठिन है कि कितने उपकरण देश में ही प्राप्त किये जा सकते हैं और कितनों का आयात करना पड़ेगा। इस समय इन का अधिकांश रूप से आयात ही किया जाता है : समुद्र-पार संचार सेवा के लिये योजना आयोग से आरम्भ में हम ने दो करोड़ इकत्तहर लाख की मांग की थी ।

श्री श्रीनारायण दास : विवरण में यह कहा गया है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कुछ देशों के साथ रेडियो टेलीग्राफ, रेडियो-टेलीफोन और रेडियो-फोटो सेवायें खोलने का प्रस्ताव है । क्या इन देशों ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है और इस के लिये तैयार हैं ?

श्री राज बहादुर : यह तो हमारी योजना है । यह प्रस्ताव सम्बद्ध देशों के समक्ष रखे जायेंगे और परस्पर वार्ता द्वारा प्रत्येक बात तय कर ली जायेगी ।

श्री श्रीनारायण दास : क्या कोई प्राथमिकतायें निर्धारित की गयी हैं ?

अध्यक्ष महोदय : हम दूसरे प्रश्न को लेंगे ।

बनिहाल सुरंग परियोजना

*७५४. **श्री अमरसिंह डामर** : क्या **परिवाहन** मंत्री ९ सितम्बर, १९५५ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या १५९७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि जम्मू तथा काश्मीर राज्य के बनिहाल दर्रे में सुरंग बनाने के कार्य में कितनी प्रगति हुई है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : सुरंग का मुख्य मार्ग उत्तर की तरफ से १८०० फीट और दक्षिण की तरफ से १९५० फीट खोदा जा चुका है । जरूरत के मुताबिक सुरंग को चौड़ा करने का काम, उत्तर और दक्षिण दोनों तरफ अक्तूबर १९५५ में शुरू किया गया था और अब तक दोनों तरफ ५० फुट की लम्बाई तक बन चुका है । सुरंग में उत्तर की तरफ से कंकरीटिंग का काम भी शुरू हो गया है ।

श्री अमर सिंह डामर : इस सुरंग का कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

श्री अलगेशन : इस में दो सुरंग हैं । पहली सुरंग के ३० नवम्बर १९५६ तक बन कर पूरा हो जाने की आशा है और सम्पूर्ण कार्य के अप्रैल १९५८ तक पूरा कर लिये जाने की आशा है ।

श्री अमर सिंह डामर : क्या मैं जान सकता हूं कि इस के लिये कुल कितनी धनराशि मंजूर

हुई हैं और अब तक कितनी दी जा चुकी है ?

अध्यक्ष महोदय : कुल कितनी धन राशि मंजूर की गयी है और उस में से कितनी व्यय हुई है ।

श्री अलगेशन : मेरे पास निश्चित आंकड़े नहीं हैं । पूरी परियोजना की लागत कोई तीन करोड़ रुपयों के लगभग है ।

श्री चट्टोपाध्याय : क्या सरकार इस बात को ध्यान में रखते हुए, कि अपर्याप्त संचार साधनों के कारण काश्मीर में गन्धक जैसे प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग में बाधा पड़ रही है, कार्य की गति को बढ़ाने की प्रस्थापना करती है ?

श्री अलगेशन : इस परियोजना को पूर्ण करने के लिय जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था, मैंने वही बताया है । यदि इस निर्धारित लक्ष्य तिथि के भीतर ही कार्य पूरा हो गया तो मुझे प्रसन्नता होगी ।

रेलवे-दुर्घटना

***७५५. डा० सत्यवादी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ३० सितम्बर, १९५५ को डाउन मोकामा हावड़ा एक्सप्रेस झाझा के निकट एक खड़े हुए इंजन से टकरा गई थी ;

(ख) यदि हां, तो हताहतों की संख्या क्या है और दुर्घटना से कितनी क्षति पहुंची है; और

(ग) क्या इस दुर्घटना के कारणों के सम्बन्ध में कोई जांच की गयी है; और

(घ) यदि हां, तो उस की उपपत्तियां क्या हैं ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) ३०-९-१९५५ को रात्रि को लगभग १ बज कर २८ मिनट पर जब कि संख्या ३०६ डाउन मोकामा-हावड़ा एक्सप्रैस पूर्वी रेलवे के दीनापुर डिवीजन के झाझा स्टेशन के डाउन मुख्य प्लेटफार्म को छोड़ रही थी, वह एक इंजन और रेस्टवान से जो सिगनल संख्या २६ग के निकट मेन लाइन पर खड़े थे, टकरा गई थी ।

(ख) १८ व्यक्तियों को हलकी चोटें आयी थीं । रेलवे की सम्पत्ति को लगभग ८७० रुपये की क्षति पहुंची थी ।

(ग) और (घ). वरिष्ठ रेलवे अधिकारियों की एक समिति ने इस दुर्घटना की जांच की थी और उस की उपपत्ति यह है कि यह टक्कर इसलिये हुई कि डाउन ट्रेन संख्या ३०६ उस समय स्टेशन से रवाना कर दी गयी जब कि आगे की लाइन एक इंजन और एक रेस्टवान से अवरुद्ध थी ।

डा० सत्यवादी : क्या मैं जान सकता हूं कि इस किस्म के हादसात पिछले साल की निस्बत इस साल कितने कम या ज्यादा पेश आये हैं ?

श्री शाहनवाज खां : यह सवाल तो सिर्फ एक एक्सिडेन्ट के बारे में था । अगर आनरेबुल मेम्बर नोटिस देंगे और यही सवाल पूछेंगे तो इस का जवाब दिया जायेगा ।

पंडित डी० एन० तिवारी : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि स्टेशन के यार्ड में हुई यह दुर्घटना आवश्यक रूप से स्टेशन के कर्मचारियों के लापरवाही के ही कारण हुई है, इसलिये उन के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है, और क्या यह इंजन भी स्टेशन के ही किसी कर्मचारी द्वारा ही आगे लाइन पर खड़ा कर दिया गया था ?

श्री शाहनवाज खां : यह दुर्घटना-विशेष कुछ रेलवे कर्मचारियों की लापरवाही के कारण हुई थी । इस की जांच कर ली गयी है और उपयुक्त कायवाही की जा रही है ।

पंडित डी० एन० तिवारी : यह उपयुक्त कार्यवाही क्या है ?

श्री शाहनवाज खां : साधारणतया, यदि पुलिस हस्तक्षेप नहीं करती है तो हम तत्काल कार्यवाही करते हैं । परन्तु नागरिक पुलिस को हस्तक्षेप करने का पूरा अधिकार है, और इस प्रकार की रेलवे दुर्घटनाओं के मामलों में उत्तरदायी व्यक्तियों पर न्यायालयों में मुकदमा चलाया जाता है । पुलिस इन लापरवाह कर्मचारियों पर मुकदमा चलाना चाहती है । इसलिये, हम पुलिस कार्यवाही के पूर्ण हो जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं ।

पंडित डी० एन० तिवारी : उन्होंने कहा है कि उपयुक्त कार्यवाही की जा रही है । वह क्या कार्यवाही है ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । मैं अगला प्रश्न ले रहा हूं ।

रेलवे भ्रष्टाचार जांच समिति

***७५६. श्री टी० बी० विट्ठल राव** : क्या रेलवे मंत्री १४ सितम्बर, १६५५ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या १७८४ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे भ्रष्टाचार जांच समिति की बाकी ६३ सिफारिशों में से सरकार द्वारा अब तक कितनी स्वीकार कर ली गई हैं; और

(ख) इनको लागू करने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या २]**

श्री टी० बी० विट्ठल राव : पिछले महीने की २५ तारीख को, रेलवे पुनर्वर्गीकरण संबंधी वाद-विवाद का उत्तर देते समय, माननीय मंत्री ने बताया था कि मध्य रेलवे में, डिवीजनल व्यवस्था लागू की जायेगी, परन्तु इस विवरण में यह कहा गया है कि डिवीजनल व्यवस्था सम्बन्धी समूचे प्रश्न की ही पड़ताल की जा रही है । मध्य रेलवे में, दो माह पहला सिकन्दराबाद में एक डिवीजनल व्यवस्था स्थापित किये जाने के आदेश जारी किये गये थे, परन्तु बाद में यह स्थगित कर दिये गये हैं ? क्या मैं जान सकता हूं कि रेलवे में डिवीजनल व्यवस्था का प्रश्न इस समय किस स्थिति में है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : पुनर्वर्गीकरण के सम्बन्ध में जो पिछला वाद-विवाद हुआ था, उस समय मैंने यह अवश्य कहा था कि हम शीघ्र से शीघ्र विभिन्न रेलवेज का प्राखंडीकरण कर देना चाहते हैं । यह सच है कि मध्य रेलवे में डिवीजनल संगठन की स्थापना करने में कुछ विलम्ब हुआ है । बोर्ड तो सहमत हो गया है, परन्तु लेखा विभाग में उन कर्मचारियों के संबंध में कुछ कठिनाई है जिन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान को हस्तान्तरित किया जाना था । इसलिये लेखा-शाखा उस प्रस्ताव को स्वीकार करने में हिचक रही थी जिस पर रेलवे बोर्ड ने एक डिवीजनल-संगठन की स्थापना करने के संबंध में विचार किया था । परन्तु लेखा-शाखा ने भी अब अपना समाधान कर लिया है और मध्य रेलवे का प्राखण्डीकरण करने के लिये तत्काल कार्यवाही की जायेगी ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : क्या अगले वर्ष का आयव्ययक प्रस्तुत किये जाने तक सम्पूर्ण प्रतिवेदन की पड़ताल पूरी कर ली जायेगी ?

श्री एल० बी० शास्त्री : मुझे यह आशा तो है, परन्तु जो कुछ भी हो, यह भी संभव है कि कुछ बातें रह जायें, परन्तु हमारा प्रयास यही रहेगा कि आयव्ययक प्रस्तुत किये जाने से पहले ही प्रतिवेदन पर विचार पूराकर लिया जाये ।

श्री सिंहासन सिंह : क्या भ्रष्टाचार जांच समिति द्वारा उल्लिखित उस अधिकारी के विरुद्ध, जिस ने गांधी आश्रम को एक पार्सल खुले रूप से देने से इसलिये मना कर दिया था, कि गांधी आश्रम ने उसे अवैध धन नहीं दिया, कोई कार्यवाही की गई है या की गई कार्यवाही का क्या परिणाम निकला है ? उस अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री एल० बी० शास्त्री : मैं इस प्रश्न का उत्तर देने की स्थिति में नहीं हूं ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे ज्ञात नहीं कि इस प्रश्न का प्रस्तुत विषय से क्या संबंध है ।

श्री एल० बी० शास्त्री : मैं उन्हें यह बता सकता हूं कि हाल ही में गांधी आश्रम से मेरे पास एक शिकायत आयी है और मामले की जांच की जा रही है । अभी हमें अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है ।

श्री ए० एम० थामस : भ्रष्टाचार जांच समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिये जिस अतिरिक्त वित्तीय वाक्वद्धता की आवश्यकता है, क्या रेलवे मंत्रालय ने उस का अनुमान लगाना है, और यदि हां, तो यह कितना होगा ?

श्री एल० बी० शास्त्री : हम ने इस पर विचार नहीं किया है, मैं यह भी नहीं समझता कि व्यय बहुत अधिक होगा । परन्तु चाहे जो कुछ भी हो, भ्रष्टाचार का अन्त करने के लिये हम को जितना भी संभव हो सके व्यय करने के लिये प्रस्तुत रहना चाहिये ।

अलगेशन समिति

*७५७. **श्री डाभी** : क्या रेलवे मंत्री २० अगस्त, १९५५ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या ९३७ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अलगेशन समिति की कौन कौन सी सिफारिशें लागू की जा चुकी हैं;

(ख) क्या कोई सिफारिश अभी लागू नहीं की गयी है; और

(ग) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (ग). दो विवरण सभा-पटल पर रखे जाते हैं, जिन में क्रमशः यह दिखाया गया है कि (१) कौन सी सिफारिशें लागू की जा चुकी हैं, और (२) कौन सी सिफारिशें अभी लागू की जा रही हैं और इस के कारण क्या हैं ।

[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ३]

श्री डाभी : विवरण संख्या (२) में यह कहा गया है कि उत्तरी रेलवे में विभागीय भोजन व्यवस्था प्रणाली चालू कर दी गई है और अन्य रेलवेज़ में भी १ अप्रैल, १९५६ से या उस से पूर्व चालू कर दिये जाने की आशा है । क्या उन सभी रेलवेज़ में, जिन में इस समय ठेकेदारों द्वारा भोजन व्यवस्था की जा रही है, विभागीय भोजन व्यवस्था प्रणाली चालू की जायेगी ।

श्री शाहनवाज खां : जी नहीं, कुछ स्टेशन चुने गये हैं, और विभागीय भोजन व्यवस्था केवल उन्हीं स्टेशनों पर लागू की जायेगी । पश्चिमी रेलवे पर स्थित रतलाम, मेहसाना और अहमदाबाद के स्टेशनों को इस कार्य के लिये चुना गया है ।

श्री डाभी : क्या मैं यह समझूं कि अन्य सभी स्टेशनों पर ठेकेदारों द्वारा भोजन व्यवस्था की प्रणाली जारी रहेगी ?

श्री शाहनवाज खां : हां ।

श्री डाभी : विवरण में कहा गया है कि :

> "छोटे ठेकेदारों को अब पुनः काम दिलाने का निश्चय किया गया है....."

सरकार उन को किस प्रकार काम देने का विचार करती है ?

श्री शाहनवाज खां : उच्च शक्ति प्राप्त अलगेशन समिति ने सिफारिश की है कि बहुत बड़े बड़े ठेकेदारों के ठेकों में कमी कर दी जायेगी । बड़े ठकेदारों के ठेकों में कमी कर के वे ठेके विस्थापित ठेकेदारों को दे दिये जायेंगे..... ।

ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कम्पनी

*७५८. **चौधरी रघुबीर सिंह** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कम्पनी को शिखापटनम में एक जहाज बनाने के लिये ऋण दिया है; और

(ख) यदि हां, तो वह राशि कितनी है और ऋण की शर्तें क्या हैं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन): (क) और (ख). हां, कम्पनी को अप्रैल, १९५४ में हिन्दुस्तान यार्ड में एक जहाज बनाने के लिये किश्तों में भुगतान किया जाने वाला ७२.२५ लाख रुपये का ऋण स्वीकृत किया गया था । ऋण की शर्तें बताने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ४]** कम्पनी ने १४.४५ लाख रुपये की पहली किश्त अगस्त, १९५४ में ले ली थी, किन्तु बाद में कम्पनी ने वह रुपया सरकार को वापस लौटा दिया क्योंकि अनुमानित समय में यार्ड में बन कर तैयार हो जाने और जहाज को देन में विलम्ब होने के कारण उस ने इस आर्डर को रद्द कर देना आवश्यक समझा ।

चौ० रघुवीर सिंह : क्या इस सार्थ से प्रतिस्पर्धा करने को कोई अन्य सार्थ भी उत्सुक था ?

श्री अगेलशन : इस में प्रतिस्पर्धा का कोई प्रश्न नहीं है । जहाज बनाने के लिये आर्डर देने के हेतु अनुदानों और ऋणों के रूप में सहायता दी जा रही है । इस के आर्डर हिन्दुस्तान शिपयार्ड अथवा विदेशी सार्थों को दिये जाते हैं ।

लद्दाख में वायरलैस स्टेशन

*७५९. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लद्दाख (काश्मीर) में वायरलैस स्टेशन स्थापित करने के बारे में क्या कोई अन्तिम निर्णय किया गया है;

(ख) यदि हां, तो यह स्टेशन कब कार्य करने लगेगा; और

(ग) उस पर अब तक कितनी राशि खर्च की गई है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां ।

(ख) कोई सुनिश्चित तारीख बतायी नहीं जा सकती है ?

(ग) कुछ नहीं ।

श्री भक्त दर्शन : इस बैतार का यंत्र लगाने में कितनी हानि का अनुमान किया गया है और उसकी पूर्ति क्या काश्मीर सरकार करेगी या यह हानि भारत सरकार को ही उठानी पड़ेगी ?

श्री राज बहादुर : इसका एक अनुमान २०-७-५५ को स्वीकृत किया गया था किन्तु उसकी दुबारा जांच होने पर यह प्रतीत हुआ कि इसको फिर देखना पड़ेगा । एस्टीमेट या अनुमान फिर विचाराधीन है और जब तक वह अन्तिम रूप से स्वीकृत न हो जाये, हानि कितनी होगी, यह बताना कठिन है ।

श्री भक्त दर्शन : यह जो बैतार का यंत्र लग रहा है क्या यह केवल सरकारी विभागों की सुविधा के लिये लग रहा है या यह जनता की सुविधा के लिये भी लगाया जा रहा है और रेट्स क्या होंगे ।

श्री राज बहादुर : यह आम जनता की सुविधा के लिये भी है ।

श्री भक्त दर्शन : क्या लद्दाख में किसी और जगह भी बेतार का यंत्र या टैलीफून का विस्तार करने की कोई योजना है जिस पर विचार किया जा रहा है ?

श्री राज बहादुर : जहां कहीं आवश्यकता प्रतीत हुई, सरकारी आवश्यकताओं को देखते हुए या जनता की सुविधा को देखते हुए तो विचार किया जायेगा ।

इंजनों के ठेके

*७६०. **पंडित डी० एन० तिवारी** : क्या **रेलवे** मंत्री २६ जुलाई, १६५५ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या २६१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने मामलों में इंजनों, माल-गाड़ी और सवारी गाड़ी के डिब्बों का संभरण न किये जाने पर परिसमापित क्षतियां वसूल की गई ;

(ख) किन-किन कम्पनियों से ऐसी क्षतियों की पूर्ति कराई गई ; और

(ग) क्या उनको कोई नये आर्डर दिये गये हैं ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) दो ।

(ख) १—मेसर्स सोसायटे एंग्लो-फ्रांको बेल्जे, बेल्जियम ।

२—मेसर्स एम० ए० एन०, जर्मनी ।

(ग) हां, केवल मेसर्स एम० ए० एन०, जर्मनी के ।

पंडित डी० एन० तिवारी : इस सार्थ को पुनः ठेका देने का कारण क्या है जबकि एक बार वह आर्डर को पूरा करने में असफल रहा है और उससे क्षति वसूल की गई थी ?

श्री शाहनवाज खां : एक निश्चित तारीख पर सामान देने में असफल रहना उतना पर्याप्त कारण नहीं है कि उक्त सार्थ का नाम काली सूची में रखा जाये । यह एम० ए० एन० नामक जर्मन सार्थ एक बहुत ही विख्यात सार्थ है और उसने अपनी सारी भूलों को सुधार लिया है । जो भी आर्डर इस सार्थ को दिया गया था उसने उस सारे माल की पूर्ति कर दी है ।

पंडित डी० एन० तिवारी : कितने सार्थ समय पर माल की पूर्ति करने में असफल रहे और उनमें से केवल दो को ही दण्ड क्यों दिया गया तथा शेष को क्यों छोड़ दिया गया ?

श्री शाह नवाज खां : मैं पूर्व सूचना चाहता हूं ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान एयरक्राफ़्ट में मिश्रित रेल डिब्बे बनाने की योजनायें तैयार की जा रही हैं, और इस सम्बन्ध में प्रविधिक परामर्श देने में कौन सी कम्पनी सहायता कर रही है ?

श्री शाहनवाज खां : यह एक बिल्कुल ही भिन्न प्रश्न है ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : क्या इस बेल्जियम स्थित सार्थ को काफी संख्या में डिब्बों के निचले ढांचों के लिये, ६०० ढांचों के लिये, १६५२ में आर्डर दिया गया था और यह निचले ढांचे समय पर पूर्ति नहीं दिये गये थे और क्या तब से उनकी पूर्ति कर दी गई है ?

श्री शाहनवाज खां : माननीय सदस्य कुछ भ्रांति में हैं । बेल्जियम स्थित सार्थ को केवल ८० इंजनों के लिये आर्डर दिया गया था ।

अन्तर्राष्ट्रीय रेड क्रास सोसायटी

*७६१. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि ७ और ८ सितम्बर को अन्तर्राष्ट्रीय रेड क्रास सोसायटी

ने सहाय्य कार्य के रूप में दो अमरीकी हवाई जहाजों के द्वारा बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में बांटने के लिये औषधियां तथा कम्बल भेजे थे ;

(ख) यदि हां, तो किन किन संगठनों ने उपर्युक्त वस्तुयें दी थीं ; और

(ग) किस क्षेत्र को यह सहायता दीं गई थी ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृतकौर) (क) लीग आफ रेड क्रास सोसायटीज ने दो अमरीकी हवाई जहाजों द्वारा दवाइयां, दुग्धचूर्ण, पलंग की चद्दरें, सौखने वाली रूई, कपड़े, तौलिये और कम्बल भेजे थे ।

(ख) (१) अमरीकन रेड़ क्रास सोसायटी

(२) कनाडियन रेड क्रास सोसायटी

(३) इटैलियन रेड क्रास सोसायटी

(४) लक्समबर्ग रेड क्रास

(५) लीग ऑफ रेड क्रास सोसायटीज; और

(६) स्विस रेड़ क्रास ।

(ग) उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, आसाम, पश्चिमी बंगाल, पंजाब, पेप्सू और दिल्ली को ।

श्री विभूति मिश्र : यह जो रेड क्रास सोसायटियों ने सामान भेजा है इसका बट्वारा भारत सरकार द्वारा या विभिन्न प्रान्तीय सरकारों की एजेंसियों द्वारा हुआ है या रेड़ क्रास सोसायटी ने अपनी तरफ से एजेंसी स्थापित करके इसे बांटा ?

राजकुमारी अमृत कौर : यह जो बंटवारा होता है यह तो जो रेड क्रास की शाखायें हैं उनके द्वारा ही होता है लेकिन जहां तक हो सकता है रेड क्रास की जो शाखायें हैं भिन्न भिन्न प्रान्तों में, वह हमेशा वहां की प्रान्तीय सरकारों के साथ सहयोग करती हैं ।

श्री विभूति मिश्र : अनुमानतः कितने रुपये का सामान आया है जिस का बंटवारा यहां पर हुआ ।

राजकुमारी अमृत कौर : मैं वैल्यू तो नहीं बता सकती लेकिन काफी कीमत का वह सामान था । मेरे पास लम्बी लिस्ट है और अगर मैं उसे पढ़ूं तो काफी समय लग जायेगा ।

श्री विभूति मिश्र : यह जो सामान था इसका बंटवारा किस आधार पर किया गया है । क्या जो मरीज थे उनमें इसे बांटा गया था या उन लोगों में जिनका सामान बाढ़ में बह गया था उनमें यह बांटा गया ? किस सिद्धान्त पर इस सामान का बंटवारा किया गया ?

राजकुमारी अमृत कौर : जिन लोगों में इसे बांटने को आवश्यकता थी, उनमें यह बांटा गया ।

श्री बालकृष्णन : क्या तामिलनाड में तूफान ग्रस्त क्षेत्रों को कुछ सहायता दी गई है ?

राजकुमारी अमृत कौर : आसाम को भी बहुत सामान भेजा गया था ।

अध्यक्ष महोदय : तामिलनाड के बारे में उनका सवाल है ।

राजकुमारी अमृत कौर : तामिलनाड को भी भेजा गया था ।

नौवहन

*७६३. **श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत इस बात से सन्तुष्ट है कि भारतीय नौवहन कम्पनियों का सही आधार पर विकास हो रहा है और उनमें आपस में कोई अनुचित प्रतिस्पर्धा नहीं है,

(ख) क्या सरकार इससे सन्तुष्ट है कि सभी भारतीय नौवहन कम्पनियों में अपेक्षित संख्या में प्रशासनिक कर्मचारी सेवायुक्त हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार करती है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) हां ।

(ख) और (ग). प्रशिक्षित कर्मचारियों का एक समूह तैयार करना आधारभूत रूप से स्वयं नौवहन कम्पनियों का दायित्व है और प्रमुख कम्पनियों की अपनी-अपनी पदालियां हैं । तथापि यह ज्ञात हुआ है कि उच्चतम पदों पर कार्य करने के लिये प्रबन्धकीय और वाणिज्यिक अनुभव प्राप्त कर्मचारियों की देश में कमी है और इस कमी को पूरा करने की आवश्यकता की ओर नौवहन कम्पनियों का ध्यान निश्चित रूप से आकर्षित किया जा चुका है ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : अगली पंचवर्षीय योजना में जहांजों के बनाने पर कितनी धनराशि व्यय की जाने वाली है ?

श्री अलगेशन : यह योजना, योजना आयोग के सम्मुख पहुंच चुकी है । हमें योजना आयोग से कोई निश्चित संकेत प्राप्त नहीं हुआ है । किन्तु आगामी योजना काल में नौवहन टन भार के विकास का हमारा कार्यक्रम ८० करोड़ रुपये का था ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : आगामी योजना अवधि के पश्चात् विदेशी व्यापार का कितना प्रतिशत भाग भारतीय जहाजों के द्वारा किया जायेगा ?

श्री अलगेशन : यह तो वास्तव में हमें कितने टन भार की आवश्यकता है इस पर निर्भर करता है । कोई एक वर्ष में हमारे टन-भार के कोई ६ लाख टन हो जाने की आशा है । योजना अवधि के अन्त तक हम कितना टन भार प्राप्त कर सकेंगे इसका अनुमान तो नियतन हो जाने के बाद ही लगाया जा सकता है और विदेशी व्यापार का परिमाण उस समय हमारे पास कितना टन भार होगा, इस पर निर्भर करेगा । जैसी स्थिति इस समय है, उसके अनुसार संसार के व्यापार का बहुत थोड़ा प्रतिशत भाग हमारे जहाजों द्वारा ले जाया जाता है ।

नौवहन

*७६४. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि एक भारतीय कम्पनी द्वारा एक जहाज बनाने के लिये जापान को आर्डर दिया गया है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : जी हां ।

श्री जोकीम आल्वा : क्या परिवहन मंत्रालय और उत्पादन मंत्रालय में जहाज बनाने के सम्बन्ध में कोई उचित समन्वय है विशेषकर उस अवस्था में जबकि हमें इगलैंड और अमरीका दोनों से समुचित सहयोग नहीं मिलता है तथा जबकि नार्वे अथवा पश्चिमी जर्मनी में जहाज बनाये जा सकते हैं ?

श्री अलगेशन : हम पहले अपने यार्ड को कार्य देने का ध्यान रखते हैं । वास्तव में आगामी पांच वर्ष की अवधि में हिन्दुस्तान शिपयार्ड की क्षमता दस अधिक जहाज बनाने की हो जायेगी । हमने उसे पहले ही आर्डर दे दिया है या दस तक जहाज बनाये जा रहे हैं । वह अधिक से अधिक दस तक जहाज और बना सकता है । ऐसा हमें बताया गया है । विदेशी कारखानों को इस सम्बन्ध में आर्डर देते समय दोनों मंत्रालयों में समायोजन रहता है । जर्मन कारखाने को आर्डर दिये जा चुके हैं ।

डा० लंका सुन्दरम : जापान को किस मूल्य पर एक जहाज बनाने के लिये यह आर्डर दिया गया है ?

श्री अलगेशन : उक्त जहाज की प्राक्कलित लागत लगभग ११४ लाख रुपया है ।

गोवध

*७६५. **श्री भागवत झा आजाद** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री उन राज्यों की संख्या बताने की कृपा करेंगे जिनमें या तो गोवध-निषेध-सम्बन्धी विधान बनाये जा चुके हैं अथवा पुरःस्थापित कर दिये गये हैं ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) १२ ।

श्री भागवत झा आजाद : क्या कुछ राज्य ऐसे भी हैं जिन्होंने ऐसा विधान पारित करने में अपनी असमर्थता प्रकट की है ?

श्री ए० पी० जैन : किसी भी राज्य ने अपनी असमर्थता प्रकट नहीं की है। केवल उड़ीसा और पाण्डिचेरी ने ऐसा कोई विधि पारित नहीं किया है ।

श्री भागवत झा आजाद : क्या जिन १२ राज्यों का आपने उल्लेख किया है उसमें दोनों प्रकार के राज्य सम्मिलित हैं, अर्थात्, जिन्होंने विधान पारित कर दिया है अथवा ऐसा विधान पारित करने का विचार कर रहे हैं ?

श्री ए० पी० जैन : उसमें दोनों प्रकार के राज्य सम्मिलित हैं ।

श्री भागवत झा आजाद : वे राज्य कौन से हैं जिन्होंने पहले ही से ऐसे विधान बना दिये हैं और वे राज्य कौन से हैं जो ऐसा करने का विचार कर रहे हैं ।

श्री ए० पी० जैन : जिन राज्यों ने विधान पारित कर दिये हैं उनके नाम हैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य भारत, मैसूर, राजस्थान, अजमेर, भोपाल, पेप्सू, त्रिपुरा और मनीपुर । जिन राज्यों में विधान पुरःस्थापित किए गए है उनके नाम हैं--बिहार और पंजाब ।

श्री भागवत झा आजाद : क्या केन्द्रीय सरकार ने ऐसे किसी विधान के पारित किये जाने की वांछनीयता को बताते हुए वह विचार जो इस सभा में इस प्रश्न पर जब चर्चा हुई थी उस समय प्रकट किये गये थे, राज्य सरकारों को भेज दिये हैं ?

श्री ए० पी० जैन : केन्द्रीय सरकार के विचार राज्य सरकारों के समक्ष हैं और पूर्ण निषेध अथवा आंशिक निषेध लगाने के सम्बन्ध में किसी विधान को पारित करना उन पर ही निर्भर करता है ।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

डाक बचत बैंक लेखा (रुपयों का गबन)

*७६६. **श्री पी० सी० बोस** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि अरगदा (हजारीबाग) डाकखाने का पोस्ट मास्टर हाल ही में डाक बचत बैंक लेखे को एक बड़ी रकम ले कर भाग गया है ; और

(ख) इस विषय के तथ्य तथा परिस्थितियां क्या हैं ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) हां ।

(ख) मामले की जांच की जा रही है ।

श्री पी० सी० बोस : क्या रुपया जमा कराने वालों को रुपया निकालने में कुछ कठिनाई हो रही है ?

श्री राजबहादुर : निक्षेपकों के अधिकारों तथा हितों के सम्बन्ध में नियम बने हुए हैं उन्हीं से उनका नियमना किया जाता है ।

रेलवे वर्कशाप (गोरखपुर)

*७६७. **श्री विश्वनाथ राय** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर रेलवे पर गोरखपुर के वर्कशाप का विस्तार पूर्ण हो चुका है ; और

(ख) क्या उस वर्कशाप में रेल के इंजन तैयार करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) नहीं, श्रीमान् ।

श्री दिश्वनाथ राय : क्या मैं जान सकता हूं कि कब तक इस वर्कशाप के विस्तार कार्य पूर्ण हो जाने की आशा है ?

श्री शाहनवाज खा : यह आगामी वित्तीय वर्ष में पूरा हो जायेगा ।

श्री विश्वनाथ राय : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार के पास उस राशि का कोई प्राक्कलन है जो यहां पर इंजन बनाने के उपकरणों को जुटाने के लिये आवश्यक है ?

श्री शाहनवाज खां : जैसा कि मैंने कहा है, इस वर्कशाप में कोई इंजन नहीं बनाये जायेंगे ।

पंडित डी० एन० तिवारी : क्या यह वर्कशाप केवल मरम्मत करने के लिये ही है अथवा यहां पर कोई निर्माण कार्य भी किया जाता है ।

श्री शाहनवाज खां : यह मुख्यत: मरम्मत तथा देखरेख करने वाला वर्कशाप होगा ।

श्री सिंहासन सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि इस वर्कशाप के बनाने में कितना व्यय अब तक हो चुका है और कितना व्यय और होगा ?

श्री शाहनवाज खां : इस वर्कशाप के ऊपर कुल १,१६,५६,००० रुपया खर्च होना था जिसमें से ७० फी सदी रुपया खर्च हो चुका है और ७० फी सदी काम भी मुकम्मल हो चुका है ?

बनरोपण

*७६८. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री १९ सितम्बर, १९५५ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या १९०५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि सीमान्त क्षेत्रों में बनरोपण के द्वारा राजस्थान की मरुभूमि को फैलने से रोकने के सम्बन्ध में नवीनतम स्थिति क्या है ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : निर्देशित प्रश्न के उत्तर में पिछले सितम्बर में यह कहा गया था कि १९५३–५४ में इस योजना के प्रारम्भ किये जाने से लेकर उस समय तक लगभग १५,४०० एकड़ भूमि पर पौधे लगाने का काम किया जा चुका था और सड़कों के किनारे यह कार्य ५२,१/२ मील तक किया जा चुका था तथा सड़कों के किनारे २९ मील तक और कोई ३०० एकड़ भूमि को तैयार किया जा चुका था । उस समय से लगभग १३३० एकड़ भूमि पर और पौधे लगाने का कार्य किया गया है ।

श्रीमती इला पालचौधरी : इस साहसिक कार्य पर अब तक कितना रुपया व्यय किया जा चुका है ?

अध्यक्ष महोदय : उनका तात्पर्य योजना से है साहसिक कार्य से नहीं ।

श्रीमती इला पालचौधरी : मुझे इस के लिये खेद है ।

श्री ए० पी० जैन : हमने केवल १,५९,८०० रुपये की वित्तीय सहायता दी थी ।

श्रीमती इला पालचौधरी : जब हम इन क्षेत्रों में बनरोपण करते हैं तो क्या हम ऐसे वृक्ष लगाते हैं जिनसे कुछ बन उत्पाद, जैसे छाल से दवाइयां तथा गन्दा बरोजा आदि, प्राप्त होते हैं ?

श्री ए० पी० जैन : वहां पर केवल एक विशेष प्रकार के ही वृक्ष पैदा हो सकते हैं। वास्तव में हम ने वहां कुछ इमारती लकड़ी के और कुछ फलों के वृक्ष लगाये हैं।

श्री कासलीवाल : क्या माननीय मंत्री कुछ अनुमान बता सकते हैं कि उस क्षेत्र में कितने लाख वृक्ष लगाये गये हैं ?

श्री ए० पी० जैन : मेरे विचार में जो आंकड़े मैं ने दिये हैं वे वहां पर लगाये गये वृक्षों की लगभग संख्या बताने के लिये पर्याप्त हैं।

श्रीमती इला पालचौधरी : क्या मैं जान सकती हूं.

अध्यक्ष महोदय : अब हम अगला प्रश्न लेते हैं।

मनीपुर

*७६९. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि मनीपुर के न्यायिक आयुक्त ने मनीपुर की सरकार को ब्रह्मा सीमान्त-वन्य इमारती लकड़ी के ठेके के मामले में ५०० रुपये का अर्थदंड़ दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) भारत सरकार ने जनता के धन का ऐसा अनावश्यक व्यय किये जाने के लिये उत्तरदायी अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) मनीपुर के न्यायिक आयुक्त द्वारा कोई जुर्माना नहीं किया गया था। केवल इस व्यवहार वाद में वादी द्वारा कया गया व्यय राज्य सरकार से दिलाया गया था।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। राज्य सरकार मुकदमा इसलिये हार गई क्योंकि न्यायालय ने यह निर्णय किया कि राज्य सरकार और ठेकेदार के मध्य एक संविदा था और किसी मान्य कारण के बिना उसके समाप्त कर दिये जाने से ठेकेदार को हानि हुई थी।

(ग) विषय की जांच की जा रही है।

श्री रिशांग किशिंग : क्या मैं इस उत्तर से यह समझूं कि मनीपुर की सरकार ने ठेकेदार को ५०० रुपये जुर्माने के रूप में नहीं दिये हैं ?

श्री ए० पी० जैन : मुझे ज्ञात नहीं राज्य सरकार ने यह दिया है अथवा नहीं। कुछ भी हो, जब न्यायालय की डिग्री है, तो उसे देने ही पड़ेंगे।

फसल की रक्षा

*७७०. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि कुछ भारतीयों को फसलों की सुरक्षा सम्बन्धी नवीनतम वैज्ञानिक तरीक़ों को सीखने के लिये इंगलैंड भेजा गया था ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : हां।

(ख) केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जा चुके हैं।

श्री डी० सी० शर्मा : क्या मैं जान सकता हूं कि यह प्रतिवेदन किन-किन विषयों के सम्बन्ध में हैं। और क्या उन पर विचार किया जा चुका है ?

श्री ए० पी० जैन : ये अधिकारी वहां पर फसल सुरक्षण के तरीक़ों, यन्त्रों का प्रयोग,

फ़सल सुरक्षण विज्ञान, और संग्रहीत वस्तुओं को कीड़ों और रोगों से बचाने के लिये एक विशेष पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये गये थे । स्वभावतः प्रतिवेदनों में इन सब विषयों का उल्लेख है ।

श्री डी० सी० शर्मा : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इन विषयों के सम्बन्ध में कार्य करने के लिये खाद्य और कृषि मंत्रालय में पहले से ही कोई विशेष एकक है और क्या उसने ग्रामीण किसानों के लाभ के लिये कभी कोई विवरण प्रकाशित किये हैं ?

श्री ए० पी० जैन : हां, श्रीमान् । पौधों की रक्षा के लिये एक विशेष एकक है । वह एकक समय समय पर साहित्य प्रकाशित करता रहता है ।

श्री डी० सी० शर्मा : किस प्रकार का साहित्य ? क्या मैं उन पुस्तिकाओं, छोटी या बड़ी, जो इस विषय पर निकाली गई हैं, के नाम जान सकता हूं तथा उन पुस्तिकाओं के परिचालन के विषय में जान सकता हूं ?

श्री ए० पी० जैन : मैं किसी पुस्तिका का नाम तो नहीं बता सकता हूं । कृषि मंत्रालय कई ऐसे प्रकाशन निकाल रहा है जिनमें ऐसे विषयों पर लेख प्रकाशित किये जाते हैं । कुछ विशेष पुस्तिकायें भी निकाली जाती हैं ।

रेलवे में सिन्धी विस्थापित कर्मचारी

*७७१. **श्री गिडवानी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तरी रेलवे के उन सिंधी कर्मचारियों की कुल संख्या क्या है जिन्होंने पश्चिमी रेलवे में स्थानान्तरन के लिये आवेदन किये थे; और

(ख) उन में से वास्तव में कितने पश्चिमी रेलवे में स्थानान्तरिन कर दिये गये हैं ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) ४२ ।

(ख) १ ।

श्री गिडवानी : शेष व्यक्तियों को कब स्थानान्तरित किया जायेगा ?

श्री शाहनवाज खां : कोई निश्चित तिथि बताना बहुत कठिन है । जैसे और जब भी स्थान होते जायेंगे हम उनको लेते जायेंगे ।

माल डिब्बों की कमी

*७७२. **श्री राम दास** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि कुछ समय पहले मोज़ा बनियान उद्योग संघ लुधियाना (पंजाब) ने उत्तरी रेलवे से यह अभ्यावेदन किया था कि माल डिब्बों के न मिलने के कारण मोज़ा बनियान सम्बन्धी वस्तुओं का एक बड़ा स्टॉक लुधियाने में का पड़ा है;

(ख) उस समय से रेलवे द्वारा मोज़े बनियान सम्बन्धी इस स्टॉक का कितना भाग ले जाया गया है ; और

(ग) क्या अमृतसर की कपड़ा निर्माण संस्था द्वारा भी उत्तरी रेलवे को माल डिब्बों की कमी के सम्बन्ध में ऐसा कोई अभ्यावेदन किया गया था ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) हां, अगस्त १९५५ के प्रारम्भ में, इस संघ के कुछ प्रतिनिधियों ने बम्बई को माल भेजने के बारे में होने वाली कुछ कठिनाइयों के बारे में अभ्यावेदन किया था । उनके अभ्यावेदन में यह भी बताया गया था कि इंदौर और अहमदाबाद को भेजे जाने के लिये क्रमशः कोई १८० और ३९० मन माल पड़ा हुआ था ।

(ख) इस समय वह सभी माल तथा उसके पश्चात् दिया गया सभी माल भेज दिया गया है । लुधियाना से भेजा जाने वाला कोई प्रेषण इस समय वहां नहीं है ।

(ग) नहीं ।

श्री राम दास : क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार ने इसमें कोई तहकीकात कराई है कि यह शार्टेज़ ऑफ़ वैगन्स रेलवे के कर्मचारियों ने इस लिये की थी कि व्यापारियों से रिश्वत लेने के मौक़े और ज्यादा आसान हो सकें ?

श्री शाहनवाज खां : नहीं साहब, ऐसी कोई बात नहीं है ।

सरदार इकबाल सिंह : क्या सरकार को यह ज्ञात है कि लुधियाना और अमृतसर में हमेशा माल डिब्बों की कमी रहती है, क्योंकि यह मोज़ा बनियान के छोटे छोटे निर्माता हैं, यदि हां, तो क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार इन निर्माताओं को माल डिब्बों का कोई विशेष कोटा देने जा रही है ?

श्री शाहनवाज खां : होज़री के सामान को उठाने के लिये एक निश्चित कोटा नियत कर दिया गया है । यह कोटा दो वैगन प्रति सप्ताह के हिसाब से उत्तरी रेलवे द्वारा निश्चित किया गया है ।

यह एक भ्रान्ति है कि हमेशा माल डिब्बों की कमी रही है । मैं उस भ्रान्ति को दूर कर देना चाहता हूं । सभी स्टेशनों पर सामान्यता माल डिब्बों की कोई कमी नहीं है । कुछ स्टेशन ऐसे हैं जहां पर बुकिंग के अभ्यंश विषयक प्रतिबन्धों के कारण प्रतिबन्धित कर दिया गया है क्योंकि उन स्टेशनों पर मार्गविरोध हो जाता है और हमें उन मार्गविरोधों से होकर कुछ निश्चित परिमाण में ही सामान निकालना पड़ता है । केवल ऐसे ही स्थानों के लिये कमी का अनुभव किया जाता है ।

सरदार इकबाल सिंह: क्या माननीय सभासचिव महोदय को यह ज्ञात है कि उत्तरी रेलवे की परामर्शदायी समिति की बैठकों में जनता ने सदैव लुधियाना में माल डिब्बों की कमी होने की शिकायत की है, और यदि ऐसा है, तो क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की है ?

श्री शाहनवाज खां : यह एक बिल्कुल ही भिन्न प्रश्न है । हमारे पास उतने माल डिब्बे नहीं हैं जितने कि हम भारत में चाहते हैं और केवल इसी कारण भारत में हम १५,००० माल डिब्बे प्रति वर्ष निर्माण करने जा रहे हैं । सामान्यत: माल डिब्बों की कमी है; और यातायात की मांग के अनुरूप जो कुछ हमारे पास उपलब्ध हैं उसी से काम चलाने का प्रयत्न कर रहे हैं ।

सरदार इकबाल सिंह : मेरा आशय यह है कि यह विषय परामर्शदात्री समिति द्वारा रेलवे मंत्रालय के ध्यान में लाया गया था । क्या सरकार ने इस विषय में कोई कार्यवाही की है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : जैसा कि माननीय सभा-सचिव ने कहा है, यदि मद्रास या मद्रास से परे के लिये माल लादा जाता है तो माल डिब्बों के आवंटन पर कुछ प्रतिबन्ध लगाना पड़ेगा, क्योंकि बैजवाड़ा के समीप और उस के आगे मार्गविरोध हो जाते हैं । किन्तु यदि माल किसी ऐसे स्थान के लिये लादा जाता है, जहां पर कि ऐसी कोई कठिनाई नहीं होती है ; तब माल डिब्बों के आवंटन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होता है । वास्तव में, दिल्ली और लुधियाना के बीच तथा अन्य स्थानों के बीच भी जैसे कानपुर और कलकत्ता तक बुकिंग में बिल्कुल स्वतन्त्रता है । उदाहरण के लिये यदि आप सौराष्ट्र को माल भेजना चाहते हैं तो इसे साबरमती और ऐसे अन्य स्थानों से होकर गुजरना पड़ता है जहां लाइन की सीमित क्षमता है, और तब कठिनाइयां उत्पन्न हो जाती हैं । किन्तु मैं माननीय सदस्य को आश्वासन दिलाता हूं कि यदि फुटकर माल के लिये माल डिब्बों के न मिलने से कोई भी कठिनाई हुई है तो भविष्य में ऐसी कोई कठिनाई नहीं होगी । हम फुटकर माल को उठाने के लिये जितने भी माल डिब्बों देना सम्भव होगा देंगे ।

तार घर

*७७३. **श्री एल० एन० मिश्र** : क्या **संचार** मंत्री ३० अगस्त १९५५ को दिये गये अतारांकित प्रश्न संख्या ६५२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के सहरसा जिले के बलवा बाजार और बिरपुर नामक स्थानों में अब तार घर खोल दिये गये हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी नहीं, आशा है कि वे लगभग एक पखवारे में खोल दिये जायेंगे ।

(ख) डाक घर न खुलने के कारण हैं : सामग्री मिलने में और कोसी परियोजना के अधिकारियों से उन को पट्टे पर दिये गये सर्किट का उपयोग करने के लिये अनुमति प्राप्त होने में हुआ विलम्ब ।

शालिमार में रेलवे बुकिंग

*७७५. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस वर्ष सितम्बर मास के प्रारम्भ में बुकिंग संबंधी प्रतिबन्धों के फलस्वरूप शालीमार के रेलवे माल-गोदाम में कपड़े की गांठें इकट्ठा हो गई थीं;

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण थे ; और

(ग) कपड़े की उक्त गांठें किस प्रकार हटाई गईं ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) जी हां, किन्तु बुकिंग संबंधी प्रतिबन्ध कपड़े की गांठें इकट्ठा होने के फलस्वरूप लगाये गये थे और यह कपड़े की गांठों के इकट्ठा होने का कारण नहीं थे ।

(ख) परेषणी द्वारा कपड़े की गांठें छुड़ाने में विलम्ब होने के कारण कपड़े की गांठें इकट्ठी हो गई थीं ।

(ग) शालीमार को सूती माल के बुकिंग पर प्रतिबन्ध लगा कर इस कठिनाई को दूर किया गया था । रेलवे क्षेत्र से गांठें हटाने में सहायता देने के लिये व्यापार मंडलों से भी अनुरोध किया गया था और राज्य सरकार ने एक प्रेस अधिसूचना निर्गमित की थी कि जो गांठें अविलम्ब नहीं छुड़ाई जायेंगी वह जब्त कर ली जायेंगी ।

डा० राम सुभग सिंह : ऐसा बताया गया है कि माल न छुड़ाये जाने के कारण यह गांठें इकट्ठा हो गई थीं । क्या मैं जान सकता हूं कि इस के क्या कारण थे ?

श्री शाहनवाज खां : यह मालूम पड़ेगा कि यह जो गांठें इकट्ठा हो गई थीं उसका कारण कलकत्ते के कुछ व्यापारियों द्वारा की गई चालाकी थी । पूजा से कुछ समय पहले ही, उन्हों ने माल गोदामों से माल हटाने से इन्कार कर दिया, और उन का ख्याल था कि ऐसा कर के वे कलकत्ते में कपड़े का कृत्रिम अभाव उत्पन्न कर सकेंगे और वह अपने गोदामों में पहल से संचित किये गये माल की ऊंची कीमत वसूल कर सकेंगे । मेरा ख्याल है कि सदन को यह जानने में दिलचस्पी होगी कि उस अवधि में, एक बार तो माल गोदाम में ५४६३ गांठें इकट्ठा हो गई थीं और २०६ माल डिब्बों से माल उतारा जाना था । उक्त अवधि में कुल मिला कर २६३ माल डिब्बे बेकार हो गये थे क्योंकि पूरे एक महीने तक उन में से माल नहीं उतारा जा सका था ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि यह सारा माल पूर्ण रूप से कब हटाया गया और उक्त व्यापारिक स्वार्थ अपनी चालाकी में किस सीमा तक सफल हुए ?

श्री शाहनवाज खां : २४ अक्टूबर तक कपड़े की इकट्ठी हुई सभी गांठें हटाई जा

चुकी थीं। जिन व्यापारियों ने इस कृत्रिम अभाव को उत्पन्न करने का प्रयत्न किया था वह अपने कुटिल इरादों में बहुत सीमा तक सफल हुए।

श्री एन० बी० चौधरी : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या पश्चिम बंगाल की सरकार ने इस मामले के संबंध में केन्द्र के अधिकारियों से किसी प्रकार का कोई अभ्यावेदन किया था और क्या सरकार ने यह देखने के लिये कि शालीमार के रेलवे यार्ड से माल हटा दिया जाये, उस समय पर्याप्त कार्यवाही की थी ?

श्री शाहनवाज खां : वास्तव में स्थिति ठीक इसके विपरीत थी। रेलवे अधिकारियों ने पश्चिम बंगाल सरकार से इकट्ठी हुई गांठों के तेजी से हटाये जाने में सहयोग देने के लिये प्रार्थना की थी, और इस के परिणाम-स्वरूप, पश्चिम बंगाल की सरकार द्वारा इस आशय की एक विज्ञप्ति जारी की गई कि यदि कपड़े की इकट्ठी हुई गांठें व्यापारियों द्वारा तीन दिन में नहीं हटाई गई तो वे जब्त कर ली जायेंगी। और यह उक्त विज्ञप्ति का ही परिणाम था कि गांठें रेलवे यार्ड से हटाई जाने लगी थीं।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न।

डा० राम सुभग सिंह: भविष्य में क्या होगा .....

अध्यक्ष महोदय : मैं अगले प्रश्न को ले रहा हूं।

श्री गिडवानी : मेरा एक ऐसा ही प्रश्न स्वीकृत नहीं किया गया है और न उसे अस्वीकृत किया गया है .....

अध्यक्ष महोदय : ऐसा हो सकता है किन्तु इस प्रश्न की मैं अनुमति नहीं देता हूं माननीय सदस्य अपने प्रश्न को पुनः प्रस्तुत कर के अपने भाग्य की परीक्षा करें।

तिलहन का उत्पादन

*७७९. **श्री हेडा** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना अवधि में भारत में तिलहन के उत्पादन के लिये कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ग) उक्त लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है।

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) जी, हां।

(ख) ७० लाख टन।

(ग) गहन कृषि के उपायों पर ध्यान केन्द्रित कर के इस लक्ष्य को प्राप्त करने का विचार है, जिन में कुछ इस प्रकार हैं :—

(१) तिलहन की नई और अधिक अच्छी किस्मों को तैयार करने और उनका वितरण करने के सम्बन्ध में अनुसंधान कार्य का विस्तार।

(२) खाद और उर्वरकों का प्रयोग।

(३) नाशक कीटों का और रोगों का नियंत्रण।

श्री हेडा : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या तिलहन से और अधिक फसल प्राप्त करने के लिये किसी प्रकार का कोई अनुसंधान किया जा रहा है और यदि हां, तो किन केन्द्रों में ?

श्री ए० पी० जैन : भारतीय केन्द्रीय तिलहन समिति द्वारा अनवरत अनुसंधान कार्य किया जा रहा है। उक्त समिति एक केन्द्रीय तैल प्रविधिक अनुसंधान संस्था स्थापित करने की प्रस्थापना करती है।

श्री हेडा : क्या मैं जान सकता हूं कि जिस समय लक्ष्य निर्धारित किया गया था उस समय क्या हमारे निर्यात की संभावना को ध्यान में रखा गया था और यदि हां, तो क्या बढ़ते हुए निर्यात को ध्यान में रखा गया है अथवा निर्यात को उसी स्तर पर कायम रखा गया है ।

श्री ए० पी० जैन : निर्यात की जाने वाली हमारी महत्वपूर्ण वस्तुओं में तिलहन भी एक है । तिलहन के उत्पादन के सम्बन्ध में लक्ष्य निर्धारित करते समय निस्संदेह उक्त आयात को, आयात में संभाव्य वृद्धि के आधार पर, ध्यान में रखा गया है ।

श्री बंसीलाल : इस बात को देखते हुए, कि राजस्थान के एक बड़े क्षेत्र में तिल उगाये जाते हैं, क्या मैं जान सकता हूं कि उस क्षेत्र के विकास के लिये क्या कार्यवाही की जायेगी ।

श्री ए० पी० जैन : हम इस बात को ध्यान में रखेंगे ।

कलकत्ता पत्तन

*७८० **श्री एस० सो० सामन्त** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता पत्तन के विकास के लिये अवंटित एक बड़ी धनराशि प्रथम पंचवर्षीय योजना में व्यय नहीं की जा सकी;

(ख) यदि हां, तो व्यय की गई राशि कितनी है;

(ग) क्या जो राशि नहीं व्यय की गई है उसे व्यय किये जाने के लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में समायोजित किया जायेगा अथवा वह कालातीत हो जायेगी; और

(घ) पत्तन के विकास के हेतु प्रथम पंचवर्षीय योजना में कौन से मुख्य निर्माण कार्य सम्पन्न किये जायेंगे और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिये क्या प्रस्ताव है ?

रलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) से (ग). प्रथम पंचवर्षीय योजना में उन योजनाओं के लिये, जिन की अनुमानित लागत ११९६ लाख रुपया थी, ७५९ लाख रुपये ऋण के रूप में दिये जाने का विचार था । योजना अवधि के अंत तक, अब ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि उक्त योजनाओं पर ६६६ लाख रुपये व्यय होंगे । शेष ५३० लाख रुपये की राशि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में समायोजित की जायेगी ।

(घ) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ५]**

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं जान सकता हूं कि उक्त राशि के पूर्णतया व्यय न किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री अलगेशन : उदाहरण के लिये एक मिट्टी निकालने वाले जहाज की खरीद के लिये एक बहुत बड़ी धनराशि नियत की थी और जहाज का वास्तविक नक्शा बनने में समय लग गया । इस के अतिरिक्त और भी निर्माण कार्य थे, नदी को बांधने का कार्य था जिस को पूना में उस समय किये जा रहे कतिपय प्रयोगों का परिणाम ज्ञात होने तक रोकना पड़ा । वह भी एक वृहत् कार्य था जिस पर २३४ लाख रुपये लागत आनी थी । यह कुछ वृहत् कार्य हैं । जहां तक दूसरे निर्माण कार्यों का संबंध है, प्रगति संतोषजनक रही थी ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इस्पात और अन्य सामग्री का अभाव भी एक अन्य कारण है ?

श्री अलगेशन : निस्सन्देह, यह तो भली भांति विदित है कि इस्पात के अभाव का सामना हमें प्रत्येक अवस्था में करना पड़ता है । किन्तु इस्पात के अभाव ने इस मामले में

विलम्ब होने में कहां तक योगदान दिया है यह मैं नहीं बता सकता ।

त्रिपुरा में मलेरिया-विरोधी दल

*७८४. **श्री बीरेन दत्त** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) त्रिपुरा में मलेरिया-विरोधी दल के ऐसे कर्मचारियों की संख्या कितनी है जिन्हें सेवामुक्त किये जाने के नोटिस दे दिये गये हैं; और

(ख) क्या सरकार उन्हें वैकल्पिक नौकरियां देने का विचार रखती है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर): (क) १२३ व्यक्तियों को केवल सात मास की अवधि के लिये ही नियुक्त किया गया था।

(ख) अगले छिड़काव मौसम में यदि वह उपलब्ध हुए तो उन के पुनर्नियुक्ति किये जाने की संभावना है ।

श्री बीरेन दत्त : त्रिपुरा में उक्त मलेरिया विरोधी दल कार्य कर रहा है अथवा उसे समाप्त कर दिया गया है ?

राजकुमारी अमृत कौर : इस को समाप्त किये जाने का प्रश्न नहीं है। किन्तु त्रिपुरा में छिड़काव का मौसम केवल सात महीने का ही होता है। शेष पांच महीने समाप्त होने पर छिड़काव का कार्य पुनः शुरू कर दिया जाता है ।

कुरनूल में हवाई अड्डा

*७८५. **श्री बी० एस० मूर्ति** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र राज्य में कुरनूल में एक हवाई अड्डे के निर्माण के लिये क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) प्रस्तुत धनराशि कितनी है और उस में से कितनी अब तक व्यय की गई है; और

(ग) हवाई अड्डा कब तक बन कर तैयार हो जायेगा ?

संचार उपमंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) से (ग). कुरनूल में एक हवाई अड्डे के निर्माण के लिये सरकार द्वारा २० जुलाई, १९५५ को चौदह लाख अस्सी हजार की राशि का एक प्राक्कलन स्वीकृत किया गया था। राज्य सरकार अब भूमि प्राप्त करने के लिये आवश्यक कार्यवाही कर रही है। इस कार्य के अगस्त, १९५७ तक पूर्ण हो जाने की आशा है । इस सम्बन्ध में अब तक कुछ भी व्यय नहीं किया गया है ।

श्री बी० एस० मूर्ति : राज्य सरकार हवाई अड्डे के निर्माण के लिये अपेक्षित भूमि को अर्जित करने के लिये आवश्यक कार्य नहीं क्यों नहीं कर रही है ?

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य जानते हैं कि भूमि अर्जित करना एक वैज्ञानिक प्रक्रिया होती है, और इस में समय लगता है ।

श्री बी० एस० मूर्ति : वह आवश्यक कार्यवाही क्यों नहीं कर रही है ?

श्री राज बहादुर : हम ने उस से अनुरोध किया है और बीच बीच में उसे स्मरण भी दिला देते हैं । उस की अपनी कठिनाइयां भी हैं, इन में से कुछ वैज्ञानिक और कुछ प्रक्रिया संबंधी हो सकती हैं ।

श्री बी० एस० मूर्ति : विशाल आंध्र की स्थापना की संभावना को ध्यान में रखते हुए.....

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं, हमें चर्चा की प्रतीक्षा करनी चाहिये ।

श्री बी० एस० मूर्ति : मैं ने 'संभावना' कहा है, 'स्थापना हो जाने पर' नहीं कहा है । विशाल आन्ध्र की स्थापना की संभावना को ध्यान में रखते हुए क्या कुरनूल में हवाई अड्डे

का निर्माण करने के संबंध में केन्द्रीय सरकार के दृष्टिकोण में कुछ परिवर्तन होगा ?

अध्यक्ष महोदय : इस समय यह प्रश्न समस्यात्मक है ।

रेल दुर्घटना

*७८६. **श्री बी० एन० मिश्र** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १३ सितम्बर, १९५५ को दक्षिण पूर्वी रेलवे पर रायपुर जिले में स्थित एक स्टेशन पर मालगाड़ी के ३० डिब्बे बिना इंजन या बिना किसी ऐसे व्यक्ति के जो उन पर नियंत्रण कर सकता हो, ३० मील की दूरी तक लुढ़कते चले गये थे ;

(ख) यदि हां, तो इस का क्या कारण था ;

(ग) क्या इस के लिये उत्तरदायी कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ; और

(घ) इस दुर्घटना में कितनी हानि हुई थी ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के संसदीय सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख). १३-९-१९५५ को रात्रि के कोई १०½ बजे के लगभग, जब दक्षिण पूर्वी रेलवे के रायपुर विजयानगरम सैक्शन के कांताबंजी स्टेशन यार्ड में आने वाली मालगाड़ी संख्या ५३३-क/अप के सम्बन्ध में शंटिंग का काम किया जा रहा था, ३५ भरे हुए माल डिब्बे, जो एक दूसरे से जुड़े हुए थे, तेज गति के साथ, विजयानगरम की ओर, ढाल पर लुढ़कते चले गये । रेलवे की सम्पत्ति तथा माल डिब्बों की रक्षा के हेतु, तेज गति से लुढ़कते जा रहे इन माल डिब्बों को साफ लाइनों पर चलने दिया गया, और अन्ततः वे कांताबंजी स्टेशन से लगभग ३० मील दूर एक ऊंची चढ़ाई पर आकर रुक गये । शंटिंग से पूर्व, इस दिशा में यार्ड से माल डिब्बों को निकल जाने से रोकने के लिये बनाई गई स्लिप साइडिंग को मिलाने वाले प्वाइंट्स के ठीक ढंग से न जोड़े जाने के कारण माल-डिब्बे कांताबंजी स्टेशन से चल पड़े थे ।

(ग) उत्तरदायी ठहराये गये कर्मचारियों के विरुद्ध उचित अनुशासनीय कार्यवाही की जा रही है ।

(घ) इस दुर्घटना में निजी या रेलवे की सम्पत्ति की कोई हानि नहीं हुई है ।

श्री बी० एन० मिश्र : इस दुर्घटना से संबद्ध कितने अधिकारियों के विरुद्ध उचित अनुशासनीय कार्यवाही की गई है, और उसके बारे में कोई अन्तिम निर्णय करने में कितना समय लगेगा ?

श्री शाहनवाज खां : इस में कोई भी अधिकारी सम्बद्ध नहीं है ।

श्री बी० एन० मिश्र : ऐसे स्टेशनों पर जहां, नीचे की ओर ढलान होता है, क्या सभा सचिव यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उन्होंने और किसी ऊंचाई की ओर जाने वाली लूपलाइन की कोई व्यवस्था की है जिस से कि ऐसी घटनायें न होने पावें ?

श्री शाहनवाज खां : प्रायः सभी बड़े यार्डों में स्लिप साइडिंग के लिये प्रबन्ध होते हैं । जब भी कभी किसी यार्ड में डिब्बे खड़े किये जाते हैं, उस समय प्वाइंट्स इस प्रकार जोड़े जाते हैं कि उन्हें वहां से हटाया जाये, तो वे एक विशेष साइडिंग की ओर जाते हैं, जहां उन्हें पकड़ लिया जाता है और जहां से वे और कहीं नहीं जा सकते हैं ।

बंगाल प्रान्तीय रेलवे कम्पनी सम्बन्धी विवाद

*७८८. **श्री तुषार चटर्जी** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि निम्न न्यायाधिकरण पंचाट की कार्यान्विति सम्बन्धी

आदेश को रोकने के लिये बंगाल प्रान्तीय रेलवे कम्पनी द्वारा श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की गई अपील खारिज कर दी गई है, और

(ख) यदि हां, तो क्या अब कम्पनी ने निम्न न्यायाधिकरण पंचाट को कार्यान्वित कर दिया है ।

श्रम मंत्री (श्री खण्डु भाई देसाई) : (क) पंचाट की आंशिक कार्यान्विति के बारे में एक रोक आदेश श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा जारी किया गया था । वह आदेश १७ अक्टूबर, १९५५ को समाप्त हो गया और अग्रेतर अवधि विस्तार के लिये समवाय का प्रार्थनापत्र रद्द कर दिया गया था ।

(ख) अभी तक नहीं ।

श्री तुषार चटर्जी : पंचाट को यथाशीघ्र कार्यान्वित कराने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

श्री आबिद अली : जी, हां, मालिकों पर अभियोग चलाया जा सकता है, परन्तु प्रतीत होता है कि उन्हें कुछ वित्तीय कठिनाई है। उन्होंने पश्चिम बंगाल राज्य सरकार से ऋण की मांग की है । यदि हमारे अधिकारी यह अनुभव करें कि अभियोग चलाया जाय और भू राजस्व प्रणाली के अन्तर्गत की जाने वाली प्रक्रिया आवश्यक है, तो उक्त रकम को वसूल करने के लिये ऐसा किया जायेगा—यदि इसे वसूल करना संभव हुआ तो ।

श्री तुषार चटर्जी : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि १९४९ से लेकर यह कम्पनी-लगातार न्यायाधिकरण के पंचाट को कार्यान्वित करने में असफल रही है, क्या सरकार ऐसी कोई कार्यवाही करने का विचार करती है जिस से कि कर्मचारियों को उचित भुगतान दिया जा सकेगा ?

श्रम मंत्री (श्री खण्डु भाई देसाई) : जैसा कि मेरे सहयोगी ने बताया है कि यदि कम्पनी पश्चिम बंगाल सरकार से ऋण लेने में असफल रही, तो रकम वसूल करने के लिये कार्यवाही की जायेगी और अभियोग भी चलाया जायेगा । यह बिल्कुल स्पष्ट है कि कम्पनी के पास धन नहीं है और यदि हम वसूली की कार्यवाही भी करते हैं तो अधिक से अधिक उसकी अस्तियां जब्त कर ली जायेंगी ।

श्री तुषार चटर्जी : मेरा प्रश्न यह है कि मान लीजिये कि सरकार से धन नहीं मिलता है तो सरकार कर्मचारियों को भुगतान कराने के लिये और क्या कार्यवाही कर सकती है ?

श्री खण्डु भाई देसाई : जैसा कि मैं ने कहा, वसूली की कार्यवाही आरम्भ की जायेगी ।

टेलीफोन एक्सचेंज (पंजाब)

*७८९. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या संचार मंत्री २५ मार्च, १९५५ को दिये गये अतारांकित प्रश्न संख्या ४४० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार पंजाब में किन किन स्थानों पर नवीन टेलीफोन एक्सचेंज खोलना चाहती है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) :

१. बहादुरगढ़
२. उबवाली
३. गोराया
४. नीलोखेड़ी
५. तलवंडी
६ टोहाना ।

सरदार इकबाल सिंह : क्या भाखड़ा बांध क्षेत्र में, जो कि पंजाब सरकार द्वारा नई मंडियों के खोले जाने के साथ विकसित होने को है, एक नवीन एक्सचेंज खोलने की सरकार की कोई नवीन योजना है ?

श्री राज बहादुर : हम जिला केन्द्रों में और ऐसे अन्य स्थानों पर, जहां हमें उन से

लाभ होने की आशा होती है, टेलीफोन एक्सचेंज खोलते हैं।

सरदार इकबाल सिंह : क्या सरकार को विदित है कि कुछ क्षेत्रों में जैसे भटिण्डा, लुधियाना और जालन्धर में गति रोध है, और तीन चार घण्टों तक टेलीफोन नहीं मिल पाता है? क्या इन स्थानों के लिये सरकार के पास कोई विस्तार कार्यक्रम है?

श्री राज बहादुर : ऐसी कठिनाइयां वहीं होती हैं, जहां टेलीफोन काल भेजने की लाइनें कम होती हैं और जब भी कभी आवश्यकता होती है हम लाइनों की संख्या बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं।

श्री बंसीलाल : क्या राजस्थान की राजधानी जयपुर नगर में कोई स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज नहीं है?

श्री राज बहादुर : हम यथा समय जयपुर में एक स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने का विचार करते हैं?

अल्प सूचना प्रश्न

कलकत्ता में विमान दुर्घटना

अ० सू० प्र० संख्या ३. श्री कामत: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता में हाल की राष्ट्रीय सेना-छात्र दल दिवस परेड में एक प्रशिक्षण विमान की दुर्घटना हो गई थी;

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना का ब्यौरा क्या है और हताहतों की संख्या क्या है; तथा

(ग) क्या दुर्घटना की जांच करने के लिये कोई जांच न्यायालय नियुक्त किया जा चुका है?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, हां।

(ख) ४ दिसम्बर, १९५५ को प्रातः ९ बज कर १३ मिनट के लगभग बंगाल उड्डयन क्लब का एक टाइगर मौथ विमान बैरकपुर से स्थानीय उड़ान करते हुए कलकत्ता के मैदान में गिर गया। क्लब का मुख्य चालक शिक्षक और राष्ट्रीय सेना-छात्र-दल का एक छात्र सैनिक, जो विमान में सवार थे, जहाज गिरते ही तुरन्त मर गये और विमान जल कर राख हो गया।

(ग) असैनिक उड्डयन विभाग के दुर्घटना निरीक्षक इस दुर्घटना की जांच कर रहे हैं।

श्री कामत : क्या उड़ने से पहले इस जहाज की उड्डयन योग्यता का परीक्षण किया गया था?

श्री राज बहादुर : साधारणतया किसी भी विमान को उस समय उड़ने नहीं दिया जाता है जब तक कि उस के पास उड्डयन योग्यता प्रमाणपत्र नहीं होता है।

श्री कामत : क्या राष्ट्रीय सेना-छात्र-दल की इन सब परेडों में विमानों के ऐसे प्रदर्शन किये जाने की सामान्य प्रथा है?

श्री राज बहादुर : विश्व भर के सब उड्डयन क्लबों की यह सामान्य प्रथा है।

श्री कामत : क्या यह सच है कि इस अवसर पर वहां आग बुझाने का कोई इंजन या और कोई यंत्र नहीं था, जिस कारण चालक और दूसरे व्यक्ति को मृत्यु से बचाने की अन्तिम आशा भी जाती रही थी?

श्री राज बहादुर : जहां तक मुझे मालूम है यह केवल आग बुझाने वाले रेंडर के आगमन में विलम्ब हो का ही प्रश्न है, जो कई लोगों द्वारा पूछा जा चुका है। यह आग बुझाने वाली मशीन है।

श्री कामत : कितनी देर हुई थी; क्या यह दो घण्टे देर से पहुंचा या तीन घण्टे देर से?

श्री राज बहादुर : यह जांच का विषय है और इस समय मैं कोई निश्चित बात इस बारे में नहीं कह सकूंगा ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : माननीय मंत्री ने कहा है कि किसी भी विमान को उड्डयन योग्यता प्रमाण-पत्र के बिना उड़ने नहीं दिया जाता है । यह उड्डयन योग्यता प्रमाणपत्र कब दिया गया था ; इस के उड़ने से कितने घण्टे पूर्व दिया गया था ?

श्री राज बहादुर : इन सब मामलों की जांच दुर्घटना की जांच करने वाले अधिकारी और जांच समिति द्वारा की जायेगी ।

श्री जौकीम आल्वा : क्या सरकार को विदित है कि प्रतिकर के मामले में मृत चालक के सम्बन्धियों में घोर असंतोष फैला हुआ है ? मृत व्यक्ति के सम्बन्धियों को वित्तीय सहायता देने के बारे में क्या सरकार की प्रतिकर देने सम्बन्धी कोई सामान्य नीति है ?

संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम) : सब से पहले तो यह प्रश्न इस से उत्पन्न नहीं होता । किन्तु क्योंकि यह एक महत्व-पूर्ण प्रश्न है, मैं इसका उत्तर दूंगा । दुर्भाग्य से जिस विमान की दुर्घटना हुई वह परिवहन विमान नहीं था, बल्कि उड्डयन क्लब का विमान था । अनुपूरक प्रश्न में जितनी बातें पूछी गई ह, हम उन सब का ब्यौरा देने में असमर्थ हैं क्यों के उस दिन असैनिक उड्डयन विभाग के किसी भी अधिकारी का इससे कोई सीधा सम्बन्ध नहीं था । मेरी सूचना तो यह है कि प्रायः उनमें से किसी को भी इस प्रदर्शन के लिय आमंत्रित भी नहीं किया गया था ।

चालकों को प्रतिकार देने के बारे में मैं सभा को सूचित करना चाहता हूं कि पहले तो प्रत्येक चालक का निश्चित रूप से बीमा कराया हुआ होता है, और इसलिये जब भी कोई ऐसी दुखद दुर्घटना हो जाती है, जो चालक या वैमानिकों के लिए घातक सिद्ध होती है, तो बीमा की राशि उसके परिवार को दे दी जाती है । किन्तु इतना ही नहीं है । इसके अतिरिक्त विमान चलाने वाली कम्पनियां, चाहे वह एयर इंडिया इंटरनेशनल हो या इंडियन एयर कारपोरेशन हों, चालक या वायुयान से सम्बन्धित कर्मचारी के परिवार को निष्कारण सहायता के रूप में कुछ देती हैं । अतः हम इसका ध्यान रखते हैं ।

श्री के० के० बसु : इस मामले में प्रति-कर कौन देगा !

श्री जगजीवन राम : मुझे विश्वास है कि उड्डयन क्लब द्वारा चालक का बीमा कराया गया होगा ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

दिल्ली में जल व्यवस्था

*७५१. **पंडित ठाकुर दास भार्गव** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में दिल्ली में साफ पानी का संभरण बन्द कर दिया गया था तथा कुछ भागों में बंद कर दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या यह नजफगढ़ नाला से गंदगी को रोकने के लिये, जिसने जल को गंदा कर दिया था या कर देती, किया गया था; और

(ग) गंदगी को रोकने के लिये क्या स्थायी उपाय किये गये हैं ताकि नगर की जल व्यवस्था दूषित न हो तथा नागरिकों का स्वास्थ्य खराब न हो ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) : (क) हां । १७ नवम्बर, १९५५ को साफ पानी का सम्भरण कुछ घंटों के लिये रोक दिया गया था ।

(ख) साफ पानी का सम्भरण निम्न-कारणों से रोका गया था :—

(१) जल व्यवस्था को दूषित करने वाली नजफगढ़ नाले की गंदगी को रोकना ; और

(२) जलागार को पानी लाने वाली मध्य धारा में पानी का अभाव ।

(ग) नजफगढ़ नाले के पानी को और आगे धारा तक ले जाने के लिये कार्यवाही की जा रही है ताकि दूषित होने की सम्भावना को न्यूनतम और यदि सम्भव हो तो समाप्त कर दिया जाये ।

तपेदिक

*७६२. **श्री दिगम्बर सिंह** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या देश में तपेदिक के रोगियों की समस्त संख्या का पता लगाने के लिये सरकार के पास कोई व्यवस्था (तंत्र) है ; और

(ख) तपेदिक से प्रति वर्ष औसतन कितने व्यक्तियों की मृत्यु होती है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) : (क) जी नहीं ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

तीर्थ यात्रा-रेलें

*७७०-क. **श्री बी० पी० नायर** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेलों ने अक्टूबर-नवम्बर १९५५ में केवल हिन्दुओं के तीर्थ स्थानों की यात्रा करने वाले यात्रियों के लिये कोई विशेष 'तीर्थयात्रा रेल' चलाई थी ;

(ख) यदि हां, तो कितने तीर्थ यात्रियों ने इससे यात्रा की ; और

(ग) क्या सरकार का विचार विद्यार्थियों के लिये रियायती दरों पर ऐसी विशेष गाड़ियां चलाने का है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाह नवाज खां) : (क) जब कभी बहुत मांग होती है तब विशेष रेलें चलाई जाती हैं, व चाहे तीर्थ यात्रा के लिये हों या किसी अन्य प्रयोजन के लिये अक्टूबर-नवम्बर १९५५ में ऐसी बहुत सी रेलें चलाई गईं ।

(ख) जिन तीर्थयात्रियों ने विशेष रेलों से यात्रा की, उनकी संख्या अभी उपलब्ध नहीं है ।

(ग) विद्यार्थियों के लिये शिक्षा यात्राओं सम्बन्धी विशेष रेलों में रियायत पहिले से ही दी जाती है और वास्तव में किये किराये अन्य प्रयोजनों की विशेष रेलों के किराये की अपेक्षा कम होते हैं ।

रेलों में भोजन व्यवस्था के ठेके

*७७४. **श्री पुन्नूस** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने भारतीय रेलों के कुछ क्षेत्रों (जोन) में गैर-सरकारी ठेकेदारों के भोजन स्टालों, अल्पाहार-गृहों तथा हाथगाड़ियों को समाप्त करने का निश्चय कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो इन क्षेत्रों (जोन) के नाम ;

(ग) क्या यह निश्चय करने में सरकार ने छोटे ठेकेदारों तथा उनके कर्मचारियों के भविष्य पर विचार किया है ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निश्चय किया है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) तथा (ख). कुछ स्टेशनों पर भोजन व्यवस्था को, विभाग द्वारा चलाये जाने के लिये, अपने हाथ में लेने का विचार है, जैसा कि सभा-पटल पर रखे गये विवरण में उल्लेख है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ६]**

(ग) हां ।

(घ) जहां तक छोटे ठेकेदारों का सम्बन्ध है, उन्हें अन्य स्टेशनों पर यथासम्भव

वैकल्पिक ठेके देने का विचार है। उन विद्यमान ठेकेदारों के कर्मचारियों से, जिनके ठेके समाप्त किये जा रहे हैं, यदि उपयुक्त हुआ तो, विभागीय भोजन व्यवस्था में काम लेने का भरसक प्रयत्न किया जायेगा।

'हेरोन' विमान

*७७६. **श्री कर्णी सिंह जी**: क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि पूरक लाइन सेवाओं के लिये जो 'हेरोन' क्रय किये गये थे, वे खराब होने लगे हैं ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर): इंजन की खराबी की कुछ घटनायें हुई थीं जो प्रायः आरम्भ में नये प्रकार के विमानों के चलाने में होती है। ये खराबियां निर्माण-कर्ताओं के सहयोग से ठीक कर दी गई हैं।

द्वितीय श्रेणी की डाक का विमान द्वारा ले जाया जाना

*७७७. **श्री एस० के० रजमी**: क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने द्वितीय श्रेणी की डाक के विमान से जाने के सम्बन्ध में कोई विनिश्चय किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या ; और

(ग) कौन-कौन स्थान मिलाये जायेंगे ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर): (क) हां। द्वितीय श्रेणी की डाक को विमान से ले जाने की योजना के निकट भविष्य में लागू किये जाने की सम्भावना नहीं है क्योंकि इसमें पर्याप्त व्यय होगा।

(ख) तथा (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

गन्ने का मूल्य

*७७८. **ठाकुर युगल किशोर सिंह :**
बाबू राम नारायण सिंह :
श्री अस्थाना :

क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन किन राज्यों ने गन्ने और चीनी के मूल्यों में सम्बन्ध स्थापित करने के उन सूत्रों को, जो केन्द्रीय सरकार ने १९५५-५६ के लिये बनाये थे, स्वीकार नहीं किया और इसके क्या कारण हैं ; और

(ख) किन किन राज्यों ने १९५५-५६ के लिये गन्ने का मूल्य, केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किये गये मूल्य से अधिक निर्धारित किया है और इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन): (क) विशेषज्ञ समिति का प्रतिवेदन, जिसके शीघ्र प्राप्त होने की सम्भावना है, प्राप्त न होने के कारण, गन्ने तथा चीनी के मूल्यों में सम्बन्ध स्थापित करने के लिये १९५५-५६ में अपनाये जाने वाले सूत्रों पर अभी कोई विनिश्चय नहीं किया गया है।

(ख) केवल बम्बई ही एक ऐसा राज्य है जिसके सम्बन्ध में गन्ने का न्यूनतम मूल्य, बम्बई राज्य की सिफारिशों पर, ३९ रु० २ आने प्रति टन के अखिल भारतीय मूल्य से अधिक, अर्थात्, ४४ रू० प्रति टन निर्धारित किया गया है। इसका कारण यह है कि राज्य के अधिकांश कारखानों के पास गन्ने के बड़े बड़े फार्म हैं और यह शंका थी कि यदि गन्ने के मूल्य में, जो उन्हें देना पड़ता है, और चीनी के मूल्य में सम्बन्ध स्थापित किया जाता है और मूल्य पहिले से घोषित नहीं किया जाता, तो वे किसानों से गन्ने का क्रय न करेंगे।

हीराकुड बांध

*७८१. **श्री सारंगधर दास :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हीराकुड बांध के पूरे क्षेत्र में, जहां संचार लाइन जाती है, डाक तथा तार कम्पनियों को हीराकुड बांध परियोजना विशेष भत्ता दिया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो वह विशेष भत्ता किस वर्ष में तथा किस तारीख से मंजूर किया गया था ;

(ग) क्या यह सच है कि यह भत्ता अंगुल तथा चौद्वार के डाकघरों के कर्मचारियों को दिया जा रहा है ; और

(घ) यह भत्ता धेनकानल के डाकघर के कर्मचारियों को क्यों नहीं दिया जाता है जो अंगुल तथा चौद्वार के बीच संचार लाइन पर है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) हां, धेनकानल को छोड़ कर ।

(ख) १–४–५४ ।

(ग) हां ।

(घ) धेनकानल में डाक तथा तार के कर्मचारियों को भी भत्ता देने का प्रस्ताव विचाराधीन है ।

छोटी लाइन की रेलों में वैकुअम ब्रेक

*७८२. **श्री यु० एम० त्रिवेदी :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि छोटी लाइन की रेलों में पूर्णतया बैकुअम ब्रेक नहीं होते ;

(ख) यदि हां, तो क्यों ; और

(ग) यह प्रतिबन्ध कब से लाग किया गया है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) तथा (ख). छोटी लाइन की सारी रेलों में वैकुअम ब्रेक होते हैं । पूर्वोत्तर रेलवे के कुछ क्षेत्रों में यात्री रेलों में से वैकुअम ब्रेक निकाल दिये जाते हैं, क्योंकि खतरे की जंजीर के बराबर खींचे जाने के फलस्वरूप ऐसा करना आवश्यक हो गया है ।

हां, माल तथा मिली जुली रेलें सदैव वैकुअग ब्रेकों के साथ नहीं चलतीं क्योंकि छोटी लाइन के माल के सारे डिब्बों में अभी वैकुअम ब्रेक नहीं लगे हैं ।

(ग) १६ मई, १९५५ से पूर्वोत्तर रेलवे पर यात्री रेलों में वैकुअम ब्रेकों की व्यवस्था नहीं रखी जा रही है ।

व्यापार प्रतिनिधि मंडल

*७८३. **श्री तुलसी दास :** क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अनाजों और उनके उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने की सम्भावनाओं की खोज करने के लिये दो व्यापार प्रतिनिधि मंडलों को क्रमश: पश्चिमी एशिया और यूरोप तथा पूर्वी और दक्षिण पूर्वी एशिया भेजने के प्रस्ताव के बारे में क्या प्रगति हुई है ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : किसी व्यापार प्रतिनिधि मंडल को विदेश भेजने का प्रश्न अभी स्थगित कर दिया गया है ।

टेलीफोन से आय

*७९०. **श्री काजरोल्कर :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार मुफस्सिल क्षेत्रों में टेलीफोन रखने वालों से चन्दा वार्षिक आधार पर लेने की बजाय प्रति मास 'कॉल' के आधार पर लेने का है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : 'कॉल' के आधार पर टेलीफोन के भुगतानों की व्यवस्था आजकल केवल कुछ बड़े बड़े एक्सचेंजेस में विद्यमान है । नीति यही रहेगी

और 'कॉल' के आधार पर भुगतान की व्यवस्था धीरे धीरे इस प्रकार के अन्य सारे 'एक्सचेंजेस' में लागू हो जायेगी ।

विश्व डाक संघ यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन

*७९१. **सरदार हुक्म सिंह :**
श्री बहादुर सिंह :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व डाक संघ (यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन) की कार्यपालिका तथा सम्पर्क समिति की अन्तिम बैठक कब हुई थी ;

(ख) क्या यह बैठक प्रति वर्ष होती है ; और

(ग) क्या सितम्बर-अक्टूबर, १९५४ की बैठक में उप-आयोग द्वारा बताये गये प्रारूप तार संहिता पर संघीय देशों ने कार्यवाही प्रारम्भ कर दी है ।

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) कार्यपालिका तथा सम्पर्क समिति की अन्तिम बैठक २-५-५५ से १३-५-५५ तक हुई थी ।

(ख) बैठक, कम से कम, वर्ष में एक बार होती है ।

(ग) प्रारूप तार संहिता को तभी प्रयोग में लाया जा सकता है जब यह कांग्रेस द्वारा जिस की बैठक १९५७ में होगी, स्वीकृत कर ली जाये ।

सहकारिता

*७९२. **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री एम० इस्लामुद्दीन :

क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सभी श्रेणियों के सहकारी कर्मचारियों के प्रशिक्षण की योजना के सम्बन्ध में अभी तक क्या प्रगति हुई है ;

(ख) क्या भारत के रक्षित बैंक द्वारा नियुक्त संचालन समिति (कमेटी आफ़ डायरेक्शन) की सिफारिशों के परिणामस्वरूप पहिले बनाई गई योजना का पुनरीक्षण तथा पुनर्विलोकन किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रकार के प्रशिक्षण के लिये वर्तमान प्रबन्ध तथा कार्यक्रम क्या है ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) सभा पटल पर विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ८].**

(ख) क्योंकि सहकारी प्रशिक्षण की अधिकांश योजनाएं संचालन समिति की सिफारिशों के आधार पर बनाई गई थीं, इसलिये उन में विशेष परिवर्तन नहीं किया गया है ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

नर्वदा पर पुल

***७९३. श्री अमर सिंह डामर : क्या परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नर्वदा नदी पर मध्य भारत में बड़वानी के निकट, राजघाट पर जो पुल बन रहा है उस के कार्य में कहां तक प्रगति हुई है ; और

(ख) पुल के कब तक बन कर पूरा हो जाने की आशा है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) योजनाओं और एस्टीमेट (प्राक्कलन) के बाबत राज्य सरकार के साथ बातचीत हो रही है । जब उन पर पूरा फैसला हो जायेगा, तब पुल बनाने का काम शुरू होगा ।

(ख) पुल के बनाने में करीब तीन साल लगेंगे ।

दिल्ली-मद्रास जनता एक्सप्रैस

*७९४. **श्री टी० बी० विट्ठल राव :** क्या रेलवे मंत्री ३० सितम्बर, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २४५१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भोपाल तथा बीना के बीच लाईन की सामर्थ्य बढ़ाने के प्रस्तावों को अन्तिम रूप दिया जा चुका है ;

(ख) यदि हां, तो इस का ब्योरा क्या है ; और

(ग) इन को लागू करने के लिये क्या कार्यवाही की गई हैं ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां): (क) अभी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

बाल-पक्षाघात (पोलियो)

*७९५. **डा० सत्यवादी :** क्या स्वास्थ्य मंत्री २२ सितम्बर, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २०८१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार से जालन्धर में बाल-पक्षाघात (पोलियो) के आपात के सम्बन्ध में, जिस के लिये पांच हज़ार रुपया दिया गया था, कोई प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) क्या राज्य सरकार ने पंजाब के अन्य भागों में बाल-पक्षाघात (पोलियो) के आपात के सम्बन्ध में कोई सूचना भेजी है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) : (क) और (ख). पंजाब सरकार से कोई प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है ।

फल उत्पादन योजनायें

*७९६. **श्री भक्त दर्शन :** क्या खाद्य और कृषि मंत्री २८ अप्रैल, १९५५ को दिये गये अतारांकित प्रश्न संख्या ११२६ के उत्तर के सम्बन्ध में सभा के टेबल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिस में निम्नलिखित बातें दिखाई गई हों :—

(क) फलोत्पादन योजनाओं के लिये विभिन्न राज्यों को दी गई राशि में से अब तक उन्हें वस्तुतः कितना-कितना धन दिया गया है ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कुछ और राज्यों ने वित्तीय सहायता की मांग की है ; और

(ग) यदि हां, तो उन का ब्यौरा क्या है ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) और (ग). पूछी गई जानकारी के विवरण सभा के टेबल पर रख दिये गये हैं । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ९]**

(ख) जी हां ।

पश्चिमी नाइजीरिया को सहायता

*७९७. **श्री भागवत झा आजाद :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या पश्चिमी नाइजीरिया सरकार ने अपनी स्वास्थ्य सेवाओं के सम्बन्ध में भारत सरकार से कोई निवेदन किया है ; और

(ख) क्या भारत सरकार ने इस कार्य के लिये चिकित्सा पदाधिकारियों से आवेदन पत्र मांगे हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर): (क) और (ख). उत्तर स्वीकारात्मक है ।

'एयर टैक्सीज इंडिया'

*७९८. श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'एयर टैक्सीज इंडिया' ने अपनी एक वर्ष की अनुज्ञा (पर्मिट) की अवधि में कोई अन-अनुसूचित विमान सेवाएं संचालित की थीं ;

(ख) यदि नहीं तो इस के क्या कारण थे ; और

(ग) क्या अनुज्ञा (पर्मिट) की अवधि आगे बढ़ा दी गई है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी नहीं ।

(ख) अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण मैं सभा पटल पर रखता हूं । [देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या १०]

(ग) इस की अवधि एक वर्ष के लिये और बढ़ा दी गई है ।

रेलवे कर्मचारियों को अग्रिम वेतन

*७९९. श्रीमती इला पालचौधरी : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस देश के रेलवे कर्मचारियों को इस वर्ष अक्तूबर में एक माह का वेतन 'पूजा' अथवा 'दशहरा' अग्रिम धन के रूप में दिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो कुल कितनी धनराशि अग्रिम धन के रूप में दी गई ;

(ग) कितनी किस्तों में इस की वसूली की जायेगी ; और

(घ) किन राज्यों में यह अग्रिम धन दिये गये थे ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाह नवाज खां) : (क) और (घ). पूर्व तथा दक्षिण पूर्व रेलवे के सब तृतीय श्रेणी तथा प्रवीण कर्मचारियों को ५० रुपये और सब चतुर्थ श्रेणी तथा अर्द्धप्रवीण और अप्रवीण कर्मचारियों को ३० रुपये दिये गये थे; पूर्वोत्तर रेलवे के तथा कलकत्ते में गंगा पुल परियोजना में काम करने वाले ऐसे कर्मचारियों को भी इसी प्रकार अग्रिम धन दिया गया था । 'चित्तरंजन लोकोमोटिव कारखाने' में नियुक्त कर्मचारियों को भी इस प्रकार अग्रिम धन दिया गया था । यह सभी अग्रिम धन, कर्मचारियों के अक्तूबर १९५५ के वेतन में से दिये गये थे । अग्रिम धन 'पूजा' की छुट्टियां प्रारम्भ होने के पूर्व दे दिये गये थे ।

(ख) अभी तक प्राप्य सूचना के अनुसार दिया गया अग्रिम धन, ९९,१५,५९२ रुपये ३ आने था ।

(ग) अग्रिम धन की वसूली पांच एक समान मासिक किस्तों में की जायेगी ।

तार घर

*८००. श्री एल० एन० मिश्र : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के दरभंगा जिले के लौकाहा, लौकाही, फूलपारस, तथा खतौना बाज़ार में कब तक तारघर खुलने की आशा है ; और

(ख) इन के खोले जाने में देरी होने के क्या कारण हैं ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) लौकाहा, लौकाही तथा फूलपारस में मार्च १९५६ तक तारघर खुल जाने की आशा है । खतौनाबाजार में तारघर खुलने की कोई मंजूरी नहीं दी गई है ।

(ख) सामग्री मिलने में देरी ।

डाक व तार कार्यालय बिहार सर्किल

*८०१. **डा० राम सुभग सिंह :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान आर्यावर्त (पटना से प्रकाशित) के ९ नवम्बर, १९५५ के अंक में प्रकाशित उस सूचना की ओर आकर्षित किया गया है जिस में कहा है कि बिहार सर्किल के बहुत से डाक व तार कार्यालयों में जनता तथा डाक विभाग को धोखा देने के मामले हो रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई जांच की है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर)। (क) जी हां ।

(ख) जी हां ; यह सूचना अतिरंजित है ।

रेलगाड़ियों में भीड़भाड़

*८०२. **श्री तुलसी दास :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अहमदाबाद तथा आबू रोड, और महसाना तथा तरंगा पहाड़ी के बीच यात्री रेलगाड़ियों में भीड़-भाड़ के सम्बन्ध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ;

(ख) क्या इस विभाग (सैक्शन) पर एक जनता गाड़ी चलाने का कोई प्रस्ताव है ;

(ग) यदि हां, तो कब से ; तथा

(घ) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां, अहमदाबाद-दिल्ली विभाग (सैक्शन) पर, दो रेलगाड़ियों के बन्द किये जाने पर—एक अहमदाबाद-महसाना के बीच तथा दूसरी अजमेर-दिल्ली के बीच ।

(ग) ज्यों ही इस के लिये आवश्यक अतिरिक्त डिब्बे तथा इंजन प्राप्य हो सकेंगे जिन की १९५७ में कभी मिलने की आशा है ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

प्रादेशिक डाक तथा तार मंत्रणा समिति

८०३. **सरदार हुक्म सिंह :**
श्री बहादुर सिंह :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५ में, पंजाब, पेप्सू तथा दिल्ली की प्रादेशिक डाक तथा तार मंत्रणा समितियों की, कितनी बार बैठकें हुईं ;

(ख) इन बैठकों में किन बातों पर चर्चा हुई ; और

(ग) क्या प्रत्येक डाक तथा तार क्षेत्र (सर्किल) में एक मंत्रणा समिति है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर): (क) पंजाब तथा पेप्सू प्रादेशिक मंत्रणा समिति की—४ बार, दिल्ली डाक तथा तार प्रादेशिक मंत्रणा समिति की—३ बार।

(ख) विभिन्न स्थानों की डाकतार तथा टेलीफोन सुविधाओं में सुधार किया जाना, जैसे नये डाकखाने तथा मेल कार्यालय खोलना, नये तारघरों, टेलीफोन एक्सचेंजों का खोलना तथा वर्तमान एक्सचेंजों की सामर्थ्य में वृद्धि, नई ट्रन्क लाइनों का खोलना आदि ।

(ग) जी हां ।

गंगा, ब्रह्मपुत्र जल परिवहन

*८०४. **श्री श्रीनारायण दास :** क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गंगा, ब्रह्मपुत्र जल परिवहन बोर्ड द्वारा तीन अग्रिम परियोजनाओं के चालू किये जाने में अभी तक क्या प्रगति हुई है ;

(ख) प्रत्येक के अलग अलग आंकड़े बताते हुए, इन तीनों परियोजनाओं का कुल प्राक्कलित व्यय क्या है ; और

(ग) इन परियोजनाओं पर अभी तक कितना व्यय हुआ है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) उपरि गंगा अग्रिम परियोजना के लिये नावों तथा कुछ अन्य जहाज़ों के लिये आर्डर दे दिये गये हैं तथा रस्तों के लिये आर्डर भी शीघ्र ही दे दिये जायेंगे। जहाज़ के मिल जाने पर परियोजना का कार्य चालू कर दिया जायेगा। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों के सम्बन्ध में, सर्वेक्षण किया जा रहा है जिस से जहाज़ की विशिष्टताओं का निर्णय हो सके। ब्रह्मपुत्र के पार जाने के लिये डीज़ल फैरी की विशिष्टताओं को अन्तिम रूप दिया जा रहा है तथा ज्यों ही बन जायेंगे उन के टेंडर मांगे जायेंगे।

(ख) तीनों परियोजनाओं की पूंजीगत लागत का प्राक्कलन इस प्रकार है। उपरि गंगा परियोजना २५ लाख रुपये, ब्रह्मपुत्र सहायक नदी परियोजना ८ लाख रुपये, तथा ब्रह्मपुत्र के आर पार के लिये फैरी ४ लाख रुपये।

(ग) अभी तक कोई व्यय नहीं किया गया है।

रेलवे न्यायाधिकरण

*८०५. **श्री टी० बी० चिट्टि राव** : क्या रेलवे मंत्री १९ सितम्बर, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १८८४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५३ में रेलवे कर्मचारियों की व्यथाओं की जांच के लिये एक व्यक्ति का जो न्यायाधिकरण नियुक्त किया गया था क्या उस ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है ;

(ख) यदि नहीं, तो प्रतिवेदन कब तक प्राप्त होने की आशा है ; और

(ग) प्रतिवेदन की शीघ्र प्राप्ति के लिये क्या सरकार का कोई कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी नहीं ;

(ख) और (ग). इस समय कोई निश्चित जानकारी देना सम्भव नहीं है क्योंकि जुलाई १९५५ के बाद से अब तक एन० एफ़० आई० आर० की, अग्रेतर विषयों पर बातचीत करने के लिये, बोर्ड के साथ बैठक नहीं हुई है।

एयर इंडिया इंटरनेशनल

*८०७. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि उड़ान के समय जिन विदेशीय भाषाओं में घोषणाएं की जाती हैं, एयर इंडिया इंटरनेशनल सेवाओं के बहुत से यात्री उन भाषाओं को नहीं जानते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का उन घोषणाओं को हिन्दी में भी करने का विचार है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) घोषणाएं अंग्रेज़ी में की जाती हैं और यात्रियों की अधिकांश संख्या अंग्रेज़ी जानती है। बम्बई में, भूमि पर, अंग्रेज़ी में घोषणा करने के पश्चात् हिन्दी में भी उन का पुनरावर्तन किया जाता है

(ख) उड़ान के समय हिन्दी में घोषणायें करने का प्रश्न भी विचाराधीन है।

टैपीओका

४४१. **श्री एन० बी० चौधरी** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या टैपीओका के पोषक गुणों के सम्बन्ध में कोई गवेषणा की गई है ;

(ख) यदि हां, तो उस का परिणाम क्या है ; और

(ग) क्या मानव शरीर पर उस का किसी परिस्थिति में हानिकारक प्रभाव भी होता है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) : (क) जी हां, भारत में और विदेश में भी टैपीओका के पोषक गुणों के सम्बन्ध में गवेषणायें की गई हैं ।

(ख) पोषण के दृष्टिकोण से टैपीओका बहुत ही अपूर्ण खाद्य पदार्थ है । इस में प्रोभूजिन (प्रोटीन) की मात्रा केवल लगभग ०.५ प्रतिशत है, शेष अधिकतर मांड है । इसलिये एक ऐसा भोजन, जो केवल टैपीओका पर ही आधारित हो, अधिक समय तक जीवित रखने योग्य नहीं है । टैपीओका के साथ साथ दूसरे खाद्य पदार्थ भी होने चाहियें विशेषतः ऐसे जिन में प्रोभूजिन (प्रोटीन) अधिक हो ताकि इस की कमी पूरी हो सके । दालों और कन्द आदि वस्तुओं में से मांड की जितनी मात्रा प्राप्त होती है अधिकांशतः टैपीओका मांड भी उन के बराबर है ।

(ग) टैपीओका-जड़ में प्रोभूजिन (प्रोटीन) की कमी होने के अतिरिक्त एक विषैला मधुमेय भी होता है । हां इसे परिष्करण और पकाने के उपयुक्त तरीकों से दूर किया जा सकता है ।

इलाहाबाद-इटारसी यात्री गाड़ी

४४२. **श्री कामत** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि मध्य रेलवे की इलाहाबाद-इटारसी यात्री-गाड़ी बहुत ही कम ठीक समय पर आती जाती है और प्रायः २ घंटे या इस से भी अधिक समय तक देर से चलती है ;

(ख) १ अक्तूबर, १९५५ से इस के समय में जो परिवर्तन किया गया है क्या उस से जनता को और विशेषतः उन यात्रियों को, जिन्हें इटारसी से दिल्ली जाने वाली जी० टी० एक्सप्रैस गाड़ी पकड़नी होती है, और अधिक असुविधा नहीं होने लगी है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाहियां करने का विचार है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) यह बात सत्य नहीं है कि संख्या ३९० इलाहाबाद-इटारसी यात्री-गाड़ी बहुत कम समयानुसार चलती है । हां, अगस्त और सितम्बर १९५५ में इस गाड़ी के समय-पालन में कुछ दोष अवश्य रहा है जिस का मुख्य कारण जबलपुर-इलाहाबाद भाग (सैक्शन) पर एक्सप्रैस और यात्री-गाड़ियों से मेल होने में समय नष्ट होना है । इस भाग (सैक्शन) में गाड़ियों के मिलान सम्बन्धी सुविधायें कम हैं और सामान का यातायात बहुत ही अधिक है ।

(ख) ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

(ग) १ अक्तूबर, १९५५ से जो समय सारिणी लागू की गई है, उस के पश्चात् संख्या ३९० अप इलाहाबाद-इटारसी यात्री-गाड़ी के चलने के समय सम्बन्धी स्थिति में कुछ सुधार हुआ है । इस गाड़ी के समयानुसार चलने के लिये उग्र कार्यवाहियां की जा रही हैं ।

गुरमखेदी रेलवे स्टेशन

४४३. **श्री कामत** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुरमखेदी रेलवे स्टेशन (मध्य रेलवे) के स्थान के सम्बन्ध में सोहागपुर तहसील की जनता की ओर से मध्य रेलवे के मुख्य यातायात प्रबन्धक (सी० टी० एम०) को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां । दिसम्बर, १९५४ में एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था जिस में यह प्रार्थना की गई थी कि या तो स्टेशन की इमारत दूसरी ओर बनाई जाये ताकि स्टेशन के निकटवर्ती महत्वपूर्ण गांवों की वह भली प्रकार सेवा कर सके या लोगों के आने जाने के लिये मार्ग के ऊपर एक पुल की व्यवस्था की जाये ।

(ख) दूसरे स्टेशनों पर सुविधायें प्रदान करने के साथ साथ ही इस की बारी आने पर इस पर भी विचार किया जायेगा ।

कांगडा जिले में डाकघर

४४४. **श्री हेमराज** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कांगड़ा ज़िले में १९५४ में जहां जहां डाकघर, तारघर और सार्वजनिक टेलीफोन विभाग खोले गये और १९५५ और १९५६ में जहां पर खोलने का प्रस्ताव है, उन स्थानों के नाम क्या हैं ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ५ अनुबन्ध संख्या ११]**

टेलीफोन विकास निधि

४४५. **सरदार हुक्म सिंह :**
श्री बहादुर सिंह :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ मई, १९५५ और १ नवम्बर, १९५५ को टेलीफोन विकास निधि में शेष संचित निधि क्या थी ; और

(ख) १९५५ में इस निधि में से कितनी रकम निकाली गई और कितनी रकम इस निधि के लिये प्राप्त हुई ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) केवल वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर ही निधि का सन्तुलन पत्र तैयार होता है । ३१-३-५५ को शेष निधि २३५ लाख रुपये थी ।

(ख) चालू वर्ष, अर्थात् १९५५-५६ के आय-व्ययक में १-४-५५ से ३१-३-५६ की अवधि के लिये निम्नलिखित रक़मों की व्यवस्था की गई है :—

निकाली जाने वाली राशि	६५ लाख रुपये ।
अंशदान	४० लाख रुपये ।

डाक तथा तार नवीकरण रक्षित निधि

४४६. **सरदार हुक्म सिंह :**
श्री बहादुर सिंह :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभाग की आस्तियों का औसत जीवन निर्धारित करने और नवीकरण रक्षित निधि में अंशदान के लिये एक वैज्ञानिक आधार उद्विकसित करने के लिये दिसम्बर १९५१ में जो समिति नियुक्त की गई थी क्या सरकार ने उस के प्रतिवेदन पर विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो १९५४-५५ में इस निधि में कितना अंशदान हुआ और कितनी रकम निकाली गई ?

संचार उपमन्त्री (श्री राज बहादुर) : (क) यह मामला अभी सरकार के विचाराधीन है ।

(ख) अंशदान . १२५ लाख रुपये
निकाली गई राशि .. १०४ लाख रुपये ।

भारतीय चिकित्सा शिक्षा सम्मेलन

४४७. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल में नई दिल्ली में जो भारतीय चिकित्सा शिक्षा सम्मेलन हुआ था उसमें किन महत्वपूर्ण विषयों पर विचार किया गया ; और

(ख) सम्मेलन ` महत्वपूर्ण सिफारिशें क्या की हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर): (क) निम्न विषयों पर विचार किया गया था :—

१. पूर्व-चिकित्सा अध्ययन तथा प्रवेश अपेक्षायें ।

२. विद्यार्थियों का चुनाव ।

३. अध्ययन के विषय तथा पाठ्यक्रम के घंटे ।

४. वे विषय जिन पर विशेष जोर की आवश्यकता है, जैसे कि निरोधक और सामाजिक औषधि, चिकित्सा सांख्यकी; ग्राम अनुभव; बाल रोग विज्ञान; मनश्चिकित्सा; पुस्तकालय तथा संग्रहालय; शव परीक्षा ।

५. अध्यापन रीति; (उपदेशात्मक, व्यवहारिक सर्वतोमुखी अध्यापन तथा हस्पताल में रह कर शिक्षा प्राप्त करना) ।

६. परीक्षाएं अथवा परिगणन ।

७. अध्यापकों का चुनाव; नियुक्ति की शर्तें; पूरे समय काम करने वाले आचार्य ।

८. इच्छित अवधि ।

९. पाठ्यक्रम की अवधि ।

(ख) सभा-पटल पर सम्मेलन की सिफारिशें रखी जाती हैं **[देखिये परिशिष्ट ५ अनुबन्ध संख्या १२]**

काफी

४४८. श्री वी० पी० नायर : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि काफ़ी की तुलना में वन्यकाशिनी की खाद्य उपयोगिता अथवा कम उद्दीपना क्या है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) काफ़ी और वन्यकाशिनी दोनों में उत्पत तेल हैं जिनका आमाशय पर हल्कापन का प्रभाव होता है, परन्तु काफ़ी में इसके अतिरिक्त एक का पेयी क्षाराम भी होता है जिसका केन्द्रीय चेता-संहति पर उद्दीपक प्रभाव होता है । किसी का भी अत्यधिक मात्रा में सेवन करना हानिकारक है ।

मध्य भारत में डाक-घर

४४९. श्री अमर सिंह डामर : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य भारत में कितने डाक-घर विभागीय भवनों में हैं; और

(ख) डाकघरों के लिये किराये पर लिये गये भवनों के लिये प्रतिवर्ष कितना किराया दिया जाता है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर): (क) मध्य भारत में २१ डाक-घर विभागीय भवनों में स्थित हैं; और

(ख) डाक-घरों के लिए किराये पर लिये गये भवनों पर ३६,९४८ रुपये वार्षिक किराया दिया जाता है ।

कम्बोडिया के लिये चावल का निर्यात

४५०. श्री अमर सिंह डामर : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत ने कम्बोडिया को कितना चावल देने का वचन दिया है और अब तक कितना चावल दिया है ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी०. जैन) : ५,००० टन । इस मात्रा का सारा चावल भेज दिया गया है ।

रेल दुर्घटनाएं

४५१. श्री अमर सिंह डामर : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५३, १९५४ और १९५५ में (मार्च के अन्त तक) चलती रेल-गाड़ियों से गिरने के फलस्वरूप कितने व्यक्तियों की

मृत्यु हुई तथा कितने व्यक्तियों को गहरी चोटें आईं ; और

(ख) उपरोक्त कालावधि में रेल-गाड़ियों के पायदानों तथा छतों पर यात्रा करने के अपराध में कितने व्यक्तियों पर मुकदमे चलाये गये ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अल-गेशन) : (क) और (ख) .

	१९५३	१९५४	१९५५ (मार्च तक)
मारे गये *	२१०	१९९	४६
सख्त घायल हुए	९७४	९६३	२४०
उन लोगों की संख्या जिन पर मुकदमें चलाये गये	९,२२६	५,३०२	६८६

रेलवे कर्मचारियों के क्वार्टर

४५२. श्री अमर सिंह डामर : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५१, १९५२, १९५३, १९५४ और १९५५ में अब तक रेल कर्मचारियों के लिये कितने क्वार्टर बनाये गये हैं ; और

(ख) वे क्वार्टर कितने कर्मचारियों को दिये गये हैं तथा उन को किस आधार पर दिया गया है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अल-गशन) : (क)

१९५०–५१	९,०१८
१९५१–५२	७,३६१
१९५२–५३	७,३७३
१९५३–५४	७,३५२
१९५४–५५	९,७०८

(ख) सभी क्वार्टर दिये जा चुके हैं। क्वार्टर देने में ऐसे कर्मचारियों का विशेष ध्यान रखा जाता है जिन्हें ड्यूटी पर किसी समय बुलाया जा सकता है और जिनका अपने काम के स्थान के पास रहना जरूरी है ।

टेलीफोन

४५३. श्री अमर सिंह डामर : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५४ में कितने भाग 'ग' राज्यों में टेलीफोन व्यवस्था की गई और उन में से कितने स्वचलित टेलीफोन थे।

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : १९५४–५५ में "ग" भाग के सब-के-सब राज्यों में अतिरिक्त टेलीफ़ोन लाइनें लगाई गयी थीं। लगाये गये अतिरिक्त टेलीफ़ोनों की कुल संख्या १,६७१ थी; इनमें से ६७९ स्वचल टेलीफ़ोन थे।

रेलवे संघ

४५४. चौधरी मुहम्मद शफ़ी : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४ तथा १९५५ में अभिज्ञात संघों द्वारा कितने अभ्यावदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) उन में से कितने मामले अभी तक विलम्बित पड़े हैं और कितनों का निपटारा किया जा चुका है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अल-गशन): (क) और (ख). रेलों से जानकारी एकत्रित की जा रही है, और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

अंशदायी चिकित्सा सेवा योजना

४५५. श्री डी० सी० शर्मा : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अभी तक केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों से अंशदायी चिकित्सा सेवा

*इनमें १–१–१९५३ से ३०–६–५३ तक के पश्चिम रेलवे के आंकड़े शामिल नहीं हैं क्योंकि वे नहीं मिल सके हैं।

योजना के अधीन कितनी राशि प्राप्त की जा चुकी है ;

(ख) योजना के प्रारम्भ होने के समय से लेकर सरकार ने इसके कर्मचारियों तथा सामान पर कुल कितना खर्च किया है; और

(ग) क्या अंश दान देने वाले सभी व्यक्ति इस योजना का उपयोग उठा रहे हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत-कौर) : (क) सितम्बर, १९५५ के अन्त तक १४,३६,४७८ रुपये ।

(ख) सितम्बर, १९५५ के अन्त तक २८,७७,३७९ रुपये ६ आने ८ पाई।

(ग) जी हां ।

बाढ़-पीड़ित क्षेत्रों को चिकित्सा सम्बन्धी सहायता

४५६. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अगस्त-सितम्बर १९५५ में आसाम, बिहार, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश के बाढ़-पीड़ित क्षेत्रों में विभिन्न संघों द्वारा किस प्रकार की चिकित्सा सम्बन्धी सहायता दी गई थी ; और

(ख) क्या बाढ़-पीड़ित व्यक्तियों को चिकित्सा सम्बन्धी सहायता देने के अतिरिक्त उनमें कपड़े भी बांटे गये थे ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर): (क) और (ख) बाढ़-पीड़ित व्यक्तियों के अनुतोष के लिये अक्तूबर १९५५ के अन्त तक विभिन्न संस्थाओं द्वारा विभिन्न राज्यों को पहुंचाये गये चिकित्सा-सामान तथा कपड़ों आदि का एक विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या १३]**

रेल के डिब्बे

४५७. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य रेलवे में १९५५ तक तृतीय श्रेणी के कुल कितने डिब्बों में पंखे लगाये गये हैं ; और

(ख) आगामी वर्ष अर्थात् १९५६ के लिये क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अल-गेशन) : (क) ३१-१०-१९५५ तक ९२०।

(ख) ५५।

पर्यटक केन्द्र

४५८. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिये सारे देश में अस्सी केन्द्रों को विकसित करने के सम्बन्ध में निर्णय कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उन पर लगभग कितना खर्च आयेगा ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अल-गेशन) : (क) कई एक पर्यटक स्थानों तथा क्षेत्रों के विकास की कई एक योजनायें अभी तक योजना-आयोग के विचाराधीन हैं । इस अवस्था पर यह बता देना संभव नहीं है कि स प्रकार के कितने केन्द्र होंगे ।

(ख) इस के सम्बन्ध में इसी समय बता देना सम्भव नहीं है ।

रेलवे के रियायती टिकट

४५९. **श्री के० पी० सिन्हा**: क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दशहरे के दिनों में, अर्थात् १४ अक्तूबर से २७ अक्तूबर, १९५५ तक कुल कितने रियायती टिकट जारी किये गये थे; और

(ख) उन से कुल कितनी आय हुई थी ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) लगभग ६०,००० वापिसी टिकट ।

(ख) लगभग १०.५ लाख रुपये ।

परिवहन सुविधायें

४६०. श्री विभूति मिश्र : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करें कि:

(क) क्या ३० सितम्बर, १९५५ से पूर्वोत्तर रेलवे पर परिवहन की स्थिति को सुधारने के लिये अभी तक कोई कार्यवाही की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां । सभी रेलों, जिसमें पूर्वोत्तर रेलवे भी सम्मिलित है, की परिवहन स्थिति को सुधारने के लिये कार्यवाही करना प्रारम्भ कर दिया गया है ।

(ख) पूछी गयी जानकारी देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या १४]**

पशु-चिकित्सालय

४६१. श्री डी० सी० शर्मा : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करें कि:

(क) १९५४–५५ में सारे देश में कितने पशु-चिकित्सालय खोले गये थे ; और

(ख) १९५५–५६ और १९५६–५७ में ऐसे कितने चिकित्सालय खोलने का विचार है और वे किन राज्यों में खोले जायें ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) *१३८ चिकित्सालय और १२२ औषधालय ।

(ख) *सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है ।

[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या १५]

दिल्ली मार्ग परिवहन प्राधिकार

४६२. श्री डी० सी० शर्मा : क्या **परिवहन** मंत्री २५ नवम्बर, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २०३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली मार्ग परिवहन प्राधिकार द्वारा इस समय चलाई जाने वाली बसों की संख्या में चालू वर्ष में कितनी वृद्धि हुई है ; और

(ख) उन के क्रय पर कुल कितनी धनराशि व्यय की गई ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) १३४

(ख) ६०,३०,००० रुपये ।

रेलवे लाइनें

४६३. श्री इब्राहीम : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १५ अगस्त, १९४७ और १५ अगस्त, १९५५ को भारत में दुहरी रेलवे लाइनों की लम्बाई कितनी थी ;

(ख) भारत में, राज्यवार, अगले पांच वर्षों में कुल कितने मील लम्बी लाइनों को दुहरा किया जायेगा ; और

(ग) क्या रेलवे बोर्ड ने पूर्वोत्तर रेलवे पर कलिहर और बरसोई के बीच रेलवे लाइन को दुहरी करने के लिये प्रारम्भिक इंजीनियरी सर्वेक्षण की मंजूरी दे दी है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) १५.८.४७ ... लगभग २८८५ मील । १५.८.५५ लगभग .... ३०८१ मील ।

*८ राज्य सरकारों से अभी जानकारी प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान में लाइनों के दुहरे किये जाने की प्रस्थापनाओं को अभी जांच की जा रही है और उन के सम्बन्ध में अन्तिम निश्चय नहीं हुआ है ।

(ग) जी हां ।

दुधारु ढोर

४६४. **श्री इब्राहीम** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय भारत में दुधारु ढोरों की अनुमानित संख्या क्या है ;

(ख) गत ३ वर्षों में कितने दुधारू ढोरों का वध किया गया और इनमें गायों और भैंसों कीं संख्याएं कितनी थीं; और

(ग) देश में वाहक ढोरों, विशेषत: बैलों, की अनुमानित संख्या क्या है और कृषकों की आवश्यकता पूरी करने के लिये कितने वाहक ढोर चाहियें ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) १९५१ में की गई पशुओं की गणना के अनुसार ६ करोड़ ७० लाख ।

(ख) जानकारी प्राप्त नहीं है ।

(ग) १९५१ में की गई पशुओं की गणना के अनुसार वाहक ढोरों की अनुमानित संख्या ६ करोड़ ७० लाख थी जिनमें से ५ करोड़ ८० लाख बैल थे । कृषकों की आवश्यकताएं पूरी करने के लिये कितने वाहक ढोर चाहियें, इस सम्बन्ध में कोई अनुमान नहीं है ।

हैलिकौप्टर

४६५. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में कितने हैलिकौप्टर खरीदे गये ; और

(ख) उन पर कितना व्यय हुआ ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख). किसी असैनिक विमान संचालक द्वारा कोई हैलिकौप्टर नहीं खरीदा गया ।

यमाबद (कैंसर)

४६६. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि इस समय भारत में यमार्बुद (कैंसर) के कितने रोगी हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर): भारत में यमार्बुद (कैंसर) के रोगियों की संख्या के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्य नहीं है ।

पंजाब में जल व्यवस्था और स्वच्छता सम्बन्धी योजनायें

४६७. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि १९५५-५६ में राष्ट्रीय जल-व्यवस्था और स्वास्थ्य सम्बन्धी योजना के अधीन ग्रामों और नगरों में अपनी स्वास्थ्य और जल व्यवस्था सम्बन्धी योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये पंजाब सरकार ने कितना रुपया मांगा है ।

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर): १९५५–५६ में पंजाब सरकार ने नगरीय जल व्यवस्था और जल निस्सारण सम्बन्धी योजनाओं के लिए ५६·२५ लाख रुपये उधार के रूप में और ग्रामीण योजनाओं के लिए १५.७५ लाख रुपए सहायक अनुदान के रूप म मांगे थे ।

रेलवे दुर्घटना

४६८. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ४ अक्तूबर, १९५५ को उत्तर रेलवे पर रामपुराफूल के निकट एक रेलगाड़ी पटड़ी से उतर गई ;

(ख) यदि हां, तो यह दुर्घटना कैसी थी और इस के क्या कारण थे ;

(ग) कितने व्यक्ति मरे या घायल हुए ;

(घ) जो व्यक्ति मर गए और जिन के चोटें आईं उन को प्रतिकर देने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है ;

(ङ) क्या कोई जांच हुई थी; और

(च) यदि हां, तो उसका क्या निष्कर्ष निकला ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) और (ख). ५-१०-५५ को रात के १२.२० के लगभग (प्रश्न में दी गई तिथि ४-१०-५५ को नहीं) जब ३४८ डाउन मुसाफिर गाड़ी उत्तर रेलवे के राजपुरा बठिंडा भाग पर रामपुराफूल स्टेशन को वापिस ले जाई जा रही थी क्योंकि आगे की लाइन टूटी हुई थी, तो ८३।१२।१३ मील पर पुल संख्या २३७ के अकस्मात् टूटने से गाड़ी के दो सब से पिछले डिब्बे पटड़ी से उतर गए और पुल के गिरने से किनारे में जो दरार हो गयी थी उस में जा गिरे ।

(ग) इस दुर्घटना के कारण ४ व्यक्ति मर गए, एक को गहरी चोटें आईं और तीन व्यक्तियों को साधारण चोटें आईं ।

(घ) जिला तथा सत्र न्यायाधीश पटियाला को इस दुर्घटना के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले प्रतिकर के सब दावाओं की जांच और उनका निर्णय करने के लिये पदेन दावा आयुक्त नियुक्त किया गया है ।

(ङ) और (च). सरकारी रेलवे निरीक्षक, लखनऊ ने इस दुर्घटना की जांच की और उसकी अन्तर्कालीन उत्पत्ति यह है कि उस क्षेत्र में हुई अपूर्व वर्षा के उपरान्त आने वाली बाढ़ के पानी से पुल संख्या २३७ के बैठ जाने के कारण रेल गाड़ी पटड़ी से उतर गई थी ।

रेलवे के किराये

४६९. **ठाकुर युगल किशोर सिंह :**
बाबू रामनारायण सिंह :
श्री अस्थाना :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर रेलवे के मुज़फ़्फ़रपुर क्षेत्र में मौसमी टिकटों के लिये रेलवे किराया एक ओर के २४ किरायों के लिये ५ पाई प्रति मील से अधिक क्यों है;

(ख) मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन १२ बजे और २ बजे के बीच मौसमी टिकट क्यों नहीं देता;

(ग) मोतीपुर रेलवे स्टेशन पर जुलाई, १९५३ से सितम्बर १९५३ तक मौसमी टिकट क्यों नहीं दिये गये ?

(घ) मुजफ्फरपुर क्षेत्र में त्रैमासिक मौसमी टिकटें क्यों नहीं दिये जाते ?

रेलवे और परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : पूर्वोत्तर रेलवे के मुजफ्फरपुर क्षेत्र में तीसरी श्रेणी के मौसमी टिकटों का किराया एक तरफ के २४ किरायों के बराबर है । एक तरफ का किराया ५ पाई प्रति मील के हिसाब से है। एक विशेष मामले में कर्मचारियों ने गलती से सही किराये से अधिक किराया ले लिया और उन्हें सही परिस्थिति भी बता दी गई है ।

(ख) १२ बजे और २ बजे के बीच मुजफ्फरपुर स्टेशन पर मौसमी टिकटें देने के लिये कोई रुकावट नहीं है ।

(ग) मोतीपुर स्टेशन पर जुलाई, १९५३ से सितम्बर, १९५३ तक मौसमी टिकट दिये गये थे ।

(घ) त्रैमासिक मौसमी टिकट उन भागों पर दिये जाते हैं जहां कि वे पहले उस समय दिये जाते थे जब प्रत्येक रेलवे के अपने

अपने नियम थे। पूर्वोत्तर रेलवे के भूतपूर्व ओ० टी० भाग पर पहले त्रैमासिक मौसमी टिकट नहीं दिये जाते थे। अतः अब भी नहीं दिये जाते हैं।

यात्रियों के लिये सुख सुविधाएं

४७०. **ठाकुर युगल किशोर सिंह :**
बाबू रामनारायण सिंह :
श्री अस्थाना :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५५-५६ और १९५६-५७ में पूर्वोत्तर रेलवे पर दरभंगा और बैरागनिया के बीच विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को क्या सुख सुविधायें दी जायेंगी ?

रेलवे और परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : एक विवरण, जिस में उन कामों का उल्लेख है जिन को १९५५-५६ में आरम्भ करने का विचार है या उन कामों का जिन को १९५६-५६ में करने की योजना है, सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या १६]** जब लोक सुख सुविधा समिति इस विषय पर विचार करेगी तो यदि उस ने निर्णय किया तो इन आयोजित कामों में परिवर्तन किया जा सकता है।

फ्लैग स्टेशनों का खोलना

४७१. **ठाकुर युगल किशोर सिंह :**
बाबू रामनारायण सिंह :
श्री अस्थाना :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या पूर्वोत्तर रेलवे पर सीतामढ़ी से और बाजपथी के बीच और रोधा और धांग के बीच फ्लैग स्टेशन खोलने का कोई प्रस्ताव है ?

रेलवे और परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : हाल ही में तो ऐसी कोई प्रस्थापना नहीं आई है। पहले जो सुझाव आये थे उन की जांच की गई थी परन्तु वे ठोस नहीं समझे गये।

रेलवे स्टेशनों पर फेरी लगाने वाले

४७२. **ठाकुर युगल किशोर सिंह :**
बाबू रामनारायण सिंह :
श्री अस्थाना :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि फेरी लगाने वालों को, ठेकेदारों की अधिकारियों से, आगे ठेके पर देने की शिकायत करने के फलस्वरूप ठेकेदारों द्वारा परेशान किये जाने से बचाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे और परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : कोई विशेष संरक्षण तो नहीं किये गये हैं।

परेशान किये जाने की सब शिकायतों की जांच की जाती है और प्रत्येक मामले में उचित कार्यवाही की जाती है।

गन्ना

४७३. **ठाकुर युगल किशोर सिंह :**
बाबू रामनारायण सिंह :
श्री अस्थाना :

क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन राज्यों के क्या नाम हैं जिन में कि गन्ने के कारखानों के स्वामी सहकारी समितियों को अपनी ओर से थोक क्रय करने वाले अभिकर्त्ता बना रहे हैं ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : कारखानों को गन्ना देने के लिये गन्ना उत्पादकों की सहकारी समितियां केवल उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब और पैप्सू में हैं। इन राज्यों में कारखाने उन उत्पादकों का गन्ना, जो कि सहायी समितियों के सदस्य हैं, केवल ऐसी समितियों के द्वारा खरीदते हैं। उत्तर प्रदेश और पंजाब में ९० प्रतिशत से अधिक गन्ना जो कि ये कारखाने पेलते हैं सहकारी समितियों द्वारा खरीदा जाता है। बिहार और पैप्सू में पेले जाने वाली मात्रा में से लगभग आधी ऐसे खरीदी जाती है।

डकोटा विमान

४७४. **श्री कामत** : क्या संचार मंत्री २७ सितम्बर, १९५५ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या ११६५ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डकोटा विमानों पर की गई परीक्षाओं के परिणामों का अध्ययन हो चुका है; और

(ख) यदि हां, उस सम्बन्ध में क्या पता चला है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख). असैनिक विमान-चालन के महासंचालक से डकोटा विमानों पर की गई परीक्षाओं के संबंध में प्रतिवेदन आ चुका है और अब उस का निरीक्षण किया जा रहा है। असैनिक विमान-चालन के महासंचालक इस परिणाम पर पहुंचे हैं कि भारत में विमानों द्वारा जितना बोझ उठाये जाने की अनुमति है, वह सुरक्षा की दृष्टि से ठीक है और विमान संतोषजनक, ढंग से चल रहे हैं ।

कृषि मजदूर

४७५. **श्री मोहन राव** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने कृषि मजदूर जांच समिति के प्रतिवेदन पर क्या कार्यवाही की है ?

श्रम मंत्री (श्री खंडुभाई देसाई) : कृषि मजदूर जांच सम्बन्धी प्रतिवेदन सब राज्य सरकारों को भेज दिये गये ह । भारतीय श्रम सम्मेलन ने, जो बम्बई म मई, १९५५ में हुआ और श्रम मंत्रियों के सम्मेलन ने जो नवम्बर, १९५५ में हैदराबाद म हुआ, कृषि मजदूरों की उन समस्यायों पर चर्चा की जिन का पता जांच के फलस्वरूप चला है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना बनाने के संबंध में समस्याओं की ओर ध्यान दिया जाता है ।

हरकार

४७६. **श्रीमती कमलेन्दुमति शाह** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या यह सच है कि पहाड़ी क्षेत्रों में डाक पहुंचाने के लिये और हरकारों की आवश्यकता है; और

(ख) यदि हां, तो क्या उन की संख्या बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, हां ।

(ख) किसी विशेष लाइन पर हमेशा डाक ले जाने के लिये हरकारों की संख्या डाक के बोझ के और दूरी के अनुसार मंजूर होती है और इस लिये हरकारों की संख्या में वृद्धि करने का प्रश्न वास्तव में उठता ही नहीं ।

रेल के डिब्बे

४७७. **श्री बी० डी० शास्त्री** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय कितने प्रतिशत तीसरे दर्जे के रेल के डिब्बों में पंखे लगे हुए हैं; और

(ख) सब डिब्बों में कब तक पंखे लग जायेंगे ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री ओ० वी० अलगेशन) : (क) तीसरे दर्जे के कुल चालू ५३.३ प्रतिशत डिब्बों में (२) रेलवे बोर्ड की नीति के अनुसार जितने डिब्बों में पंखे लगाने है, उन में से ८५.४ प्रतिशत डिब्बों में पंखे लगाये जा चुके हैं ।

(ख) निर्धारित नीति के अनुसार जितने डिब्बों में पंखे लगाने हैं उन में ३१.३.१९५८ तक पंखे लग जायेंगे ।

चकुलिया हवाई अड्डा

४७८. **श्री सुबोद हासदा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या बिहार

राज्य में चकुलिया हवाई अड्डे के कर्मचारियों के लिये जल व्यवस्था, चिकित्सा, आवास, स्वच्छता का और उन के बच्चों की शिक्षा का पर्याप्त प्रबन्ध किया गया है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : मैं अपेक्षित सूचना देने वाला विवरण सभा पटल पर रखता हूं । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या १७]**

विलम्ब शुल्क

४७९. श्री के० सो० सोधिया : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य रेलवे में १९५४–५५ में कितना विलम्ब शुल्क लिया गया था;

(ख) उस में से कितनी रकम वसूल की गई; और

(ग) कितनी रकम माफ कर दी गई और किस कारण ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री ओ० वी० अलगेशन) : (क) जितनी रकम ली जानी थी . . . . ८,५६,४८२ रुपये

(ख) जो रकम वसूल की गयी ८,३६,४८९ रु० ।

(ग) जो रकम छोड़ दी गई १९,९९३ रु० ।

विलम्ब शुल्क की छूट केवल उन खास हालतों में दी जाती है जिन पर माल भेजने/पाने वाले का कोई वश न हो, जैसे—

(i) मियाद के अन्दर मांगे गये क्रेनों के मिलने में देर;

(ii) नीचे लिखे या इसी तरह के दूसरे कारणों से खास खास मामलों में माल-डिब्बों की लदाई न होना या डिब्बों का समय पर न मिलना :–

(अ) बाढ़ और रेल की पटरी में टूट फूट ;

(ब) गैर-कानूनी हड़ताल ;

(स) पुलिस की हिदायत से डिब्बों का रोका जाना; और

(द) डाक घरों/बैंकों से रेलवे रसीदों का देर से मिलना ।

उड़ीसा में तार की लाइनें

४८०. श्री संगण्णा : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा राज्य में सब तार की लाइनों को डाक और तार विभाग के उड़ीसा मंडल (सर्कल) के प्रशासी नियंत्रण के अधीन लाया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

संचार उपमंत्री : (श्री राज बहादुर) : (क) जी नहीं ।

(ख) लाइनों, रीपीटर स्टेशनों, एक्सचेंजों और संयुक्त कार्यालयों का नियंत्रण और इंजीनियरी देखभाल निम्नलिखित सिद्धान्तों के अनुसार की जाती है :—

(१) मुख्य ट्रक लाईन : अच्छी देख भाल के लिये एक पूर्ण रिपीटर विभाग का नियंत्रण एक ही प्रशासकीय कार्यालय के हाथ में है ।

(२) निरीक्षण और देखभाल की सुविधा के लिये एक्सचेंज और रिपीटर स्टेशन का नियंत्रण निकटवर्ती कार्यालय को सौंपा जाता है ।

(३) उन उप-लाइनों (साईड लाइन्स) जो संयुक्त कार्यालयों की लाइनों के रूप में होती हैं, को एक ईकाई मान लिया जाता है और उन के इंजीनियरी देखभाल का नियंत्रण उस क्षेत्र के मुख्य परीक्षण केन्द्र को सौंपा जाता है ।

चावल और धान का श्रेणीबद्ध करना

४८१. { डा० राम सुभग सिंह :
श्री संगण्णा :

क्या खाद्य और कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चावल और धान को वाणिज्यिक आधार पर श्रेणीबद्ध के लिये कोई योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो उस योजना को कब प्रारम्भ किया जायेगा ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) उत्तर प्रदेश, बम्बई और मद्रास राज्यों में चावल की किस्मों को पहले ही स्वेच्छापूर्वक श्रेणीबद्ध किया जा रहा है । जब इस प्रकार श्रेणीबद्ध किये जाने के लिये पर्याप्त मांग होगी, तो इस कार्यवाही को चावल की दूसरी किस्मों तक और दूसरे सब प्रसिद्ध चावल पैदा करने वाले क्षेत्रों तक बढ़ा देने का विचार है । कोई योजना तैयार नहीं की गई है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

गन्ना

४८२. { ठाकुर युगल किशोर सिंह :
बाबू रामनारायण सिंह :
श्री अस्थाना :

क्या खाद्य और कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सारे गन्ना पेरने के मौसम में सब कारखानों को पूरे तौर से चलाने के लिये गन्नें की कुल कितनी आवश्यकता है ;

(ख) १९५५–५६ के मौसम में कितना गन्ना मिलने की आशा है;

(ग) चीनी का अनुमानित उत्पादन कितना है;

(घ) सारे गन्ने को खरीदने के लिये क्या कार्यवाही की जा चुकी है ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) (क) चीनी के १४९ पंजीबद्ध कारखाने हैं जो कि प्रति दिन १.३७ लाख टन गन्ना पेरते हैं । गन्ना पेरने के १२० दिन के सामान्य मौसम के लिये कुल १६४ लाख टन गन्ने की आवश्यकता है ।

(ख) और (ग) १९५५–५६ का पेरने का मौसम अभी आरम्भ हुआ है और गन्नें या चीनी की मात्रा का सही अनुमान अभी नहीं लगाया जा सकता । १९५४–५५ के मौसम में १३६ कारखानों ने १२९ दिन के औसत पेरने के मौसम में कुल १६० लाख टन गन्ना पेरा था । यद्यपि कुछ भागों में बाढ़ों और जोर की वर्षा के कारण फसल को हानि हुई है, तो भी गन्नें के क्षेत्र में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए १९५५–५६ में गन्नें और चीनी की मात्रा कम नहीं होगी ।

(घ) और कोई कार्यवाही करने का प्रश्न तो केवल तभी उठेगा जब चालू मौसम के अन्त में यह पता लगेगा कि अभी गन्ना अतिरिक्त मात्रा में उपलब्ध है ।

डिवीजन मुख्यालय

४८३. { ठाकुर युगल किशोर सिंह :
बाबू राम नारायण सिंह :
श्री अस्थाना :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डिवीजनों के कौन-कौन से मुख्यालय अपने मंडल की सीमा के बाहर स्थित है :

(ख) क्या ऐसे मुख्यालयों को उन के मंडलों में हटा कर ले जाने के लिये कोई प्रार्थना प्राप्त हुई है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या किया ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) इस प्रश्न का संबंध रेलवे डाक सेवा 'ग' डिवीजन के मुख्यालयों जो बिहार डाक

मंडल से सम्बन्धित हैं और रेलवे डाक सेवा 'न' डिवीजन के मुख्यालय जो उड़ीसा मंडल से सम्बन्धित हैं, और इस समय कलकत्ता में स्थित है, से है ।

पंजाब मंडल के (छ) डिवीजन के रेलवे डाक सेवा के मुख्यालय भी दिल्ली में हैं ।

(ख) जी हां, जहां तक 'ग' और 'न' डिवीजनों का संबंध है ।

(ग) मामला विचाराधीन है ।

कोयला खान कल्याण निधि

४८४. श्रीमती सुषमा सेंन : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय कोयला खान कल्याण निधि में कितनी राशि है;

(ख) कोयला खान निधि संगठन में काम करने वाले योग्यता प्राप्त कार्यकर्ताओं—पुरुष और महिला डाक्टरों तथा परिचारिकाओं की संख्या क्या है;

(ग) खानों में अभी तक कितने शिशु गृह खोले जा चुके हैं; और

(घ) इस निधि में से कितने खेल के मैदान बनवाये गये हैं ?

श्रम मंत्री (श्री खण्डुभाई देसाई) : (क) ३०—९—१९५५ को ४,८६,३६,९७९ रुपये ।

(ख) ३६४ ।

(ग) २३०, इस के अलावा ६५ और बनाये जा रहे हैं ।

(घ) ३९, इस के अलावा ६ और बनाये जा रहे हैं ।

रेल कार

४८५. सरदार इकबाल सिंह : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितनी रेल कारों का आयात किया गया और उन में प्रत्येक की लागत क्या है;

(ख) इन्हें किस देश से आयात किया गया; और

(ग) यह कारें किन स्थानों पर चालू की गयी हैं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) और (ख) १२ कारें जापान से आई । इन के भारत के रेलवे स्टेशन तक पहुंचाने का खर्च मिला कर प्रति कार की लागत ३,१२,००० रुपये थी । १२ कारें इटली से आईं । भारत के रेलवे स्टेशन तक पहुचने का खर्च मिला कर प्रति कार की लागत ३,९२,००० रुपये थी ।

(ग) इन्हे उत्तर रेलवे और दक्षिण रेलवे पर चालू किया जायेगा ।

रेलवे दुर्घटनायें

४८६. सरदार इकबाल सिंह : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष में रेलवे पुलों की अंशतः या पूर्णतः खराबियों के कारण होने वाली दुर्घटनाओं की संख्या क्या है ; और

(ख) यह दुर्घटनायें कितनी गंभीर थीं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) और (ख) १-१-१९५५ से ३०-११-१९५५ तक रेलवे पुलों की खराबी के कारण कोई दुर्घटना नहीं हुई । हां, उत्तर रेलवे के एक पुल पर जो अचानक बाढ़ में बह गया था, एक दुर्घटना हुई थी । इस दुर्घटना के परिणामस्वरूप ४ व्यक्ति मरे और ४ व्यक्तियों के चोटें आईं ।

इस से रेलवे सम्पत्ति को लगभग २९,४५० रुपये की हानि हुई ।

पंजाब में सिंचाई की छोटी योजनायें

४८७. सरदार इकबाल सिंह : क्या खाद्य और कृषि मंत्री पंजाब में सिंचाई की उन छोटी योजनाओं की एक सूची सभा-पटल

पर रखने की कृपा करेंगे जिनके लिये १९५५-५६ के लिये केन्द्रीय सरकार ने कोई राशि स्वीकृत की है ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : मांगी गई जानकारी का एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या १८]**

जाली रेलवे टिकट

४८८. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५३ के बाद अब तक रेलवे में जाली टिकटों के कितने मामले पकड़े गये;

(ख) कितने मामलों में अपराधियों को दण्ड दिया गया; और

(ग) सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क), (ख) और (ग) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

स्वचालित टेलीफोन लाइनें (राजस्थान)

४८९. **श्री बंसीलाल** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में कितने स्थानों पर स्वचालित टेलीफोन लाइनें हैं,

(ख) क्या जयपुर नगर में स्वचालित टेलीफोन लाइन लगाने के लिये सरकार कोई कार्यवाही कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो वह कब लगाई जायेगी ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) २

(ख) जी हां ।

(ग) १९५८ के शुरू में ।

दैनिक संक्षेपिका

(मंगलवार, १३ दिसम्बर, १९५५)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर ४९४१–८८

ता० प्र० संख्या	विषय	स्तम्भ
७५२	डाकघर बचत बैंक सम्बन्धी लेखे (पाकिस्तान)	४९४१–४६
७५३	समुद्र तार संचार .	४९४६–४८
७५४	बनिहाल सुरंग परियोजना	४९४८–४९
७५५	रेलवे दुर्घटना	४९४९–५१
७५६	रेलवे भ्रष्टाचार जांच समिति	४९५१–५३
७५७	अलगेशन समिति	४९५३–५५
७५८	ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कम्पनी	४९५५–५६
७५९	लद्दाख में वायरलैस स्टेशन	४९५६–५७
७६०	इंजनों के ठेके	४९५७–५८
७६१	अन्तर्राष्ट्रीय रेड क्रास सोसाइटी	४९५८–६०
७६३	नौवहन	४९६०–६२
७६४	नौवहन	४९६२–६३
७६५	गोवध	४९६३–६४
७६६	डाक बचत बैंक लेखा (रुपयों का गबन)	४९६४
७६७	रेलवे वर्कशाप गोरखपुर	४९६४–६५
७६८	वनरोपण	४९६६–६७
७६९	मनीपुर . .	४९६७–६८
७७०	फसल की रक्षा .	४९६८–६९
७७१	रेलवे में सिंधी विस्थापित कर्मचारी .	४९६९–७०
७७२	माल डिब्बों की कमी .	४९७०–७२
७७३	तार घर .	४९७३
७७५	शालीमार में रेलवे बुकिंग	४९७३–७५
७७९	तिलहन का उत्पादन	४९७६–७७
७८०	कलकत्ता पत्तन	४९७७–७९
७८४	त्रिपुरा में मलेरिया विरोधी दल	४९७९
७८५	करनूल में हवाई अड्डा	४९७९–८१
७८६	रेल दुर्घटना	४९८१–८२
७८८	बंगाल प्रांतीय रेलवे कम्पनी सम्बन्धी विवाद	४९८२–८४
७८९	टेलीफोन एक्सचेंज पंजाब	४९८४–८५

अ० सू० प्र० संख्या	विषय	स्तम्भ
३	कलकत्ता में विमान दुर्घटना	४९८५–८८

प्रश्नों के लिखित उत्तर ४९८८–५०३२

ता० प्र० संख्या	विषय	स्तम्भ
७५१	दिल्ली में जल व्यवस्था	४९८८–८९
७६२	तपेदिक	४९८९
७७०ए	तीर्थ-यात्रा रेलें	४९८९–९०
७७४	रेलों में भोजन व्यवस्था के ठेके	४९९०–९१
७७६	'हेरोन' विमान	४९९१
७७७	द्वितीय श्रेणी के डाक का विमान द्वारा ले जाया जाना	४९९१
७७८	गन्ने का मूल्य	४९९२
७८१	हीराकुड बांध	३९९३
७८२	छोटी लाईन की रेलों में वेकुअम ब्रेक	४९९३–९४
७८३	व्यापार प्रतिनिधि मंडल	४९९४
७९०	टेलीफोन से आय	४९९४–९५
७९१	विश्व डाक संघ	४९९५
७९२	सहकारिता	४९९५–९६
७९३	नर्वदा पर पुल	४९९६
७९४	दिल्ली मद्रास जनता एवसप्रैस	४९९७
७९५	बाल पाक्षाघात (पोलिओ)	४९९७
७९६	फल उत्पादन योजनायें	४९९८
७९७	पश्चिमी नाइजीरिया को सहायता	४९९८
७९८	'एयर टेक्सीज इंडिया'	४९९९
७९९	रेलवे कर्मचारियों को अग्रिम वेतन	४९९९–५०००
८००	तारघर	५०००
८०१	डाक व तार कार्यालय बिहार सर्किल	५००१
८०२	रेलगाड़ी में भीड़भाड़	५००१–०२
८०३	प्रादेशिक डाक तथा तार मंत्रणा समिति	५००२
८०४	गंगा, ब्रह्म पुत्र जल परिवहन	५००२–०३
८०५	रेलवे न्यायधिकरण	५००३–०४
८०७	एयर इंडिया इन्टरनेशनल	५००४
४४१	टेपिओका	५००४–०५
४४२	इलाहाबाद इटारसी यात्री गाड़ी	५००५–०६
४४३	गुरम खेदी रेलवे स्टेशन	५००६–०७

प्रश्नों के लिखित उत्तर–क्रमश:

अ० प्र० संख्या	विषय	स्तम्भ
४४४	कांगड़ा जिले में डाकघर	५००७
४४५	टेलीफोन विकास निधि	५००७०–८
४४६	डाक तथा तार नवीकरण रक्षित निधि .	५००८
४४७	भारतीय चिकित्सा शिक्षा सम्मेलन .	५००८–०९
४४८	काफी . .	५००९–१०
४४९	मध्य भारत में डाकघर .	५०१०
४५०	कम्बोडिया के लिये चावल का निर्यात .	५०१०
४५१	रेल दुर्घटनायें	५०१०–११
४५२	रेलवे कर्मचारियों के क्वार्टर . .	५०११–१२
४५३	टेलीफोन . .	५०१२
४५४	रेलवे संघ .	५०१२
४५५	अंशदायी चिकित्सा सेवा योजना .	५०१२–१३
४५६	बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों को चिकित्सा सम्बन्धी सहायता	५०१३
४५७	रेल के डिब्बे .	५०१४
४५८	पर्यटक केन्द्र .	५०१४
४५९	रेलवे के रियायती टिकट	५०१४–१५
४६०	परिवहन सुविधायें	५०१५
४६१	पशु चिकित्सालय .	५०१५–१६
४६२	दिल्ली मार्ग परिवहन प्राधिकार	५०१६
४६३	रेलवे लाइन .	५०१६–१७
४६४	दुधारु ढोर	५०१७
४६५	हैलिकोप्टर .	५०१७–१८
४६६	यमार्बुद 'कैन्सर'	५०१८
४६७	पंजाब में जल व्यवस्था और स्वच्छता सम्बन्धी योजनायें	५०१८
४६८	रेलवे दुर्घटना	५०१८–१९
४६९	रेलवे के किराये	५०२०–२१
४७०	यात्रियों के लिये सुख सुविधायें .	५०२१
४७१	फ्लैग स्टेशनों का खोलना	५०२१
४७२	रेलवे स्टेशनों पर फेरी लगाने वाले . .	५०२२
४७३	गन्ना . .	५०२२
४७४	डकोटा विमान . .	५०२३
४७५	कृषि मजदूर . .	५०२३
४७६	हरकारे . .	५०२४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमश :

अ० प्र० संख्या	विषय	स्तम्भ
४७७	रेल के डिब्बे . .	५०२४
४७८	चंकुलिया हवाई अड्डा	५०२४–२५
४७९	विलम्ब शुल्क .	५०२५–२६
४८०	उड़ीसा में तार की लाइनें	५०२६
४८१	चावल और धान का श्रेणीवद्ध करना .	५०२७
४८२	गन्ना .	५०२७–२८
४८३	डिवीजन मुख्यालय	५०२८–२९
४८४	कोयला खान कल्याण निधि	५०२९
४८५	रेल कार .	५०२९–३०
४८६	रेलवे दुघटनायें	५०३०
४८७	पंजाब में सिंचाई की छोटी योजनायें .	५०३०–३१
४८८	जाली रेलवे टिकट	५०३१–३२
४८९	स्वचालित टेलीफोन लाइनें	५०३२

लोक-सभा

वाद-विवाद

मंगलवार,
१३ दिसम्बर, १९५५

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

खंड १०, १९५५

(१० दिसम्बर से २३ दिसम्बर, १९५५)

ग्यारहवां सत्र, १९५५

(खंड १० में अंक १६ से अंक २७ तक है)

लोक-सभा सचिवालय

नई दिल्ली

स्तम्भ

संख्या १६—शनिवार, १० दिसम्बर, १९५५

मद्रास के तूफान के बारे में वक्तव्य	७०९३–९५
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	७०९६–९७
राज्य-सभा से सन्देश	७०९७–९८
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विधेयक	७०९८
भारतीय प्रशुल्क (द्वितीय संशोधन) विधेयक और भारतीय प्रशुल्क (ततीय संशोधन) विधेयक	७०९८–७१३८
खंडों पर विचार	७१३६
पारित करने का प्रस्ताव	७१३७
अनुपूरक अनुदानों की मांगें	७१३७–७२१२
दैनिक संक्षेपिका	७२१३–१४

संख्या १७—सोमवार, १२ दिसम्बर, १९५५

सभा-पटल पर रखे गये पत्र	७२१५–१६
राज्य-सभा से सन्देश	७२१६–१७
विधि जीवी परिषद् (राज्य विधयों का मान्यीकरण) विधेयक	७२१७
संविधान (आठवां संशोधन) विधेयक	७२१७–२४
विचार करने का प्रस्ताव	७२१७
अनुपूरक अनुदानों की मांगें, १९५५–५६	७२२४–७३२३
विनियोग (संख्या ४) विधेयक	७३२३–२५
अतिरिक्त अनुदानों की मांगें, १९५०–५१	७३२६–३५
विनियोग (संख्या ५) विधेयक	७३३५–३७
हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में	७३३७–३८
विचार करने का प्रस्ताव	७३३८
दैनिक संक्षेपिका	७३३९–४१

संख्या १८—मंगलवार, १३ दिसम्बर, १९५५

व्यवहार प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक	७३४३
संविधान (आठवां संशोधन) विधेयक खंड २ और १	७३४३–८४
पारित करने का प्रस्ताव	७३८१
राज्य-सभा द्वारा प्रस्तावित रूप में हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक	७३८४–७४८७
विचार करने का प्रस्ताव	७३८४–७४८७
श्री पाटस्कर	७३८६–७४१६

श्रमजीवी पत्रकार (सेवा की शर्तें) और विविध उपबन्ध विधेयक, १९५५ ७४१७–५२
विचार करने का प्रस्ताव खंड २ से २१ और १ ७४४६–४७
पारित करने का प्रस्ताव ७४४७
दैनिक संक्षेपिका ७४५३–५४

संख्या १९—बुधवार, १४ दिसम्बर, १९५५

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ७४५५–५८
राज्य-सभा से सन्देश ७४५६
राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन के सम्बन्ध में प्रस्ताव ७४५६–७५४४
दैनिक संक्षेपिका ७५४५–४६

संख्या २०—गुरुवार, १५ दिसम्बर, १९५५

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति–
बयालीसवां प्रतिवेदन . . ७५४७
राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव ७५४७–७६२२
दैनिक संक्षेपिका ७६२३–२४

संख्या २१—शुक्रवार, १६ दिसम्बर, १९५५

राज्य-सभा से सन्देश . . ७६२५
सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . ७६२६
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—
बारहवां प्रतिवेदन . . . ७६२६
राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव ७६२६–७२
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति—
बयालीसवां प्रतिवेदन ७६७३–८२
मध्यस्थ निर्णय (संशोधन) विधेयक (धारा २ और ३९ आदि का संशोधन) . ७६८३
बाल विवाह रोक (संशोधन) विधेयक नई धारा २क का रखा जाना . ७६८३
हिन्दू विवाह (संशोधन) विधेयक धारा २८ का संशोधन ७६८३–८४
बीमा (संशोधन) विधेयक (नई धारा ४४क का रखा जाना) . ७६८४
कर्मकार प्रतिकर (संशोधन) विधेयक (नई धारा ३ का रखा जाना) ७६८४–८९
विचार करने का प्रस्ताव ७६८४
भारतीय पंजीयन (संशोधन) विधेयक (धारा २ आदि का संशोधन) ७६८९–७१०
विचार करने का प्रस्ताव खंड २, ३ और १ . . . ७६९०–७१०
मोटरगाड़ी (संशोधन) विधेयक (धारा ६५ आदि के स्थान पर रखा जाना) . ७७१३
विचार करने का प्रस्ताव ७७१३
दैनिक संक्षेपिका ७७१५–१८

स्तम्भ

संख्या २२—शनिवार, १७ दिसम्बर, १९५५

श्री आर० के० चौधरी का निधन ७७१९–२०
राज्य-सभा से सन्देश . . . ७७२०–२१
राज्य पुनर्गठन आयोग के सम्बन्ध में याचिकायें ७७२१
राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में प्रस्ताव ७७२१–७८१२
दैनिक संक्षेपिका ७८१३–१४

संख्या २३—सोमवार, १९ दिसम्बर, १९५५

अनुपस्थिति की अनुमति ७९१५–१६
राज्य-सभा से सन्देश . . . ७८१६
राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन के बारे में सन्देश ७८१७–७९४२
दैनिक संक्षेपिका ७९४३–४४

संख्या २४—मंगलवार, २० दिसम्बर, १९५५

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ७९४५–४६
राज्य-सभा से सन्देश . . . ७९४६
राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव ७९४७–८०४३
सदस्यों के लिखित वक्तव्य ८०४३–५२
दैनिक संक्षेपिका ८०५३–५४

संख्या २५—बुधवार, २१ दिसम्बर, १९५५

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . ८०५५–५६
भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक . ८०५६
राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव ८०५७–८१६१
सदस्यों के लिखित वक्तव्य ८१६१–६६
दैनिक संक्षेपिका ८१६७–६८

संख्या २६—गुरुवार, २२ दिसम्बर, १९५५

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—
तेतालीसवीं से छयालीसवीं बैठकों की कार्यवाही ८१६९
सभा-पटल पर रखे गये पत्र ८१६९–७१
नदी बोर्ड विधेयक . . ८१७२
अन्तर्राज्यीय जल विवाद विधेयक ८१७२
लाभ पदों सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन ८१७२
याचिकाओं सम्बन्धी समिति—
सातवां प्रतिवेदन ८१७३
राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन के बारे में याचिका ८१७३–७४

	स्तम्भ
अतारांकित प्रश्न के उत्तर में शुद्धि स्थगन प्रस्ताव	८१७४–७५
अगरतला में राताचेरा की स्थिति	८१७५–८३
राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	८१८३–८३४२
सदस्यों के लिखित वक्तव्य	८३१२–४२
दैनिक संक्षेपिका	८३४३–४६

संख्या २७––शुक्रवार, २३ दिसम्बर, १९५५

सभा-पटल पर रखे गये पत्र	८३४७–४८
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति	८३४८–४९
प्राक्कलन समिति––	
सत्रहवां और अठारहवां प्रतिवेदन	८३४९
राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में याचिकायें	८३४९
फरीदाबाद विकास निगम विधेयक	८३५०
तारांकित प्रश्न के उत्तर में शुद्धि	८३५०
स्थगन प्रस्ताव	८३५०–५१
राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	८३५१–८७६०
सदस्यों के लिखित वक्तव्य	८४७७–८७६०
दैनिक संक्षेपिका	८७६१–६४
सत्र का सारांश	८७६४–६८
अनुक्रमणिका	(१–५४)

लोक-सभा

मंगलवार, १३ दिसम्बर, १९५५

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

(**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए)

प्रश्नोत्तर

(देखिए भाग १)

---

१२ बजे मध्यान्ह

व्यवहार प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक

संयुक्त समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन

श्री बर्मन (उत्तर बंगाल-रक्षित-अनुसूचित जातियां) : मैं व्यवहार प्रक्रिया संहिता, १९०८ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर संयुक्त समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

संविधान (आठवां संशोधन) विधेयक--समाप्त

खण्ड २--(अनुच्छेद ३ का संशोधन)

अध्यक्ष महोदय : अब भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर खण्डशः चर्चा की जायेगी।

श्री जोकीम अल्वा (कनारा) : कल आपने कहा था कि २ बजे मतदान लिया जायेगा। क्या यह सम्भव नहीं है कि दोनों बातों के लिये अर्थात् विधेयक पर विचार करने तथा अन्तिम रूप से उसे पारित करने के लिये मतदान २ बजे ही ले लिये जायें।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने सम्भवतः गलत समझा है। विधेयक की शेष अवस्थाओं पर चर्चा करने के लिये दो घंटे नियत किये गये हैं। ख्याल यह था कि १२ बजे चर्चा प्रारम्भ कर दी जायेगी और २ बजे मतदान लिया जायेगा। यदि चर्चा पहले समाप्त हो जायेगी, तो मतदान २ बजे से पहले ले लिया जायेगा।

संसद कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : क्या दो मतदान लिये जायेंग अथवा केवल एक ही मतदान लिया जायगा और क्या दोनों मतदान एक ही सभा में अर्थात् दो बजे ही लिये जायेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : ो मत विभाजन किये जायेंगे। एक मंत विभाजन २ बजे से कुछ समय पूर्व लिया जायेगा। कल यह निश्चित हो गया था कि दोपहर के भोजन के लिये समय नहीं दिया जायेगा।

विधि तथा अल्प संख्यक कार्य मंत्री (श्री विश्वास) : मैं नहीं समझता कि

[श्री विश्वास]

मुझे कुछ कहना आवश्यक है, क्योंकि माननीय सदस्यों ने जिन शोधनों की पूर्व सूचना दी है, उनमें से सम्भवत: कोई भी प्रस्तुत नहीं किया जायेगा। मैं माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस सम्बन्ध म एक वास्तविक दृष्टिकोण अपनाया।

अध्यक्ष महोदय : कौन कौन माननीय सदस्य अपने संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं ?

श्री श्रीनारायन दास (दरभंगा मध्य) : श्री मूलचन्द दूबे, (ज़िला फर्रुखाबाद-उत्तर), श्री बीरेन दत्त (त्रिपुरा पश्चिम), श्री कामत (होशंगाबाद) और श्री वी० जी० देशपांडे (गुना) ने अपने संशोधन प्रस्तुत करने की इच्छा प्रकट की।

अध्यक्ष महोदय : संशोधन संख्या १०, १२, २४ १४, २५, ३, ४, और २१ प्रस्तुत किये जायेंगे।

मेरे विचार में अब कोई और संशोधन प्रस्तुत नहीं किया जावेगा। जो माननीय सदस्य अपने संशोधन प्रस्तुत करना चाहें, वे इस समय कर सकते हैं।

श्री श्रीनारायण दास : मैं संशोधन संख्या १० प्रस्तुत करता हूं।

श्री बीरेन दत्त : मैं संशोधन संख्या २४ और २५ प्रस्तुत करता हूं।

श्री कामत : मैं संशोधन संख्या ३ और ४ प्रस्तुत करता हूं।

श्री वी० जी० देशपांडे: मैं संशोधन संख्या २१ प्रस्तुत करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : ये संशोधन अब सभा के समक्ष हैं।

श्री कामत : मैंने संशोधन संख्या ३ और ४ प्रस्तुत किये हैं। संशोधन संख्या ३ प्रस्तुत करने में मेरा उद्देश्य यह है कि एक न्यूनतम अवधि निर्धारित की जाये, ताकि सारे राज्यों के विधान मंडलों को हम यह आश्वासन दे सके कि संविधान द्वारा उनको जो अधिकार अथवा विशेषाधिकार दिये गये हैं, उनको किसी प्रकार भी कम नहीं किया जायेगा। इस विधेयक के सम्बन्ध में जो प्रक्रिया अपनाई गई है, उसका इस सभा के बाहर भी बहुत बुरा असर पड़ा है। हमें यह स्मरण रखना चाहिये कि यह विधेयक संविधान के संशोधन से सम्बन्धित है। साधारण विधेयक भी प्रवर समिति को भेजे जाते हैं, किन्तु इस महत्वपूर्ण विधेयक के बारे में इस नियम को त्याग कर बहुत बड़ी गलती की गई है और उसका लोगों पर बहुत बुरा असर पड़ा है। संविधान में जो संशोधन किया जा रहा है, वह चाहे कितना ही छोटा क्यों न हो किन्तु चूंकि वह संविधान का संशोधन है, अत: उसका महत्व बहुत बढ़ जाता है। आयरलैंड के संविधान में यह उपबन्ध किया गया है कि इस प्रकार का विधेयक पहले देश के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा और सारा देश उस पर छ: मास तक विचार करेगा। उसके बाद ही आयरलैंड की विधान सभा उस पर विचार कर सकेगी। अपने संविधान में ऐसा उपबन्ध नहीं है। मैंने यह चाहा था कि संविधान में ऐसा उपबन्ध किया जाये, किन्तु संविधान-सभा का बहुमत इसके विपक्ष में था। किन्तु यह दूसरी बात है। आपने कल कहा था कि इसको पूर्व दृष्टान्त के रूप में नहीं माना जायेगा, किन्तु जो कुछ किया गया है, उससे मुझे कोई खुशी नहीं है। मेरी समझ में तो यही नहीं आया कि ऐसा क्यों किया गया है। यदि अनौपचारिक रूप से परामर्श किया जा सकता है, तो फिर प्रवर

समिति बनाने में ही क्या हानि थी ? उससे समय भी उतना ही लगता और साथ ही प्रक्रिया का भी पालन हो जाता, तथा सभा में एक सही पूर्वदृष्टांत भी कायम होता । किन्तु जो कुछ हुआ सो हुआ, अब आवश्यकता इस बात की है कि हम वर्तमान परिस्थितियों में स्थिति को जितना सुधार सकते हैं, उतना सुधारें । अपने प्रथम संशोधन से, मैं चाहता हूं कि सरकार पर थोड़ा सा बन्धन हो जाये । सरकार यह कह सकती है कि इस बात का ख्याल रखा जायेगा कि उचित समय दिया जाये । किन्तु हमें राज्य विधान-मंडलों के सदस्यों के हितों की रक्षा का अधिक ख्याल है । यह हो सकता है कि सरकार इस महत्व-पूर्ण विधेयक के लिये केवल एक ही महीने का समय निर्धारित करे । अतः यह आवश्यक है कि हम एक समय-सीमा निश्चित करें, जिससे राज्य विधान मंडलों के सदस्यों को यह विश्वास हो जाये कि हम उसके हितों की रक्षा करने के लिये चिन्तित हैं ।

यह तर्क दिया जा सकता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग का प्रतिवेदन कई महिनों तक राज्यों के समक्ष रहा है राज्य विधान सभाओं ने उस पर काफी विचार किया है और लोगों की इस बात का पूरा अवसर मिला है कि वे इस सम्बन्ध मे अपने विचार प्रकट करें किन्तु यहां पर जो विधेयक जिसकी कि सरकार संसद् में पेश करना चाहती है उसके बारे में मुझे पूरा विश्वास है कि वह उस प्रतिवेदन से पूर्णतः भिन्न है अतः यह परमावश्यक है कि इस प्रकार का विधेयक कम से कम एक महिने तक राज्य विधान-मडलों के समक्ष अवश्य रहे ताकि वे इस पर पूरी तरह से विचार कर सकें ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

कुछ समय इस विधेयक को केन्द्र से राज्यों को भेजने में लग जायेगा । कुछ समय सभा की बैठक बुलाने में लग जायेगा । इसके अलावा शायद विधान-सभा के सदस्य इस विधेयक के उपबन्धों के बारे में अपने अपने निर्वाचकों से भी विचार-विमर्श करें, और यदि यह विधेयक राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन से भिन्न है, तो ऐसा करना आवश्यक भी है ।

ऐसे कुछ संशोधनों की सूचनायें दी गई थी, कि अधिक-से-अधिक समय निर्धारित किया जाये । किन्तु समय की अधिकतम सीमा निर्धारित करने में कोई लाभ नहीं है । यह निश्चित करना बहुत ही आवश्यक है कि कम-से-कम कितना समय दिया जायेगा, ताकि राज्य विधान-सभाओं की बैठकें आसानी से बुलाई जा सकें और विधेयक के उपबन्धों पर अच्छी तरह चर्चा हो सके ।

मेरा अन्य संशोधन संख्या ४ इस बारे में है कि राज्यों से सरकार को प्राप्त विचार संसद् के समक्ष रखे जायें, और उसके बाद ही विधेयक का पुरःस्थापन किया जाये । यदि मेरे ये संशोधन स्वीकार कर लिये जाते हैं, तो पिछले दिनों में तो कुछ गलतियां हुई हैं, उनको सुधारा जा सकता है, अन्यथा एक दिन हमारा संविधान निरर्थक हो जायेगा । मैं चाहता हूं कि हम उस स्थिति को न आने दें । हमने वर्तमान विधेयक के सम्बन्ध में जो प्रक्रिया अपनाई है, उससे अपने देश के संविधान के महत्वपूर्ण सिद्धांतों का बड़ा हनन हुआ है । यह विधेयक सभी विधेयकों से महत्वपूर्ण है । जबकि एक साधारण विधेयक भी प्रवर समिति को भेजा जाता है, तो इस विधेयक को भी प्रवर समिति के पास अवश्य भेजा जाना चाहिये था । इसको एक मास पूर्व ही राजपत्र में प्रकाशित कर देना चाहिये था , ताकि सम्पूर्ण देश इस पर विचार कर सकता । किन्तु यह सब कुछ नहीं किया गया है । इन अनियमितताओं से जो वातावरण उत्पन्न हो गया है, वह ठीक नहीं है और हमें उस वातावरण को ठीक करने के लिये यथाशक्ति प्रयत्न करना चाहिये । इसलिये मैं सभा से अनुरोध करता हूं कि वह संशोधन स्वीकार करे ।

श्री वी० जी० देशपांडे (गुना) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं क्रमांक २१ नवम्बर का संशोधन सदन के सम्मुख रखता हूं। यह संशोधन इस हेतु से नहीं रक्खा जा रहा है कि राज्य पुनर्गठन आयोग का जो प्रत्यावर्त्त है उसमें कोई विलम्ब उपस्थित हो और मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हम यह नहीं चाहते कि सरकार ने जो कार्यक्रम बनाया है, उसमें किसी प्रकार की दखल हो, क्योंकि यह विषय देश के सामने करीब एक वर्ष से पेश है और हर एक पहलू उसका जनता के सम्मुख है। इसी के कारण संविधान सभा में इस प्रकार का मत ठीक प्रकार से प्रदर्शित होने वाला है। हम ने जो पहला संविधान बनाया था उस में इसी के लिये यह किया था कि देश में जब पहला संविधान बनाया गया तब धारणा यह थी कि प्रान्तों की पुनर्रचना की जायेगी। पर इस पार्लियामेंट और प्रान्तों की पुनर्रचना के बाद आखिर कुछ स्थैर्य रहना चाहिये या नहीं, यह सब से महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि हम जब संविधान में संशोधन कर रहे हैं तो यह केवल कल या परसों या अगली फरवरी में जो विधान हमारे सामने आने वाला है उसी के लिये नहीं है। संविधान में संशोधन तो एक ही दफा किया जाता है पर उस के लिये यह ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है कि जो कुछ भी संशोधन किया जाये उस में स्थैर्य हो। हो सकता है कि इस पुनर्रचना के बाद भी किसी प्रान्त को हटाने का प्रत्यन किया जाये। जैसा कामत साहब ने कहा अगर आज की सरकार कोई कालावधि निर्धारित नहीं करती है तो आगे चल कर गड़बड़ी पड़ सकती है। आज की सरकार तो समझदार है, रीजनेबल समय में काम कर सकती है, ऐसे प्रश्नों पर विचार करने के लिये साल दो साल भी दे सकती है, परन्तु कल ऐसी परिस्थिति भी आ सकती है कि किसी एक प्रान्त के खिलाफ दो चार प्रान्त एकत्रित हों, या किसी भी प्रान्त के लोगों के विषय में कोई सरकार अन्याय करना चाहती हो और बाकी प्रान्तों को इस बात की समझ न हो, और इस सभा में उस की चर्चा न हो, जनता के सामने वह संशोधन आ जाये इतना समय न दिया जाये। तो क्या ऐसी हालत में हम उस प्रान्त के लोगों को इतना समय नहीं देंगे कि वह अपने भविष्य के बारे में विचार भी कर सकें। अगर किसी प्रान्त को समूल नष्ट करना हो तो क्या आप उस के लोगों के मत का विचार नहीं करेंगे ? आज तो हो सकता है कि आप उन से विचार विमर्श कर के उन के विचार जान लें, लेकिन जैसे आज आप ग श्रेणी और ख श्रेणी के राज्यों को समाप्त कर देना चाहते हैं उसी तरह से कल की सरकार महीने दो महीने, हफ्ते दो, हफ्ते, रोज दो रोज या घंटे दो घंटे में किसी राज्य को समाप्त कर देना चाहे तो क्या यह देखने की आवश्यकता नहीं है कि उस प्रान्त की विधान सभा का बहुमत इस के पक्ष में है या नहीं। इतनी सी बात में आप से पूछता हूं। इसी दृष्टि से मैं ने यह संशोधन दिया है। क्योंकि आज भी हम देखते हैं कि मध्य भारत ख श्रेणी का राज्य है। हम देख रहे हैं कि वहां सभी क्षेत्रों ने, वहां की विधान सभा के लोगों ने, वहां के सब राजनैतिक दलों ने, म्यूनिसिपैलिटियों ने, बार एसोसियेशनों ने, सभी ने एक मत से यह विचार व्यक्त किया है कि मध्य भारत को मध्य प्रदेश में नहीं मिलाया जाना चाहिये। परन्तु उन का इतना प्रचन्ड बहुमत होते हुए भी हम क्यों उन को जबर्दस्ती दूसरे प्रान्तों से मिला रहे हैं ? दूसरे प्रान्तों के बारे में, जैसे बम्बई, है, आप कहते हैं कि बहुमत की राय नहीं है कि उस को दूसरे प्रान्त में मिलाया जाये, लेकिन मध्य भारत के विषय में इतना प्रचंड विरोध होते हुए भी आप जनता की इच्छा के विरुद्ध कार्य करने जा रहे हैं। आज तो खैर कुछ भी हो जाये, लेकिन आगे भविष्य में इस प्रकार की बुरी परिस्थिति इस देश में न हो इस के लिये मैं ने यह संशोधन रक्खा है।

मैं कहता हूं कि इस आयोग के बारे में आप का जो रवैया है उस से मेरा विरोध

जरूर है, परन्तु आयोग की जो सिफारिश है उस के सम्बन्ध में मैं चाहता हूं कि पार्लियामेन्ट जल्दी से जल्दी फैसला करे कि उस को क्या करना है। परन्तु आगे के लिये जो सेट-अप आप प्रान्तों का आज बना रहे हैं उस को बदलने के रास्ते में कितने रोड़े अटकाये जा सकते हों उतने रोड़े अटकाये जाने के पक्ष में मैं हूं। इसीलिये जान बूझ कर मैं ने यह संशोधन रक्खा है। मैं ने आज ही देखा कि संविधान में संशोधन करते समय पहले आप ने यह रक्खा था कि प्रवर समिति को यह विधेयक भेजा जाना चाहिये। बाद में हमारे विरोधी दल के सदस्य श्री हीरेन मुकर्जी ने, जो कि आक्सफोर्ड ग्रेजुएट की ड्रिग्री से विभूषित हैं, बड़ी अलंकृत भाषा का प्रयोग किया। उस को आप समझे नहीं। कलकत्ते के लोगों से मुझे मालूम हुआ कि जब बैलरीवैरी की बीमारी आई तो एक ग्राहक ने व्यापारी से कहा कि जो व्हाएट आयल मस्टर्ड आयल में मिलाया जाता है उस से वेरी वेरी हो जाती है। इस से अच्छा तो यह होता कि व्हाइट आयल के बजाय मस्टर्ड यानी सर्सों के तेल में जहर मिला दिया जाता। उस व्यापारी ने उस में जहर मिला दिया और बेचना शुरु कर दिया। जब उस को मैजिस्ट्रेट के सामने ले जाया गया तो उस ने कहा कि ग्राहक ने ही तो मुझे सूचना दी थी कि जहर मिलाया जाये तो अच्छा है। इसी तरह से श्री हीरेन मुकर्जी ने अध्यक्ष महोदय से कहा कि इस बिल को आइडेन्टिकल न कहने के बजाय रुल को ही क्यों न सस्पेन्ड कर दें। उन के कहने से रुल आफ प्रोसीजर को भी सस्पेन्ड कर दिया दिया गया। उस के बाद इस विधेयक को प्रवर समिति में भी नहीं भेजा गया, क्यों नहीं भेजा गया इस का मुझे पता नहीं। और आज उस पर चर्चा भी हो रही है। यानी हर एक चीज में प्रोसीजर को सस्पेन्ड कर दिया गया। इस से मेरे हृदय में भय होता है कि यह तो ठीक है कि आज कोई बुरी बात नहीं हो रही है, लेकिन इस प्रकार की आदत सदन को नहीं पड़नी चाहिये। मुझ को मालूम है कि प्रारम्भ में तो आप एक बात कर जाते हैं लेकिन बाद में आदत पड़ जाने पर किसी चीज के विषय में यह हो सकता है कि जब चाहा एक घंटे के अन्दर मन में आते ही कि प्रोसीजर तोड़ दें, उस को तोड़ दिया। अगर हम इस तरह की बातें करने लगें तो कैसे काम चलेगा। मेरा भगवान में विश्वास है मैं ने उस की शपथ ली है कि मैं संविधान का पालन करूंगा, आज सेकुलर राज्य के लोगों को भले ही परमेश्वर का ध्यान न हो। लेकिन हम ने संविधान के प्रति जो शपथ ली है उस के प्रति इस प्रकार का खिलवाड़ करना मैं अच्छा नहीं समझता हूं। राज्य के फ्यूचर सेट-अप के बारे में इस प्रकार की आदत होना ठीक नहीं है। आज तो विधेयक के आने में दो महीने पड़े हैं, इस के लिये धन्यवाद देता हूं, लेकिन हो सकता है कि कल कोई दो घंटे के अन्दर यह तय कर ले कि "हमें तो प्रान्तों का भविष्य बदलना है और उस को तुरन्त कर डाले बिना राज्य के विचारों को जाने हुए तो यह ठीक नहीं होगा। इसलिये इस सम्बन्ध म कुछ समय तो निर्धारित होना चहिये कि कब तक राज्य अपने विचार भेज दे। आगे देश में जो राज्य बनेंग उन के बारे में, खास कर जहां तक पूरा ही समाप्त करने का विषय है उस के बारे में तो अवश्य ही इस का ध्यान रक्खा जाना चाहिये। मान लीजिये कि कोई महाराष्ट्र के राज्य को या उत्तर प्रदेश के राज्य को पूरा ही समाप्त करना चाहे, कल देश में ऐसी हवा आ जाये कि कंटिगुइटी हो या न हो उत्तर प्रदेश को गुजरात के साथ मिला दिया जाये, दूर की कोई बात नहीं है लेकिन दोनों को मिलाया जरुर जावे, और हिन्दुस्तान सरकार भी इस पक्ष में हो कि राज्य के लोगों की इच्छा के विरुद्ध उत्तर प्रदेश को गुजरात से मिला दिया जाये, तो वह रुल को ससपेन्ड कर के अवश्य कर लेगी। इसी कारण से मैं इस प्रकार का रोड़ा अटकाना चाहता हूं, खास कर मध्य भारत में इस प्रकार की जीवन मरण की समस्या हमारे सामने आई है। इसलिये मैं सदन से प्रार्थना करना चाहता

[श्री वी० जी० देशपांडे]

खास कर मध्य भारत में इस प्रकार की जीवन मरण की समस्या हमारे सामने आई है । इसलिये मैं सदन से प्रार्थना करना चाहता हूं कि इस प्रकार की रुकावट इस विधान के स्वरूप में डाली जाये ।

श्री एन० सी० चटर्जी (हुगली) : मुझे बहुत खुशी है कि कल अध्यक्ष महोदय ने तथा सभा के सारे वर्गों ने मेरे इस सुझाव को स्वीकार किया कि यद्यपि हम एक प्रवर समिति नहीं बना रहे हैं, किन्तु हमें इस विषय पर माननीय गृह मंत्री और माननीय विधि मंत्री से चर्चा करने का अवसर अवश्य दिया जाये । मुझे प्रसन्नता है कि हम ने उस विशेषाधिकार का लाभ उठाया है और अब हमें इस संविधान (संशोधन) विधेयक को बिना कोई संशोधन प्रस्तुत किये हुए ही इसी रूप में स्वीकार कर लेना चाहिये । राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन से अनेक विवादग्रस्त बातें उठ खड़ी हुई हैं ; वे सारी बातें इस सभा में रखी जायेंगी । एक महान् राजनीतिज्ञ और एक माननीय मंत्री ने यह सुझाव रखा है कि इस प्रतिवेदन को खटाई में डाल दिया जाये । मैं इस सुझाव से पूर्णतः असहमत हूं और मैं नहीं चाहता कि हस सुझाव को स्वीकार किया जाये । मैं उन लोगों से सहमत हूं जो यह कहते हैं कि भारत में वृहतर हितों को देखते हुए और इस की राजनीतिक एकता को चिरस्थायी बनाने के लिये पुनर्गठन की समस्या का यथाशीघ्र समाधान हो जाना चाहिये ।

मैं इस समय किसी की भी बात मानने को तैयार नहीं हूं । यदि इस समय जबकि भारत की संघटनात्मक विधि में परिवर्तन किया जा रहा है, प्रवर समिति बनाने की परम्परा नहीं अपनाई गई, तब भी कोई बात नहीं है । जो कुछ संशोधन किया जा रहा है, वह होना ही चाहिये । माननीय मंत्रियों ने मुझे बताया है कि इस अनुच्छेद में संशोधन करना ही पड़ेगा और मैं भी समझता हूं कि यह अनिवार्य है । राज्यपुनर्गठन आयोग ने यह सिफारिश की है कि भाग 'ग' के राज्य समाप्त कर दिये जायें और भाग 'क' तथा भाग 'ख' के राज्यों में जो विभेद रखा गया है, वह दूर कर दिया जाये । इन सिफारिशों की पूर्ति के लिये संविधान में संशोधन करना ही पड़ेगा, और मैं यह नहीं चाहता कि यह बात दूसरे अवसर के लिये स्थगित की जाये । हर वर्ष संविधान में संशोधन संबंधी विधेयक प्रस्तुत करना भी ठीक नहीं । हमें अपने संविधान का बहुत ही मान करना चाहिये । देश में प्रजातंत्र की कार्य प्रणाली की सफलता के लिये एक भाषी राज्यों का होना बहुत ही आवश्यक है, ताकि सरकार और जनता के बीच उचित समन्वय स्थापित हो सके । देश की सारी राजनीतिक पार्टियों इस के पक्ष में हैं और चाहती हैं कि यह काम जितनी जल्दी से हो, उतना ही अच्छा होगा ।

जो कुछ मैं कह रहा हूं, वह यह है कि मैं ने स्वयं एक प्रस्ताव रखा था और यह सोचा कि राज्य विधान मंडलों के लिये कुछ समय की प्रत्याभूति देना उचित होगा । हमारा संविधान अमरीकी संविधान से भिन्न है । अमरीकी संविधान के अधीन संविधान में कोई भी संशोधन करने के लिये राज्यों की स्वीकृति लेना आवश्यक है । अपने संविधान के अनुसार राज्यों की स्वीकृति लेना आवश्यक नहीं है, किन्तु फिर भी यह जानना जरूरी है कि राज्य-विधान मंडलों के क्या विचार हैं । मैं ने माननीय मंत्री से निवेदन किया था कि जिन क्षेत्रों पर इस प्रतिवेदन का असर पड़ता है, वहां की जनता को उनके प्रतिनिधियों के जरिये अपने विचार व्यक्त करने का अवसर देना चाहिये । मैं आशा करता हूं कि माननीय गृह मंत्री अथवा गृह उपमंत्री अगली बार एक समय निश्चित करने के बारे में सोचेंगे, ताकि ऐसा न हो कि कोई भी राज्य अपने विचार

व्यक्त करने से वंचित रह जाये । हम सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न अवश्य हैं, और यह संसद् सब कुछ कर सकती है, किन्तु संविधान की दृष्टि से यह उचित नहीं होगा कि हम वैसे ही किसी राज्य का अन्त कर दें । यह अवश्यभावी है कि जब हम राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन को स्वीकार करेंगे तो, हमें इन खंडों में संशोधन करना पड़ेगा, और संविधान में नवां अथवा दसवां संशोधन करने वाला विधेयक प्रस्तुत करना पड़ेगा । मुझे आशा है कि माननीय मंत्री तब हमारे सुझावों की ओर ध्यान देंगे, और समय की एक सीमा निर्धारित करेंगे, ताकि उतने समय में राज्य विधान-सभाओं के सदस्य अपने निर्वाचकों तथा सम्बद्ध लोगों से उस बारे में परामर्श कर सकें । माननीय मंत्री सभा में यह भी आश्वासन देने की कृपा करेंगे कि भविष्य में ऐसी कोई कोशिश नहीं की जायेगी कि प्रवर समिति न बनाई जाये । वर्तमान परिस्थितियों में तो यही एक उपाय है कि प्रस्तुत विधेयक को इसी रूप में स्वीकार कर लिया जाये । जितनी जल्दी यह हो जायेगा, उतना ही यह राज्यों की जनता तथा सम्पूर्ण देश के लिये उत्तम होगा ।

श्री बीरेन दत्त : कल मैं ने मंत्री महोदय से यह आश्वासन देने की प्रार्थना की थी कि त्रिपुरा और मनीपुर के निर्वाचक-राज्यों का मत निश्चित रूप से जाना जायेगा । मैं चाहता हूं कि विधि मंत्री इस अधिकार की गारन्टी दें । यदि इस बारे में मुझे स्पष्ट आश्वासन मिल जाता है, तो मैं अपने संशोधन पर जोर देना नहीं चाहता ।

श्री श्रीनारायण दास : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं । परन्तु मैं ने एक संशोधन का सुझाव दिया है । संशोधन में दो परन्तुकों का सुझाव है । विधेयक में, परन्तुक यह उपबन्ध करता है कि राष्ट्रपति राज्य क्षेत्रों, क्षेत्र या सीमाओं या किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने की सिफारिश न करें, तब तक विधेयक पुरःस्थापित नही हो सकता । दूसरी परिसीमा यह लगाई गई है कि जब तक राज्यों के मत न जाने जायें तब तक कोई विधेयक पुरःस्थापित नहीं हो सकता । मूल परन्तुक में संबद्ध राज्यों के मत जानने का सार-केन्द्रीय सरकार पर था । जब तक वे मत न जाने जाते तब तक राष्ट्रपति विधेयक के पुरःस्थापन की सिफारिश करने में असमर्थ थे । आप इस संशोधन द्वारा सारे मामले को ही बदल रहे हैं । अब यह उत्तरदायित्व संबद्ध राज्यों पर होगा । यदि वर्तमान उपबन्ध स्वीकार कर लिया जाता है । तो संबद्ध राज्यों को निर्धारित समय में मत प्रकट करना होगा । राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति तथा उसके प्रतिवेदन के प्रस्तुत किये जाने के पश्चात्, यह संशोधन करना आवश्यक हो गया है । मैं इस संशोधन के पक्ष में हूं । मेरा ख्याल है कि भारत जैसे देश में एकमात्र फेडरल सरकार का होना आवश्यक है । संविधान में वर्णित अधिकारों के बारे में, उनका प्रयोग केन्द्रीय सरकार को देश के राष्ट्रीय हितों में करना चाहिये । कुछ मदें राज्यों की सूची में दी हुई हैं, और उस में कम-से-कम हस्ताक्षेप करना बहुत अच्छा होगा । पिछली बार कुछ संदेह हुआ था और माननीय विधि मंत्री ने कहा था कि विधान-मंडल के निश्चय की प्रतीक्षा करने का भार सरकार पर नहीं है । उनका यह कहने का अभिप्राय यह था कि मत प्रकट किया जाना चाहिये और केन्द्रीय सरकार के पास भेज देना चाहिये । केन्द्रीय सरकार संबद्ध राज्य के मतों पर विचार कर के यह निश्चय करेगी कि विधेयक पुरःस्थापित किया जाये या नहीं ।

उपाध्यक्ष महोदय : मत किस को बताना है ? "विधान मंडल को अपने विचार प्रकट करने के लिये कहने" का अर्थ है केन्द्रीय सरकार को अपने विचार बताना ।

श्री श्रीनारायण दास : विधान-मंडल अपने विचार एक संकल्प के रूप में प्रकट कर सकता है । मैं नहीं जानता कि "निश्चित

[श्री श्रीनारायण दास]

रूप जानना" शब्दों को हटा कर "प्रकट करना" क्यों रख दिये गये हैं ? यदि "प्रकट करना" शब्दों के स्थान पर "निश्चित रूप से जानना" शब्द रखे जाते हैं, तो क्या हानि है ?

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता था कि राज्य विधान-मंडलों द्वारा प्रकट किये गये विचार भारत के गजट में प्रकाशित होने चाहियें ताकि देश में प्रत्येक सबंद्ध व्यक्ति को यह विदित हो जाये कि विधेयक के उपबन्धों के बारे में क्या विचार प्रकट किये गये हैं । अतः मैं अन्त में "सरकारी गजट" शब्द जोड़ना चाहता हूं । मेरे संशोधन का यही प्रयोजन है ।

श्री सी० सी० शाह (गोहिल वाड़सोरठ): यह एक साधारण विधेयक है । निस्संदेह संविधान में संशोधन करने वाला विधेयक होने के कारण यह एक महत्वपूर्ण विधेयक है । विषय के महत्वपूर्ण होने के कारण, हम ने विधेयक प्रवर समिति को न सौंपने का और प्रक्रिया नियम के एक नियम को रद्द करने का निश्चय किया है । यह कोई पूर्वदृष्टान्त नहीं बनता है । अतः श्री कामत को इस बारे में नहीं डरना चाहियें ।

इस विधेयक में राष्ट्रपति को उस अवधि में वृद्धि करने का अधिकार दिया गया है जिसमें किसी राज्य के विधान मंडल को अपने विचार प्रकट करने चाहियें । फिर, जब तक बढ़ाई हुई अवधि या निर्धारित अवधि समाप्त न होगी, तब तक इस सभा में क्षेत्र, सीमा, आदि में परिवर्तन करने वाला विधेयक पुरःस्थापित नहीं किया जा सकता । इस विधेयक में ये दोनों परिवर्तन करने का उद्देश्य यह है कि प्रत्येक राज्य के विधान-मंडल का अपने विचार प्रकट करने और उन्हें भेजने का पर्याप्त अवसर दिया जाना चाहिये । अतः, मेरा निवेदन है कि यद्यपि यहां कोई परिसीमा नहीं रखी गई है, तथापि सरकार और सभा की यह इच्छा है कि प्रत्येक राज्य के विधान मंडल को अपने विचार प्रकट करने तथा उन्हें केन्द्रीय सरकार को भेजने का पूर्ण अवसर दिया जाये । अतः विधेयक में कोई समय-सीमा लगाना अनावश्यक है ।

श्री जी० बी० देशपांडे के संशोधन के अनुसार यदि विधेयक में भाग 'क' या भाग 'ख' राज्य का पूर्ण संविधान होता है, तो इसे उस विधान-मंडल के अधिकांश सदस्यों की अनुमति प्राप्त होनी चाहिये । यह अनुच्छेद ३ के मूल प्रयोजन के ही विरुद्ध है । अनुच्छेद ३ संसद् को किसी भी राज्य के क्षेत्र, सीमा या नाम में परिवर्तन करने का पूर्ण अधिकार देता है । राज्य के विधान-मंडल के लिये संरक्षण यह है कि उसके विचार अवश्य जानने चाहिये । मेरा यह निवेदन है कि जब संविधान सभा में अनुच्छेद ३ की हमने चर्चा की थी तो उस समय इसके बारे में विस्तृत चर्चा की थी और काफी चर्चा के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि जहां तक सीमाओं अथवा नामकरण, अथवा क्षेत्रों के परिवर्तन का सम्बन्ध है, संसद् को सर्वोच्च प्राधिकार होना चाहिये । निस्संदेह, राज्य विधान-मंडलों की राय तो होनी चाहिये ; किन्तु उनकी सम्मति आवश्यक नहीं थी । इस सिद्धांत को हम ने काफी विचारोपरांत उस समय स्वीकार किया था । इस संशोधन विधेयक द्वारा तो इस समय हम केवल एक कालावधि निश्चित कर रहे हैं जिसके भीतर विचारों की अभिव्यक्ति हो जानी चाहिये । अनुच्छेद ३ के अन्तर्गत निहित मूल सिद्धान्त में, अर्थात् किसी राज्य के क्षेत्र अथवा सीमा अथवा नाम के परिवर्तन करने का सर्वोच्च प्राधिकार संसद् को है, कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं । मेरा यह निवे-

दनहै कि श्री वी० जी० देशपांडे का संशोधन तो अनुच्छेद ३ में निहित सिद्धान्त से परे है । हमारा फेडरेशन तो अमरीका अथवा आस्ट्रेलिया के फेडरेशन से बिल्कुल अलग है । हमने तो संविधान के द्वारा ही राज्य बनाये थे और प्रत्येक राज्य का क्षेत्र, उसकी सीमा और उनका नाम रखा था । इसलिये विचारपूर्वक ही हमने उनके राज्यों के क्षेत्र, सीमा अथवा नाम में परिवर्तन करने का अधिकार, निःसंदेह राज्य विधान मंडलों को परामर्श लेने के पश्चात ही, संसद् के हाथ में रखा था । अतः मेरा यह निवेदन है कि कोई भी संशोधन आवश्यक नहीं है और विधेयक, पेश किये गये रूप में, ठीक है ।

श्री राघवाचारी (पेनुकोंडा) : मैं इस विधेयक का समर्थन और सभी संशोधनों का विरोध करता हूं । अथवा जिस उद्देश्य से यह संशोधन विधेयक पेश किया गया है वह असंगत हो जायेगा ।

जिन संशोधनों की सूचना दी गई है और जो प्रस्तुत किये गये हैं उनकी चर्चा करने से पूर्व मैं यह निवेदन करता हूं कि श्री सी० सी० शाह ने श्री वी० जी० देशपांडे के संशोधन के बारे में जो तर्क रखा है उसमें कोई बल नहीं है क्योंकि संविधान-सभा द्वारा संविधान के निहित किये गये सिद्धांतों का यह सभी तिरस्कार कर रही है अथवा उनमें संशोधन कर रही है अथवा उन्हें बदल रही है । अतः यह कहने में कि हमने यह विचार किया था कि यह असंगत है, कोई बल नहीं है ; क्योंकि यदि हम यह अनुभव करते हैं कि अमुक अमुक अनुच्छेद हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करते तो हम संविधान के उन सभी अनुच्छेदों का परिवर्तन करते हैं ।

किसी कालावधि विशेष की, चाहे प्रारम्भ में ही अथवा अंत में समय बढ़ाने के लिये, सीमा निर्धारित करने का अधिकार, जो आजकल राष्ट्रपति को है देश के हित में नहीं है । उनकी बात से मैं सहमत हूं । मैं तो नहीं समझता कि कोई भी राष्ट्रपति ऐसा अविवेकी होगा जो उचित समय न दे । अतः इन सभी संशोधनों का मैं विरोध करता हूं ।

श्री कामत ने अपने संशोधन में कहा है कि इस तरह जो विचार आये उन्हें संसद् के समक्ष रखा जाये । यह बात तो पहले से ही निहित है—केवल शब्द बदल दिये गये हैं । वे तो केवल राज्यों को अपने विचार एक निश्चित समय में व्यक्त करने का अवसर देना चाहते हैं । अगर वे अपने विचार व्यक्त न करें तो फिर प्राप्त करने का प्रश्न ही नहीं उठता । अतः उनका संशोधन निरुद्देश्य है ।

एक कांग्रेसी सदस्य ने कहा है कि राज्य सरकारों के विचार गजट में छपें । राज्य सरकारों के विधान मंड़लों द्वारा प्रकट विचार समाचार पत्रों में छपते हैं तो फिर गजट में छपने की क्या आवश्यकता है ।

मेरा यही निवेदन है कि प्रस्तुत विधेयक को पारित किया जाये । अंत में मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि जब कभी राज्यों द्वारा कोई विचार व्यक्त किये जायें तो विधेयक पर विचार किये जाने से पूर्व वे संसद्-सदस्यों को भेज दिये जायें ।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार (तिरुपुर): यह सच है कि सभा को विदित है कि राज्य पुनर्गठन आयोग प्रतिवेदन ने विभिन्न स्थानों के लोगों की भावनाओं को उभार दिया है । ऐसे मामलों में जो भी कार्यवाही की जाये वह बहुत सोच समझ कर की जानी चाहिये । मद्रास और आन्ध्र के विभाजन के समय मद्रास नगर के प्रश्न पर बड़ा असन्तोष फैला था । और इस प्रश्न के तय हो जाने पर ही लोग शान्त हो सके थे । अतः जिन चीजों से लोगों को कष्ट होता हो और उनकी भावनाओं में उथल पुथल मचती हो उनका

[श्री टी० एस० ए० चेट्टियार]

निबटारा जितनी शीघ्रता से हो सके, उतना ही अच्छा रहता है ।

यहा स्मरण रखने योग्य एक बात यह है कि ऐसे बड़े मामलों के लिये लोगों को सोचने विचारने और कार्य करने के लिये अधिक समय दिया जाना चाहिये अतः रखे गये संशोधनों में से सब से प्रमुख संशोधन राष्ट्रपति द्वारा समय निर्धारित करने के बारे में है । मुझे आशा है कि इसके लिये पर्याप्त समय दिया जायेगा । उदाहरण के लिये बम्बई के भविष्य का प्रश्न ऐसा है कि जिसके लिये अधिक समय दिया जाना चाहिये । अतः मुझे आशा है कि ऐसे मामलों के लिये अधिक समय अधिकारियों द्वारा दिया जायेगा ।

वर्तमान विधेयक में 'अथवा उतने और काल में जिसके लिये राष्ट्रपति अनुमति दें' शब्द जोड़ कर सुधार किया गया है । इससे जान पड़ता है कि समय समय पर स्थिति पर विचार किया जायेगा और राज्य विधान मण्डलों को विचार करने के लिये उचित समय मिल सकेगा ।

मैं नियमों को निलम्बित कर इस विधेयक को पुरःस्थापित करने के सम्बन्ध में जो तरीका अपनाया गया है उसे पसन्द नहीं करता हूं । मेरे माननीय मित्र ने कहा कि यह भविष्य के लिये पूर्व दृष्टांत नहीं होगा । किन्तु इस सम्बन्ध में कुछ भी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता क्योंकि यह तो जैसी भी समस्या है, किसी भी समय होगी और उसके अनुसार सभा निर्णय करेगी । अतः एक बार जो भी हो जाता है उसमें से भविष्य में पूर्व दृष्टांत के रूप में अवश्य उद्धृत किया जायेगा । इस विधेयक को पुरःस्थापित करने के लिये यदि यह दृष्टांत न रखा गया होता तो अच्छा होता ।

माननीय विधि मंत्री के इस कथन से कि राज्यों की सम्मति इस पर मांगी जायेगी और उसके पश्चात् विधेयक को पुरःस्थापित किया जायेगा तथा प्रस्तावित संशोधन के अन्तिम शब्दों को बता देने से स्थिति स्पष्ट हो जाती है कि ऐसी आकस्मिकता कभी उत्पन्न नहीं होगी । इस दृष्टिकोण से पहले विधेयक से इसमें काफी सुधार हुआ है ।

अतः मुझे आशा है कि विधेयक सर्व सम्मति से स्वीकार किया जायेगा । साथ ही जो लोग इसके कर्त्ता-धर्त्ता हैं उन्हें यह देखना होगा कि किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी न होने पाये । मुझे इस कार्य के कर्त्ताओं में पूर्ण विश्वास है । इस कारण आशा है कि किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होगी ।

उपाध्यक्ष महोदय : अन्य सदस्यों से बोलने के लिये कहने से पूर्व मैं समय निर्धारित कर देना चाहूंगा । हम खण्डवार विचार को १–४० म० प० तक समाप्त करने का विचार करेंगे । इसके पश्चात् मैं माननीय मंत्री से बोलने के लिये कहूंगा । तत्पश्चात् खण्ड पर मत लिये जायेंगे और उसके बाद तृतीय वाचन होगा ।

श्री कामत : आप एक खण्ड पर मत लेंगे अथवा अधिक खण्डों पर, क्योंकि नियम १६७ के अनुसार प्रत्येक खण्ड पर अलग अलग मत लिया जाना चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : खण्डों, प्रस्तावना आदि पर । इन सब पर चर्चा १–४० म० प० तक अवश्य समाप्त हो जानी चाहिये ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव) : मैं इस बल को बड़े ज़ोर से सपोर्ट करता हूं । हमारे बहुत से मेम्बर साहबान ने, खुसूसन कामत साहब ने एक नोट आफ़ पेसिमिज्म स्ट्राइक किया है, यहीं पर, जिसका

मुझे अफसोस है । कहते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता शायद हमारा कान्स्टिट्यूशन एक स्क्रैप आफ पेपर हो जायेगा । बहुत से मेम्बरान ने कहा कि यह प्रिसिडेन्ट नहीं कायम किया गया है, यह सस्पेन्शन आफ रूल प्रिसिडेन्ट नहीं बनेगा । हमारे ला मिनिस्टर साहब ने भी फ़रमाया है कि यह प्रिसिडेन्ट नहीं होगा । ताहम भी मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जिन हालात में यह बिल आया, जिन हालात में हमने अपना रूल सस्पेन्ड किया उनको देखते हुये मैं कह सकता हूं कि अगर कोई ऐसा ही मौका आ जाय जैसा कि इस वक्त आया, तो मुझे कोई शुबहा नहीं है कि फिर भी रूल को सस्पेन्ड करना होगा । इस रूल को सस्पेन्ड करने में खराबी ही क्या है ? अगर मैं पार्लियामेंट के बाहर जा कर बतलाउं कि हाउस ने चार घंटे इस बिल पर खर्च किये और तीन घंटे इस बात पर खर्च किये कि यह रूल सस्पेन्ड हो या नहीं, और वह होना चाहिये था, सारा हाउस यह चाहता था कि रूल सस्पेन्ड हो जाय, लेकिन फिर भी बहस होती रही । तो लोग हमारा मजाक उड़ायेंगे । मैं कहना चाहता हूं कि जो कुछ हमने किया वह सही किया । यकीनन यह प्रिसिडेन्ट नहीं होगा कि आइन्दा कोई बिल सेलेक्ट कमेटी में न जाये लेकिन दरअस्ल इसको नहीं जाना चाहिये था । इस बिल के अन्दर यूनैनिमिटी है कि इस को सेलेक्ट कमेटी में भेजे जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता । कल रात जो डिस्कशन हुआ वह इतना मुफीद साबित हुआ कि सारे ऐमेन्डमेन्ट्स बेकार हो गये ।

एक चीज का मैं जिक्र करना चाहता हूं । कान्स्टिट्यूशन के प्राविजन ३ का असली मंशा यह था कि पेश्तर इसके कि कोई बिल इन्ट्रोड्यूस हो, हमारे प्रेजिडेन्ट साहब लेजिस्लेचर्स की राय को मालूम कर लें । मेरे ख्याल में इस उसूल का जो मकसद था उसे किसी तरह से भी खत्म नहीं किया गया सिवा इस चीज के कि अगर कोई स्टेट लेजिस्लेचर ऐसा ऐटिट्यूड अख्त्यार करना चाहे और नान कोआपरेट करना चाहे, राय जाहिर न करना चाहे तो उसे बेशक एलिमिनेट किया गया, और किया जाना चाहिये । अगर कोई राय नहीं भेजना चाहता तो उसको आप मजबूर कैसे कर सकते हैं ? इसके अलावा इस बिल के अन्दर जो मौजूद है वह सारी की सारी बातें बिल्कुल साफ़ हैं । मसलन सवाल यह था कि स्टेटों को मौका मिले या नहीं अपनी राय के इजहार करने का । तो आप उनको सिर्फ मौका ही नहीं देंगे बल्कि अगर वह उस टाइम लिमिट को बढ़ाना चाहें तो उसके लिये भी उनको मौका दिया जायेगा । पहले बिल पर यह मेरा सुझाव था और मुझे खुशी है कि यह मंजूर कर लिया गया है ।

जहां तक सवाल उनकी राय को भेजने का है, उसके अन्दर यह था राय आयेगी लेजिस्लेचर की । मैंने कल एक ऐमेन्डमेन्ट भेजा था जिसको मैंने बाद में पेश नहीं किया । मैं नहीं चाहता कि सिर्फ लेजिस्लेचर की राय ही आये, बल्कि जितने मेम्बर लेजिस्लेचर के हैं उन सबकी राय जो कुछ हो उसका रेकार्ड आये । उस लेजिस्लेचर की सारी प्रोसीडिंग्स जो हों वह प्रेजिडेन्ट साहब की खिदमत में भेजी जायें क्योंकि हम समझते हैं कि कई एक ऐसे लेजिस्लेचर हैं जिन में माइनारिटीज हैं, उनकी राय का भी रिकार्ड या कन्क्लूजन आना चाहिये । उनकी राय का भी पूरा इजहार होना चाहिये और एन्टायर प्रोसीडिंग्स प्रेजिडेन्ट साहब के सामने आनी चाहियें कि सारे लेजिस्लेचर के आदमियों की यह राय है । इसीलिये मैंने अमेन्डमेंट भेजा था कि सारी प्रोसीडिंग्स भेजी जायें ताकि उनके सामने सारा नक्शा आ जाये । लेकिन कल हमारे आनरेबिल ला मिनिस्टर साहब ने यकीन दिलाया कि वह ऐसा ही प्रोसीजर रखना चाहते हैं और लेजिस्लेचर्स की कुल प्रोसीडिंग्स ही आयेंगी, तो परेशानी दूर हो गई ।

दूसरा सवाल यह था कि टाइम एक्स्टेंड

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

किया जाय। तो मैं समझता हूं कि यह चीज बिल के अन्दर ही पिनहां है कि टाइम एक्स्टेंड हो सकेगा। अभी बतलाया गया कि हालांकि बिल बना नहीं है लेकिन बहुत से स्टेट लेजिस्लेचर्स ने अपनी रायें जाहिर की हैं। मैं समझता हूं कि कोई भी शेड आफ ओपीनियन नहीं है जो कि गवर्नमेंट के सामने नहीं आई है। जो असल मकसद है इस बिल का कि गवर्नमेंट को हर एक आदमी की राय मालूम हो, वह पूरा किया जा रहा है। और अब से पहले ही बहुत काफी पूरा हो चुका है। मुझे कोई शक नहीं है कि गवर्नमेंट आफ इंडिया कभी इस तरह का रवैया इख्त्यार नहीं करेगी कि लोग अपनी राय का इजहार न कर सकें, लेकिन मैं अर्ज़ करता हूं, और श्री चैटर्जी साहब ने भी फरमाया कि हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट आफ इंडिया पर भी कुछ पाबन्दी रहे। जो हमारा कान्स्टीट्यूशन है, उसको हम ऐसा बनायें कि गवर्नमेंट आफ इंडिया पर भी थोड़ी पाबन्दी रहे। उसको बनाते वक्त हमने दफा १९ में फंडामेन्टल राइट्स भी कुछ रखे हैं, हालांकि हम जानते थे कि हमारी गवर्नमेंट ठीक ही काम करेगी, लेकिन फिर भी हमने उसके ऊपर कुछ पाबन्दियां रक्खीं। अपनी तरफ से हमने उसके लिये भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन रक्खे। हम चाहते हैं कि आइन्दा जो बिल आये उसमें हम टाइम मुकर्रर नहीं करे लेकिन उसमें हम सिर्फ रीजनेबल टाइम जरूर रक्खेंगे कि रीजनेबल टाइम गवर्नमेंट आफ इंडिया जरूर देगी जो कि डिफरेन्ट स्टेट्स के लिये डिफरेन्ट होगा और उसके बाद भी स्टेट्स को एक्स्टेन्शन आफ टाइम पाने का अख्त्यार रहेगा। गवर्नमेंट आफ इंडिया उनकी सारी प्रोसीडिंग्स भी मंगायेगी और उनको कंसीडर भी करेगी। क्योंकि एक्सटेन्शन करने के दो माने होते हैं। एक तो राय का इजहार और उसके बाद उसका असर्टेन करना। तो मैं अर्ज़ करता हूं कि यह जो बिल हम आज पास कर रहे हैं उस को हमें फौरन पूरी सपोर्ट के साथ पास करना चाहिये और उसको अच्छी तरह से एग्जिक्यूट भी करना चाहिये। आइन्दा जो बिल बनेगा उसमें मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे मिनिस्टर साहब जो ऐमेन्डमेन्ट्स मैं ने दिये हैं उनको इनकारपोरेट करेंगे।

इसलिये मैं अर्ज़ करता हूं कि जितनी जल्दी हो सके हम इस बिल को पास कर दें क्योंकि जो असल मंशा है वह यह है कि जल्दी से जल्दी उसका रिपोर्ट के बारे में फैसला हो और लोगों में बिटरनेस न बढ़े। इस बिल को पास भी किया जाय और जितनी भी स्टेजेज हैं जल्दी ही पूरी कर दी जायें। मुझे इसे कहने की जरूरत नहीं है कि हालांकि ऐमेन्डमेन्ट्स में कहीं दर्ज नहीं है कि पार्ट सी स्टेट्स या एलेक्टोरल कालेजिज़ की राय पूछेंगे।

लेकिन हमारे मिनिस्टर साहब ने हाउस में एश्योरेंस दिया है कि वह उनकी राय भी पूछेंगे। हमारे मिनिस्टर साहब जहां तक यह बिल नहीं जाता है उससे भी आगे जाने को तैयार हैं। बिला शकोशुबा यह चीज़ कहने का कोई मौका नहीं है कि हम पूरे तौर पर उनको अपनी राय का इजहार करने का मौका नहीं देंगे।

डा० लंकासुन्दरम् (विशाखापटनम्): मुझे पूर्ण विश्वास है कि कोई भी माननीय सदस्य यह नहीं चाहेगा कि राज्यों के पुनर्गठन के सम्बन्ध में उठने वाली कुछ आकस्मिकताओं की परिस्थिति में कार्य करने के लिये राष्ट्रपति के हाथ मजबूत न किये जायें। इस पर अभी तक दो ही आपत्तियां की गई हैं। पहली आपत्ति तो है उस तरीके के बारे में जिसे इस सभा में इस विधेयक को स्वीकृत कराने के लिये अपनाया गया है। बैठक शुरू होने के समय दो विधेयक थे—पांचवां और छठा संशोधन विधेयक। उसके बाद संविधान (पांचवां) संशोधन विधेयक का ही एक खण्ड संविधान (सातवां) संशोधन विधेयक बन

गया, और अब संविधान (आठवां) संशोधन विधेयक हमारे सामने आ गया है । इस प्रकार सभा की इस परिपाटी को सही बता दिया गया है कि प्रत्येक संविधान संशोधन विधेयक को पहले प्रवर समिति को सौंपना चाहिये ।

सब कुछ सुनने के बाद मेरा यही मत है कि प्रवर समिति बनाई जानी चाहिये थी, पूरी सभा को ही समिति बना दिया जा सकता था । पिछले कुछ दिनों की चर्चा में केवल एक ही तथ्य की बात हुई है और वह यह है कि अध्यक्ष की यह घोषणा कि इसे सभा का पूर्व दृष्टांत नहीं माना जायेगा । प्रत्येक सदस्य इससे सहमत है कि राष्ट्रपति को अधिक शक्ति दी जानी चाहिये, क्योंकि राज्य विधान-मण्डलों द्वारा कुछ संकल्प या विधेयक स्वीकृत करने में उचित पद्धति न अपनाने पर कुछ आकस्मिकतायें खड़ी हो सकती हैं । वास्तव में, कुछ राज्य विधान-मण्डल आवश्यक संकल्प स्वीकृत नहीं कर पाये हैं । उन में एक हैदराबाद भी है । इसका कारण यही है कि राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन में अपनाये गये सिद्धान्तों के प्रति उनके भिन्न-भिन्न दृष्टिकोण हैं ।

आन्ध्र राज्य के निर्माण से सम्बन्धित आन्ध्र राज्य विधेयक पर मद्रास राज्य विधान मण्डल और मैसूर राज्य विधान मंडल आदि के मत प्राप्त कर लिये गये थे । उसे स्वीकृत कराने के लिये हमने यह प्रक्रिया पहले ही पूरी कर ली थी । अब, मान लीजिये कि कोई राज्य विधान मण्डल उसे न मानने पर ही तुल जाये, तो इस संसद् को कुछ परिस्थितियों में इस अवज्ञा का निरोध करने का अधिकार होना ही चाहिये ।

मेरा विचार है कि इस पूरी चर्चा के उठ खड़े होने का मुख्य कारण कांग्रेस कार्य समिति का वह वक्तव्य ही है जिसमें "चौदह दिनों" की अवधि की बात कही गई थी । उसका उद्देश्य राज्य विधान मण्डलों को चौदह दिनों का समय देने का था जिसमें कि उन्हें इस सभा द्वारा आवश्यक विधान बनाने के पहले ही आवश्यक संकल्प स्वीकृत कर देना था । अब शायद उन्हें इस प्रक्रिया के लिये एक महीने का समय दिया जा रहा है । यह समय पर्याप्त नहीं है । अब सारी चर्चा इसी के आस पास घूम रही है कि राष्ट्रपति कितना समय निश्चित करते हैं । संविधान (आठवां) संशोधन विधेयक के प्रस्तावित अनुच्छेद ३ में राष्ट्रपति को अवधि बढ़ाने का अधिकार दिया गया है, पर उस अवधि की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है । इस विधेयक के स्वीकृत होने से पहले, विधि मंत्री या गृह कार्य मंत्री या सभा के नेता को इस अवधि के बारे में आश्वासन देना चाहिये । उसको बिना बताये ही राष्ट्रपति को ऐसा अधिकार देने का कोई अर्थ नहीं होगा ।

मैं इस विधेयक के सिद्धान्तों से पूरी तौर पर सहमत हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हमारे फेडरल संविधान में अवशिष्ट शक्तियां संसद् को दी जायें, राज्य विधान-मण्डलों को नहीं । अब केवल यही प्रश्न रह जाता है कि राज्य विधान-मण्डलों को अपने मत व्यक्त करने के लिये उचित समय मिलना चाहिये । मुझे आशा है कि मंत्री महोदय इस सम्बन्ध में आश्वासन देकर "चौदह दिनों" और एक मास की अवधि का स्पष्टीकरण करेंगे ।

डा० सुरेश चन्द्र (औरंगाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, जो विधेयक इस समय सदन के सम्मुख उपस्थित है, इसका मैं समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । इस विधेयक पर बहस करते समय यह उपयुक्त मौका नहीं है कि राज्यों के पुनर्गठन के सिद्धान्तों के बारे में बहस की जाये । यह तो एक सादा सा बिल है और इस पर बहस करते समय हमें राज्यों के पुनर्गठन के सिद्धान्तों पर बहस नहीं करनी है । इस बिल के जरिये से केवल हमारा जो विधान है उसमें एक यह संशोधन

[डा० सुरेश चन्द्र]

किया जा रहा है कि जो हमारी स्टेट लेजिस्लेचर्ज़ हैं उनको इस बात का मौका दिया जाये कि वे एक अवधि में जो चीज़ें उनके पास भेजी जायें उन पर अपने विचार भेज सकें और साथ ही राष्ट्रपति को यह अधिकार भी दिया जा रहा है कि वह इस अवधि को कम या ज्यादा भी कर सकते हैं । इस बिल का एक उद्देश्य यह भी है कि स्टेट लेजिस्लेचर्ज़ को यह कहने का मौका न मिले कि उन्हें वक्त कम या ज्यादा मिला है ।

अभी पंडित ठाकुर दास भार्गव ने भी कहा कि हमारे जो रूल्ज़ हैं, उनको हमने रोक कर ठीक ही किया है । मैं मानता हूं कि वह एक बहुत बड़े कानूनदां हैं और उनके मुकाबले म जहां तक कानूनी मामलों का ताल्लुक है मैं कुछ भी नहीं हूं । लेकिन मैं श्री अविनाश लिंगम चेट्टियार साहब से सहमत हूं कि यह जो नियम हमने रोका है यह हमने ठीक नहीं किया है और मुझे इससे बहुत संतोष नहीं है । मैं यह समझता हूं कि यदि किसी प्रवर समिति को यह बिल भेज दिया जाता तो वह ज्यादा अच्छा होता । यहां पर यह कहा गया है कि जो इस नियम को हम तोड़ रहे हैं इस संसद् की सहमति से यह इसलिये किया जा रहा है क्योंकि एक बहुत आवश्यक चीज़ हमारे सामने उपस्थित होनी है । लेकिन फिर भी मैं इससे बहुत सन्तुष्ट नहीं हूं । यद्यपि अध्यक्ष महोदय ने यह आश्वासन दिया है कि यह किसी भी प्रकार से प्रिसिडेंट नहीं होगा लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि यह किसी न किसी तरह से प्रिसिडेंट होगा ।

अभी पंडित ठाकुर दास भार्गव ने कहा कि हम प्रोसीजर्ज़ के बारे में लम्बी चौड़ी बहस कर के अपना वक्त गंवाते हैं । मेरी राय में यह बात कहना ठीक नहीं है क्योंकि पार्लियामेंट में बैठ कर हम जो बहस करते हैं वह सब प्रोसीजर के मुताबिक ही करते हैं और हर चीज़ प्रोसीजर के मुताबिक ही चलती है । अगर ऐसी बात न हो तो हमारी बहस में और एक पब्लिक मीटिंग की बहस में फर्क ही नहीं रह जायेगा । इस वजह से इसको "वेस्ट आफ टाइम" कहना, मैं समझता हूं कि मुनासिब नहीं होगा ।

मैं कामत साहब के इस कथन से सहमत नहीं हूं कि स्पीकर साहब की ओपीनियन को बाई पास किया गया हो । कामत साहब ने यह भी कहा कि "हमने संसद् के साथ जबर्दस्ती की है ।" मैं नहीं समझता कि यह बिल्कुल सही है क्योंकि जब संसद् की सहमति हुई तो वह तकरीबन सर्वसम्मति ही थी । इसलिये यह कहना कठोर शब्दों का प्रयोग करना ही है जो, मैं समझता हूं, कामत साहब के मुंह से बहुत शोभा नहीं देते ।

और ज्यादा न कह कर अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि यह एक बहुत सादा संशोधन है, लेकिन महत्वपूर्ण है इस लिहाज़ से कि इसके अन्दर जो विधान सभायें हैं उनको पर्याप्त समय दिया गया है कि उसके अन्दर वे अपने विचार व्यक्त कर सकें, और हमारे जो राष्ट्रपति हैं उनको भी यह अधिकार दिया गया है कि यदि कोई विधान सभा पर्याप्त समय में अपने विचारों को व्यक्त न कर सके तो उसको और ज्यादा समय दिया जाय । यह एक बिल्कुल मुनासिब बात है ।

श्री देशपांडे ने जो संशोधन दिया है वह तो बिल्कुल ही अनुपयुक्त है और मैं समझता हूं कि उसका कोई विशेष स्थान नहीं है । और भी जो दूसरे संशोधन दिये गये हैं उनका भी विशेष स्थान नहीं है ।

इतना कह कर मैं इस बिल का हृदय से पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं ।

श्री एस० एस० मोरे (शोलापुर) : अन्य देशों की अपेक्षा, हमारे देश का संविधा

प्रशासकीय विवरणों को अत्याधिक स्थान देता है और इसलिये उसे कार्यान्वित करते समय हमें अपने अनुभवों के आधार पर उन विवरणों को ठीक करने के लिये संविधान को बार बार संशोधित करने की आवश्यकता पड़ती है ।

इसलिये, मैं सरकार को एक सुझाव देना चाहता हूं कि वह दोनों सभाओं की एक संयुक्त समिति बना दे । वह संयुक्त समिति ही यह देखे कि हमारे पिछले छः सात वर्षों के अनुभवों के आधार पर इस संविधान में कहां-कहां संशोधन की आवश्यकता है । इंग्लैण्ड में, प्रवर समिति द्वारा मूल रूप में तैयार किये गये विधेयक के मसौदे को उसके मूल सिद्धान्तों के आधार पर विधेयक का रूप देने के लिये संयुक्त समिति बनाई जाती है । अपनी इस सभा में भी लाभ-पदों की परिभाषा करने और उसके पूर्व दृष्टांत जुटाने के लिये अध्यक्ष ने एक समिति बनाई थी । इसलिये, बार-बार ऐसे संविधान (संशोधन) विधेयक के पेश होने की विडम्बना को टालने के लिये यह अत्यावश्यक है कि दोनों सभाओं की एक संयुक्त समिति बनाई जाये ।

उच्चतम न्यायालय का विधान संविधान का ही भाग नहीं है, वह एक अन्य ही संविधि से शासित होता है । इसलिये उसमें परिवर्तन करने के लिये उस संविधि विशेष को ही संशोधित करना चाहिये, पूरे संविधान को नहीं ।

श्री देशपांडे और श्री कामत के संशोधन हमें अनावश्यक विवरणों में ही उलझा रहे हैं । श्री देशपांडे का संशोधन तो राज्य विधान-मण्डलों को ही इस सभा की सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न शक्ति के अभिषेध का अधिकार दे देना चाहता है ।

एक लिखित संविधान तो वैसे ही, अलिखित संविधान की अपेक्षा, संसद् के सम्पूर्ण प्रभुत्व को सीमित कर देता है । श्री देशपांडे उसे और भी सीमित कर देना चाहते हैं । पूरे देश के प्रतिनिधियों से बनी होने के कारण, हमारी संसद् सभी मामलों में अधिक निरपेक्षता रख सकती है । इसलिये, मैं उनके संशोधन का विरोध करता हूं । और मैं यही सुझाव रखना चाहता हूं कि संयुक्त समिति बनाने के काम को आगे बढ़ाया जाये ।

श्री टेक चन्द (अम्बाला-शिमला) : मैं विधेयक का समर्थन करता हूं और श्री देशपांडे के संशोधन का विरोध करता हूं । श्री देशपांडे के संशोधन को मान लेने पर तो राज्य विधान-मण्डलों को यह अधिकार मिल जायेगा कि वे राज्यों के संविलयन के किसी भी प्रस्ताव का अभिषेध कर दें । यह हमारे देश के राष्ट्रीय हितों के विरुद्ध पड़ेगा । इसके अनुसार तो राज्य विधान-मण्डल संविधान के अनुच्छेद तीन के अन्तर्गत किये गये सभी प्रस्तावों को व्यर्थ बना सकता है ।

अमरीकी संविधान के चौथे आर्टिकल और आस्ट्रेलियाई संविधान के १२३ और १२४ सेक्शनों में अवश्य ही राज्य विधान-मण्डलों की स्वीकृति पाना अनिवार्य बना दिया गया है । लेकिन उन देशों की परिस्थिति हमारे यहां से बिल्कुल भिन्न है । हमारे यहां तो सब से मुख्य बात देश की एकता और सुदृढ़ता की है । श्री देशपांडे का संशोधन इसके विरुद्ध पड़ता है ।

'विधान-मण्डल के दृष्टिकोणों को अभिनिश्चित करने'—इस वाक्य को बदलने के लिये कहा गया है । मैं कहना चाहता हूं कि उस परन्तुक में काफी परिवर्तन किया जा चुका है । पहले तो, १९३५ के भारत सरकार अधिनियम की धारा २९० के परन्तुक में केवल प्रान्तीय सरकार के दृष्टिकोण को अभिनिश्चित करने की बात थी और अब

[श्री टेक चन्द]

विधान मण्डल के दृष्टिकोण को अभिनिश्चित करना आवश्यक बना दिया गया है। इन दोनों में भारी अन्तर है। प्रान्तीय सरकार के दृष्टिकोणों को अभिनिश्चित करना आसान है, विधान मण्डल का नहीं। फिर, विधान मंडलों को अवसर दिया जायेगा उनके दृष्टिकोणों की जांच की जायेगी और यदि आवश्यकता पड़ेगी तो राष्ट्रपति उन्हें विचार करने के लिये और अधिक समय भी दे सकेंगे। इसलिये सभी दृष्टिकोणों से इस विधेयक को स्वीकृत किया जाना चाहिये।

नियमों के निलम्बन का भी एक प्रश्न उठा है। इस परिस्थिति में यह अनिवार्य था। कभी-कभी बड़े हितों की रक्षा के लिये यह आवश्यक हो जाता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि भविष्य में इसे पूर्व दृष्टांत नहीं बनाया जायेगा।

गृह-कार्य मंत्री (पंडित जी० बी० पन्त) : यहां निश्चित की गई व्याख्या के अनुसार ही, कल हम लोगों ने एक अनौपचारिक सम्मेलन बुलाया था। वहां हमें इस सभा के कुछ प्रमुख सदस्यों के साथ इस विधेयक सम्बन्धी संशोधनों और कुछ अन्य मामलों पर भी चर्चा करने का अवसर मिला था। श्री कामत, श्री चटर्जी, श्री मोरे, पंडित भार्गव, आदि सभी वहां मौजूद थे और मुझे इस विधेयक का अर्थ तथा हमारा अपना उद्देश्य उनके सामने रखने का अवसर मिला था। हम सभी, कम-से-कम मैं, वहां से इसी भावना को ले कर उठे थे कि आज किसी भी संशोधन पर चर्चा नहीं होगी। लेकिन हो सकता है कि वह गलत परिणाम मैंने अपने प्रति दिखाई गई कृपा के कारण ही निकाल लिया हो। फिर भी, मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि इस मामले पर पूरी तौर से चर्चा तो हो गई। सभा में प्रश्नों पर सीधे-सीधे और खुले रूप में बातें न होने पाने पर, कभी-कभी सन्देह बने रहते हैं। इस विधेयक का एक निश्चित उद्देश्य था। इसे यहां पेश करने के पीछे यही दृष्टिकोण था कि राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन पर अन्तिम रूप से विचार करने की प्रक्रिया को और अधिक तेज बनाया जाये और इस सभा द्वारा विचार करने के लिये कोई निश्चित प्रस्ताव तैयार करने से पहले सभी विचारधाराओं और विशेषतया विधान-मण्डलों की पूरी-पूरी सहायता ले ली जाये। मैं बेटोक कहता हूं कि यह विधेयक सारे भविष्य के लिये अन्तिम नहीं। असल में तो उस प्रतिवेदन के आधार पर हमारे निर्णय करने के ठीक बाद ही शायद इसके पुनरीक्षण की आवश्यकता पड़ेगी। श्री चटर्जी ने इसे कहा भी है। यह इसलिये कि उसमें भाग 'क' और 'ख' राज्यों का भी उल्लेख है और यदि यह सभा आयोग के प्रस्ताव को मान लेती है तो भाग 'क' और 'ख' राज्य रह ही नहीं जायेंगे। इसलिये जिस खण्ड से यहां हमारा सम्बन्ध है, उसे संशोधित तो करना ही पड़ेगा। यदि और भी किसी परिवर्तन की आवश्यकता पड़ती है, तो हम अवश्य ही माननीय सदस्यों द्वारा दिये गये सुझावों पर गम्भीरता से विचार करेंगे। जो भी हो, अविश्वासभरा दृष्टिकोण मुझे बड़ी उलझन में डाल देता है। मैं उसके लिये कोई कारण नहीं पाता। यदि लोगों को कार्यों से आश्वासन नहीं मिलता, तो शायद शब्दों से मिल भी नहीं सकता। हमने किया क्या है? हमने राज्यों के मुख्य मंत्रियों से उस समय परामर्श लिया था जब कि हम उससे बाध्य भी नहीं थे। आयोग ने इन समस्याओं पर पर्याप्त समय लगाया ही था। हमने उसके प्रतिवेदन को पूरे देश के सामने और इससे भी अधिक विधान-मण्डलों के सामने विचारार्थ रख दिया। विधान-मण्डलों के पास भेजने के लिये सरकार को बाध्य करने का कोई कानून नहीं था, लेकिन फिर भी हमने यह किया। यह हमने इसलिये किया कि हमारा विचार था कि उससे हमें बल मिलेगा, कि हम जनतांत्रिक ढंग से काम करना चाहते

हैं, और यह भी कि हम अपनी जनता, विधान-मण्डलों और इस सभा के माननीय सदस्यों के सहयोग पर भरोसा रखते हैं । और यह सब हमें तभी मिल सकता है जब हम एक रचनात्मक ढंग से उसकी सहायता मांगें ? इसलिये किसी भी सरकार के लिये देश के किसी भी भाग पर उसकी इच्छा के विरुद्ध कुछ थोपना अविवेकपूर्ण ही होगा । और जब हमने अपनी ओर से इस मामले में इतनी उदारता दिखाई है तो फिर मेरी समझ में कोई ऐसा कारण नहीं आता कि जिससे कि यह सन्देह पैदा हो कि सरकार गलत ढंग से काम करने की कोशिश करेगी । मुझे लगता है कि यह यदि क्रूरता नहीं सहानुभूति-हीनता अवश्य ही है ।

प्रस्ताव के सम्बन्ध में हमने केवल यही कहा है कि सरकार समय निश्चित करेगी । लेकिन, किस बात का समय ? केवल इसी बात का कि वह इस सभा के सामने विधेयक प्रस्तुत कर सके । यह सभा जनता के प्रतिनिधियों से बनी है और हर बात में इसी का निर्णय अन्तिम होगा । यदि सभा महसूस करती है कि हम इस विधेयक के बारे में अनुचित शीघ्रता कर रहे हैं और चाल धीमी करना आवश्यक है तो सभा विधेयक के परिचालन के लिये कह सकती है, या कोई अन्य उपाय कर सकती है । और यदि वह चाहे तो इसे पूरी तौर से रद्द कर सकती है । लगता है कि सभा के सदस्य कभी-कभी अपने अधिकारों और शक्तियों को भूल जाते हैं । उनके द्वारा अपनाये गये दृष्टिकोण का केवल यही कारण हो सकता है । आप क्या करना चाहते हैं और इस प्रकार का विरोध क्यों किया जा रहा है ?

नियम के निलम्बन का भी उल्लेख किया गया है । इस स्तर पर वह न तो आवश्यक है और न संगत । लेकिन यहां उसके कुछ स्पष्टीकरण की आवश्यकता है । नियम का निलम्बन किसने किया ? क्या किसी व्यक्ति ने किया ? क्या सरकार ने किया ?

श्री अलगूराय शास्त्री (जिला आजमगढ़-पूर्व व जिला बलिया-पश्चिम) : नियमों ने किया ।

पंडित जी० बी० पन्त : वह इस सभा के समस्त सदस्यों ने किया , एक सदस्य को छोड़कर । फिर वह शिकायत किसके विरुद्ध है ? क्या शिकायत यह है कि इस सभा के समस्त सदस्यों ने गलत कार्य किया और यह निर्णय विधि के विरुद्ध रहा ? यदि ऐसी बात है तो यह सभा के विवेक उसकी विद्वता और योग्यता के प्रति आक्षेप है । मैं आशा करता हूं कि ऐसा आशय किसी को भी नहीं था ।

नियम किस लिये होते हैं ? यदि कोई नियम निलम्बित किया जाता है तो क्या कोई अवैधानिक कार्य किया जाता है । नियमों में एक नियम यह भी है कि कोई भी नियम निलम्बित किया जा सकता है । यदि अध्यक्ष महोदय उस नियम के अनुसार कार्य करते हैं तो उसमें क्या अनियमितता है ? यदि वह कोई नियम निलम्बित करते हैं तो वैसा करने में वह एक नियम का पालन ही करते हैं । क्या उस नियम में यह लिखा है कि कौनसा नियम निलम्बित किया जायेगा ? कौन से नियम का प्रयोग किया जायगा । वे कौन कौन सी परिस्थितियां थी जिनके अन्तर्गत उस नियम को निलम्बित किया गया ?

जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है, चाहे वह अपने पूर्वानुगामी के अनुरूप हो अथवा नहीं, यह सब के द्वारा स्वीकार किया जाता है कि यह पहले विधेयक की अपेक्षा अधिक अच्छा है । परन्तु जहां तक स्वयं पहले विधेयक का सम्बन्ध है, मैं समझता हूं कि उसका २४६ माननीय सदस्यों द्वारा समर्थन किया गया था और उसके विरोध में केवल २ ही माननीय सदस्य थे । क्या हमें किसी नियम द्वारा इस सभा को सर्व-सम्मति को प्रभावित करने से रोका जाना चाहिये ? क्या हमारे नियमों का प्रयोजन

[पंडित जी० बी० पंत]

इस सभा की सामूहिक इच्छा और विद्वता को कार्य रूप में परिणित करना है अथवा उन्हें इस सभा की इच्छा के कार्य रूप में परिणित किये जाने के मार्ग में अड़ंगा बनाना चाहिये – एक ऐसे नियम का निलम्बित किया जाना जो इस सभा के सर्व सम्मत निर्णय के कार्यान्वियन में बाधक हुआ, हमारी सभा के गौरव और गरिमा बनाये रखने के लिये आवश्यक था । इसलिये मैं समझता हूं कि इस कार्य को इस सभा के अधिकारों का अतिक्रमण समझना सर्वथा ग़लत धारणा है ।

जहां तक इस संशोधन का सम्बन्ध है कि राज्यों के विधान-मण्डलों के मत न केवल जाने ही जायें वरन् इस संसद् पर बाध्य भी हों, मैं समझता हूं कि श्री देशपांडे ने हिरोड को भी मात कर दिया । जब इस संविधान का निर्माण हुआ था तो संविधान-सभा में केवल राज्यों के विधान मण्डलों के ही प्रतिनिधि थे और वे हमारे संविधान में रखे गये प्रावधानों से सन्तुष्ट थे । उन्होंने अन्य किसी परित्राण की आवश्यकता का अनुभव नहीं किया था । उन्होंने इन समस्त मामलों में निर्णय करना संसद् पर छोड़ दिया था । परन्तु श्री देशपांडे इस संसद को दबा देना चाहते हैं और चाहते हैं कि राज्य के विधान-मण्डल का संसद पर प्रभुत्व हो और उसका निर्णय इस संसद के विचारपूर्ण मत के विरुद्ध प्रभावी हो । हमें समझना चाहिये कि हम अपने देश में भिन्न आधार पर चले हैं । हमारे यहां एक प्रकार के एकात्मक संविधान था और उसमें से हमने कुछ राज्य बनाये हैं । ऐसा नहीं था कि हमारे यहां कुछ स्वतन्त्र राज्य थे जिनको एक संघ राज्य का रूप प्रदान किया गया । हमारा संविधान एकात्मक था और समस्त देश सब व्यावहारिक और वास्तविक प्रजयोंनों के लिये एक ही सरकार के अधीनस्थ था जब कि अमेरिका जैसे अन्य देशों में स्वतन्त्र राज्यों ने आपस में कतिपय प्रयोजनों के लिये एक होने का समझौता किया है । उनके मामले में यह उपयुक्त और उचित हो सकता था परन्तु यहां उनका वैसा होना आवश्यक नहीं है और निश्चय ही वह इसलिये ऐसा नहीं है कि जो कोई भी कार्यवाही आप एक राज्य में करेंगे उसकी अन्य राज्यों में और निकटवर्ती राज्यों में भी प्रतिक्रिया होगी । इसलिये जब तक संसद कोई निर्णय नहीं करती तब तक कोई भी अपने विधान-मण्डलों में ऐसे मामलों का ठोस मत नहीं ले सकता । इसलिये यह जान बूझ कर सावधान किया गया था कि उनको अपना मत व्यक्त करने के लिये अवसर तो दिया जाये परन्तु निर्णय स्वयं संसद द्वारा ही किया जाय ।

मैं नहीं समझता कि और भी कोई मामला ऐसा था जिसका मैं अब निर्देश करूं । मैं ने पहले ही सभा को आश्वासन दे दिया है और मैं स्थानीय प्रशासनों मनीपुर और त्रिपुरा (**एक माननीय सदस्य** : कच्छ भी) कच्छ और अन्य भी कोई राज्य, जिसे मैं संभव है भुल रहा होऊं, के मुख्यायुक्तों को सलाह दूंगा कि वे जहां तक संभव हो सके निर्वाचकगणों से परामर्श करें । नियमों के अन्तर्गत हमारे लिये 'ग' श्रेणी के विधान-मण्डलों से परामर्श करना आवश्यक नहीं था । परन्तु हमने उन से भी परामर्श किया है ; और अब हम उनसे फिर परामर्श करने जा रहे हैं । इस सभा में जो सदस्य उपस्थित हैं उनकी अपेक्षा हम उनसे परामर्श करने के लिये अधिक उत्सुक थे । हम समस्त राष्ट्र का समर्थन चाहते हैं । हम आयोग के प्रस्तावों के कार्यान्वियन में ऐसे संपरिवर्तनों से, जो यह सभा आवश्यकता से अधिक समय में करे, विलम्ब नहीं करना चाहते । हम ऐसा करने नहीं जा रहे हैं क्योंकि हमें अपने में विश्वास है और अपने देश में विश्वास है । इसलिये हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि बिना विलम्ब

के निर्णय किये जायें और उन्हें कार्यान्वित भी किया जाय और यही इस विधेयक का प्रयोजन है ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब म संशोधनों पर मत दान लूंगा । क्या कोई माननीय सदस्य अपना संशोधन वापस लेना चाहते हैं ?

श्री श्रीनारायण दास : मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं ।

श्री वी० जी० देशपांडे : मैं अपना संशोधन वापस लेने की अनुमति चाहता हूं ।

श्री कामत : मेरे संशोधन संख्या ३ पर आप मतदान ले सकते हैं, पर संशोधन संख्या ४ पर मैं आग्रह नहीं करता ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बीरेन दत्त ने पहले ही कह दिया है कि वह अपने संशोधन पर आग्रह नहीं करना चाहते । इसलिये ये समस्त संशोधन वापिस लिये जाते हैं ।

संशोधन, सभा की अनुमति से वापिस लिये गये ।

[तत्पश्चात् **उपाध्यक्ष महोदय** ने श्री कामत का संशोधन संख्या ३ सभा के मतदान के लिए रखा और वह अस्वीकृत हुआ ।]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं खण्ड १ और २ पर एक साथ मतदान लूंगा ।

श्री कामत : इसके पूर्व कि आप इस प्रस्ताव को मतदान के लिये रखें मैं आपका ध्यान नियम १६७ की ओर आकर्षित करूंगा जिसके परन्तुक में यह प्रावधान है कि अध्यक्ष सभा की सर्वसम्मति से खण्डों अथवा अनुसूचियों को एक साथ सभा के मतदान के लिये रख सकेगा और उस मामले में मतदान का परिणाम पृथक् पृथक् प्रत्येक खण्ड अथवा अनसूची पर लागू होगा और सभा की कार्यवाही के अधिकृत विवरण में वैसा उल्लेख किया जायेगा ।

अभी तक मैं नहीं समझता था कि यह अभिलेख में आ गया है कि सभा ने वास्तव में इस प्रक्रिया के प्रति सर्वसम्मति दे दी है ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सभा से पूछ रहा हूं । माननीय सदस्य मेरे विनिर्णय का पूर्वानुमान कर रहे हैं । मैं समझता हूं कि सभा की सर्वसम्मति यह है कि खण्ड १ और २ एक साथ मतदान के लिये रखे जायें । क्या सभा का ऐसा ही मत है ?

अनेक माननीय सदस्य : हां, श्रीमान् ।

श्री कामत : यदि कोई माननीय सदस्य खण्ड १ का समर्थन करना चाहते हों और खण्ड २ का नहीं, तो क्या होगा ?

उपाध्यक्ष महोदय : यदि कोई माननीय सदस्य किसी खण्ड के विरोध में हों तो वह वैसा कर सकता है और उस पर मतदान होगा । मैं समझता हूं कि हम खण्ड १ और २ पर एक साथ मतदान लें ।

श्री विश्वास : खण्ड १ पर संशोधन संख्या ८ है जिसके द्वारा यह चाहा गया है कि "Eighth Amendment" ("आठवां संशोधन") के स्थान पर "fifth Amendment" ("पांचवां संशोधन") रख दिया जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : उसके रखे जाने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि अध्यक्ष को यह अधिकार है कि वह औपचारिक संशोधन और आवश्यक सुधार कर सके । इसलिये वह अध्यक्ष महोदय कर देंगे । अस्तु मैं समझता हूं सभा की सर्वसम्मति यह है कि खण्ड १ और २ को एक साथ मतदान के लिये रखा जाय ।

अनेक माननीय सदस्य : हां, श्रीमान् ।

उपाध्यक्ष महोदय : इस पर विभाजन होगा । घंटी बजाई जा रही है .....

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि मैं खण्ड १ और २ अधिनियमन सूत्र और नाम को एक साथ ही मतदान के लिये रखूं ।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १, २, अधिनियमन सूत्र और नाम विधेयक का अंग बने ।"

लोक-सभा में मत विभाजन हुआ : पक्ष में ३७७ थे और विपक्ष में कोई भी नहीं ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव सभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत और उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों की दो तिहाई बहुमत से पारित हुआ ।

मुझे कहना चाहिये कि प्रस्ताव सर्व-सम्मति से पास हुआ

खण्ड १, २, अधिनियमन सूत्र और नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

श्री विश्वास : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाय ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाय ।"

श्री कामत : मैं दो मिनट का समय चाहता हूं । अध्यक्ष महोदय : मैं यह सोच रहा था कि चूंकि सभा-भवन के द्वार इस समय बन्द नहीं हैं इसलिये जल्दी जल्दी कार्य कर लिया जाय । परन्तु यदि माननीय सदस्य समय चाहते ही हैं तो मैं उन्हें मना नहीं करूंगा । द्वार दो मिनट के लिये खुले रहेंगे ।

श्री राघवाचारी : मैं आपका ध्यान नियम १३१ (२) व नियम १७१ की ओर आकर्षित करूंगा । नियम १७१ में यह लिखा है कि अन्य मामलों में नियमों में अन्य विधेयकों के सम्बन्ध में रखी गई प्रक्रिया लागू होगी । परन्तु यहां शब्द " Eighth " अथवा को बदलकर शब्द "Fifth" ("पांचवां") रख दिया गया है । यह एक संशोधन हो जाता है । यह ठीक है कि आपको अधिकार है कि संशोधन के बावजूद भी प्रस्ताव की अनुमति दे दें । मैं केवल यह जानना चाहता था कि क्या आपने इस प्रस्ताव के आज ही रखे जाने के लिय अनुमति दी है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि उपाध्यक्ष महोदय ने ऐसा निर्देश किया है कि ऐसा परिवर्तन बाद में अध्यक्ष द्वारा किया जा सकता है । इसको सभा के मतदान के लिये रखने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री **कामत** : अध्यक्ष महोदय ! माननीय गृह-मंत्री का भाषण तो अच्छा रहा परन्तु उससे सब बातों पर प्रकाश नहीं पड़ सका । कल अनौपचारिक परामर्श के समय उन्होंने हमें बताया था कि .....

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । अनौपचारिक परामर्श की बातें यहां नहीं लाई जानी चाहियें ।

श्री कामत : मैं इस मामले के इस विशेष पहलू के सम्बन्ध में ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा जिसका डा० लंकासुन्दरम् द्वारा भी संकेत किया गया है । मुझे ज्ञात हुआ है कि सरकार ने इसके सम्बन्ध में अवधि का निर्णय कर लिया है । परन्तु माननीय

मंत्री ने इसका उल्लेख नहीं किया । यदि वह कर दिया जाय तो अच्छा होगा ।

इस मामले का दूसरा पहलू यह था कि क्या विधान-मण्डल का मत संसद् के समक्ष रखा जायेगा । यदि तृतीय वाचन के समय इस सम्बन्ध में भी स्पष्टीकरण कर दिया जाय तो अच्छा होगा ।

नियम के निलम्बित किये जाने के सम्बन्ध में मैं यह कहूंगा कि आपने अपना निर्णय रोक लिया था परन्तु उसके बावजूद भी वैसा किया गया ।

अध्यक्ष महोदय : यह तो कही गई बातों की पुनरावृत्ति मात्र है ।

श्री कामत : मैं केवल उस ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता था । अन्ततः सरकारी पक्ष के सदस्यों की अन्यमनस्कता के कारण ही सभा के नेता को अपने दल के सदस्यों को संसद् में उपस्थित रहने के लिये चेतावनी देनी पड़ी ।

मैं आशा करता हूं कि अध्यक्ष महोदय ने पिछले दिन जो आश्वासन दिया था कि यह भविष्य के लिये पूर्वदृष्टांत नहीं माना जायेगा, उसका उनके उत्तराधिकारी आदर करेंगे ।

अध्यक्ष महोदय : क्या माननीय मंत्री कुछ कहेंगे ?

पंडित जी० वी० पन्त : मैं श्री कामत की बात का अर्थ नहीं समझ सका हूं ।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने सभापति पद से दिये गये किसी आश्वासन का निर्देश किया है कि अमुक बात पूर्व दृष्टांत नहीं समझी जायेगी ।

अब प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाय"

लोक-सभा में मत-विभाजन हुआ । पक्ष में ३७७ थे और विपक्ष में कोई नहीं ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव सभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की कम से कम दो तिहाई बहुमत से पारित हुआ ।

श्री कामत : क्या इसका अर्थ यह हुआ कि वह सर्वसम्मति से पारित हुआ ।

अध्यक्ष महोदय : हां, यही अर्थ है ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक—जारी

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा निम्न प्रस्ताव पर पुनः विचार प्रारम्भ करेगी :

"कि हिन्दुओं में वसीयतरहित उत्तराधिकार सम्बन्धी विधि को संशोधित और संहिताबद्ध करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाय ।"

श्री पाटस्कर ।

श्री नन्द लाल शर्मा (सीकर) : मैं एक औचित्य प्रश्न उठाना चाहता हूं कि यह विधेयक संविधान के शक्तिपरस्तात् है चूंकि वह संविधान की २५(१), २६(ख) और १५(१) धाराओं के अन्तर्गत प्रत्याभूत धार्मिक स्वतन्त्रता के विरुद्ध है । इन धाराओं में सार्वजनिक शान्ति, व्यवस्था और नैतिकता के अधीनस्थ धार्मिक विश्वास, व्यवहार

[श्री नन्दलाल शर्मा]

और प्रचार की स्वतन्त्रता दी गई है। मैं कहूंगा कि हिन्दू विधि और हिन्दू शास्त्र कभी भी सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता अथवा स्वास्थ्य के विरुद्ध नहीं रहे हैं। इसके विपरीत हिन्दू लोग तो सम्पत्ति के उत्तराधिकार को धार्मिक दायित्वों की पूर्ति मानते हैं जैसा कि "पिंडदोशहरः स्मृतः" में दिया हुआ है। इस विधेयक से हिन्दुओं के इस मौलिक अधिकार पर बड़ा आघात होगा।

अभी मैं विधेयक के गुण-दोषों में न जा कर यह संकेत करना चाहूंगा कि यह विधेयक खण्ड ४(१) के द्वारा हिन्दू शास्त्रों का स्पष्ट निरसन करता है जो कि इस प्रकार है :

इस अधिनियम में जिन बातों का स्पष्ट रूप से उपबन्ध किया गया है उनके अतिरिक्त (क) इस अधिनियम के लागू होने से पहले की हिन्दू विधि के सभी नियम व्याख्यायें और प्रथाएं इस अधिनियम के लागू होने पर उन मामलों पर लागू नहीं होंगी जिन के बारे में इस में उपबन्ध किया गया है।

इस प्रकार हिन्दू शास्त्रों और हिन्दू परम्पराओं पर प्रत्यक्ष प्रहार किया जा रहा है।

खण्ड १७ (१) (ख) के अन्तर्गत हिन्दू स्त्री की सम्पत्ति का उसकी माता और पिता पर छोड दिया जाना उत्तर भारत में प्रचलित हिन्दू परम्परा के विरुद्ध है।

अनुच्छेद १५ (१) में स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि धर्म, जाति, लिंग, या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेद भाव न किया जायेगा। अतः वर्तमान विधेयक अनुच्छेद १५ (१) का उल्लंघन करता है।

विधेयक के खण्ड १७ (२) में कहा गया है कि यदि स्त्री मर जाय और उस का कोई बेटा न हो तो उस सम्पत्ति का उत्तराधिकार उस के पति को नहीं मिलेगा जो उसे अपने मां बाप से मिली हो परन्तु मृत पति की सम्पत्ति का अधिकार उसकी पत्नी को मिल जायेगा। यह उपबन्ध संविधान द्वारा दिये गये मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है क्योंकि यह लिंग के आधार पर भेद भाव करता है।

यह विधेयक मिताक्षर संयुक्त परिवार प्रणाली में भी हस्तक्षेप करता है। अतः मैं चाहता हूं कि जनता की राय इस सम्बन्ध में लेना उचित है। यह विधेयक संविधान के विरुद्ध है अतः इसको आगे न बढाया जाये।

श्री वी० जी० देशपाडे (गुना): खण्ड ६ में जो उपबन्ध है उसके अनुसार इस अधिनियम के लागू होने पर यदि कोई हिन्दू पुरुष एक संयुक्त परिवार सम्पत्ति में एक अंश छोड़ कर मरता है तो पुत्रों को तो सीमित भाग ही मिलेगा पर पुत्रियों को उनका पूरा भाग मिलेगा इस प्रकार लिंग के आधार पर पुत्र और पुत्री में भेद किया गया है। इस आधार पर भी यह विधेयक संविधान के विरुद्ध है।

विधिकार्य मंत्री (श्री पाटस्कर) : मैं समझता हूं कि इन औचित्य प्रश्नों में कुछ भी सार नहीं है।

मेरे माननीय मित्र जिन्होंने यह आपत्ति की है, शायद यह नहीं जानते कि तथाकथित प्राचीन शास्त्रों का धर्म से उतना सम्बन्ध नहीं है जितना कि रीति रिवाजों से है। मैं नहीं समझता कि संविधान में ऐसा कोई उपबन्ध है जिसके अनुसार वह विधियां जो अभी तक न्यायिक निर्णयों द्वारा परिवर्तित नहीं की जाती थीं, इस प्रभुत्वसम्पन्न संसद द्वारा परिवर्तित नहीं की जा सकती।

इस बात के कहने से उनका क्या अभिप्राय है कि यह धर्म के विरुद्ध है। 'हिन्दू' और

'धर्म' दोनों एक दूसरे के बिल्कुल भिन्न हैं। यह विधेयक सिक्खों पर भी लागू होता है। उनका अपना अलग धर्म है क्यों कि धर्म आराधना की एक प्रणाली है। जैन धर्म वालों की आराधना का भी एक अलग ढंग है। कुछ प्रयोजनों के लिये उन सबों को मिला कर हिन्दू कहा जाता है। अतः यह कहना गलत है कि यह विधेयक जो उत्तराधिकार आदि के सम्बन्ध में हिन्दू कहलाने वाले सभी लोगों पर लागू होने वाले कुछ उपबन्धों की व्यवस्था करता है, धर्म मे हस्तक्षेप करता है। **(अन्तर्बाधा)**

जहां तक पिण्डदान का सम्बन्ध है इस सम्बन्ध में कोई निषेध नहीं है और कोई किसी को भी पिण्डदान कर सकता है। जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है यह केवल सम्पत्ति के सम्बन्ध में है। इस विधेयक में ऐसा कोई उपबन्ध नहीं है जिसके अनुसार किसी व्यक्ति को किसी को पिण्डदान करने से रोका जाये। अतः मैं समझता हूं कि इस औचित्य प्रश्न में कुछ भी सार नहीं है। इस विधेयक में ऐसी कोई बात नहीं है जो संविधान के विरुद्ध हो जैसा कि इस औचित्य प्रश्न द्वारा सिद्ध करने की चेष्टा की गयी है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि यह विधेयक संविधान के विरुद्ध नहीं है क्यों कि धर्म से इस का कोई सम्बन्ध नहीं है।

अनुच्छेद २६ (क) का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि इस अनुच्छेद के अन्तर्गत किसी भी धार्मिक वर्ग को चल या अचल सम्पत्ति अर्जित करने या उसका स्वामी बनने का पूरा अधिकार है। जहां तक सम्पत्ति के निक्षेपण का सम्बन्ध है १९३७ में विधवाओं को सम्पत्ति में एक अंश दिया जाता था। अब इस विधेयक द्वारा इस अधिकार को पूर्ण बनाने के लिये कुछ उपबन्ध किये जायेंगे। रीति रिवाजों से इस विधेयक का कोई सम्बन्ध नहीं है। इसका सम्बन्ध केवल सम्पत्ति से है और सम्पत्ति के विनियमन का विधि के मार्ग में जो रीति-रिवाज रोडे अटकायेंगे उन्हें हटा दिया जायेगा।

तीसरी बात लिंग के आधार पर भेद करने की है। स्वयं भगवान ने ही लिंग भेद किया है। अतः जो भेद अभी तक था उस को हटा कर स्थिति को ठीक बनाया जा रहा है न कि नया भेदभाव पैदा किया जा रहा है।

इस अवस्था में मुझे इस सम्बन्ध में निर्णय देने की आवश्यकता नहीं कि यह विधेयक संविधान के विरुद्ध है या नहीं। पर यदि माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि पति को पत्नी की सम्पत्ति में से एक अंश मिले जिस प्रकार पत्नी पति के सम्पत्ति की अधिकारी होती है, तो उन्हें कहना चाहिये कि एक उपबन्ध कर दिया जाये।

मैं नहीं समझता कि इस विधेयक का धर्म से कोई सम्बन्ध है। अतः कोई औचित्य प्रश्न नहीं है।

श्री पाटस्कर : इस विधेयक के वस्तु विषय के सम्बन्ध में लोगों की जो भावनायें है उनका हमें पता है जैसा कि अभी उठाये गये एक छोटे से औचित्य प्रश्न से प्रकट है और मैं सभा के सभी सदस्यों से चाहे वे किसी भी मत के हों, प्रार्थना करुंगा कि वे धैर्यपूर्वक तथा सावधानी से मेरी बात सुनें।

इस समस्या का एक अपना इतिहास है, उसका वर्णन मैं संक्षेप में करुंगा क्योंकि उसका वर्णन पहले किया जा चुका है। पिछली कुछ शताब्दियों में हमारे देश से जो सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक परिवर्तन हुये हैं उनसे हमारे देश के लोगों के उस बडे भाग जिसे सामूहिक रूप से हिन्दू कहते हैं, कि उत्तराधिकार प्रणाली पर बहुत बुरा प्रभाव पडा है। उस समय जो उत्तराधिकार प्रणाली प्रचलित थी उसमें मातृपक्ष प्रणाली और पितृ पक्ष प्रणाली में बहुत अधिक अन्तर

[श्री पाटस्कर]

था और पितृपक्ष प्रणाली में स्त्रियों को अधिकार में कुछ नहीं मिलता था। हमारे इतिहास की ऐसी बदलती हुई अवस्थाओं में, विभिन्न प्रदेशों में विभिन्न सामाजिक तथा आर्थिक परिस्थितियों के अधीन विभिन्न विधान सभाओं द्वारा बहुत से अधिनियम पारित कर दिये गये हैं।

श्री नन्द लाल शर्मा : एक औचित्य प्रश्न है। मैं देख रहा हूं कि माननीय मंत्री अपना भाषण पढ़ रहे हैं। पहले अवसरों पर भी वह अपना भाषण पढ़ते रहे हैं।

श्री पाटस्कर : मैं जान बूझ कर अपना भाषण पढ़ रहा हूं क्योंकि यह एक उलझा हुआ मामला है और संभव है भविष्य में इसका उद्धरण दिया जाये और बहुत से लोग इस पर टीका टिप्पणी करें। अतः मैं यह पसंद करता हूं कि इस प्रकार के जटिल मामले में मैं अपना भाषण पढ़ूं। इसलिए नहीं कि मैं बिना तैयारी के बोल नहीं सकता।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्रियों को अपना भाषण पढ़ने का अधिकार है ताकि उनके कथन में कोई त्रुटि न रह जाये।

श्री पाटस्कर : मैं फिर प्रार्थना करूंगा कि सभी सदस्य धैर्य से मेरी बात सुनें।

मातृपक्ष प्रणाली उत्तराधिकार के इन परिवर्तनों को ध्यान में रख कर विभिन्न विधान सभाओं द्वारा बहुत से अधिनियम पारित कर दिये गये थे। पितृपक्ष प्रणाली के विभिन्न परिवर्तनों और संयुक्त परिवार की विभिन्न प्रणालियों के विकास और उनकी विशेष प्रकृति के सम्बन्ध में भी समय समय पर बहुत से विधान बने हैं पर इस समस्या के कुछ अंशों के लिये ही थे देश में सामाजिक तथा राजनैतिक परिवर्तन होने के कारण, जिसका विशेषतया मध्यम वर्ग पर प्रभाव पड़ा, संयुक्त परिवार प्रणाली में हस्तक्षेप करने वाला पहला महत्वपूर्ण विधान १९३० में हिन्दू विद्यालय अधिनियम पारित हुआ। सम्पत्ति में महिलाओं के अधिकार की जागरूकता पैदा होने के कारण १९३७ में हिन्दू महिला सम्पत्ति का अधिकार अधिनियम पास किया गया। इसके अनुसार एक विधवा को अपने पति की सम्पत्ति में हिस्सा मिल गया और वह हिस्सा पुत्र के हिस्से के बराबर था। इस प्रकार महिलाओं को सीमित अधिकार मिला जिसे हिन्दू महिला सम्पत्ति कहते हैं। १९३९ में केन्द्रीय विधान सभा में एक गैर सरकारी सदस्य ने इस आशय का विधेयक पेश किया कि मृत माता पिता की सम्पत्ति में पुत्रियों को भी एक भाग दिया जाय। परिणामस्वरूप, १९४१ में सरकार ने हिन्दू विधि को सामान्य रूप से संहिता-बद्ध करने के प्रश्न पर विचार करने के लिये एक हिन्दू विधि समिति नियुक्त की। वह समिति धीरे धीरे हिन्दू विधि को सहिताबद्ध करती रही है जैसे वसीयतरहित उत्तराधिकार तथा विवाह। १९४२ में केन्द्रीय विधान सभा में हिन्दुओं में वसीयतरहित उत्तराधिकार के प्रश्न के सम्बन्ध में एक विधेयक पेश किया गया। १९४३ में विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया गया। प्रवर समिति ने सिफारिश की कि हिन्दू विधि समिति को फिर से चलाया जाय और उससे हिन्दू संहिता के शेष भाग को बनाने के लिये कहा जाये। १९४४ में हिन्दू विधि समिति फिर गठित की गयी और तीन वर्ष तक विचार तथा लम्बी चौड़ी जांच करने के बाद उस समिति नें १९४७ में प्रारुप संहिता के साथ एक प्रतिवेदन पेश किया।

उसी वर्ष केन्द्रीय विधान सभा में एक विधेयक पेश हुआ जिसका एक भाग हिन्दुओं में प्रचलित वसीयतरहित उत्तराधिकार से सम्बन्धित था। यह विधेयक एक प्रवर

समिति को सौंपा गया उस समिति ने अपना प्रतिवेदन १९४८ में संविधान सभा (वैधानिक) के सामने पेश किया। उस प्रतिवेदन पर संविधान सभा (वैधानिक) तथा अस्थायी संसद् में समय समय पर विचार होता रहा पर, कार्य की अधिकता के कारण और चूंकि उस विधेयक में सम्पूर्ण हिन्दु विधि को संहिता बद्ध करने का पूरा क्षेत्र समाविष्ट था अतः अस्थायी संसद् की अवधि के समाप्त होने के पूर्व, वह विधेयक पारित नहीं किया जा सका।

कठिनाइयों को ध्यान में रख कर यह निश्चय किया गया कि हिन्दू संहिता को कुछ टुकड़ों में बाँट लिया जाय और प्रत्येक भाग को अलग अलग संसद् के सामने रखा जाये। यह विधेयक भूतपूर्व हिन्दू संहिता विधेयक का द्वितीय भाग है, जो हिन्दू उत्तराधिकार से सम्बन्धित है।

अब मैं विधेयक के इतिहास की बात कहने जा रहा हुं। यह विधेयक सर्व प्रथम राज्य सभा के सभापति की अनुमति से भारत के गजट में २६ अक्टूबर, १९५४ को प्रकाशित किया गया था। इस प्रकार प्रकाशित होने के बाद यह विधेयक २२ दिसम्बर, १९५४ को राज्य सभा में पुरस्थापित किया गया। माननीय सदस्यों को विदित है कि गत डेढ वर्षों में यह विधेयक किन किन अवस्थाओं से होकर गुजर चुका है। इस विधेयक के विषय पर दोनों सभाओं में काफी विस्तार से चर्चा हो चुकी है और दोनों सभाओं की संयुक्त प्रवर समिति ने ध्यान-पूर्वक उसकी छानबीन और परीक्षण किया है। विधेयक को परिचालित करने पर उस पर जो मत आये उन पर उठाई गयी बातों और दोनों सभाओं में चर्चा के दौरान माननीय सदस्यों द्वारा उठायी गयी बातों तथा संयुक्त प्रवर समिति में प्रतिवेदन में उठायी गयी बातों पर राज्य सभा में आठ-दिन से अधिक विचार किया गया और विधेयक को राज्य सभा ने विस्तार पूर्वक विचार करने के बाद इस रूप में पारित कर दिया है।

मैं इस विधेयक का महत्व और उसके भावी परिणाम भली भांति जानता हूं और मुझे यह कहते हर्ष होता है कि संसद की दोनों सभाओं के सदस्यों और संयुक्त प्रवर समिति में उनके प्रतितिधियों ने इस महत्वपूर्ण समस्या को सुलझान के लिये यथासंभव प्रयत्न किया है। यह विषय सन् १९३९ से अर्थात् १६ वर्ष से जनता और इस सभा के सामने है। मैं इस सभा के सदस्यों से अपील करता हूं कि वे इस विधेयक को शीघ्र पारित करें। समस्या कितनी ही महत्वपूर्ण क्यों न हो, वह एक उचित अवधि के अन्दर सुलझायी जानी चाहिये। लगभग १७ करोड़ ८० लाख मतदाताओं ने जिनमें ८ करोड़ ५० लाख महिलाएं हैं, इस संसद् को निर्वाचित किया है और इस विधेयक द्वारा लगभग ६ करोड़ महिलाओं की अनर्हता दूर करने की चेष्टा की जा रही है। इस दृष्टिकोण के आधारपर माननीय सदस्य इस प्रश्न का महत्व समझ सकते हैं। कोई भी बहुत लम्बी अवधि तक केवल उसकी पिछड़ी दशा पर और सामाजिक आर्थिक पराधीनता का सहारा नहीं ले सकता

राज्य सभा द्वारा पारित इस विधेयक के उपबन्धों के विस्तार का विवेचन करने के पूर्व, मैं कुछ साधारण बातें कहना चाहता हूं। हिन्दुओं की सम्पत्ति के उत्तराधिकार के विनियमित करने के लिये यह विधेयक रखा गया है। उत्तराधिकार का प्रश्न किसी व्यक्ति के मरने के बाद और वह भी उस संपत्ति के सम्बन्ध में उत्पन्न होता है जो मरते समय उस व्यक्ति के पास हो और जिसका उसने पहले कोई निबटारा न किया हो अथवा जिस सम्पत्ति का वह वसीयत के द्वारा निबटारा कर सकता था, उसके बारे में उसने कोई वसीयत न बनायी हो जिससे कि उसके मरने के बाद उस संपत्ति का कोई निबटारा किया जा सके। इस प्रकार इस विधेयक के द्वारा जिसमें के वसीयत रहित उत्तराधिकार का

[श्री पाटस्कर]

विवेचन है, उसमें उल्लिखित उत्तराधिकारियों को चाहे वे लड़के, लड़कियां, विधवाएं या अन्य कोई हों, उस व्यक्ति के जीवनकाल में कोई अधिकार न दिये गये हैं या न दिये जा सकते हैं । इस विधेयक से ऐसे किसी व्यक्ति को संपत्ति में कोई अधिकार तुरंत प्राप्त नहीं होंगे ।

उदाहरण के लिये पुत्र के साथ पुत्री को भी अब पिता की सपत्ति का उत्तराधिकारी बनाया गया है किन्तु इस विधेयक के द्वारा पुत्री को पिता की सम्पत्ति में तुरन्त कोई हिस्सा नहीं प्राप्त होता, जैसे कि संयुक्त मिताक्षरा परिवार में पुत्र को अधिकार होता है । पिता की मृत्यु के पश्चात ही पुत्री पुत्र के साथ अंश लेने की अधिकारी होगा और वह अंश केवल उसी संपत्ति में होगा जो वह मरते समय अलग या संयुक्तरूप में, छोड़ गया हो । मैं यह केवल इसलिये बता रहा हूँ कि इस प्रविधि विषय की उचित जानकारी के अभाव के कारण यह गलत फेहमी या राजनीतिक अथवा अन्य आधार पर कुछ व्यक्तियों द्वारा फैलाई गई गलत धारणा दूर की जा सके ।

भारत में पहले बहुत समय तक, हिन्दू परिवार को समाज की इकाई समझा जाता था और स्वाभाविक ही है कि उसमें कई बातें उत्पन्न हुईं । उदाहरणार्थ, एक परिवार में उत्पन्न किसी स्त्री का दूसरे परिवार में विवाह हो जाने पर उसका उस समाज के ढांचे में कोई स्थान नहीं रहता था दूसरे परिवार में जाने के कारण वह उस परिवार के लिये जिसमें वह पैदा हुई थी, अजनबी बन जाती है ।

अतः इस मूल कल्पना के साथ, विगत शताब्दियों में जो कुछ विकास किया गया है, उसका प्रयोजन परिवार को ईकाई के रूप में बनाये रखना था । प्रारंभ में लिंग के आधार पर पुरुष और स्त्री में भेदभाव करन का कोई विचार नहीं था किन्तु समाज की इकाई के रूप में परिवार की मूल मूल कल्पना के कारण यह भेदभाव उत्पन्न हुआ और वह भेद भाव बहुत लंबे समय से बराबर चले आने के कारण एक पवित्र भावना बन गया । अब सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों ने परिवार के स्थान पर व्यक्ति को इकाई बना दिया है और हमने अपने संविधान की प्रस्तावना में व्यक्ति की, पुरुष अथवा स्त्री, की प्रतिष्ठा को स्वीकृत किया है और उसके लिये आश्वासन दिया है । उस समय जब कि इकाई के रूप में परिवार का संरक्षण करना समाज के हित में आवश्यक था, जन्मतः अधिकार और दायभाग द्वारा अधिकार का सिद्धान्त लागू किया जाने लगा और वह इस संयुक्त परिवार के साथ सम्बद्ध हुआ । इसी को मिताक्षर संयुक्त हिन्दु परिवार कहा जाने लगा । ऐसे परिवार में व्यक्ति नहीं बल्कि परिवार संपत्ति का स्वामी होता थी और व्यक्ति का संपत्ति में केवल एक अनिश्चि अंश होता था । संयुक्त परिवार की संपत्ति में पुरुष का जन्मतः हिस्सा होता था और उसकी मृत्यु के बाद वह अधिकार पुनः परिवार को अर्थात् परिवार के जीवित पुरुष सदस्यों को प्राप्त होता था । इस प्रकतर संयुक्त परिवार को संपत्ति में किसी व्यक्ति का हित पुत्र के उत्पन्न होने पर कम हो जाता था और किसी पुरुष के मरने पर बढ़ जाता था । ऐसे मिताक्षर संयुक्त परिवारों में, जिन में मृत समांशी का हित शेष समांशी को प्राप्त हो जाता है, कोई उत्तराधिकार नहीं होता । इस प्रकार जन्मतः अधिकार विधि संबंधी एक कल्पना मात्र है जिसकें पछि निस्संदेह कुछ भावनाओं का जोर है और बिलकुल अनुपयुक्त और प्रायः अस्वाभाविक दशाओं में उसके कायम करने का प्रयत्न जारी है । पहले उससे जो भी कुछ लाभ हुआ हो, अब वह स्वाभाविक प्रेम के सिद्धान्तों के प्रतिकूल है और उसे पूरी तरह उखाड़ फेंकने में कुछ समय लगेगा । ऐसे विषय में, जहां पक्की भावनाएं हों, यह अधिक अच्छा है कि परिवर्तन धीरे धीरे किन्तु निश्चत रूप से किया जाय और राज्य सभा द्वारा पारित

पद्धति इस विधेयक का यही उद्देश्य है, जिसका विवेचन मैं अभी कहूंगा।

मिताक्षरा संयुक्त परिवार की इस पद्धति का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू यह है कि जहां तक किसी पुरुष सभांशी के सभांशी संपत्ति में अधिकारों का संबंध है, उसे कोई कठिनाई नहीं है। वह किसी भी समय अपना अंश अलग करने की मांग कर सकता है और उसे अलग करा सकता है। सभांशी के साथ अपना संबंध तोड़ देने की इच्छा मात्र पर्याप्त है और वह संयुक्त परिवार की संपत्ति में अपने अंश का एक अलग स्वामी बन सकता है।

संयुक्त परिवार का एक दूसरा रूप है जिसे हिन्दू विधि में दाय भाग संयुक्त परिवार कहा जाता है। दायभाग प्रणाली देश के केवल कुछ क्षेत्रों जैसे बंगाल और आसाम में, लागू है। देश के शेष भागों में, दक्षिण में कुछ भागों को छोड़ जहां बिलकुल विभिन्न पद्धति अर्थात् अनेक प्रकारों के साथ मातृ पक्ष परिवार पद्धति प्रचलित है, मिताक्षर पद्धति लागू है।

विधेयक के खंड ५ में यह कहा गया था कि यह विधयक संयुक्त परिवार की संपतियों या उन में निहित किसी हित के लिये, जो जीवित समांशी सदस्यों को दायाद से प्राप्त होगा, लागू न होगा। इस विषय पर चर्चा के समय दोनों सदनों में अनेक सदस्यों ने यह आपत्ति की कि यह न तो उचित है और न तर्क संगत उसका अर्थ यह होता कि मिताक्षर पद्धति की सारी संपत्तियों पर यह विधेयक लागू न होगा और इस प्रकार हिन्दु संहिता विधेयक की तुलना में, जो गत अनेक वर्षों से संसद् और जनता के सामने है, यह विधयक एक प्रतिगामी विधेयक है। यह तर्क बहुत जोरदार था और दोनों सदनों की संयुक्त समिति ने इस कठिन समस्या का हल ढूंढ़ निकाला।

जैसा कि मैंने पहले बताया है, हिन्दू सभंशिता के पुरुष सदस्यों को न केवल कोई कठिनाई नहीं होती, वरन् सामान्य रूप से उनके अधिकार सुरक्षित रहते हैं जब कि महिला उत्तराधिकारियों को कोई अधिकार नहीं मिलता। किन्तु यदि मिताक्षर ढंग के हिन्दू संयुक्त परिवार में महिला उत्तराधिकारियों को किसी भी परिस्थिति में दायभाग प्राप्त करने के अधिकार से पूर्ण तरह से वंचित किया जाय, तो इस विधयक से कोई लाभ नहीं होगा। अतः संयुक्त समिति और राज्य सभा इस निर्णय पर पहुँची कि जब तक मिताक्षर संयुक्त परिवारों में भी महिला उत्तराधिकारियों को दायभाग प्राप्त करने का अधिकारी बनाने का प्रश्न विधेयक में सम्मिलित नहींकिया जाता तब तक यह विधेयक पूरा नहीं होगा। इसलिये उन्होंने मिताक्षर पद्धति की संपत्ति मेंभी महिला उत्तराधिकारियों को अंश दिलाने की व्यवस्था की। माननीय सदस्यों को मालूम होगा कि जब सम्पदा शुल्क अधिनियम पारित हुआ था, उस समय इसी प्रकार का प्रश्न उपस्थित किया गया था। सम्पदा शुल्क दाय-भाग से मिलने वाली संपत्ति पर एक कर है। भारत में बहुत अधिक संख्या में लोगों पर मिताक्षर पद्धति लागू होती है और इन लोगों की संयुक्त पारिवारिक संपत्तियों के मामले में दायभाग द्वारा उत्तराधिकार नहीं होता। यदि ऐसी सभी संपत्तियों या इन संपत्तियों में कोई अंश सम्पदा शुल्क के क्षेत्र से इस कारण निकाल दिया जाय कि वह दायभाग से प्राप्त न होकर उत्तराधिकारिता के कारण प्राप्त होती हैं, तो इस प्रकार संपदा शुल्क का मुख्य उद्देश्य ही समाप्त हो जायेगा। तब यह निर्णय किया गया कि कराधान के लिये मृत समांशी के हित को इस प्रकार समझा जाये जैसे कि उसकी मृत्यु के ठीक पहले सभांशी संपत्ति में उसका हित शेष समांशी संपत्ति से अलग कर दिया गया हो। इस पूर्व प्रथा के अनुसार संयुक्त हिन्दू समांशिता के मृत सदस्य की संपत्ति का एक अंश महिला उत्तराधिकारी को देने के लिये इसी प्रकार का तरीका निकाला गया है। मिताक्षर

[श्री पाटस्कर]

पद्धति के संयुक्त हिन्दू परिवार को वास्तव में छिन्न भिन्न किये बिना जिस प्रकार संपदा शुल्क का उद्देश्य पूरा किया जा सका उसी प्रकार इस विधेयक में भी संयुक्त हिन्दू परिवार को छिन्न-भिन्न किये बिना महिला उत्तराधिकारी को उसी आधार पर एक अंश दिये जाने की व्यवस्था की गयी है। इस विधेयक में सबसे महत्वपूर्ण खंड ६ का संक्षेप में यही सारांश है।

माननीय सदस्य जानते होंगे कि हिन्दू कोड बनाते समय, जो एकबार संसद् के समक्ष रखा गया था और जिसपर अस्थायी संसद् की एक प्रवर समिति ने विचार भी किया था, उत्तराधिकार की मितक्षरा पद्धति उस कोड के पारित होने की तारीख से बिलकुल रद्द कर देने की एक प्रस्थापना रखी गयी थी। उसे ध्यान में रखते हुए उन्होंने जन्मतः अधिकार और दायाद का अधिकार जो उस पद्धति के अनिवार्य अंग हैं, रद्द कर देने की प्रस्थापना की थी। इस प्रकार उन्होंने सारे हिन्दुओं पर दायभाग पद्धति लागू करने का प्रयत्न किया था। राज्य सभा द्वारा पारित रूप में वर्तमान विधेयक में ऐसी बात नहीं है किन्तु उसमें दूसरे रास्ते अपनाये गये हैं।

जैसा कि पहले बताया जा चुका है, हिन्दू मिताक्षर संयुक्त परिवार में, स्त्रियों को उत्तराधिकार के विषय म उस परिवार से अलग कर दिया जाता है और वे संयुक्त परिवार की समांशिता में समांशी सदस्य नहीं बन सकती। अतः ऐसी व्यवस्था करना उपयुक्त समझा गया कि इस अधिनियम के पारित हो जाने के बाद भी, मिताक्षरा परिवार के पुरुष सदस्यों के समांशिता में अधिकार, दायाद-अधिकार द्वारा शासित हों और साथ ही ऐसा उपबन्ध रखा जाना चाहिये कि ऐसी समांशिता की संपत्ति के संबंध में महिला उत्तराधिकारियों को भी उचित अंश मिलना चाहिये।

अतः इस विधेयक के खंड ६ में एक स्पष्ट उपबन्ध रखा गया है कि इस अधिनियम के प्रारंभ होने के बाद जब कभी कोई हिन्दू पुरुष जिसका मिताक्षर समांशिता संपत्ति में कोई अंश हो, मर जाये, तब उसका हित समांशिता के शेष सदस्यों को दायाद भाग के अनुसार और न कि इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार प्राप्त होगा।

विधेयक में संलग्न अनुसूची के वर्ग १ में उल्लिखित स्त्रियों को ऐसे मृत व्यक्ति की संपत्ति में अंशका अधिकारी बनाने के लिये खंड ६ में एक परन्तुक जोड़ा गया है। यह इस आधार पर किया गया है जैसे कि मृत व्यक्ति का हित उसकी मृत्यु के ठीक पहले किये गये विभाजन पर उसे आवंटित किया गया था। उसका प्रयोजन यह है कि मिताक्षर ढंग के संयुक्त परिवार को छिन्न-भिन्न न करने का प्रयत्न करते हुए, पुत्री अथवा वर्ग १ की महिला उत्तराधिकारी को भी मृत समांशी की संपत्ति में उचित अंश मिले।

खंड ६ को ठीक तौर से समझने के लिये मैं यहाँ हिन्दू मिताक्षर संयुक्त परिवार और हिन्दू दायभाग परिवार की मुख्य बातों का उल्लेख करूंगा जिससे कि वे सदस्य जो वकील नहीं हैं यह समझ सकेंगे कि क्या किया जा रहा है। एक हिन्दू समांशिता संयुक्त परिवार से कहीं अधिक संकुचित है। उसमें केवल वे ही व्यक्ति सम्मिलित होते हैं जिन्हें संयुक्त समांशिता संपत्ति में जन्मतः हिस्सा प्राप्त होता है ये व्यक्ति लड़के, पोते और पड़पोते हैं, अर्थात् सपत्ति के धारक के तीन पीढ़ी आगे। पिता, प्रपिता, प्रपितामह से अर्जित संपत्ति पैतृक संपत्ति होती है; अन्य संबंधियों से प्राप्त की हुई संपत्ति उसकी अलग संपत्ति है। पैतृक संपत्ति की मुख्य और आवश्यक विशेषता यह है कि उसे उत्तराधिकार में प्राप्त करनेवाले व्यक्ति के यदि लड़के, पोते, परपोते हों, तो वे उसके साथ संयुक्त रूप से स्वामी बन जाते हैं

और जन्मतः उसके अधिकारी बन जाते हैं। जहां तक उसकी अलग संपत्ति का संबंध है वह उसका संपूर्ण स्वामी है। किन्तु एक बार उसकी अलग या स्व-अर्जित संपत्ति उसके लड़के के हाथ में चली जाने पर वह लड़के के लिये पैतृक संपत्ति बन जाती है।

समांशिता बिलकुल विधि की एक बनावट है। समांशिता में एक समांशी का हित घटता बढ़ता रहता है और किसी के जन्म होने से कम हो जाता है केवल विभाजन द्वारा ही एक समांशी निश्चित अंश का अधिकारी बन सकता है। मिताक्षर विधि के अधीन कोई स्त्री समांशी नहीं हो सकती।

समांशी संपत्ति की मुख्य दो बातें ये हैं कि वह दायाद अधिकार द्वारा, न कि उत्तराधिकार द्वारा, प्राप्त होतीहै और वह ऐसी संपत्ति है जिसमें समांशी के पुत्र को जन्मतः अंश प्राप्त होता है। समांशी को किसी भी समय अपने भाग को बांटने के लिए कहने का अधिकार है और अलग होने के लिए उसके इरादे से ही समांशिता में से उसका हिस्सा अलग हो जाता है।

दायभाग विधि के अनुसार बेटों का पैतृक सम्पत्ति में जन्म मात्र के कारण कोई अधिकार नहीं होता। पिता की मृत्यु के बाद ही पहली बार उन्हें यह अधिकार मिलता है। पिता की मृत्यु के बाद उन्हें वह सम्पत्ति मिलती है जो कि वह मृत्यु के समय छोड़ जाता है, चाहे वह अलग हो चाहे पैतृक। यह सम्पत्ति उन्हें उत्तराधिकारी के नाते मिलती है, उत्तरजीवी के नाते नहीं। पिता को पैतृक सम्पत्ति वेचने का पूरा अधिकार है। दायभाग विधि के अधीन समांशिता में पुरुष और स्त्री दोनों आ सकते हैं। वह अधिकतर उदार विचार धारा है। दायभाग विधि में स्वामित्व की एकता नहीं होती, परन्तु केवल कब्जे की एकता होती है और समांशी सम्पत्ति में प्रत्येक का स्पष्ट भाग होता है।

मैं खण्ड ६ की अधिक विस्तार के व्याख्या करने की चेष्टा करूंगा, क्योंकि वह इस विधेयक का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। खण्ड ६ कुछ बातों पर निर्धारित है, जो कि इस उदाहरण से स्पष्ट हो जाएंगी। मैं एक व्यक्ति का उदाहरण लेता हूं, जो कि अपनी मृत्यु के समय एक पुत्र ख, एक पुत्री ग और एक दूसरा पुत्र घ छोड़ जाता है। उस के पुत्र क के तीन पुत्र हैं ख, ख२, और ख३। दूसरे पुत्र घ का एक पुत्र घ१ है। तो जहां तक खण्ड ६ का संबंध है, वह कोन सी बातों पर आधारित हैं।

पहली यह है कि क अपनी मृत्यु के समय समांशिता अलग नहीं हुआ था। यदि वह अलग हो गया हो तो बात बहुत साधारण बन जाती है। यदि वह अलग हो गया था, तो कोई कठिनाई नहीं होगी। उसकी सम्पत्ति सब बच्चों में समान रूप से बांटी जायेगी, और उसकी पुत्री ग का भाग उसके पुत्रों ख और घ के अलग अलग भाग के बराबर होगा।

दूसरी बात यह है कि असमानता को दूर करने के उद्देश्य से मृत व्यक्ति की सम्पत्ति में पुत्री के भाग का निर्णय करने के लिए विशेष सूत्र बनाना चाहिए और यह सत्र इस विचार से बनाया गया कि यदि ख, ख१, ख२, ख३, घ और घ१ ये सब क की मृत्यु के समय इकट्ठे हों तो इन सब का हिस्सा मृत क के हिस्से में होगा। इसकी थोड़ी सी और व्याख्या होनी चाहिए। मिताक्षर परिवार सम्बन्धी विधि के अनुसार पिता क का और उसके पुत्रों और पौत्रों का सम्पत्ति में जन्म से अधिकार होता है। यह करने की कोशिश की गई थी कि सम्पत्ति को क की मृत्यु पर तीन समान भागों में बांटा जाएगा। ख और घ को परिवार के दूसरे व्यक्तियों के भाग के बराबर मिलेगा यही व्याख्या में दिया गया है। मैं यह व्याख्या पढ़ता हूं

"इस धारा के परन्तुक के प्रयोजन के लिए, समांशी सम्पत्ति में मृतक के अंश

[श्री पाटस्कर]

में प्रत्येक पुरुष उत्तराधिकारी को जो इकट्ठे होंगे, अंश होगा. . ."

पहले दिए गए उदाहरण में यदि क की मृत्यु हो गई हो और वह दो पुत्र ख, घ और एक पुत्री ग छोड़ गया हो और वे सब इकट्ठे हों तो ध्येय यह है कि पुत्री को ख और घ के भागों के बराबर अर्थात् क की सम्पत्ति का एक तिहाई भाग मिले। व्याख्या में जैसा उपबन्ध है वैसा न हो, तो ख और घ दोनों पुत्र यह दावा करेंगे कि क की सम्पत्ति या उन में से प्रत्येक का जन्मत: एक तिहाई का अधिकार है अर्थात् दोनों का क की सम्पत्ति के दो तिहाई पर अधिकार है और जो एक तिहाई शेष रह जाएगा उसके वे दोनों और पुत्री बराबर अधिकारी होंगे। यदि यह उपबंध न होता तो यह होता कि क की मृत्यु पर दोनों पुत्रों में से प्रत्येक को एक तिहाई, अर्थात् दोनों को दो तिहाई भाग मिल जाता और शेष एक तिहाई में भी वे पुत्री के साथ उत्तराधिकारी होते, इस तरह से पुत्री को यथार्थ में नवां भाग मिलता। इस विषमता को दूर करने के लिए यह व्याख्या दी गई है। उदाहरणत:, यदि समांशिता में क का भाग ९,००० रूपए का होता, तो दो पुत्रों को जन्म से ही उस भाग में से ६,००० रु० मिलता और शेष ३,००० रु० को वे पुत्री के साथ इकट्ठे बांटते। इस तरह से पुत्री को केवल १,००० रुपए अर्थात् क के भाग का नवां हिस्सा मिलता। हम यह उपबंध भी करदें कि पुत्री और पुत्रों का भाग समान होना चाहिए, तो भी इस व्यवस्था के न रहने से यही परिणाम होगा। इसी कारण ऐसा उपबंध किया गया है।

व्याख्या देने से क के भाग में उन के दोनों पुत्रों का, जो इकट्ठे हो भाग भी होगा और उसका भाग जो कि ९,००० रु० [illegible] दोनों पुत्रों और पुत्री में बराबर-बरा बांट जाएगा। अर्थात् दोनों पुत्रों और पुत्री प्रत्येक को क के भाग में से ३,००० रु० मिलेंगे अत: व्याख्या में यह उपबंध आवश्यक है ताकि पुत्री और पुत्रों को समांशी सम्पत्ति में क के कुल भाग का बराबर बरारब हिस्सा मिले। इस उपबंध की काफी आलोचना की जाती है। पहली बात तो यह कही जाती है कि इस व्याख्या के कारण हम पुत्री ग को हम मृत पिता क के भाग में से ही हिस्सा नहीं देते हैं परन्तु दोनों भाई ख और घ जो इकट्ठे हैं उनके उस भाग में से भी हिस्सा देते हैं जिस पर जन्मत: उनका अधिकार था। जन्माधिकार विधि से उत्पन्न कल्पना मात्र है और व्याख्या इस कल्पना का खण्डन करती है। यह भी कहा जाता है कि इस व्याख्या के प्रभावों से बचने और पुत्री को उसके वैध भाग से वंचित करने के लिए दोनों पुत्रों ख और घ को अपने पिता के जीते ही सम्पत्ति बांटने के लिए दावा करना और अलग होना आसान होगा। यह भी कहा जाता है कि लोग इस व्याख्या के कारण इस उपबंध के प्रभावों से बचने के लिए सम्पत्ति बांटना आरम्भ कर देंगे। यह उत्तराधिकार की विधि प्राकृतिक प्रेम पर आधारित है। इस समय इसके विरुद्ध जो भी धारणाएं और भावनाएं हों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्राकृतिक प्रेम की भावनाओं की अन्त में विजय होगी और भविष्य में पिता और भाई अपनी पुत्रियों और बहिनों से न्याय करने के लिए इस विधि के अनुसार चलेंगे। मुझे मानवीय स्वभाव पर अधिक विश्वास है और जो भी डर प्रकट किए गये हैं वे निराधार सिद्ध होंगे।

जब दोनों सदनों में विधेयक पर विचार किया जा रहा था तो खण्ड ५ के उपबंध का बहुत विरोध हुआ। उस उपबंध के अनुसार यह विधेयक ऐसी सम्पत्ति पर लागू नहीं होगा जिसका उत्तराधकिार मद्रास मारुमकट्टयम अधिनियम और खण्ड संख्या ५ के उपखण्ड (३) में दिए गए अधिनियमों के अन्तर्गत नियत होता है। ये अधिनियम उन विषयों से संबंधित

हैं जिन पर उस विधि की प्रणाली लागू होती है, जिसे हम मातृपक्ष प्रणाली कह सकते हैं और जो भारत के दक्षिण पश्चिमी तट के क्षेत्रों में लागू हैं यह उपखण्ड (३), खण्ड ५ के उपखण्ड (१) की भांति हटा दिया गया है। खण्ड ५ का पहला उपखण्ड मिताक्षर विधि द्वारा विनियमित सम्पत्ति से सम्बन्धित था एक जैसी विधि बनाने के लिए यह ठीक कार्यवाही की गई है। राज्य सभा ने विधेयक में खण्ड संख्या ७ को जोड़ कर उन व्यक्तियों के उत्तराधिकार के संबंध में उपबंध किया है जिन पर भारत के पश्चिमी किनारे में इस मामले में प्रचलित विभिन्न विधियां लागू होती हैं। अतः उसने सब 'हिंदुओं' के उत्तराधिकार के संबंध में उपबंध करके ठीक किया है। खण्ड संख्या ७ के उपबंधों का बड़ा संतोषजनक पहलू यह है कि इसको उन सब माननीय संसद् सदस्यों ने एकमत से स्वीकार किया है जो उन क्षेत्रों के प्रतिनिधि हैं, जहां, पर यह मातृपक्ष प्रणाली प्रचलित है।

एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन जो राज्य सभा ने किया है वह यह उपबंध है कि प्रत्येक पुत्र और पुत्री, जो अपने पिता की मत्यु के बाद जीवित होते हैं, सम्पत्ति का बराबर भाग प्राप्त करेंगे। मूल विधेयक में प्रत्येक पुत्री को आधे भाग का अधिकार दिया गया था। इस बात पर ध्यान देना चाहिये कि अस्थायी संसद् द्वारा हिंदु कोड बिल के संबंध में जो व्यपगत हो चुका है, प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए नियुक्त प्रवर समिति ने भी पुत्री को पुत्र के भाग के बराबर भाग दिया था। संयुक्त समिति भी इस विषय पर पिछली प्रवर समिति से सहमत थी। मैं इस बात पर प्रसन्न हूं कि अस्थायी और वर्तमान संसद और राज्य सभा इस बात पर सहमत हैं जो ठीक और न्यायोचित है। कुछ लोग पुत्रियों को बराबर हिस्सा दिये जाने पर इस आधार पर आक्षेप करते हैं कि परिवार ने पहले ही पुत्री के विवाह पर परिवार की सम्पत्ति बेच कर बहुत रुपया व्यय किया हुआ है। परन्तु यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि कुछ मामलों में पुत्रों के विवाह पर और उनकी पत्नियों के लिए, जो कि परिवार की बहु होती है, गहने बनवाने पर बहुत रुपरा व्यय करना पड़ता है। ऐसे तवाह करने वाले विवाह की सब निन्दा करते हैं और आवश्यकता के मामले में इस का कोई भी भाग पुत्री के लिए नहीं होता। यह बिल्कुल ही ठीक और न्यायपूर्ण नहीं है कि एक पुत्री को बराबर भाग ऐसी बात के कारण न दिया जाए जो कि मुख्यतः उसके लिए नहीं की गई है। मुझे विश्वास है कि इस विधि के पारित होने के बाद विवाह पर व्यय कम हुआ करेगा और दहेज की बुराई कम हो जाएगी। यही नहीं, परन्तु समग्ररूप से स्त्रियों की प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी।

आजकल विवाहित पुत्री को उसके पिता के घर में न होने के समान समझ जाता है। पहले चाहे कुछ भी सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियां रही हों, समाज की वर्तमान अवस्थायें इस विधि के पारित होने के बाद अपने पति या सुसराल के घर रहने वाली विवाहित पुत्री सदा यह समझे भी कि उसका स्थान उस के पिता के घर में भी है और यह एक असहाय व्यक्ति नहीं है जिसे कि अपने पति और उसके परिवार के व्यक्तियों की दया पर निर्भर रहना पड़ता है। पति और उसके परिवार के व्यक्ति भी यह समझेंगे कि पत्नी या बहू केवल उन पर ही पूर्णतः आश्रित नहीं है और वे उससे अधिक अच्छा व्यवहार करेंगे। मानसिक पहलू भौतिक पहलू से अधिक महत्वपूर्ण है।

[**श्री बर्मन** पीठासीन हुए]

भौतिक दृष्टिकोण से भी वह पिता द्वारा छोड़ी गई सम्पत्ति जो कि उसे अधिकारी होने के नाते मिलेगी, पुत्री के लिए उस अवस्था में लाभदायक होगी जब कि उसके पति की मृत्यु हो जाए या उसका पति उसे छोड़ दे। अब भी शायद यह उसे मिलती परन्तु केवल अपने भाइयों और अधिकतर उनकी पत्नियों से कृपा के परिणामस्वरूप मिलती होगी। जब

[श्री पाटस्कर]

हमने व्यक्तित्व के गौरव को, लिंग भेद को न मान कर, मान्यता देने का काम उठाया है, तो केवल मात्र ठीक-बात जो हमें करनी चाहिए वह यह है कि हमें पुत्री और पुत्र के साथ समान रूप से बर्ताव करना चाहिए। जब संविधान में यह उपबंध है कि लिंग के आधार पर कोई भेद-भाव नहीं होगा, तो हम पिता की सम्पत्ति में से पुत्री को आधा भाग और पुत्र को पूरा भाग कैसे दे सकते हैं? यदि एक अविवाहित पुत्री का अपने पिता की मृत्यु के पश्चात् उसकी सम्पत्ति के भाग पर अधिकार हो जाता है, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि उसका भाई दायभाग के उसके भाग में से उसके विवाह पर व्यय करेगा। इसके अतिरिक्त कोई बात मानने के लिए कोई कारण नहीं है।

मूल विधेयक में उस सम्पत्ति के हिंदू स्त्री के सीमित भाग के विषय में कुछ नहीं था, जिसकी भविष्य में हिन्दू स्त्री उत्तराधिकारी बन सकती है। संयुक्त समिति ने अब यह उपबंध किया है कि इस अधिनियम के लागू होने के समय हिन्दू स्त्रियों के कब्जे में जो सम्पत्ति होगी उस पर उनका पूर्णाधिकार होना चाहिए, सीमित नहीं।

जहां तक हिंदू स्त्रियों की सम्पत्ति के उत्तराधिकार का संबंध है, विधेयक में यह लिखा हुआ है कि यदि कोई हिन्दू स्त्री बिना सन्तान के मर जाती है, तो जहां तक उसे अपने पिता या माता से मिली हुई सम्पत्ति का संबंध है वह उसके पिता के उत्तराधिकारियों को मिलेगी और जहां तक उसके पति या ससुर से मिली हुई सम्पत्ति का संबंध है, वह उसके पति के उत्तराधिकारियों को मिलेगी।

यह कहीं भी प्रचलित सामान्य उत्तराधिकार नियम का एक अपवाद है, परन्तु हमारे देश में विशेष परिस्थितियां होने के कारण ऐसा करना न्यायोचित है।

विधेयक की खण्ड संख्या २४ उत्तराधिकारियों को पूर्व क्रयाधिकार देती है ताकि यदि कोई अधिकारी सम्पत्ति के अपने भाग को बेचना चाहता है, तो दूसरे उत्तराधिकारी पूर्व क्रयाधिकार का दावा कर सकते हैं। यह उपबंध सामान्य रूप से है और सब उत्तराधिकारियों पर लागू होता है। इस विषय में मूल विधेयक का उपबंध इतना स्पष्ट नहीं था और सब उत्तराधिकारियों पर लागू नहीं होता था।

यद्यपि इस विधेयक के खण्ड ६ के अनुसार स्त्री उत्तराधिकारी को मिताक्षर अविभक्त परिवार की सम्पत्ति में से भाग प्राप्त करने का अधिकार है, फिर भी इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि उसे उस परिवार की समांशी नहीं बनाया गया है। ऐसी सम्पत्ति कारबार के रूप में या अचल सम्पत्ति के रूप में हो सकती है। खण्ड २४ द्वारा दिए गए पूर्व क्रयाधिकार से यदि समांशी या दूसरे उत्तराधिकारी परिवार के लिए सम्पत्ति रखनी चाहते हों तो सम्पत्तियां परिवार में इकट्ठी रह सकेंगी।

एक माननीय सदस्य : समय समाप्त हो गया है।

श्री पाटस्कर : मैं घड़ी की ओर देख रहा हूं और मैं एक घण्टे में अपना भाषण समाप्त कर दूंगा।

एक नया खण्ड २५, विधेयक में जोड़ दिया गया है जो कि रहने के मकान के संबंध में विशेष उपबंध करता है। हमारे देश में परिवार के रहने के मकान के साथ कोमल भावनाएं बहुत संबंधित होती हैं। इसके अतिरिक्त, हमारे देश के गांवों की दशा के अनुसार, रहने का मकान परिवार की एक मुख्य आवश्यकता है। सामान्यतः पुत्री विवाह होने पर दूसरे परिवार में मिल जाती है और उसे साधारणतः अपने पति के परिवार के मकान में रहना पड़ता है। अपने पति के प्रभाव में काम करने की भी उसकी

सम्भावना है। ऐसी परिस्थितियों में यह उपबंध किया गया है कि स्त्री उत्तराधिकारी को मकान के बंटवारे का दावा करने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए, जब तक कि पुरुष उत्तराधिकारी मकान के अपने भागों को बांटना नहीं चाहते फिर भी, स्त्री उत्तराधिकारी को ऐसे मकान में रहने का अधिकार दिया गया है।

जैसा हमें पता है, कई परिस्थितियों में स्त्री उत्तराधिकारी ऐसी हो सकती है जिसे उसके पति ने छोड़ दिया हो और ऐसी विधवा हो सकती है जिसके पति ने कोई मकान न छोड़ा हो और ऐसी परिस्थितियों में संभव है कि वह अपने पिता के मकान में आकर रहे यही मुख्य कारण है कि यह विधेयक स्त्री उत्तराधिकारी को परिवार के मकान में रहने का अधिकार देता है।

हिन्दुओं में दायभाग के प्रश्न पर विचार करते समय बदली हुई आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों से कई नये प्रश्न उत्पन्न हुए हैं। उदाहरणार्थ इस मामले पर चर्चा के समय कई माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया कि अविवाहित लड़की को अपने पिता की सम्पत्ति में हिस्सा दिया जाय परन्तु विवाहित लड़की को नहीं। परन्तु सम्भव है कि विवाहित लड़की की हालत अच्छी न हो। विवाहित लड़की के सम्बन्ध में भी यही बात हो सकती है। ऐसी अविवाहित लड़की भी हो सकती है जिसे परिवार के खर्च पर अच्छी शिक्षा मिली हो और जो अपनी रोजी कमा सकने योग्य हो और दूसरी ओर ऐसी अविवाहित लड़की भी हो सकती है जिसमें आकर्षण या बुद्धि का अभाव हो, बेटों के मामले में भी ऐसा हो सकता है, अर्थात् एक बेटा ऐसा हो सकता है जो परिवार के खर्च पर पढ़ा हो और कमा सकता हो और दूसरा ऐसा भी हो सकता है जो प्रखर बुद्धि वाला न हो और काफी न कमा सकता हो। व्यापार में भी एक तो अच्छी तरह कमा सकता है और सम्भव है कि दूसरे में वे गुण न हों जो व्यापार के लिए आवश्यक हैं। ऐसे मामले में कोई निश्चित कसौटी नहीं हो सकती। इसलिए सबसे अच्छी चीज यह होगी कि प्रत्येक हिन्दू को यह अधिकार दिया जाय कि वह अपनी सम्पत्ति के बारे में वसीयत कर सके। वह हिन्दू मिताक्षर परिवार का भी हो तो भी उसे समांशिता में अपने हिस्से के सम्बन्ध में वसीयत करने का अधिकार होना चाहिए क्योंकि इन मामलों का निर्णय वह सबसे अच्छी तरह कर सकता है। यदि उस के किसी बेटे या बेटी की आर्थिक दशा अच्छी है तो वह उसके लिए कम सम्पत्ति छोड़ सके और यदि उसकी सन्तान में से किसी को अधिक धन या सम्पत्ति चाहिए तो वह उसके लिए अधिक सम्पत्ति छोड़ सके—ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। यदि वह किसी बेटी के विवाह पर अधिक खर्च कर चुका हो उसकी स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि वह उस सम्बन्ध में कुछ कर सकता हो। खण्ड ३२ में कप्रत्येक हिन्दू को वसीयत करने का यह अधिक र दिया गया है। इत खण्ड और इस की व्याख्या में हिन्दू पुरुषों कों समांशी सम्पत्ति में अपने भाग के सम्बन्ध में वसीयत करने का अधिकार दिया गया है। बेटियों को उत्तराधिकार दिये जाने के उपबन्ध के कारण जिन लोगों को यह डर है कि उनके परिवार की सम्पत्ति बाहर वालों के पास चली जायेगी उन्हें इस उपबन्ध में सन्तोष होगा कि वे इसके अन्तर्गत अपनी सम्पत्ति को बाहर वालों के हाथ में जाने से रोकने का प्रभावशाली प्रबन्ध कर सकते हैं।

अनुसूची की श्रेणी १ में दायादों की सूची दी गयी है। इस पर यह आलोचना की गयी है कि यह बहुत लम्बी है। परन्तु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि उसमें उल्लिखित बहुत से दायाद तो तभी सम्पत्ति पा सकेंगे जबकि उनके पूर्वाधिकारी नहीं रहेंगे। श्रेणी १ में दायादों को इस आधार पर सम्मिलित किया गया है कि मृत व्यक्ति के जितने भी स्त्री पुरुष सम्बन्धी एक ही पीढ़ी के हैं उन्हें एक सा माना जाये। प्रतिनिधित्व का सिद्धान्त यदि ऐसे बेटों पर लागू होता है जिनकी मृत्यु पिता से पहले हो जाये तो ऐसी बेटियों पर भी यही सिद्धान्त लागू होना चाहिए। राज्य सभा ने

[श्री पटास्कर]

संयुक्त समिति द्वारा संशोधित सूची को मान लिया सिवाए इस बात के कि मां को श्रेणी १ से निकाल कर पिता के साथ श्रेणी २ में रख दिया गया।

कुछ लोगों ने यह आशंका प्रकट की थी कि इस विधेयक से भूमि सम्बन्धी नीति की समस्याओं में गड़ बड़ होगी। यह विधेयक तो हिन्दुओं के लिए व्यक्तिगत विधि बनाने के लिए है। मेरा ध्यान पंजाब काश्तकारी अधिनियम की धारा ५९ की ओर दिलाया गया था। इसमें उस राज्य में भूमि के उत्तराधिकार के सम्बन्ध में कुछ नियम बनाए गये हैं। वह कानून खेती की भूमि के सम्बन्ध में है और सभी पर लागू होता है चाहे वे हिन्दू हों, पारसी हों, ईसाई हों या कि मुसलमान हों। खेती के भूमि में हिस्सा किस उत्तराधिकारी को मिले, इस सम्बन्ध में उस अधिनियम में जो उपबन्ध हैं उन पर उनकी उत्तराधिकारी सम्बन्धी व्यक्तिगत विधि हावी नहीं हो सकती। भारत में भूधृति, उनकी जोत तथा उस प्रश्न से संबंधित अनेक मामले विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न हैं। समस्त देश के लिये एक सामान्य और एक सम भूमि-नीति के प्रश्न को तो अभी उद्विकासित कियाजाना है। एक बार उद्विकासित किये जाने पर, जहाँ तक भूमियों का संबंध है, यह समान रूप से सभी भारतीयों पर लागू होनी और हिन्दुओं के व्यक्तिगत विधान का उस पर सर्वोपरि प्रभाव नहीं होगा। इस संबंध में देश के उन भागों में काफी मिथ्या-धारणा फैली हुई है जहाँ पहले जमींदारी प्रणाली थी, और जमींदारी के उन्मूलन के बाद, विभिन्न अधिनियमों के द्वारा पट्टेदारी के नये अधिकारों का सृजन किया गया है। मुझे बताया गया है कि उत्तर प्रदेश, बिहार और कुछ अन्य राज्यों में ऐसे अधिनियम हैं। इन राज्यों की भूमि-नीति पर इस अधिनियम, के उपबन्धों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि यह हिन्दुओं के उत्तराधिकार के प्रश्न से संबंधित एक व्यक्तिगत विधि है। इस प्रकार के सब संशयों को दूर करने के लिये खण्ड ४ के उपखण्ड (२) में यह उपबन्ध कर दिया गया है कि इस अधिनियम में दी गई कोई भी बात उन विधियों के उपबंधों पर कोई भी प्रभाव नहीं डालेगी जो कि कृषि भूमि के विखंडन को रोकने अथवा ऊपरी सीमा निर्धारित करने, अथवा इस प्रकार की जोतों के पट्टेदारी के अधिकारों के न्यसन का उपबन्ध करने के लिये उस समय लागू हों।

हिन्दू स्त्रियों की सम्पत्ति के नाम से विख्यात सीमित सम्पत्ति के लिये प्रत्यावर्तियों तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा काफी मुकदमेबाजी होती रही है। प्राचीन समय में, जब स्त्रियों को उत्तराधिकार के अधिकार नहीं प्रदान किये जाते थे और स्थिति भिन्न थी, सीमित सम्पत्ति का औचित्य माना जा सकता था। परन्तु वर्तमान संदर्भ में इस बात में कोई संदेह नहीं है कि इसका उन्मूलन कर दिया जाना चाहिये। इससे न केवल मुकदमे बाजी को ही प्रोत्साहन मिला है, परन्तु इससे यह भी सुझाव मिलना प्रतीत होता है कि स्त्रियाँ सदैव ही अपनी सम्पत्ति की देखभाल करने योग्य नहीं होती हैं। इसमें संदेह नहीं है कि राव समिति ने अपने आपको केवल यही उपबंध करने तक सीमित रखा कि स्त्री को अपनी स्त्रीधन सम्पत्ति पर पूर्ण अधिकार होना चाहिये, परन्तु उसके बाद जब भी कभी विधेयक पर विचार किया गया तो प्रत्येक बार यह अनुभव किया गया कि हिन्दू स्त्रियों को उन सभी सम्पत्तियों पर पूर्ण अधिकार मिलना चाहिये जो उन पर न्यसित हों। इस उपबंध पर केवल यही एक प्रतिबंध लगाया गया था कि यह केवल उन्हीं सम्पत्तियों पर लागू किया जाय जो अबके बाद हिन्दू स्त्रियों द्वारा प्राप्त की जायें। संयुक्त समिति ने, इसके विपरीत, यह अनुभव किया कि इस प्रतिबंध के लिये कोई कारण नहीं था मृत्यु के समय किसी स्त्री के पास जो भी सम्पत्ति हो, चाहे वह इस विधि के लागू होने

के पहले या बाद में अर्जित की गयी हो, वह पूर्णतया उसी की सम्पत्ति रहे । किसी प्रत्यावर्ती के प्रत्याशित हितों को इस पर कोई प्रभाव डालने दिया जाये ? उस सम्पत्ति में उसका कोई वर्त्तमान अधिकार नहीं हैं। वह किसी अर्थ में भी उस सम्पत्ति का उस स्त्री से अधिक अधिकारी नहीं है, जो वास्तव में उसका उपभोग कर रही है, और यदि प्रत्यावर्त्ती के किन्हीं प्रत्याशित अधिकारों में से कोई अधिकार ले लिया जाता है, तब वास्तव में किसी भी क्षेत्र से किसी प्रकार की शिकायत का कोई कारण नहीं होना चाहिये। विधेयक के खण्ड १६ द्वारा केवल कतिपय मामलों में स्त्री द्वारा धृत सम्पत्ति को बढ़ाया जा रहा है और यह कहना गलत होगा कि वह भूतलक्षी प्रकार का है।

अन्त में, मैं इस विधेयक की इन मुख्य बातों को सभा के सम्मुख प्रस्तुत करूँगा, और मुझे आशा है कि वह न केवल इस सभा द्वारा वरन् सामान्य जनता द्वारा भी स्वीकार योग्य होंगी:

(१) इस विधेयक के द्वारा, मिताक्षरा प्रकार के संयुक्त परिवार का उन्मूलन नहीं किया जा रहा है और इस सम्बन्ध में इस विधेयक तथा व्यपगत हिन्दू कोड विधेयक के उपबंधों में यही मुख्य अंतर है।

(२) इसके साथ ही साथ, पुत्री को भी पिता की सम्पत्ति में अविभाजित पुत्र के बराबर भाग दिया गया है कि चाहे वह एक संयुक्त हिन्दू परिवार का समांशी ही क्यों नहीं था ।

(३) यह विधेयक किसी भी रूप में किसी भी हिन्दू समांशी के स्वयं को समांशिता से पृथक कर लेने के अधिकार का अपहरण नहीं करता है ।

(४) समांशी को इस योग्य बनाने के लिये, कि वह यह व्यवस्था कर सके कि उसके पुत्रों और पुत्रियों को समांशित सम्पत्ति में उसके हितों में से कितना अंश मिले अथवा न मिले, उसे इस संबंध में वसीयत कर देने का अधिकार दिया जा रहा है ।

(५) उस सीमित सम्पत्ति को, जो हिन्दू स्त्री की सम्पत्ति के नाम से विख्यात है, और जो खर्चीली तथा लम्बी मुकदमेबाजी का कारण थी, समाप्त कर दिया गया है।

(६) जोतों के विखंडन , अथवा भूमि की ऊपरी सीमा निर्धारित करने के प्रश्न के साथ इस विधि के संघर्ष अथवा पट्टेदारी के अधिकारों के न्यसन पर इसके संभावित प्रभाव, विशेष-रूप से, बिहार, पंजाब, उत्तर प्रदेश और अंडमान तथा नीकोबार द्वीप समूह जैसे क्षेत्रों में, कें सम्बन्ध में ग्रामीण जनसंख्या के भय को दूर करने के लिये यह उपबंध रखा गया है कि इस अधिनियम में दी गयी कोई भी बात किसी भी रूप में अन्य विधियों के जो कि उस समय लागू हों, इस प्रकार के उपबन्धों पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं डालेगी ।

(७) पारिवारिक सम्पत्तियों की रक्षा करने के लिये पूर्व क्रयाधिकार का उपबन्ध कर दिया गया है।

(८) यह उपलब्ध भी कर दिया गया है कि ऐसी हिंदू स्त्री के मामले में, जिसकी अपने पिता अथवा पति की सम्पत्ति का दाय-भाग प्राप्त कर चुकने के बाद, अपने पीछे बिना कोई सन्तान छोड़े ही मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु के उपरान्त इस प्रकार दायागत सम्पत्ति उसके पिता अथवा पति के उत्तरा-धिकारियों पर जैसी भी स्थिति हो, न्यसित होगी ।

(९) पारिवारिक निवासस्थानों के सम्बन्ध में, यह उपबंध किया गया है कि कोई महिला उत्तराधिकारी उस समय तक उसके विभाजन की मांग न कर सकेगी जब तक कि पुरुष उत्तराधिकारी अपने अपने अंशों का

[श्री पाटस्कर]

बंटवारा करने का निर्णय न करलें । कुछ विशेष मामलों में उसे निवास का अधिकार दिया गया है ।

इस विधेयक की यह कुछ विशेषतायें हैं, और यदि इनपर ध्यान दिया गया तो, मुझे विश्वास है कि इन से उन कुछ शंकाओं तथा सन्देहों का निवारण हो जायेगा जिनका कुछ लोग बहुत समय से चली आ रही धारणाओं और प्रतिकूल भावनाओं के कारण अनुभव करते हैं ।

मैं विधेयक में दिये गये प्रायः सभी उपबन्धों के सम्बन्ध में कह चुका हूं । १९३७ से जब कि पहली बार हिन्दू-विधि में सुधार का प्रश्न गम्भीरतापूर्वक उठाया गया था, तब से यह प्रश्न विभिन्न स्तरों से गुजर चुका है और तभी से यह हमारे समाज के विभिन्न वर्गों की उत्तेजना का कारण रहा है। परन्तु एक बार इस कार्य को आरम्भ कर देने पर यह हमारा कर्त्तव्य तथा प्रयत्न होना चाहिये कि इस प्रश्न को यथा सम्भव शीघ्रता एवं संतोषप्रद ढंग से हल करने का प्रयास किया जाये ।

केवल हमारे देश में ही नहीं, वरन् समस्त संसार में बड़ी तेजी से राजनीतिक एवं आर्थिक परिवर्तन हो रहे हैं । अपने देश में, हमारी स्वतंत्रता ने हमारे ऊपर अतिरिक्त भार लाद दिया है । सम्पूर्ण भारतीय समाज को संतोष प्रदान करने एवं समृद्धिशील बनाने के उद्देश्य से कोई आर्थिक पुनर्व्यवस्था किये बिना राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं होगा । हम इस दिशा में, अर्थात् आर्थिक पुनर्व्यवस्था की दिशा में, अनेक कार्यवाहियां कर भी रहे हैं । किसी न्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था की स्थापना किये बिना आर्थिक व्यवस्था की ही नहीं जा सकती है । अपने सभी नागरिकों के लिये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त कराने के लिये हमने अपने संविधान में वचन दिया है । इसे हमें शान्तिपूर्ण तरीकों से प्राप्त करना है । सामाजिक न्याय के इस मसले को हल करने का एक मात्र तरीका विधान निर्माण ही है ।

इस विधान द्वारा हम एक महत्वपूर्ण सामाजिक समस्या को हल करने का प्रयास कर रहे हैं । स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद से जनता के राजनीतिक तथा आर्थिक जीवन में महान परिवर्तन हो गये हैं और हम ऐसी सामाजिक स्थितियों को कायम नहीं रहने दे सकते जो कि देश के बदले हुये आर्थिक और सामाजिक जीवन से मेल न खाती हों । मैं, इसलिये, इस सभा के माननीय सदस्यों से यह अपील करूंगा कि वह इस विधान को एक लम्बे समय से चली आ रही सामाजिक समस्या को हल करने वाले साधन के रूप में देखें ।

मैं जानता हूं कि कुछ दल इस प्रकार के प्रश्न के सम्बन्ध में गहरी और प्रबल भावनाओं तथा प्रतिकूल प्रभावों का लाभ उठाने का प्रयास करेंगे, परन्तु इस कारण हमें अपने कर्त्तव्य से च्युत होने की आवश्यकता नहीं है । मैं जानता हूं कि हम कोई नया कार्य आरम्भ नहीं कर रहे हैं । हमें अपने समाज की वर्त्तमान दशा और उनमें अपने लक्ष्य के अनुरूप परिवर्त्तन करने की आवश्यकता को ध्यान में रखना है । मैं इस बात से सहमत हूं कि हमें वर्त्तमान तथा भविष्य के बीच समन्वय स्थापित करने का प्रयास करना चाहिये, ताकि वर्तमान विकास प्रक्रिया के द्वारा एक ऐसे रूप में परिवर्तित हो जाये जो तेजी से उद्विकसित हो रहे भविष्य से मेल खाता हो । शहरों अथवा ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन में कहीं भी अकस्मात परिवर्तन करने का कोई विचार नहीं है, और इस सम्बन्ध में जो भी सुझाव दिये गये हैं उन पर भली प्रकार से तथा सावधानी से विचार किया गया है ।

हाल ही में, कुछ व्यक्तियों ने यह सुझाव दिया है कि पुत्री को भी जन्म से उसी प्रकार पिता की सम्पत्ति में अंश दिया जाना चाहिये, जैसा कि पुत्र के बारे में किया जाता है; परन्तु उसके विवाह के उपरान्त पिता की सम्पत्ति में उसका वह अंश समाप्त हो जाय और उसको उस के पति की सम्पत्ति में अंश प्राप्त करने का अधिकार दिया जाये। मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश की कुछ महिलाओं ने इस सम्बन्ध में एक संकल्प पारित किया है। इसका आशय स्त्री को विवाह से पहले पिता के परिवार में और विवाह के उपरान्त पति के परिवार में समांशी बनाना है। यह एक बड़ी ही विचित्र सी बात है और प्राधीन तथा अर्वाचीन विधि में भी इसका कोई उदाहरण नहीं मिलता है। एक ही व्यक्ति को एक परिवार के उसके अधिकारों से हटाकर दूसरे परिवार में अधिकार प्रदान किया गया है। अनेक मामलों में, सम्पत्ति के विभिन्न प्रकार की होने के कारण, यह अधिकार भी भिन्न प्रकार के होंगे और इससे सम्बन्धित व्यक्ति के सामाजिक जीवन में अप्रत्याशित परिणाम हो सकते हैं। न्याय-विधि की प्रत्येक प्रणाली इसी सिद्धांत पर आधारित है कि सम्पत्ति व्यक्ति के लिये होती है। इस व्यवस्था में सम्पत्ति व्यक्ति के लिये नहीं रहती है बल्कि व्यक्ति सम्पत्ति के लिये हो जाता है। इसलिये सम्पत्ति के हित के लिये एक व्यक्ति को एक सम्पत्ति से दूसरी पर स्थानान्तरित कर दिया जाता है। सम्पत्ति व्यक्ति का अनुसरण नहीं करती है अपितु व्यक्ति सम्पत्ति का अनुसरण करता है। जहां तक मैं देख पाया हूं, इस प्रस्थापना की यही विशेषता है। इसके सम्बन्ध में इतना तो कहा ही जा सकता है कि इस प्रकार का प्रयोग विधि की किसी भी प्रणाली के अन्तर्गत नहीं किया गया है, और इस को आरम्भ न करना ही अच्छा है। यह अवश्य है कि मैं धैर्यपूर्वक इस दृष्टिकोण के प्रतिपादकों की बात सुनंगा।

मेरे मन में सब की भावनाओं और विचारों के प्रति आदर का भाव है। परन्तु दुर्भाग्यवश उनमें जमीन-आसमान का अन्तर है। समस्या कठिन है, परन्तु वह पिछले अनेक वर्षों से हल किये जाने की मांग कर रही है। हम को पारस्परिक सूझ-बूझ की भावना से इसको हल करना चाहिये। हम विलम्ब नहीं कर सकते, क्यों कि बिलम्ब करना देश के हित में नहीं होगा। सम्भव है कि जो हल हमने निकाला है उसको सबका अनुमोदन प्राप्त न हो, परन्तु यह हमारे उस प्रयास का परिणाम है जो हमने इस समस्या को अपने समाज और देश के लिये सबसे अधिक हितकर ढंग से हल करने की सच्ची भावना से किया था।

श्रीमान्, मेरे मन में उस चर्चा के समय, जिसमें विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द करने का निर्णय किया गया था और उसके आधारभूत सिद्धांत स्वीकार किये गय थे, प्रगट किये गये उच्च विचारों और उनमें निहित उच्च भावनाओं की कृतज्ञतापूर्ण स्मृति बाकी है। मुझे विश्वास है, कि आज मैं जो प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूं, इस सदन के माननीय सदस्य उसका भी उसी भावना और वैसे ही उच्च विचारों द्वारा समर्थन करेंगे।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ मैं समझता हूं कि व्यवस्था यह की गई है कि विचार करने का प्रस्ताव प्रस्तुत होते ही और आगे चर्चा आगामी सत्र के लिये स्थगित कर दी जाये।

श्री राघवाचारी (पेनुकोंडा) : यदि यह मसला अगले सत्र तक के लिये स्थगित किया जाता है, तब मैं निश्चय ही एक संशोधन प्रस्तुत कर सकता हूं।

पंडित ठाकुरदास भार्गव (गुड़गांव): आप केवल विचार प्रक्रम को अगले सत्र के लिये स्थगित कर रहे हैं। उस समय यह सभी

[प० ठाकुर दास भार्गव]

संशोधन आपके सामने आयेंगे; इस समय तो केवल मंत्री महोदय ने अपना भाषण समाप्त किया है ।

सभापति महोदय : मैं भी यही समझता हूं के सभी आपत्तियां आदि उसी समय उठायी जायें जब कि इस पर पुनः विचार आरम्भ किया जाय । इस विधेयक पर अग्रेत्तर चर्चा स्थगित की जाती है ।

श्रमजीवी पत्रकार (सेवा की शर्तें तथा विविध उपबन्ध विधेयक

सभापति महोदय : अब सभा श्रमजीवी पत्रकार (सेवा की शर्तें तथा विविध उपबन्ध) विधेयक, १९५५ पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार करेगी । इस विधेयक पर विचार प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिये सूचना और प्रसारण मंत्री को बुलाने से पूर्व मैं सभा को यह सूचना देता हूं कि संविधान के अनुच्छेद ११७ के खण्ड (३) के अन्तर्गत लोक सभा द्वारा इस विधेयक पर विचार किये जाने के लिये राष्ट्रपति की सिफारिश प्राप्त हो गयी है ।

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि श्रमजीवी पत्रकारों और समाचार-पत्र संस्थापनों में लगे हुये अन्य व्यक्तियों की सेवा की कुछ शर्तों को विनियमित करने वाले विधेयक पर, राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाये ।"

यह प्रैस आयोग की सबसे महत्वपूर्ण सिफारिशों में से एक है। वास्तव में, यदि हम मानवीय मूल्यों पर विचार करें, तो मैं इस को ही सबसे महत्वपूर्ण सिफारिश मानता हूं। लाभ और हानि के समान उद्योग के ढांचे को प्रभावित करने वाली और भी अनेक बातें हैं और अन्य कई बातें ऐसी भी हैं जिन पर विचार किया जा सकता है। परन्तु उन लोगों के कल्याण को, जो उद्योग को चलाते हैं, जो उसमें कार्य करते, हैं, और उनके भविष्य और उनकी समृद्धि को सब से पहला स्थान दिया जाना चाहिये। इसलिये, मैं समझता हूं कि इस विधेयक पर सर्वाधिक गम्भीरता के साथ विचार किया जाना चाहिये और इसे इस सभा के सदस्यों की अधिक से अधिक सहानुभूति और समर्थन प्राप्त होनी चाहिये । ऐसे विधेयक को लाने का, जिसमें पत्रकारों की सेवा की शर्तों से सम्बन्धित बातें बड़ी संख्या में दी गयी हैं, कारण यही है कि यह एक अनोखा व्यवसाय है। यह किसी अन्य व्यवसाय जैसा नही है। यहां कार्य का स्वरूप और काम के घंटे अन्य व्यवसायों की अपेक्षा इतने भिन्न हैं, कि ऐसा करना आवश्यक है और इसलिये, प्रेस आयोग ने आग्रह पूर्वक यह सिफारिश की है इस व्यवसाय में सेवा की संतोषप्रद शर्तों की व्यवस्था करने के लिये सरकार एक ऐसा विधान प्रस्तुत करे जिसमें श्रमजीवी पत्रकारों की सेवा की शर्तें निर्धारित करने के लिये कुछ सामान्य और महत्वपूर्ण सिद्धांत निश्चित किये गये हों । इस कारण, हमनें इस विधान को प्रैस आयोग की विभिन्न सिफारिशों में से बहुत ही ऊंचा स्थान दिया है ।

यह विधेयक पिछले सत्र में राज्य सभा में पुरःस्थापित किया गया था, किन्तु मुझे खेद है कि कार्य भार के कारण, उसी सत्र में इसको लेना सम्भव नहीं हो सका था । जिसका परिणाम यह हुआ कि इस कार्य में कई महीनों का विलम्ब हो गया और इस विलम्ब के लिये मुझे और अधिक खेद इसलिये है क्योंकि इस अन्तरिम काल में जो अनिश्चितता उत्पन्न हो गई थी उससे

श्रमजीवी पत्रकारों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। उस दृष्टिकोण से भी यह आवश्यक हो जाता है कि संसद् किंचित विलम्ब किये बिना श्रमजीवी पत्रकारों की सेवा की शर्तों सम्बन्धी सामान्य सिद्धान्तों को निर्धारित करने वाले किसी विधान को पारित करें। इस विधेयक के पुरःस्थापित हो जाने के पश्चात् और यहां तक कि उससे पहले भी, सम्बन्धित हितों के प्रतिनिधियों से इस सम्बन्ध में चर्चा हुई थी, इसमें एक ओर मालिक थे और दूसरी ओर श्रमजीवी पत्रकारों के प्रतिनिधि थे। विधेयक के पुरःस्थापित किये जाने से पहले हमने उन प्रस्तावों पर उनसे चर्चा की थी जिन्हें हम संसद् में रखना चाहते थे और उस चर्चा के अनुसार कुछ परिवर्तन किये गये। विधेयक के पुरःस्थापित कर दिये जाने के पश्चात् भी हमने उनकी विचारित सम्मति मांगी थी और उन का परामर्श और सुझाव हमें प्राप्त हुये। उनके अनुरूप राज्य सभा में चर्चा के दौरान में बहुत से परिवर्तन किये गये और विधेयक में काफी सुधार किये गये। मैं सभा को यह सब इस कारण बता रहा हूं कि कहीं यह न समझा जाये कि यह विधेयक जल्दी में प्रस्तुत किया गया है और इस पर भलीभांति विचार नहीं किया गया है, अपितु यह एक ऐसा विधेयक है जिस पर पूर्णरूप से विचार किया जा चुका है और सम्बन्धित विभिन्न हितों से पूर्णरूपेण चर्चा की जा चुकी है। यह स्पष्ट है कि अनेक ब्योरों जैसे अन्तर्ग्रस्त सिद्धान्तों, चाहे वह अवकाश, काम के घंटों अथवा अन्य किसी मामले के सम्बन्ध में हो, के सम्बन्ध में मतभेद तो रहेगा ही। मत भेद तो होंगे ही किन्तु हमें ऐसा मध्य मार्ग ढूंढ निकालना है जिससे अधिकाधिक लोग सहमत हो जायें, किन्तु जो लोग उससे सहमत नहीं होंगे उनमें यदि असन्तोष नहीं तो कम से कम असहमति तो बनी ही रहेगी। किन्तु हमारे सामने जितने सुझाव आये थे हमने उन सभी पर वचार किया था। विभिन्न प्रकार की सिफारिशें की गईं थीं और उन सभी पर उचित रूप से विचार करने के पश्चात् ही सरकार ने इस विधेयक को प्रस्तुत किया है। राज्य सभा में जो परिवर्तन किये गये हैं वे भी सम्बन्धित हितों से चर्चा करने के पश्चात् किये गये हैं।

मैं इस विधेयक की मुख्य मुख्य बातों का संक्षेप में उल्लेख करना चाहूंगा। इस विधेयक में श्रमजीवी पत्रकारों की सेवा की शर्तों के इन मदों का उल्लेख किया गया है—छंटनी। छंटनी के सम्बन्ध में भी एक विशेष छंटनी विषयक खण्ड है जो उन लोगों की रक्षा के लिये रखा गया है जिनकी प्रेस आयोग के प्रतिवेदन के प्रकाशित होने के समय से औद्योगिक विवाद अधिनियम के पारित होने के बीच छंटनी की गई हो—उसे श्रमजीवी पत्रकारों के सम्बन्ध में लागू किया गया है—और उनको भी इसमें रखा गया है जिनको संसद् द्वारा भविष्य में की जाने वाली सिफारिशों को प्रभावशून्य करने के लिये हटा दिया गया होता या जिनकी छंटनी कर दी गई होती। विशेष छंटनी खण्ड उन लोगों की रक्षा के लिये रखा गया है जिनको सेवामुक्त कर दिया गया होता। उपदान, कार्य के घंटे, अवकाश इत्यादि के प्रश्न हैं। श्रमजीवी पत्रकारों की मजूरी निर्धारित करने के लिये मजूरी बोर्ड है; अन्त में, कार्य के घंटों सम्बन्धी विनियमों का पालन न करने के लिये दण्ड सम्बन्धी खण्ड है।

श्री फिरोज गांधी (जिला प्रतापगढ़—पश्चिम व जिला रायबरेली—पूर्व) : क्या आप इस बात को स्पष्ट करेंगे जिससे कि इसमें और अधिक समय न लगे कि यह जो मजूरी निर्धारित की जायेगी वह न्यूनतम न हो कर क्रमिक होगी ?

डा० केसकर : यह बताने का मेरा विचार है। इसका तात्पर्य वेतन क्रमों से है मजूरी क्रमों से नहीं .....

श्री फिरोज गांधी : वेतन क्रम और मजूरी क्रम अलग-अलग चीजें हैं।

डा० केसकर : प्रारम्भिक बाद-विवाद के समय मैं छंटनी सम्बन्धी खण्ड के विषय में अधिक नहीं कहना चाहता हूं। उपदान खण्ड को लेकर दूसरी सभा में और उद्योग के प्रतिनिधियों से भी चर्चा की जा चुकी है। प्रस्ताव के उस भाग का कुछ विरोध किया गया है जिसमें यह व्यवस्था है कि उन सभी श्रमजीवी पत्रकारों को जिन्होंने कुछ निश्चित वर्षों से अधिक तक सेवा की है, भूतलक्षी तिथि से उपदान दिया जाये। जहां तक हमारा सम्बन्ध है, अन्य उद्योगों और अन्य व्यवसायों की अवस्थाओं पर समुचित विचार करने के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि श्रमजीवी पत्रकारों को भूतलक्षी उपदान दिया जाना चाहिये और अन्य व्यवसायों की भांति उन्हें उपदान दिया जाना चाहिये। हमने इस तथ्य पर विचार करने का प्रयत्न किया है कि विधि द्वारा प्रथम बार उपदान का उपबन्ध किया गया है। इस विचार से कि उन पत्रों पर, जो पूर्णरूप से सज्जित नहीं हैं, और जिन्होंने इस पर पहले से विचार नहीं किया है, भार न पड़े इसके लिये हमने एक खण्ड रखा है। इस खण्ड में यह कहा गया है कि जो छोटे पैमाने के पत्र हैं और जिनके पास वित्तीय संसाधन नहीं हैं उन्हें बड़े पैमाने के पत्रों की अपेक्षा कम दर पर उपदान देना पड़ेगा। ऐसा इस कारण किया गया है जिस से कि छोटे पत्रों को वह नया भार सहन न करना पड़े जिस के लिये उन्होंने नहीं कहा था और जिसके लिये उनके पास साधन नहीं हैं।

राज्य सभा में चर्चा के दौरान में मजूरी सम्बन्धी महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया था। मूल प्रस्ताव एक न्यूनतम मजूरी बोर्ड के लिये था। चर्चा में हमने पत्रकारों के प्रतिनिधियों और दूसरी सभा के सदस्यों को भी वे कठिनाइयां बताई थीं जिनका सामना सरकार को विशेष राशियों को स्थायी न्यूनतम मजूरी निर्धारित करने में करना पड़ा था और अन्य उद्योगों के लिये जो भविष्य में स्थापित होने वाले हैं, न्यूनतम मजूरी निर्धारित करने में आगे जो जटिलताऐं सामने आयेंगी उन का भी उल्लेख किया था। हमने महसूस किया कि बहुत सी कठिनाइयां थीं। अतः न्यूनतम मजूरी निर्धारित करने के लिये हमने एक माध्य प्रक्रिया का सुझाव दिया था, एक न्यूनतम मजूरी बोर्ड सम्बन्धी प्रक्रिया का सुझाव दिया था जिसका पालन अन्य उद्योगों में किया जा सके।

श्री के० सी० सोधिया (सागर) : क्या संवाददाताओं के लिये भी मजूरी निर्धारित की जायेगी ?

डा० केसकर : यदि माननीय सदस्य मुझे अन्त तक बोलने देंगे तो मैं इस बात को भी स्पष्ट कर दूंगा :।

सभापति महोदय : यह ठीक रहेगा

डा० केसकर : इस प्रश्न पर भी हमें श्रमजीवी पत्रकारों के प्रतिनिधियों से पुनः चर्चा करने का अवसर मिला था और हमने एक उत्तम निश्चय किया था। उसी निश्चय के अनुरूप, हमने इस खण्ड विशेष को बदल दिया है और न्यूनतम मजूरी बोर्ड के बजाय एक मजूरी बोर्ड रहेगा जो पत्रकारों की मजूरी की दरें निर्धारित करेगा। हम महसूस करते हैं कि आगे चल कर कोई अनुविहित न्यूनतम मजूरी निर्धारित करने के बजाय उनके लिये यह उपबन्ध अधिक अच्छा और सुरक्षात्मक रहेगा। इस समय मैं इस समूचे प्रश्न को नहीं ले रहा हूं क्योंकि उसमें काफ़ी समय लग सकता है। इसमें बहुत से सिद्धान्त अन्तर्ग्रस्त हैं। मैंने अभी उन महत्वपूर्ण

बातों का उल्लेख किया जिनमें राज्य सभा में इस प्रश्न पर चर्चा करते समय परिवर्तन किया गया था ।

उपबन्धों को यदि प्रारम्भ से देखा जाये तो उसमें सभी विवादों का निबटारा करने के लिये औद्योगिक विवाद अधिनियम के पुनः लागू किये जाने के लिये कहा गया है। इसको इस विधेयक में इस कारण सम्मिलित किया गया है जिससे कि औद्योगिक विवाद अधिनियम पर पुनः विचार करने की आवश्यकता न रहे क्योंकि इस विधेयक के पारित हो जाने के पश्चात् उस अधिनियम को निरसित कर दिया जायेगा। जहां तक छंटनी के लिये नोटिस अवधि का सम्बन्ध है, प्रेस आयोग की शिफारिशों के अनुसार इस विधेयक में नोटिस की अवधि के लिये एक बंधित उपबन्ध रखा गया है। छंटनी के लिये प्रतिकर के अतिरिक्त सामाजिक सुरक्षा के साधन के रूप में उपदान का सुझाव यहां दिया गया है। चार सप्ताह के लिये अधिकतम कार्य के घंटों का सुझाव दिया गया है। सरकारी कर्मचारियों की भांति ही अर्जित अवकाश और डाक्टरी प्रमाणपत्र पर अवकाश के लिये भी सुझाव दिया गया है। तत्पश्चात् मजूरी बोर्ड द्वारा मजूरी निर्धारित की जानी है। इस कार्य में कुछ समय लगेगा। ये विधेयक के मुख्य उपबन्ध हैं।

कुछ मामलों में, यह विधेयक कोई बड़ा विधेयक न हो कर एक छोटा सा विधेयक है। इसके अधिकांश उपबन्ध अनेक औद्योगिक विवादों अथवा औद्योगिक अधिनियमों में मिल सकते हैं। इनको इसी प्रकार के अन्य औद्योगिक श्रम अधिनियमों से लेकर यहां रख दिया गया है। किन्तु यह बात इस दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है कि हम इसे एक ऐसे उद्योग पर लागू करने का प्रयत्न कर रहे हैं जिसको अभी तक ये लाभ प्राप्त नहीं थे। यह विधान समाचार पत्रों के अधिक उत्तम कार्यकरण, पत्रकारों की सुरक्षा और इस प्रकार मैं तो कहूंगा कि देश में प्रेस की स्वतन्त्रता के लिये आवश्यक है। इससे उन पत्रकारों को अधिक आर्थिक सुरक्षण मिलता है जो इस व्यवसाय को अपनाये हुये हैं। पत्रकारों का व्यवसाय, यद्यपि इससे कम ही लोगों को रोजगार मिला हुआ है, सम्भवतः अत्याधिक शोरगुल मचाने वाले व्यवसायों में से है। एक पत्रकार १०० राजनीतिज्ञों के बराबर हायतोबा मचा सकता है यद्यपि वे इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे। मैं समझता हूं कि इस दृष्टिकोण से यह विधेयक बहुत महत्वपूर्ण है। आज जो सिद्धान्त यहां निर्धारित किये जा रहे हैं वे अन्य उदार उद्योगों और उदार व्यवसायों के लिये एक नमूने का काम करेंगे । इस दृष्टिकाण से यह एक नयी विभिन्नता है, एक नया घोषणा-पत्र है । मैं समझता हूं कि यह एक ऐसा विधान है जिसकी अन्य बुद्धि जीवियों एवं इसी प्रकार के अन्य कर्मचारियों पर लाभदायक प्रतिक्रिया होगी । इस दृष्टिकोण से भी यह विधेयक बहुत महत्व रखता है।

इस विधेयक को सभा में प्रस्तुत करने का निश्चय किये जाने के पश्चात् मुझे अनेक ऐसे सुझाव और संशोधन मिले हैं जिन में मुझे बताया गया है कि इस विधेयक के कुछ उपबन्धों से कुछ समाचारपत्रों के सम्मुख कुछ आर्थिक या वित्तीय कठिनाइयां आ सकती हैं। मेरे पास उन पर पूर्ण रूप से विचार करने के लिये समय नहीं था। मैं इन प्रश्नों पर ध्यानपूर्वक विचार करने और यह देखने के लिये तैयार हूं कि यदि कोई वित्तीय कठिनाइयां सामने आती हैं तो समुचित समायोजन करने के लिये क्या कुछ किया जा सकता है। साथ ही, मैं यव भी महसूस करता हूं कि ऐसे छोटे-छोटे समायोजन करने के लिये विधेयक को दो-तीन महीने तक रोके रखना और विभिन्न श्रेणियों के पत्रकारों को इस अधि-

[डा० केसकर]

नियम के द्वारा जो लाभ प्राप्त कराये जा रहे हैं उनसे उनको बंचित रखना सर्वथा अनुचित और अन्यायपूर्ण होगा। जो भी सुझाव हमें प्राप्त होंगे उन पर हम ध्यान-पूर्वक विचार करेंगे और यदि समायोजन करना आवश्यक ज्ञात हुआ तो उन्हें करने के लिये मैं तैयार हूं। मेरे पास कई सुझाव हैं और उन पर मैं निश्चय ही विचार करूंगा।

सम्भव है कि कुछ विशिष्ट मामलों में इससे वित्तीय कठिनाई उत्पन्न हों। किन्तु यहां तो हम सामान्य नियम निर्धारित कर रहे हैं। यदि कोई कठिनाई सामने आई, तो हम समायोजन करने का प्रयत्न करेंगे। किन्तु मेरा सुझाव यह है कि यह कोई ऐसा कारण नहीं है जिससे कि विधेयक को रोक कर पारित न किया जाये क्योंकि ऐसा करने से बहुत से लोगों को कठिनाई होगी और उनके साथ और अधिक अन्याय होगा और ऐसा करना सामाजिक न्याय भी नहीं होगा। अतः मैं निवेदन करूंगा कि जिन लोगों का विधेयक के सम्बन्ध में मतभेद है, चाहे वह ब्योरे के सम्बन्ध में हो अथवा वित्तीय कठिनाई के बारे में हो, किन्तु उन्हें विधेयक को रोकने का प्रयत्न नहीं करना चाहिये। इसकी सूचना वे मुझे दे सकते हैं और हम उन पर ध्यानपूर्वक विचार कर सकते हैं और यह देख सकते हैं कि इसके लिये क्या उपाय किया जा सकता है; और यदि कोई उपाय आवश्यक समझा गया अथवा बाद में किसी समायोजन अथवा संशोधन की आवश्यकता पड़ी तो निश्चय ही हम उसे करेंगे।

श्री राघवाचारी (पेनुकोंडा) : क्या माननीय मंत्री यह चाहते हैं कि आपत्तियों का उल्लेख सभा में ही किया जाये अथवा यदि उन्हें अन्य किसी प्रकार से सूचना दी गई तो क्या उस अवस्था में भी वह उन पर विचार करेंगे ?

डा० केसकर : मैं उन पर अन्य प्रकार से प्राप्त होने पर भी विचार करने के लिये तैयार हूं।

जब कि मैं इसके पक्ष में बोल रहा हूं, तो सर्व प्रथम मैं यह कह दूं कि समय बचाने के लिये मैं बहुत संक्षिप्त भाषण दे रहा हूं, और अन्य सदस्यों को बोलने के लिये अधिक समय दे रहा हूं यद्यपि कुछ बातें ऐसी हैं जिन पर मैं अधिक विस्तार से बोल सकता था।

मुझे ज्ञात हुआ है कि सभा को ५.३० बजे म० प० स्थगित करने का विचार है। अतः मैं अधिक समय नहीं लूंगा। मुझे केवल यही कहना है कि न्याय और एक उच्च तथा सम्मानित व्यवसाय की रक्षा की दृष्टि से संसद् के सामने यह प्रस्ताव बड़ी देर से पड़ा हुआ है। क्या ही अच्छा हो यदि सभा सहमत हो कर इस विधेयक को शीघ्रता से पारित करने में सहयोग दे।

मैं ऐसा इसलिये कह रहा हूं क्योंकि अभी बहुत से संशोधन शेष हैं। मैं उन्हीं माननीय मित्रों से अपील कर रहा हूं जिन्होंने संशोधन प्रस्तुत किये हैं। मैं अपने ध्यान में लाये जाने वाले तथ्यों के अनुसार किसी भी आवश्यक संशोधन पर विचार करने को तैयार हूं। इस समय मैं इस से अधिक कुछ नहीं कहना चाहता हूं। मैं केवल अपने माननीय मित्रों को जिन्होंने ये संशोधन रखे हैं इस अपील पर विचार करने की प्रार्थना करता हूं।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। मैं इस विधेयक के लिये सामान्य चर्चा, खण्डशः विचार तथा तृतीय वाचन के लिये समय के आवंटन के विषय में सभा का मत जानना चाहूंगा।

कुछ माननीय सदस्य : प्रत्येक के लिये पांच मिनट ।

सभापति महोदय : ठीक । मैं जानना चाहता हूं कि हमें द्वितीय और तृतीय वाचन तथा विचार प्रस्ताव पर कितना समय लगाना चाहिये ।

श्री एस० एल० सक्सेना (ज़िला गोरखपुर–उत्तर) : एक घन्टा विचार प्रस्ताव के लिये, और एक घंटा शेष कार्य के लिये ।

डा० केसकर : क्या मैं एक बात कह सकता हूं ? विधेयक में लगभग २० खण्ड हैं । खण्डों को यन्त्रिक ढंग से पारित करने में भी कुछ समय लग जाता है ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव) : वे सभी एक साथ मतदान के लिये रख दिये जायेंगे ।

सभापति महोदय : हम एक सामान्य चर्चा के लिये एक घन्टा लेंगे और आधा घन्टा द्वितीय तथा तृतीय वाचन के लिये । इस प्रकार हम ५.३० बजे म० प० तक विधेयक को पारित कर देंगे ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी (मैसूर) : यद्यपि प्रेस आयोग ने अपनी सुन्दर रिपोर्ट बहुत महले दे दी थी फिर भी माननीय मंत्री को यह कदम उठाने में बड़ा समय लग गया है । इस देरी के लिये हमें दुःख होता है, किन्तु क्योंकि माननीय मंत्री अब भी इसके लिये सहानुभूतिमय हैं अतः हम इस देरी की उपेक्षा कर सकते हैं ।

मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं क्योंकि मैं अनुभव करता हूं कि यह एक अच्छा कदम है । फिर भी इसमें सुधार की गुंजाइश हो सकती है । पत्रकार इस विधेयक को बहुत शीघ्र पारित हुआ देखना चाहते हैं । मैं श्रमजीवी पत्रकारों की दशा के इतिहास में नहीं जाऊंगा । इतना स्मरण रखना ही पर्याप्त होगा कि पत्रकारों के साथ राजपरिवार की परित्यक्त रानियों जैसा व्यवहार किया जाता है । पत्रकार एक अच्छे व्यवसाय में काम करने वाले बहुत ही सम्मानित व्यक्ति समझे जाते हैं; किन्तु फिर भी उनकी दशा बड़ी शोचनीय है । उनके मालिकों द्वारा उनके प्रति बुरा व्यवहार किया जाता है । वे प्रायः अपने आपको एक अन्ध कूप में फंसा पाते हैं । यह विधेयक उनके लिये थोड़ी सी आशा की किरण दिखाता है, उससे उनको थोड़ा सा सन्तोष हो सकेगा ।

इस विधेयक में एक मजूरी बोर्ड बनाने की बात है, नोटिस की अवधि की बातें हैं, मैं इन बातों के सिद्धान्तों का समर्थन करता हूं, किन्तु मैं उपदान के विषय में एक बात कहना चाहता हूं । विधेयक में एक प्रकार के उपदान का दूसरे प्रकार के उपदान से विभेद किया गया है । श्रमजीवी पत्रकारों से कम सेवा युक्त करने वाले समाचारपत्रों को अन्य संस्थापनों से भिन्न माना गया है और उनमें काम करने वाले व्यक्तियों के लिये उपदान भी दूसरों की अपेक्षा कम रखा गया है । मेरी समझ नहीं आता है कि यह भेद भाव क्यों किया गया है । जब काम एक जैसा है तो संविधान के अनुसार हमें 'समान कार्य के लिये समान वेतन' के सिद्धान्त को मान्यता देनी चाहिये विशेषतया जब कि सरकार समाजवादी ढंग की व्यवस्था स्थापित करने की प्रतीज्ञा कर चुकी है । मैं चाहता हूं कि इस प्रकार का कोई भेद भाव नहीं किया जाना चाहिये ।

यदि छोटे समाचार पत्रों को सहायता ही देनी है तो वह वेतनों के रूप में दी जा सकती है । मजूरी बोर्ड इस विषय पर विचार कर सकता है ।

फिर अधिक समय तक काम करने के भुगतान के सम्बन्ध में कोई उपबन्ध नहीं रखा गया है । काम के घंटे, छुट्टियां आदि

[श्री एस०एस० गुरुपाद स्वामी]

तो निश्चित कर दी गई हैं किन्तु यदि कोई मालिक अधिक काम करवाता है तो उसको दंड देने की कोई व्यवस्था नहीं रखी गई है। फैक्टरी अधिनियम के अनुसार अधिक समय काम कराने के लिये दंड भी दिया जाता है और उसके लिये किया जाने वाला भुगतान भी निश्चित कर दिया गया है। ऐसे ही उपबन्ध इस विधेयक में भी रखे जाने चाहिये ।

अन्त में मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं मंत्री महोदय शीघ्र ही एक ऐसा विधेयक प्रस्तुत करेंगे जिससे कि इसके कुछ उपबन्धों का सुधार हो सके ।

श्री साधन गुप्त (कलकत्ता-दक्षिण-पूर्व): यह विधेयक जल्दी ही नहीं आया है। पत्रकारों की कार्यदशायें बहुत ही दयनीय ह । मैं केवल एक विशिष्ट उदाहरण ही लूंगा कि उन के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। कलकत्ते का एक प्रमुख बंगला दैनिक **आनन्द बाजार पत्रिका** है। उसमें एक महाशय १८ वर्ष तक काम करते रहे, २८ नवम्बर, १९५४ को उन्हें सहसा यह नोटिस दे दिया गया कि अब उनकी सेवाओं की आवश्यकता नहीं थी। इस का कोई कारण भी नहीं बताया गया था।

जब सम्पादक तथा अन्य कर्मचारियों ने मामले में हस्तक्षेप किया तब मालिकों ने आश्वासन दिया कि वह इस निर्णय पर पुन विचार करेंगे। परन्तु बाद में पता लग कि यह केवल एक चाल थी ताकि वह व्यक्ति प्रेस आयोग के सामने न आ सके क्योंकि प्रेस आयोग के कलकत्ता से जाते ही मालिकों ने कह दिया कि उनका निर्णय अन्तिम था ।

बाद में कारण का पता लगा। उस व्यक्ति ने किसी पत्रिका में प्रेस मालिकों की हरकतों के सम्बन्ध में एक व्यंग लेख निकाला था। यद्यपि उस लेख में उसने अपने समाचार पत्र का कोई निर्देश नहीं किया था तो भी १८ वर्ष की वफ़ादार सेवा का यह नतीजा निकला कि उसे इसी कारण से निकाल दिया गया ।

यदि यह विधेयक इस प्रकार के अन्याय को थोड़ा सा भी कम कर सके तो इसे एक बड़ी सेवा समाझा जायेगा ।

मैं विधेयक के अनेक उपबन्धों से असहमत हूं। पत्रकार कर्मचारी संघ ने सदा ६ महीने की नोटिस अवधि के लिये कहा है क्योंकि पत्रकारों का व्यवसाय इतना अधिक नहीं है और एक पत्रकार को कम से कम तीन महीने से पहले नौकरी नहीं मिल सकती है। मैं भी इसी अवधि के रखे जाने की सिफारिश करता हूं ।

मुझे यह देख कर बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि बीमारी के सम्पूर्ण अवकाश काल में आधा वेतन मिलेगा। बीमारी के अवकाश की कुछ अवधि में पूरा वेतन क्यों नहीं दिया जा सकता है? अधिनियम में आकस्मिक अवकाश का उपबन्ध क्यों नहीं है? यह बात नियमों पर ही क्यों छोड़ दो गई है?

उपदान के सम्बन्ध में सिद्धान्त का एक महत्वपूर्ण प्रश्न अन्तर्ग्रस्त है। विधेयक में कहा गया है कि यदि पत्रकार को केवल अनुशासनिक कार्यवाही के परिणाम स्वरूप भी दण्ड दिया जाता है तो उसका सारा उपदान जब्त कर लिया जायेगा। यह एक असाधारण सिद्धान्त है किन्तु औद्योगिक पंचाट केवल इस सिद्धान्त से शासित होते हैं कि किसी व्यक्ति का उपदान तभी जब्त किया जा सकता है जब कि वह भयानक दुर्व्यवहार के आधार पर नौकरी से हटाया जाये । मैं तो इस सिद्धान्त से भी सहमत

नहीं हूं। इतने वर्षों की सेवा के परिणाम-स्वरूप अर्जित उपदान एक ही बार के दुर्व्यवहार के आधार पर क्यों जब्त किया जाये? किन्तु इस विधेयक में तो यह सिद्धान्त भी नहीं माना गया है।

फिर सेवा निवृत्ति लाभों का प्रश्न है। मैं चाहता हूं सेवा निवृत्ति लाभ दिये जायें। इस उपबन्ध से तो मालिक तुच्छ बातों पर भी अनुशासनिक कार्यवाहियां किया करेंगे।

मैं अपने मित्र श्री गुरुपादस्वामी के छोटे और बड़े समाचारपत्रों में समान उपदान दिये जाने के सुझाव से भी सहमत नहीं हूं। इसका कारण यह है कि यदि समान उपदान निश्चित किया गया तो यह छोटे समाचार-पत्रों के आधार पर निश्चित किया जायेगा। इसका यह अर्थ होगा बड़े समाचार पत्रों में काम करने वाले पत्रकारों को अपने पत्रों की सम्पन्नता से लाभ उठाने से बञ्चित रहना पड़ेगा। अतः असमानता अवश्यम्भावी है।

मजूरी बोर्डों के सम्बन्ध में मेरा कहना है कि वह समय निश्चित कर दिया जाना चाहिये जब तक कि ये बोर्ड बन जायेंगे। न्यूनतम मजूरी अधिनियम के अनुभवों से हम कह सकते हैं कि सरकार इस विषय में बड़ी सुस्त सिद्ध हुई है। सभी प्रकार के मजूरियों का निर्णय करने के लिये एक ही मजूरी बोर्ड पर्याप्त नहीं होगा। अतः प्रत्येक राज्य अथवा क्षेत्र के लिये एक बोर्ड के हिसाब से कई बोर्ड बनाये जाने चाहियें। ये श्रमजीवी पत्रकार संस्थाओं से परामर्श कर के बनाये जाने चाहियें और इनमें उनके प्रतिनिधि भी होने चाहियें। दुर्भाग्य से विधेयक में सरकार को इसके लिये बाध्य करने वाली बात नहीं है। सरकार इन संस्थाओं के प्रतिनिधि रूप में कोई ध्यान नहीं देती है वह अपनी कुछ मनोनीत संघों का ही पक्षपात करती है। मैं चाहता हूं कि ऐसी बात नहीं होनी चाहियें।

एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि विधेयक के उपबन्धों में उद्योग-क्षेत्र आधार को माना गया है। किन्तु कर्मचारियों में यह बड़ा विवाद का विषय है कि उनके वेतन को उस क्षेत्र के किसी अन्य उद्योग के वेतनों के साथ नहीं बांधा जाना चाहिये। मुझे इसका कोई कारण नहीं दिखाई देता है कि जो व्यक्ति सम्पन्न संस्थापनों में कार्य करते हैं उन्हें अपने संस्थापन की समृद्धि के अनुसार अधिक वेतन नहीं मिलना चाहिये। अतः उचित मजूरी-समिति के प्रतिवेदन में दिये गये तथा अधिकरणों द्वारा उद्योग-क्षेत्र आधार के सम्बन्ध में स्वीकार कर लिये गये सभी तर्क सर्वथा भ्रामक हैं।

श्रमजीवी पत्रकारों के हित में मैं अब औद्योगिक सेवा (स्थायी आदेश) अधिनियम के खण्ड १४ का निर्देश करता हूं। मेरा अनुरोध है कि हड़तालों और 'धीमे काम करो' आन्दोलनों को हमें अवैध नहीं बनाना चाहिये।

अन्त में, देयों के प्राप्ति के सम्बन्ध में मेरा कहना है कि जब सरकार को प्रार्थना पत्र दिया जाये तो उस पर न्यायिक रीति से विचार किया जाना चाहिये। पत्रकारों को अपने लाभों की प्राप्ति के लिये न्यायिक कार्यवाही करने का अधिकार मिलना चाहिये। मंत्री महोदय यदि चाहें तो इन सुझावों को मान सकते हैं। यदि वह इन्हें मानना चाहें तो मैं औपचारिक रूप से इन्हें रख सकता हूं अन्यथा इस विधेयक की शीघ्र समाप्ति के हेतु अब मैं इन्हें नहीं रखूंगा।

श्री भक्त दर्शन (जिला गढ़वाल पूर्व व जिला मुरादाबाद उत्तर पश्चिम): सब से पहले तो मैं अपने माननीय मंत्री महोदय को इस विधेयक को इस सदन में लाने के लिये हार्दिक बधाई और धन्यवाद देता हूं। मेरा अपना अनुमान है कि राज्य सभा में जैसे पहले मूल रूप में इसे प्रस्तुत किया गया था, उसके बाद इस में काफी अच्छे सुधार और

[श्री भक्त दर्शन]

संशोधन हुये हैं, लेकिन मैं उन व्यक्तियों में से हूं जो इस बात को मानते हैं कि अभी भी इस में संशोधन की काफी गुंजायश है, यद्यपि मैं यह समझता हूं कि चूंकि माननीय मंत्री जी की अपील के कारण और चूंकि समय की कमी है इस कारण इस सदन के सदस्य इस को इसी रूप में स्वीकार कर लें, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जिन की ओर मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान अवश्य दिलाना चाहता हूं ।

सब से पहली बात यह है कि इस विधेयक में १४ जुलाई, सन् १९५४ की तारीख रक्खी गई है कि उस के बाद जिन लोगों को बर्खास्त किया गया है वह भी इस से सुविधा उठा सकेंगे । मैं समझता हूं कि इस तारीख को इसलिये रक्खा जा रहा है कि उस दिन प्रेस आयोग के सदस्यों ने अपनी रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किये थे । लेकिन मैं माननीय मंत्री महोदय के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि जिस दिन से हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने १६ मई, सन् १९५२ के अभिभाषण में यह घोषणा की थी कि प्रेस आयोग की स्थापना की जायेगी, उसके बाद से ऐसे बहुत से मामले हैं जिन में पत्रकारों के साथ बहुत अन्याय किया गया है । उदाहरण के लिये हमारे उत्तर प्रदेश का जो एक प्रसिद्ध दैनिक पत्र "लीडर" है उस के समाचार-सम्पादक को जो लगभग ३३ वर्ष तक काम करते रहे थे केवल एक महीने का नोटिस दे कर जुलाई, १९५२ में निकाल दिया गया । इस के अलावा उसी पत्र के एक उपसम्पादक को भी जो कि लगभग २२ वर्ष से काम कर रहे थे केवल एक महीने का नोटिस दे कर निकाल गया । उस की कन्या की शादी होने वाली थी, लेकिन इस काम के लिये भी उन को छुट्टी नहीं दी गई जिस के परिणामस्वरूप जल्दी ही उन का देहान्त हो गया । मैं माननीय मंत्री महोदय से अपील करना चाहता हूं कि अगर इस बहुत से पत्रकारों को लाभ देना है तो इस तिथि में संशोधन करने पर विचार किया जाये ।

दूसरी बात जो मैं खास तौर से माननीय मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहता हूं वह यह है कि मुझे शंका है कि यह जो वेज बोर्ड बनने वाला है वह शायद अंग्रेजी के पत्रों और हिन्दी तथा दूसरी भारतीय भाषाओं के पत्रकारों के बीच में वेतन आदि के संबंध में कुछ अन्तर भी रक्खेगा । मैं प्रेस आयोग के सदस्यों का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने स्पष्ट शब्दों में यह कहा है कि इस प्रकार का कोई अन्तर नहीं रक्खा जाना चाहिये । इस बात को आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि आजकल हमारे हिन्दी के पत्रकारों की जो हालत है वह बहुत दयनीय है । इस सभा के सभी वर्ग मेरी इस बात से सहमत होंगे कि भारत के स्वाधीनता-संग्राम में हमारे हिन्दी के पत्रों ने और भारतीय भाषाओं के पत्रों ने चाहे अंग्रेजी के शैदाई लोग मुझ से सहमत न भी हों, फिर भी मैं कहूंगा कि हमारे पत्रों ने पूरा समर्थन तथा सहयोग दिया है । हमारे उत्तर प्रदेश के एक प्रसिद्ध दैनिक "प्रताप" का नाम ही इस बात का साक्षी है कि किस प्रकार से नौकरशाही के दिल को दहलाने वाले लेख उसके अन्दर निकला करते थे तथा किस प्रकार से उसने गरीब किसान व मजदूरों का पक्ष समर्थन किया और स्वाधीनता के संग्राम में हिस्सा लिया ।

मैं आपके सामने एक उदाहरण और रखना चाहता हूं । जिस तिब्बत के किसी भाग में कोई अंग्रेजी का पत्र नहीं जाता और जहां का कोई भी आदमी अंग्रेजी नहीं जानता, वहां अलमोड़े के पत्र "शक्ति" ने और गढ़वाल के पत्र "कर्मभूमि" ने स्वाधीनता का बिगुल बजाया और स्वाधीनता के सन्देश को वहां पहुंचाया । मुझे इससे अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है । मैं इस बारे में अपने मंत्री महोदय से आश्वासन चाहता हूं कि वेज बोर्ड को इस बात का स्पष्ट आदेश दिया जायेगा कि हिन्दी के पत्रों तथा अन्य भारतीय

भाषाओं और अंग्रेजी के पत्रों में जो भी वेजेज रक्खी जायें, पारिश्रमिक रक्खे जायें, उनमें कोई बुनियादी अन्तर नहीं होना चाहिये ।

तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि यह तो सन्तोष की बात है कि माननीय मंत्री महोदय ने राज्य सभा में मिनिमम वेजेज बोर्ड का केवल वेजेज बोर्ड बनाने का सिद्धांत स्वीकार किया । इसका मतलब यह है कि केवल न्यूनतम वेतन को निर्धारित करने के लिये ही उसकी स्थापना नहीं की जायेगी, बल्कि जो जिस योग्य होगा उसी प्रकार उस को पारिश्रमिक दिया जायेगा, लेकिन इसको स्पष्ट करने की आवश्यकता है । मैं उन व्यक्तियों में से हूं जो यह समझते हैं कि पत्रकार-कला केवल श्रमिकों या मजदूरों का सा कार्य नहीं है । इसको अंग्रेजी में "लिबरल प्रोफेशन" भी कह सकते हैं । इसलिये इस प्रोफेशन में जैसे कि शिक्षा विभाग में जो अध्यापक हैं उनके पे स्केल्स होते हैं उसी प्रकार के पे-स्केल पत्रकारों के लिये भी होने चाहियें । इसलिये वेज बोर्ड को स्पष्ट आदेश मिलने चाहियें कि वह न्यूनतम वेज को ही निर्धारित न करके उनके वेतन के क्रम भी निर्धारित करे, उनके पे-स्केलस भी स्पष्ट करे ।

डा० केसकर : वह तो इस में है ।

श्री भक्त दर्शन : उससे यह बात स्पष्ट नहीं मालूम होती है कि इसको किया ही जायेगा । इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि वह आश्वासन दें कि वेज बोर्ड को स्पष्ट हिदायतें इस बारे में दी जायेंगी और वह इसको करने का प्रयत्न करेगा । मैं समझता हूं कि यदि ऐसा होगा तभी न्याय हो सकता है ।

क्योंकि समय कम है इस लिये मैं और अधिक समय लेना नहीं चाहता । मैं माननीय मंत्री जी को इस विधेयक को इस सदन में लाने पर फिर से बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि इसके पास हो जाने के बाद इसके संचालन में समय समय पर जो त्रुटियां और जो कमियां उनके ध्यान में आयेंगी उनको वह जो इग्ज़ीक्यूटीव अधिकार उनके पास हैं उनके द्वारा दूर करने की कोशिश करेंगे और वर्किंग जर्नलिस्टस के जीवन-स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयत्न करेंगे ।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का हार्दिक समर्थन करता हूं ।

श्री फीरोज गांधी : मैं केवल विधेयक का समर्थन करूंगा और माननीय मंत्री को इस विधेयक को प्रस्तुत करने के लिये बधाई दूंगा ।

श्री टी० एन० सिंह (जिला बनारस-पूर्व) : चर्चा की इस अवस्था पर मैं हस्तक्षेप इसलिये करना चाहता हूं जिससे कि अनावश्यक टीका टिप्पणी न की जा सके । मुझे यह देखकर काफी आश्चर्य हुआ कि जिन सदस्यों ने माननीय सूचना और प्रसारण मंत्री को बधाइयां दी उन्होंने विलंब के बारे में शिकायत की है । इस आयोग द्वारा कितना अधिक कार्य किया गया है यह मुझे ज्ञात है, क्योंकि एक नये क्षेत्र के संबंध में यह कार्य किया गया है और जब आप किसी उद्योग के श्रम संबंधी पहलू को लेकर कार्य करते हैं तब कतिपय नये प्रश्न उत्पन्न होने स्वाभाविक हैं । श्रम संबंधी प्रश्नों को हल करने के लिये इस देश में और बाहर भी, कई विधियां हैं किन्तु औद्योगिक प्रश्नों को हल करना एक कठिन कार्य है । मुझे वास्तव में ऐसा लगता है कि यह विधेयक बहुत देरी से लाया गया है । हममें से कुछ सदस्य यह कह सकते हैं कि इस कार्य पर हम कम समय लगा सकते थे किन्तु मेरा ख्याल है कि प्रेस आयोग की सिफारिशों पर सरकार ने जिस ढंग से विचार किया है वह सन्तोषजनक है । समाचार पत्रों के मालिक इस देश में काफी शक्तिशाली हैं और किसी ऐसी क्रांतिकारी बात के संबंध में, जिसके बारे में प्रेस आयोग ने विधान के रूप में सिफारिशें की हैं, कार्य करना कोई सरल बात नहीं है ।

[श्री टी० एन० सिंह]

इसलिये विधेयक देरी से प्रस्तुत किया गया है। इसके लिये मैं माननीय मंत्री को दोष नहीं दूंगा।

जहां तक विधेयक का संबंध है, संभव है कि उसमें कुछ सुधार अथवा संशोधन, जोकि मालिक या कर्मचारी की सुविधा के लिये हों, करने का विचार मेरे कुछ साथी रखते हों। किन्तु मैं यही कहना चाहता हूं कि इस विधान से जो सुविधायें हम पत्रकारों को देना चाहते हैं उन्हें कम न करके बढ़ाया जाना चाहिये। मैं स्वयं एक पत्रकार रह चुका हूं और १९२५ में मैं शाम के ६ बजे से सुबह के ६ बजे तक प्रतिदिन कार्य किया करता था जिसके लिये मुझे प्रतिमास केवल ६० रुपये मिलते थे। मुझे यह बहुत बुरा लगता था और हमारे हितों की रक्षा किये जाने की आवश्यकता थी मुझे महसूस होती थी। मेरा ख्याल है कि यदि इस विधान में कोई संशोधन किया जाना है तो वह इस दृष्टिकोण से किया जाये कि इस महान उद्योग में काम करने वाले व्यक्तियों को अधिकाधिक सुविधायें प्राप्त हों। मैंने सुना है कि ऐसे भी कुछ मामले हैं जिनमें दिये जाने वाले उपदान की राशि काफ़ी बड़ी होती होती है। किन्तु यह ध्यान रखने योग्य बात है कि उन दिनों पत्रकार एक पवित्र कार्य स्वाधीनता प्राप्ति में अपना सहयोग दे रहे थे और मैं पूछता हूं कि क्या यह सुझाव है कि जिन लोगों ने १९२० से लेकर १९४५ तक लगातार सेवा की है उन्हें १५ दिन की छुट्टी का उपदान नहीं मिलना चाहिये ? यदि यही सुझाव है तो इससे अधिक प्रतिक्रियात्मक मनोवृत्ति हो नहीं सकती। मैं इस बात पर जोर देता हूं कि कोई संशोधन न किया जाये और यदि किया जाये तो उससे पत्रकारों को अधिक सुविधायें प्राप्त होनी चाहिये।

जहां तक मजूरी बोर्ड का संबंध है, मुझे हर्ष है कि राज्य सभा में इसमें संशोधन किया गया था। हमें केवल न्यूनतम वेतन निर्धारित किये जाने में ही आस्था नहीं है वरन् हम चाहते हैं कि उचित या न्याय वेतन निर्धारित किये जायें। वास्तव में हमने अपने आयोग में इस प्रश्न पर विस्तारपूर्वक चर्चा की थी और हमारा उद्देश्य यह था कि हमारे पत्रकार बंधुओं को समुचित वेतन मिले। इसलिये जो परिवर्तन किया गया है उसका मैं स्वागत करता हूं। मुझे खेद है कि संभवतः मैंने अधिक समय लिया है किन्तु यदि आप अनुमति दें तो मैं कहूंगा कि काम के घंटे, अधिक समय काम करना और अन्य सभी बातें भी इसमें रखी जानी चाहियें। इस अवस्था में धारा का जो प्रवाह रहा है उसे विपरीत दिशा में मोड़ा नहीं जा सकता है और कितना ही बड़ा स्वामी इस प्रवाह का विरोध क्यों न करे वह स्वयं प्रवाह के साथ बह जायेगा। मेरा ख्याल है कि इस विधेयक में ऐसी कोई बात नहीं है जिससे सरकार यह न कह सके कि अधिक समय काम करने के लिये पारिश्रमिक अवश्य दिया जाना चाहिये।

डा० केसकर : विधेयक में ऐसी कोई बात नहीं है।

श्री टी० एन० सिंह : मुझे विश्वास है कि इस प्रणाली के शुरू होते ही और सभी बातें आप ही आप आ जायेंगी अपने पत्रकार बंधुओं को मेरी सलाह है कि हमें उतावली करना नहीं चाहिये। विगत ३० वर्षों से हमने काफी कठिनाईयों का सामना अत्यंत धैर्य के साथ करते हुए एक विशिष्ट स्तर की स्थापना के लिये कार्य किया है। हमें अपना कार्य उसी भावना के साथ करते जाना चाहिये। मैं अपेक्षा करता हूं कि भविष्य में पत्रकारिता उद्योग केवल मुनाफा प्राप्त करने वाली संस्था ही नहीं रहेगी किन्तु वह एक महान कार्य करेगी। इसलिये पत्रों के स्वामियों द्वारा ये बातें रुपये आने पाई के दृष्टिकोण से न देखी जायें जैसाकि एक सामान्य व्यापारी किसी

भी सौदे में कमीशन लेना चाहता है। इन शब्दों के साथ मैं इस विधान का समर्थन करता हूं और विधेयक के इसी रूप में पारित किये जाने की अपील करता हूं। किसी सदस्य को यह आशा नहीं करनी चाहिये कि यदि कोई संशोधन किया गया तो वह प्रतिक्रियात्मक होगा।

श्री जोकीम आल्वा (कनारा) : पत्रकारों द्वारा लगभग एक शताब्दि पूर्व जो संघर्ष शुरू किया गया था उसका अन्त हो गया है। अब पत्रकारों को कुछ अधिक सुविधायें मिली हैं और उन्हें जो सुविधायें इस समय उपलब्ध नहीं हैं वे यथासमय प्राप्त होंगी। इस विधेयक को प्रस्तुत करने के लिये माननीय मंत्री बधाई के पात्र हैं किन्तु उन्हें अभी एक और विधेयक प्रस्तुत करना है। छोटे और असमर्थ पत्रों के लिये कोई उपबन्ध नहीं है। इसके लिये ब्रिटिश और अमरीकी विज्ञापनदाता जिम्मेवार हैं और भारतीय पत्रकारिता के विकास की ओर से भारतीय विज्ञापनदाता एक दम उदासीन हैं। सोवियत संघ, चीन और मध्य यूरोपीय देशों के नवीन विज्ञापनदाता भी हैं और हमें आशा है कि वे ब्रिटिश और अमरीकी विज्ञापनदाताओं के बल को संतुलित कर सकेंगे। इस बड़ी प्रतियोगिता में छोटे पत्र नष्ट प्रायः हो जाते हैं। उनके हितों की रक्षा के लिये मंत्रालय द्वारा पंचवर्षीय योजना में, लम्बी अवधि की सहायता या अन्य सुविधाओं के लिये, उपबन्ध किये जाने चाहिये थे जिससे कि वे प्रतियोगिता में ठहर सकें।

मैं विधेयक के नैतिक और कानूनी पक्षों पर जोर दे रहा था। नैतिक उत्तरदायित्व बहुत से हैं और इसका एक उदाहरण देने के लिये सदन मुझे क्षमा करेगा। अभी हाल ही में पाकिस्तान से आये एक शरणार्थी व्यापारी ने मुझ बताया कि वह भारत में केवल तीन रुपये लेकर आया था और अब वह एक सफल व्यापार स्थापित कर चुका है। जब वह शेफील्ड स्थित एक ब्रिटिश फैक्टरी में गया तब ब्रिटिश ट्रेड यूनियन के लोगों ने उसे एक अनूठी घटना बताई। एक कर्मचारी ५¼ बजे शाम को अपना मुंह धोने गया था जबकि फैक्टरी बन्द होने का समय ६ बजे का था। मालिकों ने उसे अलग कर दिया और सभी अन्य यूनियनों को इस आशय की सूचना दे दी कि उसे नौकरी न दी जाये। यदि एक कर्मचारी प्रतिदिन १५ मिनट गंवाता है तो हजारों कर्मचारियों द्वारा कई हजार घंटे नष्ट किये जायेंगे। यूनियन का नैतिक उत्तरदायित्व शक्तिशाली था। यह बात हमारे यहां नहीं है। हमें ब्रिटिश ट्रेड यूनियन की भावना को आत्मसात कर अपने उत्तरदायित्व को निभाना चाहिये।

आज हमें ऐसे युवा पत्रकायों की आवश्यकता है और जो देशभक्त हों। संभव है कि वे अपनी जिम्मेदारियां पूरी तरह से समझते न हों। पत्रकारिता स्वयं गतिमान नहीं हो सकती है और समाचारपत्र केवल मशीनों के सहारे नहीं निकाले जा सकते हैं।

जैसा कि मैंने पहले कहा कि यदि हम एक कदम आगे रखते हैं तो हमें दो कदम पीछे जाना नहीं चाहिये। यह मैं पुनः कहूंगा कि जो अधिक निर्धन और छोटे पत्र हैं उन्हें सरकार द्वारा सहायता दी जानी चाहिये जिससे कि वे हमारे लोक कल्याणकारी राज्य में अपना योग दे सकें।

श्री भागवत झा आजाद (पूर्निया व संथाल परगना) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं क्योंकि इसमें एक ऐसे उद्योग के, जिसमें कर्मचारी सुबह से आधी रात तक काम करने के बाद भी दारिद्रय और चिन्ता के वातावरण में रहते हैं, मानवीय मूल्यों को मान्यता दी गई है।

यद्यपि यह विधेयक पूर्ण नहीं है तथापि मुझे लगता है कि इससे पत्रकारों की कठि-

[श्री भागवत झा आजाद]

नाइयां किसी हद तक दूर हों सकेंगी । राज्य सभा में जिस रूप में यह विधेयक प्रस्तुत किया गया था उसमे हमें कोई संतोष नहीं हुआ था किन्तु अब उसमें काफी सुधार कर दिया गया है ।

मजूरी बोर्ड अब गठित किया जा चुका है और वह न केवल न्यूनतम वेतन निर्धारित ही करेगा वरन् श्रमजीवी पत्रकारों के लिये समुचित वेतन के प्रश्न की भी जांच करेगा । हम चाहते हैं कि संक्रमणकाल में जिन वेतनों के दिये जाने की सिफारिश प्रस आयोग ने की है उन्हें सरकारी गजट में प्रकाशित करके खंड १३ के संबंध में अविलंब कार्यवाही की जानी चाहिये । यह एक बहुत विचित्र बात है कि मेरे कुछ मित्र, चूंकि वे मेरे विचारों से परिचित हैं, मेरे पास न आकर कहीं अन्यत्र यह कह रहे थे कि उपदान के बारे में जो उपबन्ध है उसे भूतलक्षी प्रभाव क्यों दिया जाये । मैं उनसे पूछना चाहता था कि एक ऐसे उपबन्ध को, जो श्रमजीवी पत्रकारों पर लागू किया जा रहा हो, भूतलक्षी प्रभाव क्यों न दिया जाये । फिर मुझसे पूछा गया कि भविष्यनिधि और इस उपदान के लिये उपबन्ध क्यों है ? इसके लिये भी मेरा उत्तर वही है ।

मेरा ख्याल है कि माननीय मंत्री ने इस विधेयक में छंटनी के बारे में एक खंड रखा है, फिर भी हमारे समक्ष कई कठिन मामले आयेंगे मैं कम से कम एक ऐसे ही मामले की जानकारी रखता हूं । पटना में एक प्रेस में मेरा एक मित्र पत्रकार है । उसका दोष केवल यही था कि उसने प्रेस आयोग के समक्ष अपने प्रतिष्ठान के विरूद्ध स्पष्ट शब्दों में गवाही दी थी । उसे उस कारण निकाल दिया गया है और छंटनी के बारे में जो खंड है उसका लाभ उसे प्राप्त नहीं हो सकता है । मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह इस अवधि को बढ़ा दें । यदि ऐसा करना संभव न हो तो वह कहदें कि ऐसे मामले जो विभिन्न राज्यों में लम्बित हैं और जिनपर कि औद्योगिक न्यायाधिकरणों द्वारा कोई निर्णय किया नहीं गया है संबंधित राज्य सरकारों द्वारा न्यायनिर्णयन के लिये निर्दिष्ट किये जायें ।

हमने स्वयं संशोधन प्रस्तुत करने के विशेषाधिकार का त्याग केवल इसी आशा से किया है कि जो बातें हम संशोधन के माध्यम से उठाना चाहते थे उन पर माननीय मंत्री विचार करेंगे, इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं ।

डा० सुरेश चन्द्र (औरंगाबाद) : मैं निश्चय ही यह अनुभव करता हूं इतने अल्प समय में इस विधान को प्रस्तुत करने के लिये माननीय मंत्री बधाई के पात्र हैं । जैसाकि स्वयं माननीय मंत्री ने पहले बताया कि यह प्रेस आयोग की संभवतः सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिफारिश है और इसलिये श्रमजीवी पत्रकारों की सेवा विषयक शर्तों में सुधार करने के लिये एक विधान का लाया जाना अत्यन्त आवश्यक है । इस विधेयक में कुछ कमियां हैं और यह बता देना मैं आवश्यक समझता हूं कि माननीय मंत्री द्वारा निकट भविष्य में अधिक व्यापक विधेयक प्रस्तुत किया जायेगा ।

यह बड़ी प्रसन्नता की बात है कि मजूरी बोर्ड के गठन के बारे में एक उपबन्ध किया गया है किन्तु मैं अनुभव करता हूं कि सरकार को इस बात पर प्रेस आयोग की सिफारिश को स्वीकार कर के एक आधारभूत न्यूनतम मजूरी बोर्ड गठित करना चाहिये । यह सच है कि सभी उद्योगों में इस तरह के बोर्ड नहीं होते हैं किन्तु मेरे विचार से यह एक विशेष उद्योग है और इसलिये एक ऐसा बोर्ड होना ही चाहिये । इस उद्योग के संबंध में अत्यन्त विस्तारपूर्वक कार्य करने के बाद प्रेस आयोग ने यह सिफारिश की है कि न्यूनतम वेतन १२५ रुपये हो । मेरी राय में यह सिफा-

रिश न्याय्य है और मुझे आशा है कि सरकार इसे स्वीकार कर लेगी ।

मुझे एक बात और कहनी है । मुझे आशा है कि इस बोर्ड के माध्यम से हम पत्रकारों को अधिक सुविधायें प्राप्त करा सकेंगे जिससे कि यह विधेयक भविष्य में पत्रकारों के लिये एक घोषणापत्र सिद्ध हो ।

तीसरा सुझाव मैं यह देना चाहता हूं कि हिंदी या अन्य भाषाओं के पत्रों के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिये । दुर्भाग्यवश इस देश में विभिन्न भाषाओं के पत्रों के लिये न्यूनतम वेतन निर्धारित किये जाने के बारे में पक्षपात हुआ है । मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इस देश में कुछ वर्षों के बाद अंग्रेजी पत्रों का कोई भविष्य ही नहीं रहेगा । संभवः है कि यह दुर्भाग्य की बात हो किन्तु संविधान में चूंकि इस आशय का उपबन्ध किया गया है इसलिये स्थिति इस प्रकार है । प्रादेशिक भाषाओं को बिना किसी पक्षपात के बढ़ावा देने के लिये सरकार द्वारा भरसक कोशिश की जाये ।

मैं विधेयक का हार्दिक स्वागत करता हूं ।

श्री रघुनाथ सिंह (ज़िला बनारस-मध्य) : सभापति महोदय, मेरा प्रस्ताव है कि इस पर अब बहस समाप्त की जाये और इस-पर वोट ले लिया जाय । मैं समापन प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं (**अन्तर्बाधा**) ।

सभापति महोदय : शांति, शांति । बात यह है कि इसके लिये दो घंटे दिये गये हैं और चर्चा को समय से पूर्व समाप्त करना सदन पर निर्भर करता है ।

श्री रघुनाथ सिंह : मैं समापन का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं । (**अन्तर्बाधा**)

सभापति महोदय : मेरा ख्याल है कि श्री जयपाल सिंह आयोग के सदस्य थे और वह कुछ कहना चाहते हैं । मैं उन्हें पांच मिनट का समय दूंगा । माननीय सदस्य अन्तिम वक्ता होंगे ।

श्री टी० एन० सिंह : वह तृतीय वाचन के समय बोल सकते हैं । यदि समापन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है तो सदन के नियमों के अनुसार उस पर मतदान होना चाहिये ।

सभापति महोदय : यह आवश्यक नहीं है । कोई भी निर्णय करने के लिये मैं स्वतंत्र हूं । इसलिये श्री जयपाल सिंह को मैं पांच मिनट दूंगा और उसके बाद समापन प्रस्ताव प्रस्तुत होगा ।

श्री जयपाल सिंह (रांची पश्चिम-रक्षित-अनुसूचित आदिम जातियां) : इस अवसर पर प्रेस आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश राजाध्यक्ष के नाम का स्मरण मैं करता हूं । हमें उनके साथ कार्य करने का अवसर मिला और जहां तक श्रमजीवी पत्रकारों की सेवा विषय शर्तों का संबंध है हम उनसे अधिक अच्छा व्यक्ति नहीं पा सकते हैं । वह एक ऐसे भारतीय थे जिनका अनुभव इस देश की न्याय संस्था के किसी भी व्यक्ति से अधिक था और आयोग के अध्यक्षपद पर नियुक्ति के लिये सरकार द्वारा किसी अन्य व्यक्ति का विचार नहीं किया जा सकता था । वह किसी न किसी रूप में, श्रमिकों की स्थिति के बारे में कार्य करने वाले कई न्यायाधिकरणों के प्रमुख रहे थे । एक माननीय सदस्य ने कुछ समय पूर्व बोलते हुये उदात्त कार्य का उल्लेख किया था । हमारा उदात्त कार्य से संबंध नहीं है वरन् हम मौजूदा समस्याओं से संबंधित हैं और मेरा ख्याल कि मौजूदा समस्या न केवल मालिकों की वरन् कर्मचारियों की भी है । यह बिलकुल साफ बात है कि मैं संतुष्ट नहीं था वस्तुतः प्रेस आयोग के प्रतिवेदन में विमति टिप्पणी पर हस्ताक्षर करने वालों में से मैं भी एक था । आज श्रमजीवी पत्र-

[श्री जयपाल सिंह]

कारों को जो कुछ दिया जा रहा है उससे भी मैं संतुष्ट नहीं हूं क्योंकि हम उनसे बहुत सी अपेक्षायें करते हैं। देशी भाषाओं के पत्र देश के सबसे बड़े पापी हैं। हम राष्ट्रीयता और ऐसा ही अन्य बातों पर चर्चा करते हैं किन्तु वास्तव में विदेशी भाषाओं के पत्र ही ऐसे हैं जो अच्छा पारिश्रमिक देते हैं। विदेशी भाषा के पत्र आज देश की किसी भी भाषा के पत्र से अधिक अच्छे हैं।

कुछ माननीय सदस्य : नहीं, नहीं।

श्री जयपाल सिंह : ये बातें सत्य हैं। देश में किसी भी देशी भाषा के पत्र विदेशी भाषा के पत्रों से अधिक पारिश्रमिक नहीं देते हैं। (**अन्तर्बाधा**) कुछ माननीय सदस्यों ने मुझ से कहा है कि पक्षपात नहीं होना चाहिये जो कुछ मैंने कहा है उसे अभिलिखित किया जाये। मैं भी एक श्रमजीवी पत्रकार हूं।

माननीय सदस्य : अंशकालिक।

श्री जयपाल सिंह : अंशकालिक ही सही। वर्ष में एक दिन के लिये ही सही किन्तु मैं श्रमजीवी पत्रकार हूं। मैं जो कुछ कहना चाहता हूं वह यह है कि उसे केवल उदात्त कार्य का रूप न दिया जाये। उसे उससे कुछ अधिक अच्छा रूप दिया जाये। यह बहुत महत्वपूर्ण है। उन्हें क्या मिलना चाहिये, उनकी सेवा की शर्तें क्या हों आदि बातों पर बोलना सरल है। मुझे मालिकों के साथ कोई सहानुभूति नहीं है।

श्री जोकिम आल्वा : वित्तीय दृष्टि से भारतीय पत्रकारिता का अंग्रेजी विभाग सबसे अधिक शक्तिशाली है।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य इस बात को ध्यान में रख नहीं रहे हैं कि उन्हें केवल पांच मिनट का समय दिया गया है। वह समय सीमा को लांघ रहे हैं। समय थोड़ा है। माननीय सदस्य कृपया अपना भाषण शीघ्र समाप्त करें।

श्री जयपाल सिंह। मैं श्रमजीवी पत्रकारों से अपील करूंगा कि उनका कार्य रचनात्मक है और इस नाते वह सामान्य शर्तों के अधीन नहीं हो सकता है किन्तु साथ ही वे अपने पद के योग्य भी सिद्ध होंगे।

[समापन प्रस्ताव मतदान के लिऐ रखा गया तथा स्वीकृत हुआ]

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :–

"कि श्रमजीवी पत्रकारों और समाचार पत्र संस्थापनों में लगे हुये अन्य व्यक्तियों की सेवा की कुछ शर्तों को विनियमित्त करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री भक्त दर्शन : क्या मंत्री महोदय उत्तर नहीं देंगे ?

सभापति महोदय : मैं इस अवसर पर मंत्री महोदय के उत्तर की आवश्यकता नहीं समझता। मैं समझता हूँ कि जिन सदस्यों ने संशोधन रखे थे, उन्होंने अब वापिस ले लिये हैं। इसलिये प्रश्न यह है :–

"खंड १ से २१ तक, अधिनियमन सूत्र और नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड १ से २१, अधिनियमन सूत्र और नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

डा० केसकर : मैं प्रस्ताव रखता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

माननीय सदस्यों ने जो बातें कहीं हैं मैं उनका उत्तर देना चाहता हूं

सभापति महोदय : वह श्री डी० सी० शर्मा के बाद बोल सकते हैं ।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

"कि विधेयक पारित किया जाये ।"

श्री डी० सी० शर्मा (होशियारपुर) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं । आज श्री खंडुभाई और डा० केसकर अत्यन्त प्रसन्न दिखाई देते हैं । पत्रकारिता अत्यन्त कठिन और विचित्र व्ययसाय है, इसलिये हम इस व्ययवसाय को रक्षण दे रहे हैं और इस व्ययवसाय में काम करने वाले लोगों को अच्छी तरह जीवित रहने योग्य वेतन देने का प्रयत्न कर रहे हैं । यह अत्यन्त उदारतापूर्ण और मानयोग्य व्यवसाय है, किन्तु निर्धनता इस पर छाई हुई है, इसलिये हम उस निर्धनता को समाप्त करने और इस काम को अच्छी तरह और कुशलतापूर्वक करने के लिये अच्छी स्थितियां पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं । मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वह अनुशासनीय कार्यवाही वाले खंड में कुछ संशोधन करें और यदि संभव हो तो इसे इसमें से निकाल दें । दूसरे छंटनी के बारे में जो उपबन्ध बनाये जायें वे मालिकों के लिये बहुत सख्त होने चाहियें । इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं ।

श्रीमती शिवराजवती नेहरू (जिला लखनऊ-मध्य) : हम स्त्रियां भी इस विधेयक का समर्थन करती हैं ।

श्री एस० एल० सक्सेना : आज इस विधेयक द्वारा पत्रकारों को कर्मकरों की श्रेणी में रखा जाने के कारण हम सबको प्रसन्नता है । किन्तु औद्योगिक विवाद अधिनियम, औद्योगिक कारबार (स्थायी आदेश) अधिनियम और कर्मचारी भविष्यनिधि अधिनियम, १९५२ के दोष भी विद्यमान हैं । इसमें उपबन्ध है कि सरकार को विवाद के निर्णयन के लिये सौंपने की जरूरत नहीं है ।

श्रम मंत्री (श्री खंडु भाई देसाई) : संशोधक विधेयक के द्वारा इस त्रुटि को दूर कर दिया गया है ।

श्री एस० एल० सक्सेना : यदि यह त्रुटि दूर कर दी गई है तो मुझे इस बात की खुशी है ।

डा० केसकर : मुझे यह जानकर अत्यन्त प्रसन्नता हुई है कि इस सभा ने एकमत से इस विधेयक का समर्थन किया है । इससे प्रतीत होता है कि सभी सदस्य प्रगतिशील विचारों के हैं । वे पत्रकारों की सहायता करना और उन्हें उनका हक देना चाहते हैं । वे चाहते हैं कि पत्रकारों की काम की दशायें बहुत अच्छी हों ।

श्री अलगू राय शास्त्री : आप को कुछ हिन्दी में भी बोलना चाहिये था ।

डा० केसकर : मैं अगली बार हिन्दी में बोलूंगा । मैं यह दावा नहीं करता कि विधेयक सम्पूर्ण है । मैं मानता हूं कि विधेयक में बहुत सी बातों में सुधार किया जा सकता है । किन्तु, जैसा कि मैंने कहा, यह विभिन्न मतों के बीच का रास्ता है । अपरंच मैं ने सदस्यों को बताया है कि इस अवस्था में विधेयक में कुछ भी परिवर्तन करने से, चाहे वह छोटा सा भी क्यों न हो, यह विधेयक महीनों के लिये स्थगित हो जायेगा । चाहे माननीय सदस्यों को यह विधेयक अधूरा दिखाई देता हो, मैं आशा करता हूं कि वे इसके सामान्य सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुये और जिन को वे पसन्द नहीं करते, उनकी ओर ध्यान न देते हुये इसका पूरा समर्थन करेंगे । मैं इतना कहना

[डा० केसकर]

चाहता हूं कि यह विलंबकारी विधेयक नहीं है । हमने सब बातों का ध्यान रखा है । अब भी यदि किसी त्रुटि की ओर ध्यान दिलाया जायेगा या अनुभव से हमें कोई त्रुटि दिखाई देगी तो मैं निश्चय ही उसपर विचार करने के लिये तैयार हूं और हम निश्चय यह प्रबन्ध करेंगे कि बाद में तदनुसार व्यवस्था की जाये । हमें इस मामले में यथा संभव शीघ्रता करनी है, किन्तु, दुर्भाग्यवश, माननीय सदस्य इस प्रकार शीघ्रता करना चाहते हैं कि उस तरह प्रजातंत्रात्मक और संसदीय प्रक्रिया का पालन नहीं किया जा सकता । यदि आप चाहते हैं कि उस प्रक्रिया का पालन किया जाये, तो कुछ विलंब अवश्यंभावी है । इससे छुटकारा नहीं पाया जा सकता । मैं समझता हूं कि दीर्घ कालीन विधान के नाते, यह अधिक उत्तम होगा कि हम प्रत्येक मतपर विचार करें और तब कोई निर्णय करें, जो अधिक अच्छा अधिक दृढ़ और अधिक समय तक चलने वाला होगा । माननीय सदस्यों ने बहुत सी बातें कहीं हैं, मैं उन सब का तो उल्लेख नहीं कर सकता । मैं यहां दिये गये सब सुझावों को ध्यान पूर्वक लिख रहा हूं । दो तीन सदस्यों ने अनुशासनीय कार्यवाही की बात कही है । मैं उनको स्मरण कराना चाहता हूं कि अनुशासनीय कार्यवाही संबंधी उपबन्ध औद्योगिक विवाद अधिनियम में से लिया गया है । अनुशासनीय कार्यवाही बात और निश्चित दुराचारण के मामले में की जाती है । औद्योगिक विवाद अधिनियम में जो कुछ कहा गया है और जो माननीय सदस्यों ने कहा है, उनमें कोई पारिस्परिक विरोध नहीं है । इस विधेयक के अधीन जो भी कार्यवाही की जायेगी, वह औद्योगिक विवाद अधिनियम में दी गई प्रक्रिया के अनुसार होगी । इसलिये माननीय सदस्यों को यह शंका करने की आवश्यकता नहीं है कि यह कोई नई चीज है जो दूसरे किसी औद्योगिक विधान में नहीं है । नियत समय के बाद काम करने, छुट्टी और अन्य बातों के प्रश्नों पर नियमों के अधीन विचार किया जा सकता है । मैं ने राज्य सभा में भी कहा है कि छुट्टी और नियत समय के बाद काम करने के बारे में, जो बातें विधेयक में नहीं आई हैं, उनके बारे में उपयुक्त नियम बना दिये जायेंगे । बहुत से सदस्यों ने देशी भाषाओं के पत्रों और अंग्रेजी भाषा के पत्रों के बारे में भी प्रश्न उठाये हैं ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

इसमें कोई सन्देह नहीं कि देशी भाषाओं के पत्रों का भविष्य बहुत अच्छा है । हमें देखना यह है कि देशी भाषा के पत्र 'फलें फूलें' और ठीक दिशा में प्रगति करें इनकी नींव पक्की होनी चाहिये । जो भी काम आवश्यक होगा, हम निश्चय ही उसे करेंगे । यह शंका करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि हम अंग्रेजी भाषा के पत्रों का पक्ष लेना चाहते हैं ।

मैंने माननीय सदस्यों द्वारा उठाई गई दूसरी बातों को बहुत ध्यानपूर्वक सुना है, जिनमें श्री जयपाल सिंह की संगत बातें भी सम्मिलित हैं । हम उन्हें ध्यान में रखेंगे, और जैसा मैंने कहा, विधेयक के लागू हो जाने के उपरांत अनुभव के आधार पर, हम अवश्य ही वह कार्यवाही करेंगे जो आवश्यक होगी । उपादान आदि कुछ मामलों में बहुत से समाचार पत्रों के लिये कठिनाई हो जायेगी । मैं निरपेक्ष रूप से इन सब बातों पर विचार करने को तैयार हूं । मैंने कहा है कि पत्रकारों को उनका उचित हक अवश्यमेव मिलना चाहिये । दूसरी ओर मैं आशा करता हूं कि पत्रकार भी यह प्रदर्शित करेंगे जैसा कि श्री जयपाल सिंह ने कहा कि पत्र कारिता एक आदरणीय व्यवसाय है । वे बहुत ऊंचे उठ सकते हैं । और प्रेस परिषद् की स्थापना हुये बिना भी, वे यह सिद्ध कर सकते हैं कि देश में पत्रकारिता का स्तर कायम रखा गया है । मुझे पूरी

आशा है कि पत्रकार सामूहिक रूप में उनके लिये काम करने की शर्तों के अच्छे स्तर स्थापित होने के बाद यह प्रयत्न करेंगे कि पत्रकारिता के अच्छे आदर्श कायम रखे जायेंगे और अन्य देशों को भी यह दिखायेंगे कि भारत में अधिक विनियमों के न होते हुये भी पत्रकार उच्च आदर्शों के लिये मार्ग दर्शन कर रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि वे इस लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे। मैं यह भी आशा करता हूं कि इस विधेयक के पारित हो जाने से मालिकों और कर्मचारियों के संबंध अच्छे हो जायेंगे। मैं कुछ मित्रों की इस शंका से सहमत नहीं हूं कि इस विधेयक से मालिकों और श्रमजीवी पत्रकारों के बीच द्वेष और वैमनस्य पैदा हो जायेगा। इसके बिल्कुल विपरीत, पत्रकारों को रक्षण प्राप्त होगा और उनका अच्छा बचाव होगा। मुझे विश्वास है कि मालिकों और श्रमजीवी पत्रकारों के संबंध अधिक अच्छे हो जायेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

इसके पश्चात् लोक-सभा की बैठक बुधवार १४ दिसम्बर, १९५५ के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

दैनिक संक्षेपिका

स्तम्भ

[मंगलवार, १३ दिसम्बर, १९५५]

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन उपःस्थापित ७३४३

श्री बर्मन ने व्यवहार प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित किया

पारित किये गये विधेयक ७३४३-८४,७४१४-५२

(१) संविधान (आठवां संशोधन) विधेयक पर खंडवार विचार आरम्भ किया गया। खंड २ और १ स्वीकृत हुये तथा विधेयक पारित किया गया

(२) श्रमजीवी पत्रकार (सेवा की शर्तें) तथा विविध उपबन्ध विधेयक पर, राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया गया। खंड १ से २१ तक स्वीकृत हुये तथा विधेयक पारित किया गया

विधेयक पर विचार ७३८४-७४१७

राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव पर श्री पाटस्कर अपना भाषण समाप्त किया। विधेयक पर अगले सत्र तक आगेतर विचार स्थगित कर दिया गया